Azadi Ka Amrit Mahotsav

100 युद्धपोतों के निर्माता

जीआरएसई लि.

G20 भारत 2023 INDIA

# गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
# GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

पोत निर्माण में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता की दिशा में अग्रसर

## वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

# विषयसूची


| | |
|---|---|
| अ.प्र.नि का संदेश | 2 |
| जीआरएसई के बारे में | 6 |
| व्यवसाय मॉडल | 7 |
| दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल्य | 8 |
| पोत निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और कौशल का एक प्रमाण | 10 |
| वित्तीय वर्ष 23 की मुख्य बातें | 13 |
| पोत मरम्मत | 14 |
| इंजीनियरिंग डिवीजन ए लिगेसी ऑफ इनोवेशन | 16 |
| इंजीनियरिंग प्रभाग वित्तीय वर्ष 23 का निष्पादन | 17 |
| इंजन प्रभाग का आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग | 18 |
| स्वदेशीकरण की विजय | 19 |
| नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकी | 20 |
| प्रतिस्पर्धी ताकतें | 22 |
| 10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें | 24 |
| निदेशक मंडल | 26 |
| निगमित सूचना | 28 |
| निदेशक रिपोर्ट | 29 |
| प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट | 66 |
| निगमित शासन पर रिपोर्ट | 72 |
| व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट | 95 |
| स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 124 |
| महालेखानियंत्रक की टिप्पणियाँ | 133 |
| तुलन पत्र | 134 |
| लाभ और हानि का विवरण | 135 |
| नकदी प्रवाह विवरण | 136 |
| इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण | 138 |
| वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स | 139 |
| 107वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना | 183 |


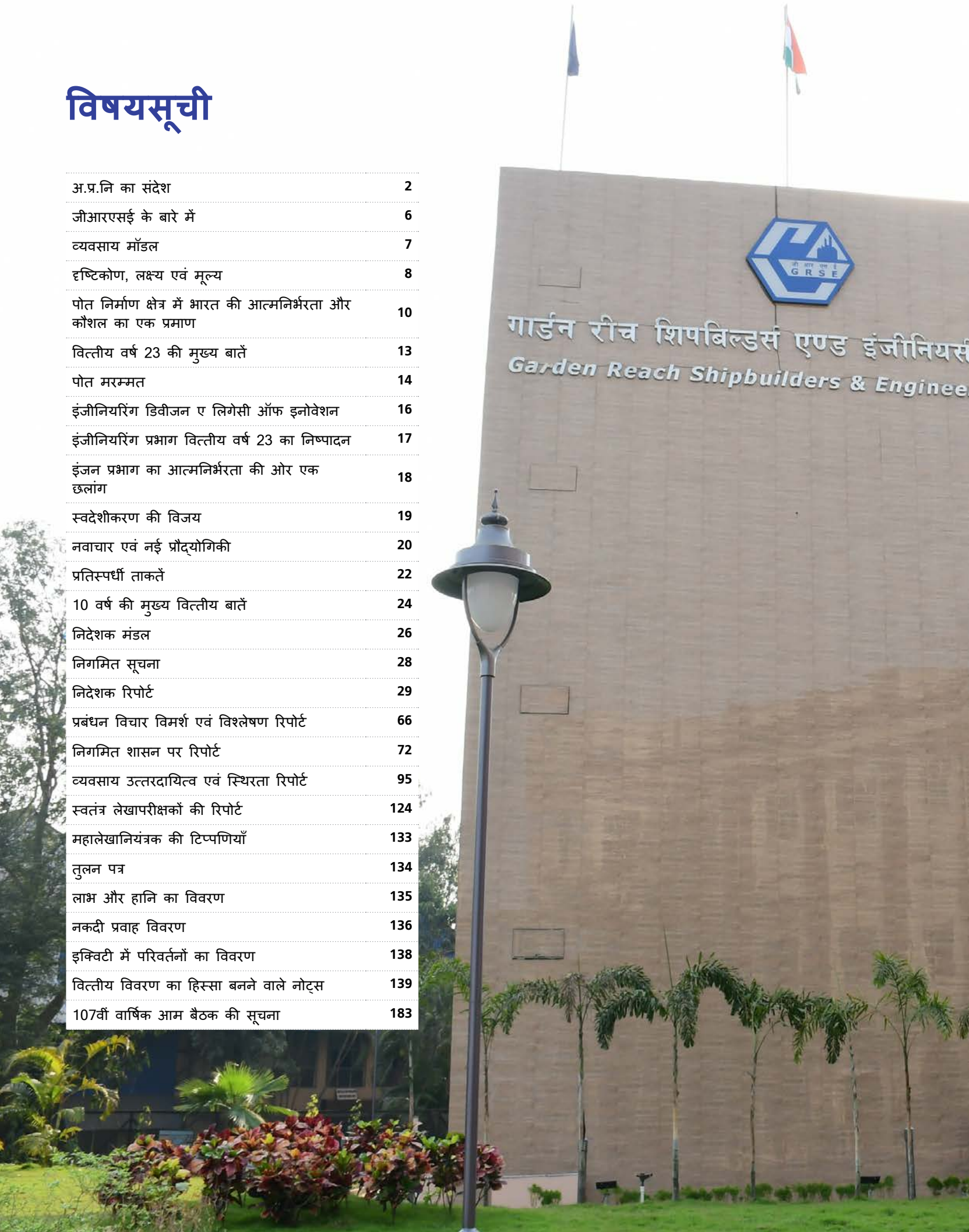

# गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

## लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

## अधिप्रमाणित

## रक्षा राज्य मंत्री

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

**प्रिय शेयरधारकों**

आपकी कंपनी की 107वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

वर्ष के दौरान, भले ही दुनिया यूक्रेन में संघर्ष के कारण आर्थिक अस्थिरता के प्रभाव से जूझ रही थी, आपकी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया जो प्रमुख भौतिक और वित्तीय मापदंडों में परिलक्षित होता है। कंपनी की ताकत और लचीलेपन ने इसे बाजार की अपेक्षाओं को पार करने और अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल करने की चुनौतियों से निपटने में मदद की है।

हमने अपने दृष्टिकोण और ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप और संचालन तथा विकास पर अटूट ध्यान केंद्रित करके इसे हासिल किया। अत्यधिक उन्नत और परिष्कृत जलयानों के प्रभावशाली निष्पादनों के साथ एक अग्रणी शिपयार्ड के रूप में, आपकी कंपनी देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत जलयानों को सुपुर्द करने के लिए अपने अथक प्रयास को जारी रखने के साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों और वाणिज्यिक जलयानों में विविधता ला रही है।

## वर्ष की मुख्य बातें

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने अटूट गति के साथ, वित्त वर्ष 22-23 में 45.7% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हासिल की है, जो हमारी अंतर्निहित क्षमताओं की रक्षा करने, सीमाओं को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

निरंतर सुधार, चपलता और भविष्य की तत्परता जैसे प्रमुख कारकों के साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 21-22 में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पार कर शिपयार्ड के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। निर्माण के विभिन्न चरणों के तहत 22 जलयानों के साथ हासिल किया गया यह विश्वसनीय प्रदर्शन, सभी बाधाओं के खिलाफ निरंतर सुपुर्द करने की आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्ष के दौरान, हमने निर्माणाधीन पोतों के लिए कई प्रमुख उत्पादन माइल स्टोन सफलतापूर्वक हासिल किए हैं, जिसमें हमारे ग्राहकों की खुशी के लिए समय से पहले सुपुर्दगी भी शामिल है।

रक्षा पोत निर्माता के रूप में समूह का नेतृत्व करने की हमारी यात्रा को जारी रखते हुए, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने भारतीय नौसेना के लिए चार नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (एनजीओपीवीएस) के निर्माण के लिए 3,550 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल किया है। प्रतिस्पर्धी आधार पर जीता गया यह अनुबंध हमारे समुद्री बलों के लिए एक विश्वसनीय और कुशल भागीदार के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।

हम पोत निर्माण के भविष्य को आकार देने, नई जमीन तलाशने और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे-जैसे हम इस उल्लेखनीय यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों और हितधारकों और इस प्रकार हमारे महान राष्ट्र को असाधारण मूल्य प्रदान करने के अपने वादे पर कायम हैं।

## वित्तीय निष्पादन विश्लेषण

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय निष्पादन के मामले में वित्तीय वर्ष 23 हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे सफल वर्ष रहा है। प्रचालन से हमारा राजस्व 45.7% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 22 में 1,541 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2,561 करोड़ हो गया । इसी तरह, हमारी कुल आय ₹ 1,918 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,763 करोड़ हो गई। हमने 19% की ईबीआईटीडीए वृद्धि हासिल की, जिसका आंकड़ा ₹ 294.88 करोड़ से बढ़कर ₹ 351 करोड़ हो गया। हमारा शुद्ध लाभ (पीएटी) भी 20% बढ़कर ₹ 189.53 करोड़ से ₹ 228 करोड़ हो गया।

इसके अलावा, हमारी प्रति शेयर आय (ईपीएस) 20% बढ़कर ₹ 16.55 से ₹ 19.91 हो गई। मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 13.68 से बढ़कर 22.88 हो गया, जो सकारात्मक निवेशक भावना को दर्शाता है। अंततः, हमारी निवल संपत्ति 12.5% बढ़कर 1,257 करोड़ से 1,413 करोड़ हो गई ।

## परियोजना की स्थिति और आदेश पुस्तिका का अवलोकन

कंपनी ने वित्त वर्ष 23 की शुरुआत ₹ 24,147 करोड़ की आदेश पुस्तिका के साथ की, जिसमें 24 जलयानों वाली सात परियोजनाएं शामिल थीं। रक्षा पोत निर्माण आदेशों में भारतीय नौसेना के लिए तीन

प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट, चार सर्वे वेसल्स (बड़े), आठ एएसडब्ल्यू शैलो वॉटर क्राफ्ट और तटरक्षक बल के लिए एक एफपीवी शामिल थे। इसके अलावा, ऑर्डर बुक में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक इलेक्ट्रिक नौका और गुयाना के सहकारी गणराज्य के लिए एक महासागर-गोइंग कार्गो सह यात्री पोत और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के लिए छह गश्ती नौकाओं के निर्यात ऑर्डर भी शामिल थे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 23 के दौरान हमने जिन दो पोतों की डिलीवरी की, यानी भारतीय तट रक्षक के लिए तेज गश्ती पोत और गुयाना के लिए महासागर-गोइंग कार्गो सह यात्री जलयान, दोनों तय समय से पहले सुपुर्द किए गए। 31 मार्च 2023 तक, हमारी ऑर्डर बुक ₹ 25,111.29 करोड़ थी, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। ऑर्डर बुक में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए चार अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण के लिए ₹ 3,550 करोड़ के अनुबंध से प्रेरित थी।

वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, हमारी परियोजनाएँ योजना के अनुसार प्रगति कर रही हैं। प्रोजेक्ट 17 ए के पोत पूरे जोरों पर आउटफिटिंग गतिविधियों के साथ पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। श्रेणी का पहला सर्वेक्षण पोत (बड़ा) अपने परीक्षण चरण में है और श्रेणी के अन्य पोत नियोजित उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं। वित्त वर्ष 23 के दौरान, एंटी-सबमरीन शैलो वॉटरक्राफ्ट परियोजना के तीन पोतों को जलावतरित किया गया और शेष पांच पोतों पर उत्पादन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी और बांग्लादेश के लिए गश्ती नौकाओं हेतु कार्य भी अच्छी प्रगति पर है और 2023-24 के दौरान डिलीवरी के लिए निर्धारित है। आपकी कंपनी के पोत मरम्मत प्रभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता से दीर्घकालिक पट्टे पर लिए गए तीन ड्राई-डॉक का कुशलतापूर्वक उपयोग करके वर्ष के दौरान 15 पोतों की मरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे ₹ 27.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम (ईओएफसीएस) के साथ 30 एमएम 10 नेवल सरफेस गन (एनएसजी) के स्वदेशी विकास और आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ मई 2023 में ₹ 248.51 करोड़ रु लागत के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। । हथियारों और सेंसर के क्षेत्र में यह प्रवेश आपकी कंपनी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण विविधीकरण का प्रतीक है। मॉड्यूलर ब्रिजों के निर्माण में हमारी अद्वितीय क्षमता को आगे बढ़ाते हुए, जीआरएसई ने मई 2023 में 30 डबल लेन (डीएल) मॉड्यूलर ब्रिजों के निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन और लॉन्चिंग के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । बीआरओ को 30 डीएल मॉड्यूलर ब्रिज की आपूर्ति पहले से ही की जा रही है।

## रणनीतिक पहल

वर्ष के दौरान, जीआरएसई ने अपनी रणनीति की समीक्षा करने और युद्धपोत निर्माण और इंजीनियरिंग में अपनी सिद्ध प्रतिस्पर्धी ताकतों से परे देखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी ने भविष्य की बाजार संभावनाओं के साथ नए उत्पादों में विविधता लाने के लिए डेलिब्रेट कदम उठाए हैं, जिसमें ईओएफसीएस के साथ नेवल सरफेस गन की आपूर्ति और शून्य उत्सर्जन और स्वायत्त पोतों का विकास शामिल है। वाणिज्यिक पोत निर्माण में प्रवेश करना और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने और बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए उद्देश्यपूर्ण विपणन पहल करना भविष्य को ध्यान में रखते हुए अन्य रणनीतिक कदम हैं।

अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने की दिशा में और हमारे "मेक इन इंडिया" प्रयासों के अनुरूप, हमने समुद्री डीजल इंजनों के स्थानीयकरण और सह-उत्पादन के लिए मैसर्स रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस, जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 3.5 मेगावाट क्षमता तक वॉटरजेट के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए मैसर्स कोंग्सबर्ग मैरीटाइम, फिनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

हमने असाधारण परिणामों के लिए प्रमुख चालकों के रूप में आंतरिक दक्षता, लागत में कमी और उच्च उत्पादकता को प्राथमिकता दी है। ग्राहकों की संतुष्टि के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता हमें अपेक्षाओं को पार करने और बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे उत्पादों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकियों और नवाचार को बढ़ावा देना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी के प्रयासों के केंद्र में है।

## भावी पथ

आवश्यक रणनीतिक पुनर्गणना करने के बाद, आपकी कंपनी के पास तत्काल भविष्य में देखने के लिए रोमांचक संभावनाएं हैं। हमें विश्वास है कि एनजीओपीवी के निर्माण की शुरुआत और अन्य नौसैनिक परियोजनाओं के पोतों की डिलीवरी शुरू होने के साथ, हमारी मौजूदा ऑर्डर बुक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगले तीन वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाएगा, जो एक उर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र बनाए रखेगा और असाधारण मूल्य प्रदान करेगा।

रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वायत्त वाहनों की बढ़ती मांग और हरित ऊर्जा पोतों में आसन्न ट्रांजिशन के साथ, आपकी कंपनी आगे आने वाले विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। नए वाणिज्यिक जलयानों, विशेष रूप से छोटे समुद्री पोतों और सुविधाजनक आकार के जलयानों की मांग में अपेक्षित वृद्धि एक अवसर के रूप में प्रस्तुत हो रही है क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं।

आपकी कंपनी विविधीकरण की इस खोज में प्रौद्योगिकी लीडरों, उद्योग भागीदारों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता की सराहना करती है और उनके साथ मजबूत कामकाजी संबंध बना रही है। हम उत्कृष्टता, ग्राहक संतुष्टि और उद्योग नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं, क्योंकि हम भविष्य के लिए तैयार हैं।

भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप आपकी कंपनी के लिए निर्यात एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। 23 अप्रैल 2023 आपकी कंपनी के इतिहास में एक यादगार दिन है, जब हमारे द्वारा 12.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निर्मित महासागर-गोइंग कार्गो सह यात्री पोत एमवी एमए लिशा को महामहिम डॉ. मोहम्मद इरफान अली, माननीय राष्ट्रपति गुयाना सहकारी गणराज्य और हमारे माननीय विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर की उपस्थिति में कमीशन किया गया। इसने न केवल दोनों देशों के लोगों को एक साथ लाने में जीआरएसई की भूमिका सामने आई, बल्कि सुदूर देशों के लिए निर्धारित समय पर अत्याधुनिक पोत बनाने और सुपुर्द करने की आपकी कंपनी की क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ। आपकी कंपनी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के लिए छह गश्ती नौकाओं के ऑर्डर को भी निष्पादित कर रही है, और इन पोतों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सुपुर्द किया जाना निर्धारित है।

हम वाणिज्यिक पोतों के निर्यात में प्रवेश करने के अलावा मित्रवत विदेशी देशों में नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए व्यावसायिक अवसरों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाकर अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करना चाह रहे हैं।

## आत्मनिर्भरता और नवप्रवर्तन की भावना

हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्लेटफार्मों की स्वदेशी सामग्री को अधिकतम करने के लिए निरंतर और व्यवस्थित स्वदेशीकरण प्रयासों के साथ रक्षा पोत निर्माण में आत्मानिर्भरता को आगे बढ़ाने में जीआरएसई सबसे आगे रहा है । आपकी कंपनी इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि इस राष्ट्रीय लक्ष्य की सच्ची प्राप्ति केवल एमएसएमई और स्टार्टअप सहित उद्योग भागीदारों के साथ मजबूत कामकाजी संबंध बनाकर ही प्राप्त की जा सकती है । कंपनी शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकी लीडरों और स्टार्टअप्स के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से स्वदेशी रूप से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का भी प्रयास कर रही है , जिससे इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को हमारे उत्पादों और प्रक्रियाओं में लाया जा सके। इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी पहले से ही कई अन्य नई तकनीकों के अलावा स्वायत्त वाहनों, एयूवी, यूएसवी और पोत-आधारित ड्रोन के विकास पर काम कर रही है।

जबकि आपकी कंपनी के पास संगठन के भीतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति है, मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जीआरएसई ने पोत निर्माण उद्योग के लिए अभिनव समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने के लिए एक मिशन भी शुरू किया है। इस दिशा में, कंपनी ने "जीआरएसई एक्सेलेरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम-2023 या गेन 2023" लॉन्च किया और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीआरएसई वित्त पोषित परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद है।

## प्रशिक्षण और प्रतिभा प्रबंधन

कर्मचारी कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और आपकी कंपनी की सफलता टीम जीआरएसई के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है। हमारे पास देश की कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं हैं और उन्हें निखारना हमारे प्रमुख प्रयासों में से एक है। हमारी लोक नीतियां एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं जो उनमें सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए सुविधा प्रदान करती है और प्रोत्साहन प्रदान करती है। तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य में, हमारा सर्वोपरि ध्यान निरंतर कौशल में कमी की पहचान करने और उन्हें उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के साथ-साथ उन्हें हमारी व्यापक व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखित करने के लिए अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने पर है।

## सतत विकास और ईएसजी

दीर्घकालिक परिसंपत्ति बनाते समय टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना हमारी मूल्य प्रणाली के मूल में रहा है। आपकी कंपनी मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान देना है। किए गए प्रत्येक कार्य अथवा किए गए निर्णय को भविष्य की दृष्टि से देखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दीर्घकालिक मूल्य सृजन को अल्पकालिक विचारों से कम नहीं किया जाता है। हम अपने शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय भागीदारों और स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा को प्रमुख महत्व देते हैं, जिससे प्रत्येक हितधारक के लिए स्थायी मूल्य पैदा होता है।

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अपने हितधारकों के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन के उत्थान तक फैली हुई है। आपकी कंपनी अवसर पैदा करके और खुशहाली फैलाकर हमारे प्रचालन क्षेत्र के आसपास हाशिए पर मौजूद समाजों के सतत विकास में निवेश करने में दृढ़ता से विश्वास करती है और उसका पालन करती है। आपकी कंपनी ने सीएसआर पहलों में काफी निवेश किया है और हजारों वंचित लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है।

आपकी कंपनी निगमित शासन अभ्यास के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए, ईमानदारी के साथ और नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यवसाय करने का सख्ती से प्रयास करती है। कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थापित प्रणाली है कि कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसके निदेशक मंडल और प्रबंधन को सभी स्तरों पर इन नीतियों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है, जिससे वे दक्षता और पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होते हैं जिससे सभी हितधारकों का समग्रता में मूल्य वृद्धि होती है। निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए आपकी कंपनी को लगातार "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

## समापन टिप्पणी

भारतीय रक्षा विनिर्माण, परिवर्तन के शिखर पर है, और हम, जीआरएसई, अपने राष्ट्र के "आत्मनिर्भर" प्रयासों में सबसे आगे बने हुए हैं। हमारी यूएसपी हमारी उत्पाद विविधता है और आज, हमारे उत्पाद "युद्धपोत से लेकर हथियार" तक हैं।

जैसे-जैसे हम अनिश्चित समय से गुजर रहे हैं और नई तथा विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, आपकी कंपनी के लिए चुनौतियाँ और अवसर अभूतपूर्व हैं । मजबूत ऑर्डर बुक, उभरते बाजार परिदृश्य और इसका लाभ उठाने के लिए हमारे पास मौजूद रणनीतियाँ कंपनी के लिए शुभ संकेत हैं। हमारा ध्यान हमारे मुख्य युद्धपोत निर्माण कौशल और अन्य मौजूदा व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के समेकन, स्वायत्त और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के क्षेत्रों में उत्पाद विविधीकरण, वैश्विक ओईएम के साथ रणनीतिक साझेदारी का प्रभावी लाभ उठाने, आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अनुकूलन और प्रक्रिया में सुधार पर होगा।

मुझे यकीन है कि सभी हितधारकों के निरंतर समर्थन से, आपकी कंपनी लगातार मजबूत होती रहेगी और मजबूत मूल्य सृजन प्रदान करती रहेगी। मैं रक्षा मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकारों को उनके दृष्टिकोण, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के विश्वास और निरंतर समर्थन के लिए भी आभारी हूं। मैं निदेशक मंडल, हमारे कर्मचारियों, हमारे सभी ग्राहकों, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों और प्रौद्योगिकी भागीदारों को उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और हमारे विकास में योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जीआरएसई में आपके निरंतर विश्वास, समर्थन और भरोसे के लिए आपको, हमारे शेयरधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं क्योंकि हम उत्कृष्टता के उच्च स्तर को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

जय हिन्द

**कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. सेवानिवृत्त**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

# जीआरएसई के बारे में

जीआरएसई भारतीय रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की पोत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएसई एक विविध, लाभकारी और लाभांश देने वाली कंपनी है तथा युद्धपोत निर्यात करने एवं भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को 100+ युद्धपोतों को सुपुर्द करने वाला देश का प्रथम शिपयार्ड है ।

# व्यवसाय मॉडल

स्वदेशीकरण
पोत निर्माण
दृष्टिकोण
2030 तक एक नवरत्न कंपनी बनना और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में पहचाना जाना
सह - रेटिंग मूल्य
गुणवत्ता आश्वासन
इंजीनियरिंग
इंजन
नवोन्मेष

# दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल्य

## दृष्टिकोण

2030 तक नवरत्न कंपनी बनना और वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में पहचान बनाना ।

## लक्ष्य

डिजाइन क्षमता में आत्मनिर्भर होना और अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं को लागू करना ।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण युद्धपोतों का निर्माण, सुपुर्दगी समय और उत्पाद सहायता के मामले में ग्राहक की अपेक्षा से अधिक की पूर्ति ।

ग्राहक संतुष्टि,उत्पाद नवोन्मेष,निर्यात संभावनाओं पर पकड़, कर्मचारी और अन्य हितधारक जुड़ाव तथा प्रतिभा विकास के माध्यम से निरंतर विकास प्राप्त करना ।

भारत सरकार की पहल और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा कर संचालन के सभी क्षेत्रों मे "सुधार एवं परिवर्तन" ताकि निष्पादन के अगले स्तर को प्राप्त किया जा सके ।

## मूल्य

### निष्पक्षता

जीआरएसई अपने विक्रेताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों, व्यापार भागीदारों और ग्राहकों को अपने साथ बार-बार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को निष्पक्ष व्यावहार की एक मजबूत प्रसिद्धि बनाना चाहता है। कंपनी संगठन के भीतर और बाहर अपने सभी लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता लाने की राह के पथ पर मजबूती से अग्रसर है।

### उदारता

उदारता का अर्थ है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में भाग लें । पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे कर्मचारी में प्रेरणा व निष्ठा बढ़ती है जिससे हम उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं।

## उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

कंपनी अपनी पिछली उपलब्धियों से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती अपितु वह लगातार बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की कोशिश करती है, लगातार ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती है, परिचालन क्षमता को उन्नत करती है और संगठन में सभी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस मूल्य पर जोर आंशिक रूप से निकट भविष्य में व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक से प्रेरित है।

## नवोन्मेष

व्यापर में नवोन्मेषक लगातार उभरती हुई ग्राहक जरूरतों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम समाधान डिजाइन कर रहे हैं। नवोन्मेष द्वारा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए जीवन मूल्य निर्मित करती हैं । निरंतर नवोन्मेष से निगम को बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने में मदद मिलती है क्योंकि वो प्रतियोगियों से पहले उभरते अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। जीआरएसई ने इस मूल्य प्रणाली को अपने वर्तमान और भविष्य के कार्यों में दृढ़ता से लागू करने की योजना बनाई है ।

## मान्यता

उदारता यह सिद्धांत है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में शामिल है । पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक तरीका बन जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की प्रेरणा, वफादारी बढ़ेगी और उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होगा ।

## कर्मचारी चिंता

कर्मचारी अपने करियर को पैसा कमाने के एक साधन से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं। वे ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जिसे सच में उनकी परवाह है । कर्माचारी चाहते हैं कि पर्यवेक्षकों उनके विचारों और चिंताओं को सुनें । वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा कैरियर मार्ग मले जिसमें वे सीखते रहें, नए कौशल प्राप्त कर सकें और संगठन के साथ आगे बढ़ सकें। संगठन के सभी स्तर के प्रबन्धक चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन प्रौद्योगिक,मानव संसाधनों और धन की आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति की जाए । जीआरएसई की इस मूल्य प्रणाली को अपने भविष्य में भी जारी रखने की योजना है ।

## सामाजिक भागीदारी

जीआरएसई की योजना अपने प्रचालन स्थल के आस पास के समुदाय व समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने की है।

# पोत निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और कौशल का प्रमाण

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग भारत की समुद्री विनिर्माण क्षमताओं का एक प्रतीक है। एक प्रभावशाली उत्पाद श्रृंखला और उससे भी अधिक प्रभावशाली ग्राहकों के साथ, यह पोत निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और कौशल का प्रमाण है। चूँकि समुद्र वैश्विक भू-राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा बना हुआ है, जीआरएसई जैसे प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं कि भारत हमेशा तैयार और हमेशा रिसाइलेंट रहे। जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग विविध नौसैना जलयानों के निर्माण में कंपनी की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के शिपिंग उद्योग के लिए काम करते हुए, जीआरएसई ने अत्याधुनिक जलयानों के निर्माण के लिए नाम कमाया है जो भारत की नौसैना के ताकत और समुद्री विशेषज्ञता का प्रमाण हैं।

**जीआरएसई की पेशकशों पर गहराई से विचार करने पर एक प्रभावशाली लाइनअप का पता चलता है :**

1. **फ्रिगेट्स:** ये युद्धपोत, समुद्र के संरक्षक हैं। उन्नत हथियार और निगरानी प्रणालियों के साथ फ्रिगेट नौसैना बेड़े का एक दुर्जेय हिस्सा हैं।
2. **एंटी सबमरीन वारफेयर:** सबमरीन के खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए ये जलयान समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3. **मिसाइल कार्वेट:** कॉम्पैक्ट लेकिन घातक, ये जलयान मिसाइलों से लैस हैं और नौसेना में रक्षा रणनीतियाँ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।
4. **लैंडिंग शिप टैंक और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी:** ये जलयान उभयचर अभियानों के दौरान सैनिकों, उपकरणों और वाहनों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं।
5. **सर्वे वेसल:** समुद्री अन्वेषण के लिए आवश्यक, ये जलयान महासागरों का चार्ट बनाते हैं और महत्वपूर्ण नेविगेशनल डेटा प्रदान करते हैं ।
6. **फ्लीट रीप्लेनिशमेंट टैंकर:** सहायक भूमिका निभाते हुए, वे ईंधन और प्रावधानों की आपूर्ति करके यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्लीट चालू रहे।
7. **पेट्रोल वेसल:** फास्ट पेट्रोल वेसल से लेकर ऑफशोर और इनशोर पेट्रोल वेसल तक, ये देश के जल की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हैं।
8. **डब्ल्यूजे-एफएसी, होवर क्राफ्ट और फास्ट इंटरसेप्टर नाव:** तीव्र प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किए गए, ये जलयान तेजी से जुड़ाव और तटीय रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल जीआरएसई के प्रमुख ग्राहक बने हुए हैं। कंपनी के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन दो सम्मानित प्रतिष्ठानों के साथ इसके व्यवहार से उत्पन्न होता है, जो जीआरएसई द्वारा बनाएं गए विश्वास और गुणवत्ता आश्वासन को रेखांकित करता है।

ZORDASTER
P609

# वित्तीय वर्ष 23 के निष्पादन की मुख्य बातें

**आदेश पुस्तिका**

**₹25,111.29** करोड़

रू. की आदेश पुस्तिका

**आय**

**₹2,561.15** करोड़

2021-22 में ₹1,754.45 करोड़ से

**19**

निर्माणाधीन जलयानों ने गुयाना सरकार के लिए एक ओशन गोइंग कार्गो सह यात्री जलयान और भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक फास्ट पेट्रोल जलयान को समय से पूर्व डिलीवर किया गया ।

**4**

अगली पीढ़ी के ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल

अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जलयानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर

# पोत मरम्मत

जीआरएसई ने अपनी इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता और विशेषज्ञता और आधुनिक संपत्तियों के विशाल पूल के साथ, श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स सहित देशों के लिए पोतों का निर्माण और मरम्मत की है। जीआरएसई के पास अब भारतीय समुद्री क्षेत्र में मरम्मत की मांग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित पोत मरम्मत वर्टिकल है।

पोत मरम्मत विभाग के पास नौसेना के युद्धपोतों, तटरक्षक पोतों और वाणिज्यिक पोतों की मरम्मत/ रीफिट में काफी विशेषज्ञता है। जीआरएसई के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र का संचालन करने वाली टीम के पास तट और जल दोनों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। जीआरएसई विक्रेताओं, अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली, विशेषज्ञ डिजाइन और तकनीकी सहायता के एक मजबूत पूल के साथ अनुसूचित और साथ ही अनिर्धारित / आपातकालीन मरम्मत और रखरखाव दोनों करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

# जीआरएसई रक्षा और वाणिज्यिक पोत मरम्मत सेवाएं दोनों प्रदान कर सकता है

किसी भी सुविधा में शेड्यूल्ड ड्राई डॉकिंग और रिफिट प्रबंधन

रखरखाव/मरम्मत के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टील निर्माण कार्य, पाइपिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम आदि से संबंधित कोई भी कार्य

आईओआर क्षेत्र में पोत या फ्लीट के रखरखाव और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन-सर्विस-समर्थन

तकनीकी अध्ययन और विफलता विश्लेषण

# इंजीनियरिंग प्रभाग नवाचार की विरासत

जीआरएसई को पोत निर्माण और नवोन्मेषी इंजीनियरिंग समाधानों में उसकी प्रगति के लिए जाना जाता है। जीआरएसई का इंजीनियरिंग प्रभाग विविधीकरण और नवाचार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। जीआरएसई पोर्टेबल ब्रिजों से लेकर विशेष डेक मशीनरी मद तक स्वदेशी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को मजबूत करने में अभिन्न भूमिका निभा रहा है। जैसे-जैसे समुद्री क्षेत्र विकसित हो रहा है, इंजीनियरिंग डिविजन अद्वितीय समाधान प्रदान करने और वैश्विक नेता के रूप में जीआरएसई की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।

## विविध पोर्टफोलियो

**पोर्टेबल ब्रिज**

गतिशीलता और संरचनात्मक नवाचार का प्रतीक, जीआरएसई के पोर्टेबल ब्रिजों ने कनेक्टिविटी समाधानों में क्रांति ला दी है। आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए डिज़ाइन किए गए, ये पुल आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चुनौतीपूर्ण इलाकों में आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं और पारंपरिक बुनियादी ढांचे की कमी या कोम्प्रोमाइस्ड होने पर निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करते हैं।

**डेक मशीनरी मद**

स्वदेशीकरण के प्रति जीआरएसई की प्रतिबद्धता का प्रमाण, पेश किए गए डेक मशीनरी आइटम मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत दोनों हैं। चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए ये अभिन्न घटक पोतों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करते हैं, जिससे वे समुद्री उद्योग के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं।

# इंजीनियरिंग डिवीजन का वित्तीय वर्ष 23 का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 में, जीआरएसई के इंजीनियरिंग डिवीजन ने विशेष रूप से पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट में एक मजबूत प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। इस इकाई ने 78 ब्रिजों के लिए 69.30 करोड़ रुपये का उत्पादन मूल्य (वीओपी) हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। वे अरुणाचल प्रदेश में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महत्वपूर्ण ब्रिजों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में कामयाब रहे, जिससे आवश्यक भू-कनेक्टिविटी मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त, यूनिट ने भूटान को ब्रिजों का निर्यात करके और बांग्लादेश सेना से ऑर्डर हासिल करके अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। जीआरएसई ने प्रमुख भारतीय रक्षा संगठनों को बेली ब्रिज के डिजाइन और आपूर्ति के लिए 'ग्रीन चैनल स्टेटस' से सम्मानित एकमात्र भारतीय इकाई के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया।

दूसरी ओर, डेक मशीनरी यूनिट, विभिन्न डेक मशीनरी उपकरणों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यूनिट ने विशेष रूप से बड़े सर्वेक्षण पोत परियोजना के लिए टेलीस्कोपिक हेलीकॉप्टर हैंगर और 3टी टेलीस्कोपिक डेक क्रेन के साथ स्वदेशीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति की है  इसके अलावा, 34 विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय नौसेना में उनका योगदान रक्षा क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता और महत्व को रेखांकित करता है।

# इंजन प्रभाग
# आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग

जीआरएसई का इंजन डिवीजन, रांची में अपने अत्याधुनिक संयंत्र और एमटीयू, जर्मनी के साथ लंबे समय से सहयोग के साथ, मोबाइल दीर्घकालिक सहयोग डीजल इंजन के भविष्य को आकार दे रहा है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी को स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के साथ जोड़कर, प्रभाग न केवल इंजन का उत्पादन कर रहा है; यह भारत के लिए आत्मनिर्भरता और समुद्री उत्कृष्टता के दृष्टिकोण को शक्ति प्रदान कर रहा है।

रांची में स्थित, जीआरएसई का अत्याधुनिक डीजल इंजन प्लांट अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उत्कृष्टता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सुविधा कई कार्यों के लिए उत्तरदायी है - इंजनों की जटिल असेंबली से लेकर उनके कठोर परीक्षण और ओवरहालिंग तक। एक शीर्ष स्तरीय परीक्षण बेंच सुविधा से लैस, संयंत्र यह सुनिश्चित करता है कि हर एमटीयू डीजल इंजन जो रोल आउट होता है, वह कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है जिसके लिए जीआरएसई और एमटीयू दोनों प्रसिद्ध हैं।

इसके अलावा, संयंत्र में केवल उन्नत मशीनरी नहीं है; यह प्रशिक्षित सेवा कर्मियों की एक टीम का भी घर है। उनकी विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक इंजन इष्टतम प्रदर्शन, दीर्घायु और विश्वसनीयता के लिए बनाया और तैयार किया गया है।

### स्वदेशी विनिर्माण

भारत की "मेक इन इंडिया" पहल को ध्यान में रखते हुए, जीआरएसई ने अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। डीजल इंजन संयंत्र का हालिया आधुनिकीकरण इस दृष्टि के साथ पूरी तरह से संरेखित है। मैसर्स एमटीयू जर्मनी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए, जीआरएसई ने इंजन पार्ट्स विनिर्माण के 40% स्वदेशीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। अगले 4 से 5 वर्षों तक चलने वाला यह प्रयास, अधिक आत्मनिर्भरता, निर्भरता को कम करने और वैश्विक मंच पर भारत के विनिर्माण कौशल को प्रदर्शित करने की दिशा में एक कदम का प्रतीक है।

# स्वदेशीकरण की विजय

जीआरएसई ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे पोत में फिट स्वदेशी उपकरणों के उच्च प्रतिशत को सफलतापूर्वक शामिल करके सराहनीय प्रगति की है, जिसने एंटी-सबमरीन वारफेयर कोर्वेट और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पर 85% से अधिक स्वदेशी सामग्री हासिल की है।

# नवाचार और नई प्रौद्योगिकी

## स्वायत्त प्रणालियाँ और हरित/नवीकरणीय ऊर्जा दो सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं जो निकट भविष्य में समुद्री क्षेत्र में

### ऑटोनॉमस अंडरवाटर वेसल (एयूवी)

जीआरएसई ने उद्योग भागीदार मैसर्स एईपीएल के सहयोग से एक मैन पोर्टेबल एयूवी विकसित और लॉन्च किया है। एयूवी को पूरी तरह से स्वायत्त वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है और इसे खदान का पता लगाने, एएसडब्ल्यू प्रशिक्षण, पानी के नीचे निरीक्षण, सेराच और बचाव मिशन और वैज्ञानिक अन्वेषण सहित आवश्यक भूमिका के आधार पर विभिन्न प्रकार के पेलोड लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### पोत आधारित स्वायत्त ड्रोन/यूएवी

वर्तमान में तुंगा एयरोस्पेस के साथ साझेदारी में जीआरएसई द्वारा विकसित किया जा रहा यूएवी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दिन और रात स्वायत्त संचालन और डेक पर स्वायत्त पुनर्प्राप्ति में सक्षम होगा। यूएवी मदरशिप पर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को दिन और रात की निगरानी वीडियो फ़ीड प्रदान करने और पूर्व-निर्धारित मिशन को स्वायत्त रूप से पूरा करने में सक्षम होगा।

इन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर काम करने के लिए जटिल प्लेटफार्मों के डिजाइन और निर्माण के वर्षों और स्टार्ट-अप की परिवर्तनकारी क्षमता को आत्मसात किया गया।

# विघटनकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। जीआरएसई जटिल ज्ञान को सफलतापूर्वक संयोजित करने में सक्षम है

### मानवरहित सतह जलयान (यूएसवी)

स्वाधीन, एक 5 मीटर लंबी यूएसवी है जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह भविष्य के बड़े और अधिक परिष्कृत यूएसवी के लिए मजबूत परीक्षण मैदान के रूप में भी काम करता है। स्वाधीन, जिसे एक स्टार्ट-अप के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, अब स्वायत्त सर्वेक्षणों की सुविधा के लिए एक पूर्ण बाथमेट्री सर्वेक्षण सूट से सुसज्जित किया जा रहा है।

### हरित प्रौद्योगिकी

जीआरएसई वर्तमान में हुगली नदी में संचालन के लिए एक इन-हाउस डिज़ाइन किया गया शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक जलयान का निर्माण कर रहा है। जीआरएसई सतही पोतों पर उपयोग के लिए ईंधन-सेल आधारित समाधान विकसित करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अन्य उद्योग भागीदारों के साथ काम कर रहा है।

# प्रतिस्पर्धी ताकतें

### गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलीवरी हेतु आधुनिक विनिर्माण मंच एवं एकीकृत पोत निर्माण सविधाएं

जीआरएसई की विशाल तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं कंपनी को अन्य घरेलू रक्षा शिपयार्डों पर महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपनी विनिर्माण और अन्य कार्यात्मक प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। शिपयार्ड में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक साथ 20 पोत (08 बड़े और 12 मध्यम/छोटे) बनाने की क्षमता है। शिपयार्ड की एकीकृत पोत निर्माण सुविधा जिसमें निर्दिष्ट हल शॉप, ड्राईडॉक्स और बिल्डिंग बर्थ शामिल हैं, वैश्विक मानकों के अनुरूप मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी के साथ कम समय सीमा में गुणवत्ता वाले पोतों के निर्माण में सक्षम बनाती है।

### मजबूत डिजाइन क्षमताएं और एण्ड टू एण्ड समाधान प्रदान करना

जीआरएसई के पास एक समर्पित केंद्रीय डिजाइन कार्यालय (सीडीओ) है जहाँ 100 सदस्यों की अत्याधिक कुशल वर्कफोर्स डिजाइन, अनुसंधान और विकास का कार्य करते है । जीआरएसई ने एक कुशल डिजाइन दर्शन को लागू करने के लिए पहले से ही वर्चुअल रियलिटी लैब (वीआर लैब), सिक्योर सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर और विभिन्न डिजाइन और विश्लेषण सॉफ्टवेयर जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया है। डिज़ाइन टीम विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करती है, जिसमें अवीवा मरीन, नेवल आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए एनएपीए, ड्राफ्टिंग कार्य के लिए ऑटोकैड और संरचनात्मक विश्लेषण हेतु अन्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं । जीआरएसई ने अपने ग्राहकों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद अवधारणा, डिजाइन, सिस्टम एकीकरण और परियोजना प्रबंधन से लेकर एण्ड टू एण्ड समाधान प्रदान करने की क्षमता विकसित की है।

### भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ मजबूत एवं स्थापित संबंध

आईएनएस अजय 1961 में भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत था तब से कंपनी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ संबंध स्थापित कर रखें हैं । कंपनी ने अब तक भारतीय समुद्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 680 से अधिक पोतों के निर्माण के अलावा भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मित्र विदेशी देशों को 108 युद्धपोत सुपुर्द किए हैं। । उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट से लेकर वॉटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट तक के कई युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक के विभिन्न निदेशालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप एफपीवी और एएसडब्ल्यूसी के हालिया आदेशों के निष्पादन से एक स्थायी संबंध मजबूत हुआ है।

### नवाचार

नवाचार और नई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नया विभाग स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और स्वायत्त जलयानों, हरित जलयानों और I 4.0 प्रक्रिया के कार्यान्वयन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम करने के लिए बनाया गया है।

### मेक इन इंडिया पहल

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए जलयानों के निर्माण के अनुबंध को हासिल करने में वैश्विक शिपयार्ड पर कंपनी का एक फायदा है : यह डीपीपी के तहत 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है । 'मेक इन इंडिया' पहल घरेलू बाजार में आपूर्ति करते समय स्वदेशी निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत खरीद के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक कंपनी के रिपिट ग्राहक हैं, और ये घरेलू बाजार का हिस्सा हैं।

### व्यवसाय विविधता

पोत मरम्मत का नया कार्यक्षेत्र पोत निर्माण के मुख्य व्यवसाय का पूरक है। जीआरएसई ने पोर्टेबल स्टील ब्रिज, विभिन्न डेक मशीनरी आइटम और समुद्री डीजल इंजनों की असेंबलिंग/ओवरहालिंग और परीक्षण के व्यवसाय में विविधता लाई है। इन सभी व्यावसायिक मार्गों को नए उत्पादों के विकास के माध्यम से पोषित किया जा रहा है और इन व्यावसायिक क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस विपणन प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, डेक मशीनरी और डीजल इंजन में विविधीकरण मुख्य व्यवसाय के साथ ऊर्ध्वाधर एकीकरण है जो जीआरएसई को अधिक समय कुशल तरीके से युद्धपोतों को सुपुर्द करने में सक्षम बनाता है।

### मजबूत आदेश पुस्तिका

31 मार्च 2023 तक के अनुसार कंपनी की आदेश पुस्तिका ₹ 25,111.29 करोड़ रू की थी जिसमें पोतनिर्माण प्रभाग के लिए 24,856.79 करोड़ रू. और इंजीनियरिंग एवं इंजन प्रभाग के लिए रू. 254.50 करोड़ के आदेश शामिल है ।

### अनुभवी कार्यबल:

कंपनी के पास इसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम सहित एक योग्य और अनुभवी कार्यबल है, जिसमें तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। उनके पास पोत निर्माण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, आदेश प्रबंधन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और बिक्री पश्चात सेवाओं में व्यापक अनुभव है।

# 10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें

लाख रु. में

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय स्थिति** | | | | | | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 12384 | 12384 | 12384 | 12384 | 11455 | 11455 | 11455 | 11455 | 11455 | 11455 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 83196 | 84391 | 101042 | 95767 | 90698 | 92376 | 92568 | 102257 | 114334 | 129927 |
| शुद्ध लाभ | 95580 | 96775 | 113426 | 108151 | 102154 | 103831 | 104023 | 113712 | 125789 | 141382 |
| नियोजित पूंजी | 91667 | 90810 | 110613 | 98112 | 102154 | 103831 | 104023 | 113712 | 125789 | 141382 |
| सकल ब्लॉक | 53387 | 56381 | 56640 | 60454 | 47233 | 39959 | 43081 | 49614 | 68703 | 72970 |
| शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां | 36548 | 36574 | 34370 | 35834 | 38917 | 30225 | 30369 | 34020 | 50065 | 50761 |
| कार्यकारी पूंजी | 55119 | 54236 | 76243 | 62278 | 60249 | 68476 | 56100 | 54298 | 56904 | 65425 |
| **प्रचालन परिणाम** | | | | | | | | | | |
| बिक्री | 30819 | 230805 | 30668 | 22162 | 23390 | 14677 | 21784 | 51573 | 21262 | 33234 |
| उत्पादन मूल्य | 161167 | 161266 | 166075 | 92784 | 134552 | 137877 | 142470 | 113276 | 174528 | 254784 |
| संयोजित मूल्य | 60770 | 62356 | 63970 | 47487 | 62659 | 61398 | 68734 | 66966 | 81088 | 95381 |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | 18723 | 7602 | 24915 | 2089 | 12775 | 17896 | 22387 | 20712 | 25724 | 30522 |
| कर हेतु प्रावधान | 6577 | 3257 | 8710 | 865 | 3535 | 6902 | 6039 | 5365 | 6771 | 7709 |
| कर पश्चात लाभ/(हानि) | 12146 | 4345 | 16205 | 1223 | 9240 | 10994 | 16348 | 15347 | 18953 | 22812 |
| **विनियोजन** | | | | | | | | | | |
| सीएसआर आरक्षित | | 2 | | 94 | | | | | | |
| सामान्य आरक्षित | 1215 | 435 | 1607 | | 9554 | | | | | |
| इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश | 2477 | 2477 | 5322 | 5408 | 5080 | 7,961 | 8179 | 5728 | 6644 | 7102 |
| प्रस्तावित लाभांश पर कर | 421 | 504 | 1083 | 1101 | 1034 | 1636 | 1352 | - | - | - |
| **अनुपात** | | | | | | | | | | |
| सकल लाभ/नियोजित पूंजी | 0.20 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| पीबीटी / उत्पादन (वीओपी) | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी | 1.76 | 1.78 | 1.50 | 0.95 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.00 | 1.39 | 1.80 |
| संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी) | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.37 |
| कर्मचारियों की संख्या | 3133 | 2834 | 2592 | 2401 | 2214 | 2100 | 1973 | 1900 | 1790 | 1747 |

## कारोबार (वीओपी)

(करोड़ रु. में)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **2548** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 1745 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 1133 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 1425 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 1379 |

## कर पूर्व लाभ

(करोड़ रु. में)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **305** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 257 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 207 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 224 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 179 |

## कर पश्चात लाभ

(करोड़ रु. में)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **228** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 190 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 153 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 163 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 110 |

## लाभांश

(करोड़ रु. में)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **71.02** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 66.44 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 57.28 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 81.79 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 79.61 |

## निवल मूल्य

(करोड़ रु. में)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **1414** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 1258 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 1137 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 1040 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 1038 |

## जनशक्ति (सं.)

| | |
|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 23** | **1747** |
| वित्तीय वर्ष 22 | 1790 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 1900 |
| वित्तीय वर्ष 20 | 1973 |
| वित्तीय वर्ष 19 | 2100 |

# निदेशक मंडल

**कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) जिनके पास 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है, ने 10 जून 2022 से कंपनी का कार्यभार ग्रहण किए । उनके पास कंपनी के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार भी है । उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल हैं । उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के एक पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी एमएचओडब्ल्यू में 5 वें उच्च रक्षा उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम और नौसेना वॉर कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किए हैं ।

कमोडोर पी आर हरि, 2016 में एक मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुए और शिपयार्ड में निर्मित सभी नए निर्माण पोतों के उत्पादन योजना के प्रभारी रहे हैं । उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया और जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए।

**श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (एनएस)**

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), को कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में 23 जून 2022 को नियुक्त किया गया । उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बी.ए. ऑनर्स और इरास्मस विश्वविद्यालय से सामाजिक अध्ययन संस्थान विकास अध्ययन में एम.ए. किया हैं । इसके अलावा, वह 1995 बैच के भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्तीय सेवा अधिकारी (आईपी और टीएएफएस) भी रहें हैं । उन्हें वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है ।

जून 2022 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में शामिल होने से पहले, वे उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के रूप में कार्यरत थे । इसके अलावा, वह 2.5 वर्षों से अधिक समय तक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे ।

**श्री रमेश कुमार दाश**

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

सीएमए रमेश कुमार दाश (डीआईएन: 08511344) ने 01 जुलाई 2020 को जीआरएसई लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला है। वह वाणिज्य में स्नातकोत्तर, कानून में स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री दाश ने अप्रैल 1992 में मैसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पीपीएल), भारत सरकार का उद्यम में वित्त अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान उनका पहला कार्यभार भोपाल में मार्केटिंग फाइनेंस में था और बाद में पारादीप (ओडिशा) प्लांट में स्थानांतरित कर दिया गया। वह विभिन्न पदों पर आठ वर्षों तक काम करते रहे और 1999 में मैसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड छोड़ दिए और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर में प्रबंधक (वित्त) के रूप में शामिल हुए। प्रभागीय वित्त प्रमुखों सहित एचएएल के विभिन्न प्रभागों में लगभग 20 वर्ष पूरे करने के पश्चात, श्री दाश को निगमित वातावरण में अपने विनिर्माण अनुभव का उपयोग करने के लिए 2018 में निगमित कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके पास वित्त, कराधान, लेखा, मूल्य निर्धारण, बजटिंग, ट्रेजरी प्रबंधन, प्राप्य प्रबंधन, एमओयू, अनुबंध, (समझौते की) बातचीत, लेखा परीक्षा कार्य और निगमित प्रशासन में व्यापक अनुभव है। श्री दाश को जीआरएसई के वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार 2022 (सार्वजनिक-विनिर्माण-मध्यम-पुरुष) प्राप्त हुआ है।

**कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**

निदेशक (पोत निर्माण)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817), 23 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के उपरांत वर्ष 2013 में कंपनी में शामिल हुए । उन्होंने 08 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला । कमांडर बोस एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से कंपनी द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी भी रहें हैं । निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे । उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया । उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है । इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता भी है ।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का अनुभव है, व्यक्ति प्रबंधन करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है। जीआरएसई में, वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिजाइन के लिए वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) और उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और स्वदेशीकरण पर अधिक जोर शामिल है। जीआरएसई की आरबीडी यूनिट के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना, निष्पादन और एक्सप्लोशन उनकी देखरेख में किया गया है। अब चल रही परियोजनाओं के निर्माण के लिए इसका लाभकारी उपयोग किया जा रहा है।

**डीआइजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)**

निदेशक (कार्मिक)

25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) में सेवा देने के बाद, आईसीजी (सेवानिवृत्त) डीआइजी सुब्रोतो घोष 2016 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला। निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने के पूर्व, वह मुख्य महाप्रबंधक (बीबी और डीईपी) के रूप में कार्यरत थे। डीआइजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से बैचलर डिग्री के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल मरीन) में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एडवांस मरीन इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है।

आईसीजी में उनका शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित नियुक्तियां कीं, जिनमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), प्रधान निदेशक (टीएस और आईटी) और परियोजना अधिकारी (पीसीवी) शामिल थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में अपने करियर के दौरान छह अफलोट नियुक्तियां भी किया है।

जीआरएसई में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को तीन-तीन पोतों की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान जीआरएसई का 100वां युद्धपोत राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट से डिलीवर किया गया था। उन्होंने बेली ब्रिज यूनिट के टर्नओवर को दोगुना करने का नेतृत्व किया और उसके बाद साल-दर-साल लगभग 20% राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की।उनके पास परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और कड़ी समयसीमा के तहत कई हितधारकों के साथ काम करने और बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम देने का सिद्ध अनुभव और क्षमता है। उनके पास पोत निर्माण के साथ-साथ पोत की मरम्मत का भी व्यापक अनुभव है।

**श्री संजय दत्तात्रेय पानसे**

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन: 02725875), कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 27 दिसंबर 2021 कार्यभार संभाले है । वह फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा एस पानसे एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक और वरिष्ठ भागीदार भी हैं । उनके पास 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वित्तीय और पूंजी बाजार में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर हैं। उन्हें वित्तीय बाजार क्षेत्र के प्रतिभागियों के लेखांकन, लेखा परीक्षा और कामकाज की गहरी समझ है और उन्होंने लेखा परीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं, उचित परिश्रम, आंतरिक लेखा परीक्षा, म्यूचुअल फंडों , पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंक, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार में अन्य मध्यस्थ के लिए सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में एस पानसे एण्ड कंपनी एलएलपी के अभ्यास का नेतृत्व किया है। वह आर्थिक और वित्तीय मामलों पर लगातार वक्ता और लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है।

**श्री संजीब मोहंती**

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजीब मोहंती, (डीआईएन 0955988), जिनकी आयु लगभग 59 वर्ष है, कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 06 अप्रैल 2022 को नियुक्त किए गए हैं । उन्होंने वर्ष 1984 में उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक किया हैं और वर्ष 1990 में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हैं । वह भारत के ओडिशा राज्य में 33 से अधिक वर्षों के अभ्यासरत अधिवक्ता हैं । उनके अभ्यास के व्यापक क्षेत्र आपराधिक और नागरिक कानून हैं । वह नियमित रूप से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों / सत्र न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष उपस्थित होते हैं ।

उन्होंने ओडिशा कोऑपरेटिव टसर एण्ड सिल्क फेडरेशन लिमिटेड (एसईआरआईएफईडी), 2002-2008 से ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए है । वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ।

# निगमित सूचना

## निदेशक मंडल

**कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(10 जून 2022 से)

**श्री रमेश कुमार दाश**
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

**कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
निदेशक (पोतनिर्माण)
(08 जून 22 से)

**डीआईजी सुब्रोतो घोष, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त)**
निदेशक (कार्मिक)
(20 जून 23 से)

**श्री राजीव प्रकाश, आईपी एवं टीएएफएस**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 जून 22 से)

**श्री संजय दत्तात्रेय पानसे**
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)
निदेशक

**श्री संजीब मोहंती**
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)
निदेशक
(06 अप्रैल 22 से)

## स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर

**श्री पीडतला श्रीधर,** आईआरएस (सेवानिवृत्त)
**श्री बी बी सिंह,** पूर्व अ.प्र.नि. एमएसटीसी लिमिटेड

## वरिष्ठ प्रबंधन

**श्री वेंकटेश मूर्ति**
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

**कमोडोर रजत मनचन्दा, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एवं सी)

**कमांडर बी सेनगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबंधक (एमडब्लयू)

**कैप्टन पी सुनीलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबंधक (सीपी एवं सीसी)

**कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबंधक (एफओजे यूनिट)

**कमोडोर जयंत चौधुरी, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सलाहकार

**कमोडोर राजीव श्रीधरण, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबन्धक (स्वदेशीकरण और आईईपी)

**कमोडोर इंद्रजीत दासगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
मुख्य महाप्रबन्धक (पोत मरम्मत एवं टीयू)

**कमांडेंट ए के विश्वास, भारतीय तटरक्षक**
(सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (आरबीडी)

**श्री गुलशन रतन**
महाप्रबंधक (क्यूए)

**श्री सुजय चक्रवर्ती**
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

**कमोडोर विनीत एराट, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
महाप्रबंधक (डिजाइन)

**श्रीमती सुचिता नन्दी**
महाप्रबंधक (संविदा)

**श्रीमती लिपि दास**
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

**श्रीमती अपराजिता घोष**
महाप्रबंधक (वित्त)

**श्री एन प्रथीपन**
महाप्रबंधक (बेली ब्रिज)

**कमांडर गौरव पांडे, भा.नौ. (सेवानिवृत्त),**
महाप्रबंधक (पी-17ए)

**कमांडर एम के गुप्ता,**
महाप्रबंधक (डिजाइन - एचओएफ)

## कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री संदीप महापात्र

## बैंकर्स

भरतीय स्टेट बैंक
पीएनबी
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
इंडियन बैंक
यस बैंक
आरबीएल बैंक
फैडरल बैंक
इंडसइंड बैंक

## सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स मुखर्जी विश्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार

## सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स मेहता एण्ड मेहता
प्रेक्सिटंग कंपनी सचिव

## लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चटर्जी एण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

## रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

**मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड**

## पंजीकृत कार्यालय

जीआरएसई भवन,
61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024
**सीआईएन संख्या -**
L35111WB1934GO1007891
**वेबसाइट:** WWW. GRSE.IN

# निदेशक रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारकों,**

आपके निदेशक मण्डल को आपकी कंपनी के वार्षिक निष्पादन पर वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) की रिपोर्ट के साथ इसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते हुए बेहद प्रसन्नता है।

# वित्तीय निष्पादन

**वित्तीय निष्पादन**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹1,754.45 करोड़ के मुकाबले ₹2,561.15 करोड़ रु. दर्ज करते हुए परिचालन से राजस्व में 46% का सुधार दर्ज किया है । वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईबीआईडीटीए और पीएटी में भी क्रमशः 19% और 20% की वृद्धि दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए मुख्य वित्तीय बातें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैं:

(करोड़ रू में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| उत्पादन मूल्य | 2,547.84 | 1,745.28 |
| प्रचालन से राजस्व | 2,561.15 | 1754.45 |
| मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ | 350.86 | 294.38 |
| वित्तीय लागत | 6.48 | 1.43 |
| मूल्यह्रास | 39.17 | 35.71 |
| असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ | 305.22 | 264.93 |
| असाधारण वस्तु | - | (7.69) |
| कर पूर्व लाभ | 305.22 | 257.24 |
| कर के लिए प्रावधान | 77.09 | 67.71 |
| कर पश्चात लाभ | 228.12 | 189.53 |
| अन्य व्यापक आय (कुल कर) | 0.54 | 1.12 |
| कुल व्यापक आय | 228.67 | 190.65 |

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के अनुसार आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति नीचे दिखाई गई है:

(करोड़ रू में)

| विवरण | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| नियोजित पूंजी | 1,413.82 | 1,257.89 |
| सकल खंड | 729.70 | 687.03 |
| शुद्ध खंड | 507.61 | 500.65 |
| कार्यशील पूंजी | 654.25 | 569.04 |
| निवल मूल्य | 1,413.82 | 1,257.89 |
| संवर्धित मूल्य | 953.81 | 810.88 |
| उत्पादन मूल्य | 2,547.84 | 1,745.28 |
| असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ | 305.22 | 264.93 |
| असाधारण वस्तु | - | (7.69) |
| कर पूर्व लाभ | 305.22 | 257.24 |

| विवरण | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| अनुपात: (%) | | |
| ब्याज और कर पूर्व लाभ: नियोजित पूंजी (%) | 21.81 | 20.33 |
| कर पश्चात लाभ: निवल मूल्य (%) | 16.14 | 15.07 |
| सकल लाभ: नियोजित पूंजी (%) | 24.55 | 23.14 |
| कर पूर्व लाभ: उत्पादन मूल्य (%) | 11.98 | 14.74 |
| उत्पादन मूल्य: नियोजित पूंजी (%) | 178.27 | 137.17 |

| अनुपात | वित्तीय वर्ष - 23 | वित्तीय वर्ष -22 |
|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात (समय में) | 1.07 | 0.93 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 17.08% | 15.83% |
| व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में) | 25.33 | 10.65 |
| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में) | 4.19 | 2.20 |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) | 21.81% | 20.33% |

## उत्पादन मूल्य

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹1,745.28 करोड़ की तुलना में ₹2,547.84 करोड़ का अब तक का उच्चतम उत्पादन मूल्य ('वीओपी') हासिल किया है। तीन प्रभागों के लिए तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार हैं:

(करोड़ रू में)

| वर्ष | पोत प्रभाग | इंजीनियरिंग प्रभाग | इंजन प्रभाग | विविध | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2,454.89 | 69.82 | 22.97 | 0.16 | 2,547.84 |
| 2021-22 | 1,620.16 | 70.32 | 54.27 | 0.53 | 1,745.28 |

## निवल मूल्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2022 को रिपोर्ट की गई ₹1,257.89 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹1,413.82 करोड़ का निवल मूल्य दर्ज किया है।

## मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया मूल्य ₹953.81 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹810.88 करोड़ था। प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य पिछले वर्ष के दौरान ₹45.30 लाख की तुलना में ₹54.60 लाख लाख था।

## विनियोग

वर्ष 2022-23 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को डिस्पोजेबल अधिशेष से निम्नलिखित विनियोगों की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है:

(करोड़ रू में)

| | |
|---|---|
| कर पश्चात लाभ | 228.12 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर | 0.54 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय | 228.67 |
| **घटाएँ :** | |
| चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम लाभांश | 9.74 |
| वित्त वर्ष 2021-22 का अंतरिम लाभांश | 63.00 |
| लाभ और हानि विवरण में बरकरार रखी शेष राशि | 155.93 |

## राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर और जीएसटी के माध्यम से राष्ट्रीय राजकोष में ₹79.98 करोड़ का योगदान दिया है।

## लाभांश वितरण नीति

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 43ए के अनुसरण में, सूचीबद्ध शीर्ष एक हजार संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी लिस्टिंग विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। । पॉलिसी कंपनी की वेबसाईट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/GRSE-Dividend-Distribution-Policy.pdf पर उपलब्ध है ।

## लाभांश

11 फरवरी 2023 को निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने उन शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति शेयर हेतु ₹5.50/- का अंतरिम लाभांश दिया है, जो 20 फरवरी 2023, इस उद्देश्य के लिए तय की गई रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने 24 मई 2023 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर हेतु ₹0.70/- के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ₹6.20/- प्रति इक्विटी शेयर होगा।

## एमओयू रेटिंग

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमओयू मूल्यांकन के अनुसार आपकी कंपनी को 100 में से 85.44 स्कोर के साथ "बहुत अच्छा" रेटिंग दी गई है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि जीआरएसई 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त करने वाले दो डीपीएसयू शिपयार्ड में से एक है। इसके अलावा, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित मापदंडों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

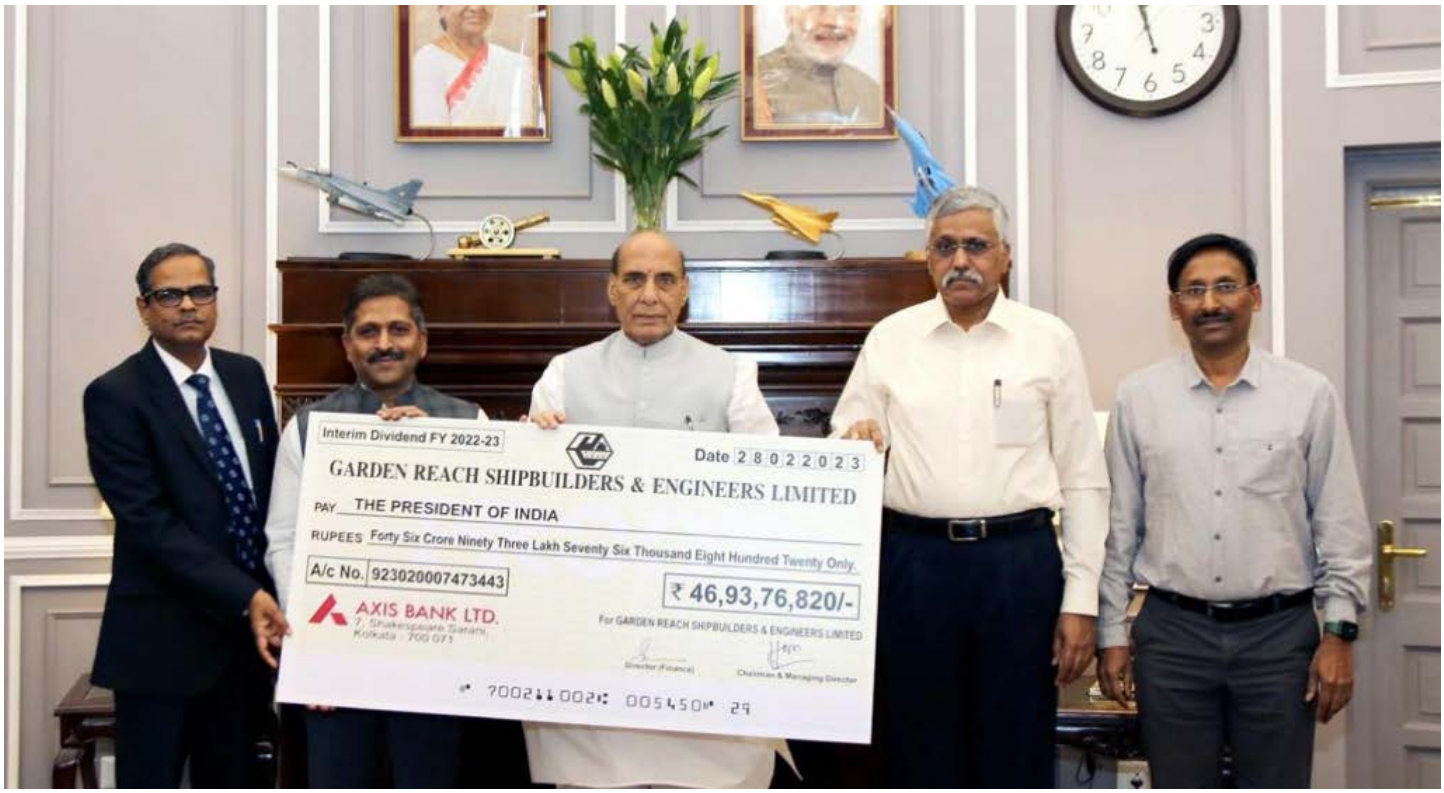

# वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन

## पोत निर्माण

कंपनी ने 2022-23 के दौरान कुल पोत निर्माण आय ₹2,454.89 करोड़ हासिल की है, जबकि 2021-22 में ₹1,620.16 करोड़ थी । वर्ष के दौरान, भारतीय तट रक्षक के लिए एक फास्ट पेट्रोल पोत, 31 दिसंबर 2022 को जीआरएसई द्वारा निर्मित और सुपुर्द किया गया, और इसे 12 जनवरी 2023 को कमीशन भी किया गया। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक आपकी कंपनी में निर्माणाधीन पोतों का विवरण निम्नानुसार है:

| परियोजना / जलयान का प्रकार | जलयानों की संख्या |
|---|---|
| भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी-17ए | 03 |
| भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत (बड़ा) | 04 |
| भारतीय नौसेना के लिए एएसडबल्यू -एसडबल्यूसी | 08 |
| भारतीय नौसेना के लिए एनजी ओपीवी | 04 |
| **कुल पोत** | **19** |
| बांग्लादेश सरकार के लिए गश्ती नौकाएँ | 6 |
| पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एनजी फेरी | 1 |

शिपयार्ड ने गुयाना (दक्षिण अमेरिका) के सहकारी गणराज्य सरकार के लिए एक महासागर-गोइंग कार्गो सह यात्री पोत का निर्माण भी पूरा कर लिया है। पोत को जीआरएसई से जॉर्जटाउन, गुयाना ले जाया गया और 23 अप्रैल 2023 को महामहिम डॉ. मोहम्मद इरफान अली, माननीय राष्ट्रपति सहकारी गणराज्य गुयाना, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क एंथोनी फिलिप्स, प्रधान मंत्री, सहकारी गणराज्य गुयाना, डॉ. एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और गुयाना के सहकारी गणराज्य के कई कैबिनेट मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में कमीशन किया गया।

शिपयार्ड ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख माइलस्टोन भी पूरे किए जो निम्नानुसार हैं :

### कमिशनिंग

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | आईसीजी के लिए तेज़ गश्ती पोत | 2118 | 12 जनवरी 2023 |

### सुपुर्दगी

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | गुयाना के लिए महासागर-गोइंग कार्गो सह यात्री पोत | 2119 | 15 दिसंबर 2022 |
| (ख) | आईसीजी के लिए तेज़ गश्ती पोत | 2118 | 31 दिसंबर 2022 |

### जलावतरण

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | दूसरा सर्वेक्षण पोत बड़ा | 3026 | 26 मई 2022 |
| (ख) | दूसरा परियोजना पी-17ए | 3023 | 15 जुलाई 2022 |
| (ग) | तीसरा सर्वेक्षण पोत बड़ा | 3027 | 26 नवंबर 2022 |
| (घ) | प्रथम एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3029 | 20 दिसंबर 2022 |
| (ङ) | द्वितीय एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3035 | 21 मार्च 2023 |

### शिलान्यास

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | तृतीय एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3030 | 17 जून 2022 |
| (ख) | छठा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3031 | 17 जून 2022 |
| (ग) | चौथा सर्वेक्षण पोत बड़ा | 3028 | 17 जून 2022 |
| (घ) | चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3033 | 31 दिसंबर 2022 |
| (ङ) | 5 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3036 | 31 दिसंबर 2022 |
| (च) | अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फ़ेरी | 2120 | 19 जनवरी 2023 |

### उत्पादन आरंभ

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3033 | 01 जुलाई 2022 |
| (ख) | 7 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3032 | 27 अक्टूबर 2022 |
| (ग) | 5 वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) | 3036 | 01 नवंबर 2022 |

### अनुबंध पर हस्ताक्षर

| क्र.सं. | पोत | यार्ड | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (क) | 04 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) | 3037-40 | 30 मार्च 2023 |

### पोत की मरम्मत

आपकी कंपनी के पोत मरम्मत प्रभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता से लिए गए सभी तीन ड्राई-डॉक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 15 पोतों की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। इसके अलावा, डिवीजन ने ₹27.65 करोड़ की कुल कीमत पर 04 पोतों (आईसीजीएस सुजय, आईसीजीएस प्रियदर्शिनी, रिवर पर्ल-4 और रिवर पर्ल-1) की मरम्मत भी पूरी कर ली है।

### इंजीनियरिंग प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य (वीओपी) ₹69.82 करोड़ था।

### पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेली ब्रिज इकाई द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य पिछले वर्ष के दौरान ₹59.35 करोड़ [(70) ब्रिजों, 5400 मीट्रिक टन सहित] के मुकाबले ₹69.30 करोड़ [(78) पुल, 5850 मीट्रिक टन] था। कंपनी ने 2022-23 के दौरान भूटान को दो ब्रिजों का निर्यात भी किया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने खराब मौसम परिस्थियों के बावजूद प्रोजेक्ट अरुणांक (बीआरओ) के तहत अरुणाचल प्रदेश में 160 फीट के 01 सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज और 90 फीट के 1 सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज (एमएसबी) की डिलीवरी और लॉन्चिंग की है। इस प्रमुख उपलब्धि ने क्षेत्र के चारों ओर महत्वपूर्ण भू-कनेक्टिविटी बहाल करने में मदद की।

### आदेश पुस्तिका स्थिति

31 मार्च 2023 तक तीन (3) प्रभागों के लिए आपकी कंपनी की कुल आदेश पुस्तिका स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | प्रभाग / विभाग | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार समापन आदेश मूल्य |
|---|---|---|
| **क** | **पोत प्रभाग** | |
| | पोत (बी एवं डी स्पेयर्स सहित) | 24,804.49 |
| | पोत मरम्मत एवं एएमसी | 52.30 |
| | **कुल पोत प्रभाग** | **24,856.79** |
| **ख** | **इंजीनियरिंग प्रभाग** | |
| | बेली ब्रिज | 74.78 |
| | डेक मशीनरी | 58.95 |
| | **कुल इंजीनियरिंग प्रभाग** | **133.73** |
| **ग** | **इंजन प्रभाग** | **120.77** |
| | **कुल (क+ख+ग)** | **25,111.29** |

आपकी कंपनी डबल लेन एमएसबी के 30 सेटों की आपूर्ति और लॉन्चिंग के लिए डीजीबीआर (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन के तहत बीआरओ को डबल लेन एमएसबी के 11 सेट सुपुर्द करने में भी सफल रही है। उल्लेखनीय है कि जीआरएसई ने प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के तहत 60 फीट के 02 और 50 फीट के 02 डबल लेन एमएसबी और 70 फीट और 80 फीट की अवधि में 02 सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं।

बेली ब्रिज यूनिट को डीजीडीपी/बांग्लादेश सेना से भारत सरकार के डीएलओसी के तहत ₹ 8.98 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर 80 फीट के 07 मॉड्यूलर स्टील ब्रिज की आपूर्ति के लिए निर्यात आपूर्ति आदेश भी प्राप्त हुआ।

आपकी कंपनी एकमात्र भारतीय संगठन है जिसे भारतीय रक्षा विशिष्टताओं के अनुसार भारतीय सेना/सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को "बेली ब्रिज और बेली सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन और आपूर्ति" के लिए प्रतिष्ठित 'ग्रीन चैनल स्टेटस' से सम्मानित किया गया है।

### डेक मशीनरी यूनिट

आपकी कंपनी की डेक मशीनरी यूनिट विभिन्न डेक मशीनरी उपकरण (एंकर कैपस्तान, एंकर विंडलास, मूरिंग कैपस्तान, डॉक कैपस्तान, सामान्य प्रयोजन डेविट्स, गोला बारूद डेविट, इलेक्ट्रिक बोट डेविट्स, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बोट डेविट्स, सर्वे मोटर बोट डेविट्स, हाइड्रोग्राफिक डेविट्स, ओशनोग्राफिक विंच, बीचिंग ऑपरेशन के लिए एंकर सह सामान्य प्रयोजन विंच, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम (रेल आधारित और रेल रहित दोनों प्रकार) आदि)) के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, डेक मशीनरी यूनिट का कुल उत्पादन मूल्य ₹0.52 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न नए निर्माण यार्डों के साथ-साथ भारतीय नौसेना के परिचालन पोतों को कुल चौंतीस (34) विभिन्न डेक मशीनरी उपकरणों की आपूर्ति की गई है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) परियोजना के लिए 13एम की अधिकतम पहुंच के साथ टेलीस्कोपिक हेलीकॉप्टर हैंगर और 3टी टेलीस्कोपिक डेक क्रेन का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

## इंजन प्रभाग

आपकी कंपनी के रांची स्थित डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) ने इस वर्ष के दौरान फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण और पांच (5) 1 मेगावाट डीए की डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह बताना भी उचित है कि यूनिट ने "टिल्ट टेस्ट" सहित इन डीए का विभिन्न प्रकार का परीक्षण भी पूरा कर लिया है, जो एक प्रमुख माइल स्टोन है और इस क्षमता के डीए के लिए भारत में पहली बार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस प्रभाग ने ₹22.97 करोड़ का उत्पादन मूल्य हासिल किया है।

डीईपी रांची ने डब्ल्यू 6 रूटीन और सफल फैक्टरी स्वीकृति परीक्षणों के पूरा होने के बाद भारतीय तटरक्षक बल के तीन (03) एमटीयू 4000 श्रृंखला इंजन भी डिलीवर किए हैं।

बेली ब्रिज घटकों का उत्पादन रांची स्थित डीईपी यूनिट में भी किया जा रहा है, जहां डीईपी रांची इकाई के बेली ब्रिज डिवीजन ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग ₹ 16.86 करोड़ वीओपी हासिल किया है।

वर्ष के दौरान , डीईपी रांची यूनिट ने रूटीन के लिए एनएसआरवाई (कारवार) के साथ रनिंग रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरआरसी) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रतिस्पर्धी आधार पर जीता गया है और कार्य का निष्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

## नई पहल

दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

(क) एमटीयू 16V4000M73L इंजन के स्थानीयकरण के साथ लाइसेंस उत्पादन के लिए मैसर्स रोल्स-रॉयस सॉल्यूशंस जीएमबीएस (एमटीयू), जर्मनी।

(ख) मैसर्स तुंगा एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, चेन्नई के साथ पोत आधारित ड्रोन के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता वाले उत्पादों के डिजाइन, विकास, परीक्षण, श्रृंखला उत्पादन और बिक्री के बाद सेवा के लिए ।

(ग) आईआईटी, खड़गपुर के साथ नए अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण को आगे बढ़ाने और अनुकूलित करने के लिए उद्योग 4.0, एआई/एमएल का उपयोग करके प्रक्रिया में सुधार करके युद्धपोत निर्माण/पोत डिजाइन/नौसेना वास्तुकला में दक्षता और ताकत का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए ।

(घ) भारत में जीआरएसई / जीआरएसई-केपीडीडी / अन्य जगहों पर शिप रिपेयर / शिप रिफिट और संबद्ध गतिविधियों से कारोबार बढ़ाने के लिए, जीआरएसई द्वारा 7 (सात) फर्मों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) एफआरओ/जीआरपी नौकाओं के स्वदेशी डिजाइन, उत्पादन, आपूर्ति और रखरखाव के लिए साझेदारी (ए) मैसर्स एलीट पॉलिमर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल और (बी) मैसर्स राड्स मरीन, मुथियालपेट, पुडुचेरी के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों के साथ स्थापित किया गया।

(च) इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस), मुंबई के साथ नौसेना और तटरक्षक पोतों/शिल्पों और व्यापारिक पोतों/शिल्पों की मरम्मत/मरम्मत के दौरान गुणवत्ता निरीक्षण सेवाओं के साथ-साथ गुणवत्ता निरीक्षण सेवाओं और अन्य तकनीकी अध्ययनों में सक्षमता और ताकत का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए ।

(छ) युद्धपोत निर्माण के लिए डिजाइन में सहयोग के लिए - (i) मैसर्स गिब्स एण्ड कॉक्स, यूएसए और (ii) नेवल ग्रुप एसए, फ्रांस।

(ज) पोर्टेबल प्री-फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिजों के लिए, मॉड्यूलर/गर्डर/स्थायी स्टील ब्रिजों के विश्लेषण, डिजाइन जांच एवं परीक्षण और ब्रिजों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए सीएसआईआर - स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (एसईआरसी), चेन्नई के साथ और लार्ज स्पैन स्टील ब्रिज के निर्माण और आपूर्ति के लिए तकनीकी और विपणन सहयोग के लिए मैसर्स वृंदा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(झ) मैसर्स इंडियन आर्मर सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड (आईएएस), हरियाणा के साथ विदेशी क्षेत्र में नावों के लिए कवच के क्षेत्र में 'निर्यात अवसर' तलाशने हेतु ।

(ञ) केरल इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (केईएल), कोच्चि, केरल (केरल राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम) जीआरएसई को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उत्पादों के डिजाइन और विकास और आपूर्ति में सहयोग/सहयोग करेगा।

(ट) मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), कोलकाता के साथ तेल और ल्यूब्रिकेंट्स के लिए आपूर्ति समझौता।

(ठ) नॉन डीएमआर स्टील स्ट्रक्चरल की आपूर्ति के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के साथ ।

(ड) मैसर्स रेकिसे मरीन प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद मानव रहित सतही पोतों के संबंध में संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास करेगा और इसके लिए अनुबंधों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाएगा और निष्पादित करेगा।

(ढ) मैसर्स एयरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, (एईपीएल), सलेम, तमिलनाडु के साथ स्वायत्त अंडरवाटर वाहनों और संबद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता वाले उत्पादों के डिजाइन, विकास, परीक्षण, श्रृंखला उत्पादन और बिक्री के बाद सेवा के लिए।

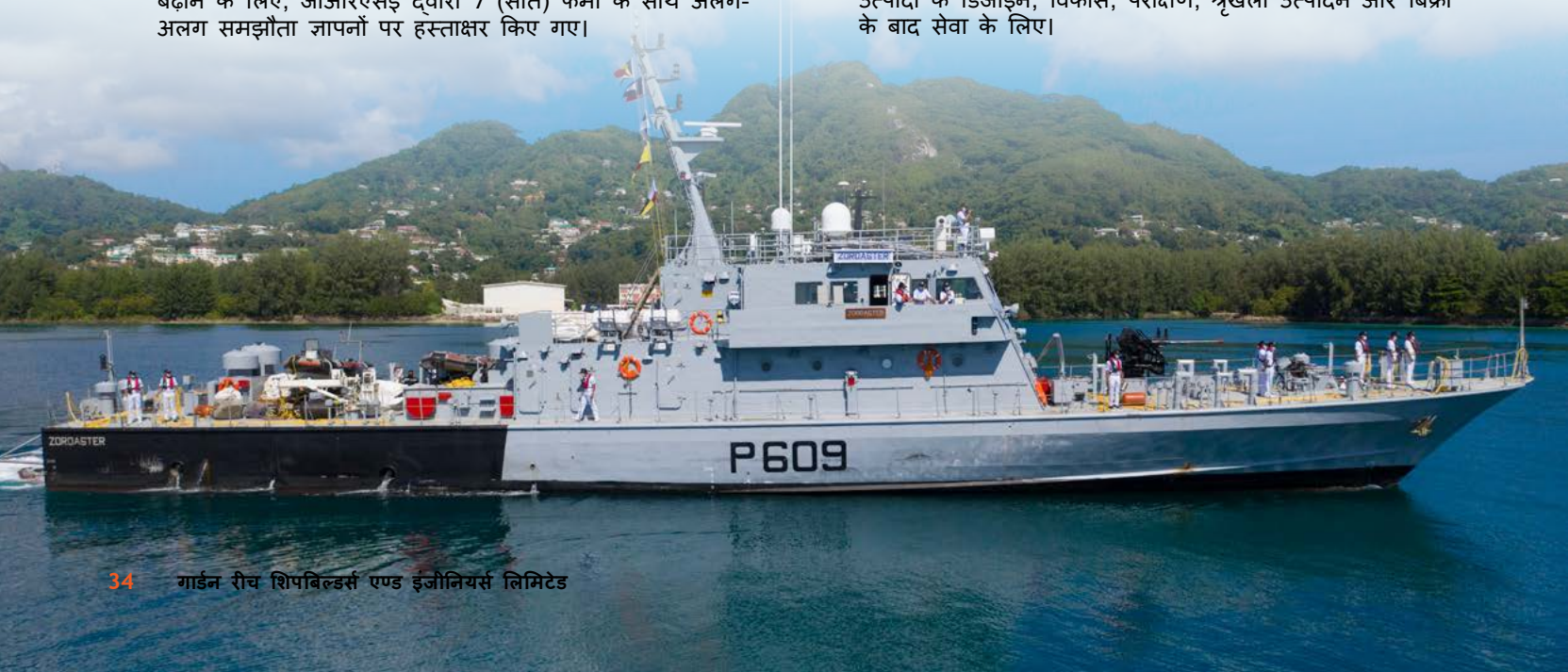

(ण) मैसर्स केलट्रॉन, भारत संयुक्त रूप से एयूवी के लिए आवश्यक सेंसर विकसित करेगा, भविष्य के व्यवसाय में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए पोत निर्माण परियोजना में शोर विसंगति डिटेक्टरों और शोर रेंजिंग उपकरणों का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशेगा।

(त) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं/मध्यम से बड़े आकार की नौकाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और आपूर्ति के लिए मैसर्स सीआईएफटी, भारत के साथ ।

(थ) वाणिज्यिक पोत निर्माण में सहयोग के लिए मैसर्स डेमन, नीदरलैंड।

(द) भारत में जीआरएसई/जीआरएसई-केपीडीडी/अन्यत्र पोत की मरम्मत/रीफिट और संबद्ध गतिविधियों के लिए मैसर्स डायनाट्रॉन।

(ध) भारत में 'कोंग्सबर्ग' वॉटरजेट के स्थानीयकरण के साथ लाइसेंस उत्पादन के लिए मैसर्स कोंग्सबर्ग, स्वीडन।

## अनुसंधान एवं विकास

**अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी:** आपकी कंपनी ने अंतर्देशीय जल में यात्रियों के परिवहन के लिए पूर्ण इलेक्ट्रिक बैटरी चालित फेरी के लिए एक अवधारणा डिजाइन विकसित किया है। 24 मीटर लंबे एल्युमीनियम के इस पोत की अधिकतम गति 8 समुद्री मील और 145 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यह पारंपरिक अंतर्देशीय फेरियों की जगह देश में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का अग्रणी प्रयास होगा । यह हुगली नदी के ऊपर चलने वाले डीजल फेरियों को बदलने के लिए एक कदम है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। आपकी कंपनी अब पायलट परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक पोत का निर्माण कर रही है।

**मानव रहित सतह पोत (यूएसवी):** आपकी कंपनी ने 'स्वाधीन' नामक 5 मीटर यूएसवी प्रोटोटाइप विकसित किया है। यूएसवी की संभावित भूमिकाएँ बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण और माइन हंटिंग हैं। रिमोट-कंट्रोल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है, और परिभाषित संभावित भूमिकाओं के लिए आवश्यक पेलोड के साथ टकराव से बचने की क्षमताओं के साथ प्रोटोटाइप को और बढ़ाया जा रहा है। स्वायत्त संचालन के निष्पादन से भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और डीआरडीओ से ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जहां उन्होंने पहले ही आरएफआई जारी कर दिए हैं जो विकसित किए जा रहे प्रोटोटाइप की समान आवश्यकताओं के हैं।

**ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (एयूवी):** जीआरएसई ने माइन काउंटर मेज़र ऑपरेशन, पुन: प्रयोज्य एएसडब्ल्यू प्रशिक्षण लक्ष्य और निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी के लिए 2.15 मीटर लंबाई का एक ऑटोनॉमस अंडरवाटर वाहन विकसित किया है। पेलोड का एकीकरण प्रगति पर है। जीआरएसई का इरादा संभावित ग्राहकों को प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने का है ।

## मेक इन इंडिया पहल

आपकी कंपनी ने "मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण" नीति लागू की है जिसके तहत स्वदेशी विक्रेताओं को सहभागिता के साथ लाइसेंस्ड उत्पादन के माध्यम से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ( टीओटी) के द्वारा लाइसेंस्ड उत्पादन, सह-उत्पादन, संयोजन, डिजाइन और टीओटी के साथ अधिकतम स्वदेशीकरण सामग्री के साथ भारत में निर्माण के लिए बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपकी कंपनी ने देश में अधिकांश आधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के लिए आंतरिक क्षमताएं विकसित की हैं। इन पोतों में से, आपकी कंपनी ने लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी पोतों के लिए 90% से अधिक स्वदेशीकरण और एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए 85% से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया है, जो कि अत्याधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।

डीडीपी-एमओडी के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने डीपीएसयू के लिए वस्तुओं की तीन सकारात्मक सूचियां (03 पीआईएल) अधिसूचित की हैं, जिनके लिए उनके सामने निर्दिष्ट समय सीमा से परे आयात पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए-एमओडी) के माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक वस्तुओं की चार सकारात्मक सूचियां (04 पीआईएल) अधिसूचित की हैं। यह पहल भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं की डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके इन वस्तुओं का निर्माण करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। जीआरएसई ने डीडीपी-एमओडी सूची से कुल 34 वस्तुओं और डीएमए-एमओडी सूचियों से 24 वस्तुओं की पहचान की है। जीआरएसई ने पहले ही डीडीपी-एमओडी द्वारा प्रख्यापित तीन जनहित याचिकाओं में निर्दिष्ट 34 वस्तुओं में से 24 वस्तुओं का स्वदेशीकरण कर लिया है।

जीआरएसई ने 14 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सृजन रक्षा पोर्टल (srijandefence.gov.in) में 70 आइटम अपलोड किए हैं। ये आइटम पहले आयातित थे या स्वदेशी विक्रेता उपलब्ध नहीं थे, और आज तक, जीआरएसई ने इसमें से 27 वस्तुओं को सफलतापूर्वक स्वदेशी बना दिया है।

मेक-II फ्रेमवर्क (उद्योग वित्त पोषित प्रोटोटाइप विकास) को 09 जुलाई 22 को जीआरएसई में लागू किया गया था। आज तक, जीआरएसई ने मेक-II परियोजना के तहत 4 वस्तुओं की पहचान की है और ये वस्तुएं विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी के पास ऐसे उपकरण विकसित करने के लिए एक व्यापक '5 वर्षीय स्वदेशीकरण योजना' (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) भी है जो मुख्य रूप से परियोजना विशिष्ट हैं और विभिन्न आगामी परियोजनाओं के लिए निगमन और उपयोग के लिए भी योजनाबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2013-14 से, जीआरएसई ने 216.74 करोड़ रुपये मूल्य की 27 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया है। वित्त वर्ष 2024-25 तक 535.20 करोड़ (लगभग) मूल्य की अन्य 12 वस्तुओं का स्वदेशीकरण करने की योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्रभावी रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन पहलों के एक भाग के रूप में, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2018 में एक रूपरेखा, "मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति" की स्थापना की गई थी। मंत्रालय का यह प्रोत्साहन जीआरएसई पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार के साथ-साथ सरलता को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख चालक बन गया है। जीआरएसई ने 133 आईपीआर (एमआरजीएस लॉन्चिंग के बाद 129 आईपीआर) दाखिल किए हैं, जिनमें से आज की तारीख तक 44 आईपीआर स्वीकृत (03 पेटेंट)/पंजीकृत (38 कॉपीराइट और 03 ट्रेडमार्क) हैं। जीआरएसई ने प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रेरित कार्य संस्कृति को अपनाने के उद्देश्य से लगभग 1305 कर्मियों (अपने कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेता कर्मियों) को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, नवाचार के प्रति कर्मचारियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2019 में कंपनी स्तर पर "कर्मचारी नवाचार योजना" शुरू की गई है जिसमें मौद्रिक और कैरियर प्रोत्साहन लाभ शामिल हैं।

सितंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा 'मेक-इन-इंडिया' कार्यक्रम शुरू करने के बाद से, जीआरएसई ने भारतीय सशस्त्र बलों और मित्रवत विदेशी देशों को 22 युद्धपोतों का निर्माण और सुपुर्दगी किया है।

## निर्यात पहल

आपकी कंपनी 2014 में मॉरीशस को एक युद्धपोत, ऑफशोर पेट्रोल वेसल निर्यात करने वाली पहली भारतीय शिपयार्ड है। जीआरएसई ने सेशेल्स की सरकार को एक फास्ट पेट्रोल वेसल 'एससीजी पीएस जोरोस्टर' का भी निर्यात किया और 31 मार्च 2023 को इसकी गारंटी रिफिट एण्ड ड्राई डॉकिंग (जीआरडीडी) को पूरा किया। आपकी कंपनी ने 12.73 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर गुयाना गणराज्य को 01 ओशन गोइंग वेसल (ओजीवी) भी निर्यात किया।

आपकी कंपनी ने मित्र देशों को नेवल पोतों को निर्यात करने की पहल की है और फोकस क्षेत्रों के रूप में सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे बांग्लादेश, गुयाना, फिलीपींस, सेशेल्स, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, वियतनाम आदि देश की पहचान की है।

जीआरएसई नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिज और इसके घटकों की आपूर्ति करता है । बेली ब्रिज और उनके घटकों के निर्यात को अन्य मित्रवत विदेशी देशों में भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात आदेश से ₹59.78 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है जिसमें पोत निर्माण से ₹58.49 करोड़ और बेली ब्रिज से ₹1.29 करोड़ शामिल हैं ।

आपकी कंपनी वर्तमान में निम्नलिखित निर्यात आदेश निष्पादित कर रही है:

(क) बांग्लादेश सरकार हेतु 1.82 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के लिए 06 पेट्रोल / निगरानी नौकाओं की आपूर्ति।

(ख) सेशेल्स सरकार के एक फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका निर्माण और डिलीवरी आपकी कंपनी द्वारा सेशेल्स सरकार को की गई थी हेतु 03 वर्षों के रखरखाव/अफ्लोट सहायता।

(ग) डीएलओसी के माध्यम से बांग्लादेश सेना के लिए 8.92 करोड़ रुपये के 07 सिंगल लेन प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज ।

## आधारभूत संरचना और तकनीकी आधुनिकीकरण

आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी/उत्पादों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने बुनियादी ढांचे/सुविधाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, संयंत्र और मशीनरी आदि के आधुनिकीकरण की दिशा में सीएपीईएक्स निवेश के एक हिस्से के रूप में ₹43 करोड़ खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान आधुनिकीकृत कुछ सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

**(क) फिटिंग आउट जेटी (एफओजे) यूनिट का उन्नयन -** एफओजे में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में, निम्नलिखित कार्रवाई की गई है: -

**(i) जेटियों का नवीनीकरण -** फिंगर जेटी और नेवल जेटी दोनों को संरचनात्मक मजबूती और पुराने फेंडर और बोलार्ड के प्रतिस्थापन सहित नवीनीकृत किया गया है।

**(ii) शॉप और स्टोरों का नवीनीकरण -** एफओजे में सभी प्रमुख शॉपों और स्टोरों को पुरानी एस्बेस्टस शीट को धातु शीट से बदलने, संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग/मजबूती कार्य और संबद्ध कार्यों के संदर्भ में नवीनीकृत किया गया है।

**(iii) नई फ्लैंगिंग मशीन की स्थापना -** पाइपों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, एफओजे की पाइप शॉप में एक नई फ्लैंगिंग मशीन स्थापित की गई है।

(iv) इसके अलावा, दोनों घाटों पर वर्षों पुरानी 02 जिब क्रेन का नवीनीकरण वर्तमान में चल रहा है, जो 20 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।

**(ख) मेन और आरबीडी यूनिट में पुराने पोत निर्माण डॉक और बर्थ की रेट्रोफिटिंग -** पुराने ड्राई डॉक और मेन के इनक्लाइंड बर्थ और आरबीडी के पुराने ड्राई डॉक की रेट्रोफिटिंग और संरचनात्मक नवीनीकरण / मरम्मत का काम पूरा हो चुका है।

**(ग) आरबीडी में 25 टन क्षमता की 04 ईओटी क्रेन की कमीशनिंग -** शिपयार्ड की ब्लॉक निर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए, प्रत्येक ब्लॉक फेब्रिकेशन शॉपों में दो 25 टन क्षमता वाली 02 ईओटी क्रेन की कमीशनिंग की गई है।

**(घ) रूफटॉप सोलर प्लांट -** वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हरित ऊर्जा पहल के एक भाग के रूप में, इस वर्ष कुल 450 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट (मेन में 200 केडब्ल्यूपी और एफओजो में 250 केडब्ल्यूपी) चालू किया गया है। इसके साथ, जीआरएसई में रूफटॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता अब 1950 किलोवाट यानी 1.95 मेगावाट है।

**(ङ) 3डी प्रिंटेड मॉड्यूलर बिल्डिंग -** नवीनतम तकनीक और स्टार्ट अप इंडिया मिशन के प्रति भारत सरकार के जोर के अनुरूप, आरबीडी यूनिट में एक स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा 3डी प्रिंटिंग तकनीक (कंक्रीट) का उपयोग करके एक मॉड्यूलर बिल्डिंग बनाई गई है।

**(च) आर्टिकुलेटेड बूम के साथ चेरी पिकर -** तेजी से पोत निर्माण आउटफिटिंग कार्य के लिए, आर्टिकुलेटेड बूम के साथ एक नया चेरी पिकर खरीदा और स्थापित किया गया है।

निदेशक रिपोर्ट

# भावी दृष्टिकोण

इस समय भारतीय नौसेना के लिए एक साथ 19 युद्धपोतों के समवर्ती डिजाइन एवं निर्माण हेतु एक मजबूत आदेश पुस्तिका जीआरएसई के बेहतर भविष्य का वादा करती है। हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा ' आत्मनिर्भरता ' को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए की गई सभी नीतिगत पहलों के साथ, आने वाले वर्षों में युद्धपोत निर्माण का समग्र परिदृश्य काफी सकारात्मक दिख रहा है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी अधिग्रहण योजना के कारण रक्षा पोत निर्माण खंड आशाजनक दिख रहा है, जो भारतीय पोत निर्माणकर्ताओं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी उत्साहजनक है। पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के लिए कई अनुरोध (आरएफपीएस) जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कुछ और प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय की 2024-25 के अंत तक रक्षा उत्पादों के निर्यात को 3.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की योजना हम सभी के लिए शुभ संकेत है। जीआरएसई ने पोतों की घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक पोत निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने की भी योजना बनाई है। इस प्रकार, आपकी कंपनी ने मित्रवत विदेशी देशों (एफएफसीएस) के निर्यात बाजार में बढ़ावा देने के लिए लक्षित गैर-रक्षा उत्पादों के रूप में महासागर जाने वाली फेरी (कार्गो + पैसेंजर), टग्स, ड्रेजर, बार्जेस, ई-फेरी की पहचान की है।

पोत निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का यह एक अच्छा अवसर है। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने की हमारी इच्छा कंपनी की दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, कंपनी ने 'डिजाइन', 'योजना', 'उत्पादन' और 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन' जैसे कामकाज के अपने मुख्य क्षेत्रों में उद्योग 4.0 प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

जीआरएसई ने एफओजे यूनिट में 250 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ अपने हरित ऊर्जा पदचिह्न को मजबूत किया है। यह 04 महीने की अवधि में चालू होने वाला दूसरा संयंत्र है। जीआरएसई में छत पर सौर संयंत्रों की कुल क्षमता अब 1950 KWP है। जीआरएसई ने अपनी हरित पहल के हिस्से के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता को और बढ़ाने की योजना बनाई है ।

जीआरएसई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 01 शून्य उत्सर्जन अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी के डिजाइन, निर्माण और सुपुर्दगी का ऑर्डर 05 जुलाई 2022 को दिया गया । फेरी को वित्त वर्ष 2023-24 में सुपुर्द करने की योजना है। जीआरएसई में नवगठित "नवाचार और नई प्रौद्योगिकी" विभाग भी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

जीआरएसई का अतीत गौरवशाली है और भारतीय युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में कंपनी की साख और उपलब्धियां बेजोड़ हैं। जीआरएसई के पास वर्तमान में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा है और पोत निर्माण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्रतिभा है।

वर्तमान में, कंपनी अभूतपूर्व विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन के शिखर पर है। इसमें कुशल परियोजना प्रबंधन, रणनीतिक साझेदारी, नई प्रौद्योगिकी अनुकूलन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव शामिल है। जीआरएसई ने 2030 तक "नवरत्न" कंपनी के रूप में उन्नयन और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिपयार्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपनी आकांक्षाएं निर्धारित की हैं।

स्थायी व्यापार वृद्धि और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भावी योजनाएं इस प्रकार हैं:

(क) लागत, डिलीवरी समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से संपूर्ण संचालन को देखते हुए निर्यात में अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर एक वैश्विक खिलाड़ी बनने का लक्ष्य है। इस संबंध में, जीआरएसई मित्र देशों को निर्यात के लिए भू-रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विपणन प्रतिनिधियों को शामिल करने की सभी संभावनाओं का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है।

(ख) आपकी कंपनी का मानना है कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचार के साथ-साथ बढ़ी हुई दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग उत्पादन लागत को कम करने की कुंजी है। कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

(ग) भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, भारतीय सेना, बीआरओ, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कोच्चि जल मेट्रो, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्य सरकारों से अगले 05 वर्षों के दौरान अनंतिम और संभावित अवसरों के मूल्यांकन की दिशा में निरंतर प्रयास ।

(घ) आपकी कंपनी जीआरएसई निर्मित पोतों के एएमसी और रिफिट के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय से ऑर्डर प्राप्त कर रही है और रिफिट और मरम्मत व्यवसाय कार्यक्षेत्र को और मजबूत करने और विस्तारित करने की योजना बना रही है।

(ङ) विविधीकरण की दिशा में, इंजीनियरिंग और इंजन व्यवसाय क्षेत्रों के विकास को भी आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

निदेशक रिपोर्ट

# विक्रेता विकास

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन के साथ विक्रेता विकास

हमारे विक्रेता आधार ने जीआरएसई के सतत विकास को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपकी कंपनी सीआईआई, बीसीसीआई, एमएसएमई, आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों द्वारा आयोजित विभिन्न विक्रेता बैठकों, सेमिनारों, वेबिनार आदि के माध्यम से व्यापार विकास के विभिन्न पहलुओं में एमएसएमई के पदचिह्नों को मजबूत करने के निरंतर प्रयास में है। महामारी के बाद के अध्याय में भी, जीआरएसई हेतु सक्षम उद्यमियों की पहचान करने के लिए वेबिनार का लाभ उठाया जा रहा है।

कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में, जब समय के साथ पुनरुत्थान दुनिया भर में एक वास्तविक चुनौती थी, जीआरएसई ने बहुत ही कम अंतराल के भीतर युद्धपोतों की डिलीवरी के साथ अपने उत्पादन उत्कृष्टता को जारी रखा । यह तभी संभव था जब संगठन विश्व स्तरीय वाणिज्यिक और सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं और एक मजबूत विक्रेता आधार से सुसज्जित हो। प्रमुख विक्रेता के निष्पादन की करीबी निगरानी, विक्रेता शिकायत निवारण प्रणाली की शुरूआत, विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन निष्पादन रेटिंग प्रणाली ऐसे निष्पादन के अन्य प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और पंजीकरण चक्र के समय को कम करने के लिए नए विक्रेता के लिए ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण का विकास शुरू किया गया है।

विक्रेता आधार विकसित करने के लिए, आपकी कंपनी विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों जैसे कि बीसीसी (भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स), एमएसएमई-डीएफओ (एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालय), एनएसआईसी-एनएसएचओ (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम-राष्ट्रीय एससी एसटी हब कार्यालय), ईईपीसी (इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया), एमसीसीआई (व्यापारी) चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री), सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा आयोजित विभिन्न विक्रेता बैठकों, सेमिनारों, वेबिनार आदि में भाग लेने और उनके आयोजन के माध्यम से एमएसएमई सहित सक्षम विक्रेताओं की निरंतर खोज में रहती है।

उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने तकनीकी रूप से सक्षम फर्मों का पता लगाने और जीआरएसई की चालू/भविष्य की परियोजनाओं के लिए उनकी सेवाओं का लाभ उठा कर राष्ट्र के "मेक इन इंडिया" प्रयास को साकार करने के लिए कोटा, राजस्थान में "रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी" में भी भाग लिया और गांधीनगर, गुजरात में "डेफ़ेक्स्पो -2022" में एक प्रमुख भागीदारी की है।

एक विशेष पहल के रूप में, आपकी कंपनी ने एक कार्यक्रम, "मेलबंधन 2022" का आयोजन - हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के लिए बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक आनंददायक बैठक का आयोजन किया था । कार्यक्रम में कई व्यापारिक साझेदारों ने भाग लिया और इसे बेहद सफल बनाया।

आपकी कंपनी ने आउटसोर्स नौकरियों पर अनुबंध प्रबंधन के प्रभावी निष्पादन, अच्छे सक्षम सेवा और आपूर्ति विक्रेता की नियुक्ति, उचित विक्रेता संबंध बनाए रखने और विक्रेता के प्रदर्शन की निगरानी के साथ उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

आपकी कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुरूप जहां भी लागू हो, एमएसएमई विक्रेताओं से प्रतिबंध/वरीयता का सख्ती से पालन किया है, और इसका मजबूती से अनुसरण किया जा रहा है और बारीकी से निगरानी की जा रही है।

आपकी कंपनी सीआईआई और एमएसएमई मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से नियमित रूप से एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित करके जहां भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है । उत्पाद के अपेक्षित गुणवत्ता मानक को पूरा करने के लिए, हमारे गुणवत्ता

नियंत्रण कर्मी इन उद्योगों की सहायता के लिए उनका दौरा कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹564.11 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद एमएसई से की, जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 62.64% (लगभग) है (एमएसई के लिए लागू बहिष्करणों पर विचार करते हुए)। एमएसई खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies-for-msme/ पर उपलब्ध है ।

आपकी कंपनी एमएसएमई सार्वजनिक खरीद नीति के निर्देशों का पालन करने वाली कंपनी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार उचित मूल्यांकन के बाद स्थायी विक्रेता आधार में लगातार वृद्धि कर रही है।

एक डीपीएसयू होने के नाते, आपकी कंपनी सरकारी दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान पोर्टल पर शामिल हो गई है ।

### सरकारी ई-बाज़ार (जेम)

सरकारी ई-मार्केट (जेम) की स्थापना (2017 से) के बाद से, आपकी कंपनी ने लगातार सभी शिपयार्डों के बीच जेम पर उच्चतम खरीद मात्रा हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹524.07 करोड़ की जेम खरीद मात्रा दर्ज की है, जो सभी शिपयार्डों में अब तक की सबसे अधिक है।

### ईआरपी एवं आईटी

आपकी कंपनी अपनी सभी गतिविधियों में एसएपी कार्यान्वयन और

आईटी पहलों पर जोर दे रही है। ईआरपी और आईटी के क्षेत्र में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

**(क) आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर :** आपकी कंपनी ने कोलकाता में ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर (डीसी) और मुंबई में डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआर) स्थापित किया है। इसके सभी स्थानीय और दूरस्थ स्थान निर्बाध डेटा हस्तांतरण और संचार के लिए समर्पित लीज लाइनों और लैन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जीआरएसई ने 2010 में एसएपी ईआरपी में आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, मानव संसाधन, पेरोल, विक्रेता, संयंत्र रखरखाव आदि जैसी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पहले ही मैप कर दिया है। कुल डिजाइन संचालन अवीवा सीएडी, वीआर एलएबी, पीडीएम -पीएलएम आदि के साथ सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत कवर हैं।

**(ख) साइबर सुरक्षा :** आपकी कंपनी के पास साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना है। निदेशक (कार्मिक) को कंपनी के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नामित किया गया है। सीडीएसी द्वारा साइबर सुरक्षा कोर समूह को साइबर सुरक्षा संवर्धित जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया है। पूरे संगठन में एआईआर-जीएपी कार्यान्वयन और आईएलएल आधारित इंटरनेट लैन इसकी सभी यूनिटों में लागू किया गया ।

**(ग) ईआरपी-एसएपी :** जीआरएसई ने महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिस पर सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं निर्भर हैं। इसमें ईआरपी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेल सर्वर, वैन, लैन, नेटवर्क सुरक्षा घटक, एंटीवायरस और पैच प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा, ईआरपी/एसएपी कोर टीम को भी फिर से सक्रिय किया गया है।

**(घ) पीडीएम / पीएलएम (उत्पाद डेटा प्रबंधन / उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन) :** अवीवा मरीन आधारित पीडीएम और सीमेंस टीम सेंटर आधारित पीएलएम सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन कार्यान्वयन के अधीन है। पीडीएम / पीएलएम के उपयोग के साथ मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी दक्षता में सुधार करेगी और पी17ए पोतों के निर्माण समय को कम करेगी।

**(ङ) वर्क फ्रॉम होम :** सुरक्षित वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) सुविधाएं नामांकित उपयोगकर्ताओं को "वर्क फ्रॉम होम" और आंतरिक, मंत्रालय और बाहरी हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग किए जा रहे वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) पर आधारित निर्बाध हाई-एण्ड डिवाइस के लिए प्रदान की जाती हैं ।

**(च) एसेस नियंत्रण प्रणाली :** जीआरएसई पहले से ही स्थायी और संविदा कर्मचारियों दोनों के लिए फिंगर प्रिंट आधारित प्रणाली से फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में माइग्रेट कर चुका है।

**(छ) कर्मचारी पोर्टल :** पीएमएस (निष्पादन प्रबंधन प्रणाली), ई-नोट शीट, ई-फाइल ट्रैकिंग, कर्मचारी सर्वेक्षण, संपत्ति ट्रैकिंग, उत्पादन निगरानी, क्यूएमएस, उपस्थिति, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी दस्तावेज जैसे कि सैलरी स्लिप, पीएफ-पेंशन-टैक्स आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल को कवर करने के लिए कर्मचारी पोर्टल को नया रूप दिया गया है।

# मानव संसाधन और प्रशासन

## जनशक्ति

31 मार्च 2023 को कंपनी के स्थायी रोल के तहत कुल जनशक्ति की संख्या 1,747 थी, जिसमें नियमित रोल पर 481 बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी और निश्चित अवधि के अनुबंध पर 09 अधिकारी और 69 पर्यवेक्षक शामिल थे।

31 दिसंबर 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं आदि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान की गई कुल भर्ती को दर्शाने वाले विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ए और बी" में दिए गए हैं ।

इसके अलावा, निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

## औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे।

(i) जीआरडब्ल्यू मजदूर एवं कर्मचारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर :

डीईपी रांची को छोड़कर जीआरएसई की मेन और अन्य यूनिटों/ कार्यालयों के ऑपरेटिव श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन और अन्य लाभों के समझौते ज्ञापन पर 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2026 तक 10 साल की अवधि के लिए 29 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों की ऑपरेटिव श्रेणी के वेतन और भत्तों से संबंधित सभी लंबित मुद्दों का समाधान हो गया है। ।

(ii) जीआरडब्ल्यू लिमिटेड क्लर्क यूनियन और डीईपी रांची के यूनियनकृत कर्मचारियों के साथ पूरक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

जीआरएसई प्रबंधन ने 25 मार्च 21 को पश्चिम बंगाल आधारित यूनिटों के कार्यालय सहायक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जीआरडब्ल्यू लिमिटेड क्लर्क यूनियन के साथ और 03 जुलाई 21 को डीईपी, रांची के कर्मचारियों की यूनियनीकृत श्रेणी के साथ 10 साल के एमओएस पर हस्ताक्षर किए थे । समझौतें ज्ञापन में कर्मचारियों की सभी यूनियनीकृत श्रेणियों के विभिन्न लाभों और भत्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल आधारित यूनिटों के कार्यालय सहायक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 26 सितंबर 22 को जीआरडब्ल्यू लिमिटेड क्लर्क यूनियन के साथ और डीईपी, रांची के यूनियंकृत कर्मचारियों के साथ 29 सितंबर 22 को प्रबंधन ने 01.01.2017 की प्रभावी तिथि से पूरक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

## मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संतुलित कार्यबल को पोषित और उनका विकास कर रही है जो संगठन के विकास पथ को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। कंपनी ने ऐसे माहौल, जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देता है, में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस-फ़ंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को कवर करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार और कार्यान्वित की है। वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3640 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किए गए। भारत में बाहरी एजेंसियों/ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं/ सम्मेलनों/वेबिनार में प्रतिभागियों को नामांकित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए। ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

**कर्मचारी सहभागिता पहल**

**(क) जीआरएसई दिवस समारोह:**

64 वां जीआरएसई दिवस 19 अप्रैल 2023 को मनाया गया। कर्मचारियों को 2022 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'जीआरएसई श्री' और 'सीएमडी प्रशस्ति' प्रदान किए गए। जीआरएसई मेरिट पुरस्कार उन कर्मचारियों के बच्चों को दिए गए जिन्होंने 2021-22 में अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वार्षिक इन-हाउस जर्नल 'जीआरएसई वार्ता 2023' का विमोचन किया गया। कर्मचारियों व उनके बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया।

**(ख) जीआरएसई परिवार दिवस "अहोबन' का आयोजन**

जीआरएसई ने 29 जनवरी 23 को पूरे जीआरएसई परिवार के मनोरंजन के लिए खुशी और उल्लास से भरे दिन का आयोजन किया, जिसमें जीआरएसई के प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम शामिल थे।

**1,747**
कर्मचारी

**481**
अधिकारियों

**(ग) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 'वनिता-2023' का आयोजन**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को रचनात्मक और विचारशील तरीके से मनाने के लिए 05 अप्रैल 2023 को कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों के लिए मौज-मस्ती से भरा एक डे-आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ और कर्मचारियों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

**(घ) आउटबाउंड टीमबिल्डिंग कार्यक्रम :** हमारे कर्मचारियों के लिए नियमित आउटबाउंड टीमबिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

परियोजना पीएमटी-पी17ए - 'उत्कर्ष (वी)' के अधिकारियों के लिए आउटबाउंड टीम निर्माण कार्यशाला

अधिकारियों के लिए आउटबाउंड टीम निर्माण कार्यशाला - 'उत्कर्ष (VI)'

**(ङ) नेतृत्व विकास कार्यक्रम**

(i) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के लिए मास्टरक्लास फॉर डायरेक्टर्स' प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित की गई। इसका उद्देश्य बोर्डरूम में सर्वोत्तम प्रथाओं, निगमित शासन के प्रमुख तत्वों, बोर्ड और शेयरधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही की समझ को बढ़ाना है।

(ii) पदोन्नति के क्षेत्र में आने वाले प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए 21 वीं सदी में नेतृत्व और प्रबंधन पर मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) नए शामिल सहायक प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

**(च) सामान्य जागरूकता मूल्यांकन परीक्षा (जीएएटी)**

अधिकारियों (एजीएम स्तर तक) के लिए 'सामान्य जागरूकता मूल्यांकन परीक्षा (जीएएटी)' 02 जून 2022 को कोलकाता के विभिन्न केंद्रों के साथ-साथ जीआरएसई क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गई । परीक्षण में बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया।

इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिकारियों की न केवल उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में बल्कि सभी विभागों की भूमिका और कार्यों, कंपनी की सामान्य जागरूकता, शिपयार्ड के कामकाज को नियंत्रित करने वाली प्रचलित नीतियों / कानूनों, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, सीडीए नियमों आदि की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करना है। इस तरह की जागरूकता अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सकती है और उन्हें उच्च पदों और बड़ी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है।

**(छ) गैर-कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कैरियर उन्नति योजना**

2022 में 'गैर-कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के कैरियर उन्नति के लिए अभ्युदय योजना' के तहत कंपनी के स्थायी रोल में कार्यरत गैर-कार्यकारी श्रेणी के जीआरएसई के योग्य कर्मचारियों के करियर उन्नयन के लिए आंतरिक इंडकशन आयोजित किया गया था। योजना के अनुसार, चयन प्रक्रिया में ज्ञान परीक्षण, कौशल परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं ।

**(ज) प्रशिक्षु अधिनियम, 1963 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण:**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 246 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षुओं को ट्रेड अपरेंटिस, ग्रेजुएट अपरेंटिस और तकनीशियन अपरेंटिस श्रेणियों के तहत नियुक्त किया गया था और उनकी कुल संख्या कुल जनशक्ति का लगभग 14% थी। । कंपनी के पास प्रशिक्षुता

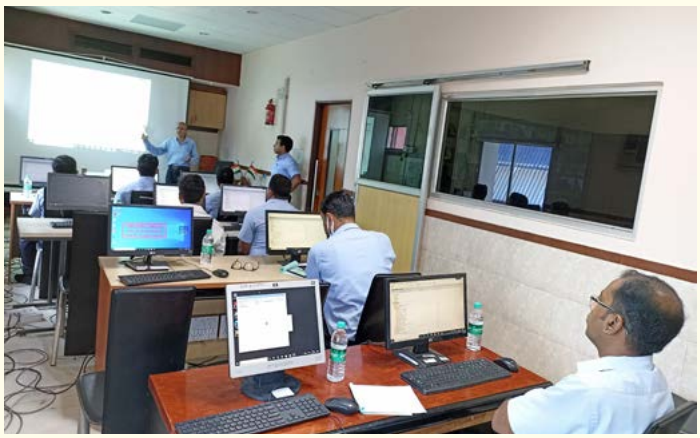

प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नामक एक समर्पित प्रशिक्षु प्रशिक्षण विभाग है। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षुओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम संचालित किये गये। यार्ड में ऑन-जॉब-प्रशिक्षण के लिए रखे जाने से पहले सभी प्रशिक्षुओं के लिए संरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए थे।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव (इंडिया@75-एकेएएम) मनाया:

(i) चरण V-IX समारोह में विभिन्न वेबिनार और रीच आउट कार्यक्रम शामिल हैं।

(ii) जीआरएसई ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से "आजादी के बाद से राष्ट्र निर्माण में सीपीएसई के योगदान" को बढ़ावा देने के लिए 09 से 12 जून 22 तक गांधीनगर, गुजरात में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित एकेएएम मेगा शो 2022 - "राष्ट्र निर्माण और सीपीएसई" में भाग लिया।

(iii) 02 से 31 अक्टूबर 22 तक अपनी सभी यूनिटों सहित विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया।

(iv) जीआरएसई में 01 से 15 दिसम्बर तक स्वच्छता पखवाड़ा 22 धूमधाम से मनाया गया ।

## दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)

कंपनी ने दिव्यांग कार्मिकों को क़ानून/सरकारी निर्देश के अनुसार सभी आवश्यक छूट/रियायतें प्रदान की।

## महिला सशक्तिकरण

वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या का 5.2% है। 2022-23 के दौरान 75 में से 05 महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो 6.7% है।

## कार्य के दौरान संरक्षा

शिपयार्ड ने कंपनी में सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानदंडों और प्रक्रियाओं की करीबी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान 2.43 की संरक्षा आवृत्ति दर हासिल की है।

उच्च संरक्षा मानक बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने समूह संरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क (जीएसटीके) के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को सिस्टम-आधारित संरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया है, जहां सामग्री प्रबंधन, हॉट वर्क, इलेक्ट्रिकल संरक्षा, पेंटिंग गतिविधि, ऊंचाई कार्य गतिविधि, सीमित स्थान पर कार्य आदि जैसे विभिन्न विषयों पर संरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के 130 से अधिक बैच का आयोजन किया गया है।

## औद्योगिक सुरक्षा

जीआरएसई एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। शिपयार्ड को पश्चिम बंगाल सरकार के राजपत्र अधिसूचना बो. 2145/ (आई)(7)-पी, दिनांक 30 मार्च 2004 के तहत प्रकाशित भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा-2 खंड 8 उप खंड (ए) के तहत "निषिद्ध स्थान" घोषित किया गया है। आईबी, गृह मंत्रालय द्वारा भी इसे सुरक्षा की दृष्टि से श्रेणी 'ए' अर्थात "अत्यधिक संवेदनशील" में रखा गया है।

आपकी कंपनी की पोत निर्माण यूनिटों की प्रत्यक्ष सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) को सौंपी गई है । सशस्त्र कर्मियों के साथ चौबीस घंटे वाटर-फ्रंट गश्त और सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने वाली एक मजबूत सीसीटीवी प्रणाली लागू है। सभी कर्मचारियों का प्रवेश/निकास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। गेट पास जारी करने से पहले सभी ठेकेदार मजदूरों का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है।

## राजभाषा

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा (रा.भा.) नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है । वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है। राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं:

(क) **हिंदी माह आयोजन :** कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर-अक्टूबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। माह के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ख) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :** विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

(ग) **प्रोत्साहन :** सभी कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार किया जाता है और इन योजनाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(घ) **हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के आस पास स्थित स्थायनीय स्कूलों में हिंदी की प्रतियोगिताएं :** राजभाषा का प्रयोग जीआरएसई की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, अपितु कंपनी के बाहर भी स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित कर इसका प्रचार प्रसार किया जाता है । 08 दिसंबर 2022 को फ़तेहपुर

हिन्दी नागरी प्रचारक विद्यालय में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

(ङ) **नराकास के तत्वावधान में हिन्दी प्रतियोगिता :** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा 23 दिसंबर 2022 को नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वाधान में हिन्दी पत्र/ टिप्पण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में कोलकाता स्थित जीआरएसई सहित कुल 20 सार्वजनिक उपक्रमों से नामित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया ।

(च) **राजभाषा पुरस्कापर :**

1. **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार :** जीआरएसई को कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । (जीआरएसई वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली एकमात्र रक्षा उपक्रम है) यह पुरस्कार भारत के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र द्वारा जीआरएसई को 14 सितंबर 2022 को सूरत, गुजरात में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया ।
2. **नराकास राजभाषा शील्ड :** जीआरएसई को कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वजयन समिति (उपक्रम), कोलकाता की ओर से राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई, जिसे नराकास अध्यक्ष द्वारा जीआरएसई को 25 अगस्त 2022 को कोलकाता में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया ।
3. **नराकास सक्रिय सहभागिता सम्मान :** जीआरएसई को वर्ष 2022-23 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वरयन समिति की ओर से "सक्रिय सहभागिता सम्मान" से सम्मानित किया गया । यह सम्मान नराकास अध्यक्ष द्वारा 30 जनवरी 2023 को कोलकाता में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया जिसे जीआरएसई के निदेशक (वित्त) ने स्वीकार किया।
4. **विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार :** नराकास के तत्वावधान में वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में जीआरएसई कार्मिकों ने 06 पुरस्कार हासिल कर जीआरएसई को गौरवान्वित किया है ।

5. प्रबन्धक (राजभाषा) को नराकास द्वारा कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 25.08.2022 को **प्रशस्ति पत्र** प्रदान किया गया ।

## पुरस्कार और सम्मान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुई हैं। कंपनी को प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण सम्मान इस प्रकार हैं:

(क) **12 वां आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023** "सीएसआर एवं स्थिरता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस" की श्रेणियों में कोलकाता के कुछ सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित स्थानीय सरकारी स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय को लागू करने के लिए प्राप्त हुआ और इस पहल का फोकस छात्राओं पर था ।

(ख) **'9वां गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड्स'** संचार आउटरीच, सीएसआर प्रतिबद्धता (समग्र), डिजिटल पीएसयू और कर्मचारियों की रीस्किलिंग (प्रशिक्षण और विकास) की श्रेणियों के लिए ।

(ग) **'सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार 2022'** कंपनी में डब्ल्यूआईपीएस गतिविधियों की मान्यता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की 33 वीं राष्ट्रीय बैठक (डब्ल्यूआईपीएस) में प्राप्त हुआ।

(घ) **डब्ल्यूएसओ इंडिया मैरीटाइम ओएचएस एण्ड ई अवार्ड्स 2022'** 'पर्यावरण उत्कृष्टता' और 'अग्नि उत्कृष्टता' की श्रेणियों में ' जिसकी घोषणा 'विश्व संरक्षा संगठन' द्वारा की गई ।

(ङ) **जीआरएसई क्वालिटी सर्कल टीमों** ने औरंगाबाद में आयोजित **36 वें एनसीक्यूसी 2022** में भाग लिया और हमारी 07 टीमों को **'पार उत्कृष्टता' और 'उत्कृष्टता' पुरस्कारों** से सम्मानित किया गया।

(च) **आईसीक्यूसीसी -2022 'गोल्ड अवार्ड'** । जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित क्यूसी सर्कल्स (आईसीक्यूसीसी-2022) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जीआरएसई क्यूसी टीम ने गोल्ड अवार्ड जीता।

(छ) **"21-22 हेतु क्वालिटी लीडरशिप अवार्ड"** 27 सितंबर 2022 को क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा ।

(ज) **पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2022** सर्वोत्तम संगठनात्मक प्रयास, रक्षा क्षेत्र में नए अनुसंधान एवं विकास प्रयास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट पहल।

(झ) **'रक्षा मंत्री पुरस्कार 22'** गांधीनगर, डेफएक्सपो 2022 में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा **'भारतीय नौसेना के लिए साइलेंट शिप के डिजाइन और विकास'** में उत्कृष्टता के लिए । जीआरएसई रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र डीपीएसयू शिपयार्ड है। जीआरएसई ने निर्दिष्ट स्तर पर पानी के भीतर शोर का प्रबंधन करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ प्लेटफॉर्म के डिजाइन के लिए इनोवेशन श्रेणी के तहत यह प्रतिष्ठित 'रक्षा अन्वेषण रत्न पुरस्कार' जीता, जिसमें भारत के पास इसकी कोई प्रमुख विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं थी।.

(ञ) **"डिजिटल परिवर्तन के लिए डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू पुरस्कार"** वित्त वर्ष 2021-22 के सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के रूप में ।

(ट) **टाइम्स एसेंट ईआईआईएलएम अवार्ड** "ईस्टर्न इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स (शिपबिल्डिंग सेक्टर)" के रूप में।

(ठ) **आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021** "सीएसआर एवं स्थिरता" और "कॉर्पोरेट गवर्नेंस" श्रेणियों में ।

# निगमित प्रशासन

आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता पर जोर देना जारी रखी है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश का अनुपालन करती है सिवाए निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में, अर्थात एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप सांविधिक समितियों से संबंधित अनुपालन के। जीआरएसई चूंकि एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, दिशानिर्देश के अंतर्गत सीपीएसई को दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डीपीई ने वर्ष 2022-23 के लिए जीआरएसई को "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देश के संदर्भ में, मैसर्स माहेश्वरी आर एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ निगमित प्रशासन पर एक प्रतिवेदन इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

## निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

आपकी कंपनी के बोर्ड में कुल दस (10) निदेशक शामिल हैं जिसमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं, जिनमें एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं ।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि | समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| क | श्री संजीब मोहंती | स्वतंत्र निदेशक | 06 अप्रैल 2022 | - |
| ख | श्रीमती दर्शना सिंह | स्वतंत्र निदेशक | 12 अप्रैल 2022 | 01 जून 2022 |
| ग | कमांडर. शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | निदेशक (पोत निर्माण) | 08 जून 2022 | - |
| घ | कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | निदेशक (कार्मिक) | - | 10 जून 2022 |
| ङ | कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 10 जून 2022 | - |

## रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 206 और 207 के अनुसार, श्री रमेश कुमार दास, निदेशक (वित्त) और सीएफओ, जिन्होंने निदेशक मंडल में और सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों में से सबसे लंबे समय तक सेवा की है, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

## स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और मानदंडों की पूर्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग और सेबी लिस्टिंग विनियम द्वारा जारी दिशानिर्देश के निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं । इसके अलावा, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खुद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के साथ पंजीकृत किया है, और अपना नाम वैधानिक समय सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में शामिल कर लिया है और जहां भी लागू हो, वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे।

## स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष 2022-23 के दौरान 25 मार्च 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

## बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात (07) बैठकें आयोजित की गईं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 'निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट' देखें ।

## बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की कंपनी है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक प्रेसीडेंशियल नियुक्तियां हैं और उनका पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तय किया गया है । तदनुसार, आपकी कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 194 और 214 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे । चूँकि, मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

## लेखा परीक्षा समिति

01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण उक्त समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार 25 अप्रैल 2022 से ऑडिट समिति की उचित संरचना थी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया 'निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें ।

## निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि: -

(क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खाता की तैयारी में, अनुसूची III के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू भी किया था और उनके आधार पर सारे निर्णय लिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31

मार्च 2023 तक के अनुसार आपकी कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त हो सके;

(ग) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे;

(ङ) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने लागू होने योग्य सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

## सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन मैसर्स मुखर्जी, विश्वाषस एवं पाठक, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वित्त1 वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सीएजी की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं ।

## लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स चट्टर्जी एण्ड कं., लागत लेखापाल, कोलकाता को आपकी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

## सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स मेहता एवं मेहता, कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। । मैसर्स मेहता एवं मेहता, कंपनी सचिवों की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट - "सी" के साथ रखा गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालाँकि, सचिवीय लेखा परीक्षक ने पाया कि कंपनी के पास महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। सचिवीय लेखा परीक्षक ने यह भी पाया कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक लेखापरीक्षा समिति और मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा समिति और मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन 25 अप्रैल 2022 से किया गया।

आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और ऐसी नियुक्ति उनके स्तर पर लंबित है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अन्य अवलोकन और स्पष्टीकरण स्व-व्याख्यात्मक हैं।

सेबी के दिनांक 8 फरवरी, 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के पास दायर की गई सेबी विनियमों/परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी के मैसर्स विनोद कोठारी एण्ड कंपनी, प्रैक्टीसिंग कंपनी सचिव से वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है । उक्त रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है ।

## आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के मंडल ने मैसर्स एस गुहा और एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए नियुक्त किया है ।

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

शून्य

## संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम एवं विनयम 23 के तहत किसी अनुबंध/व्यवस्था/सौदे में प्रवेश नहीं किया है । आपके निदेशक भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं । संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण फार्म एओसी-2 इस रिपोर्ट को परिशिष्ट - " डी " में संलग्न किया गया है -जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Related-Party-Transactions-GRSE.pdf

## ऋण, गारंटी या निवेश के ब्यौरे

रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नहीं किया है:

क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण दिया गया है;

ख. किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई;

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय निगमित की प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित ।

## सतर्कता तंत्र

अपने सतर्कता तंत्र के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक व्हिसल ब्लोवर नीति अपनाई है ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। व्हिसल ब्लोवर नीति के अनुसार, एक व्हिसल आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना अधिकार सौंपा है) को लिखित संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह सीधे लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष को भी इस तरह का संरक्षित प्रकटीकरण भेज सकता है। संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत एक कार्यात्मक निदेशक और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे । इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक पहुँच प्रदान किया गया है । व्हिसल नीति को निम्नलिखित के माध्यम से आपकी कंपनी के वेबसाइट: https://www.grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy.pdf पर देखा जा सकता है ।

## वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म एमजीटी-7) में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी के वेबसाईट https://grse.in/annual-returns/ पर उपलब्धप होगा ।

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेनषण रिपोर्ट, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशनों एवं सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अधीन यथा-वांछित, इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग का निर्माण करती है ।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

जीआरएसई ने विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से अपनी उत्पादन इकाइयों के आसपास रहने वाले मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जीआरएसई ने सतत विकास की दिशा में एक सकारात्मक पदचिह्न बनाया है और सीएसआर पहल के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।

जीआरएसई की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2021 और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप है।

कंपनी की सीएसआर पहल के फोकस एरिया में शामिल है - स्वारस्य्यि एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, शैक्षिक संस्थालनों का संरचना विकास, स्वनच्छव विद्यालय मिशन, दिव्यांग व्यसक्तियों को मुख्यप धारा में लाना तथा हाशिए वाले क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार । आकांक्षी जिलों में वंचित आदिवासी बच्चों के समग्र विकास के साथ-साथ सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **परिशिष्ट- "ई"** के रूप में संलग्न की गई है ।

## जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन्सग, 2015 के रेगुलेशन 21 के अनुसरण में कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण एवं इसका टर्म्स् ऑफ रेफरेंश, जोखिम प्रबंधन नीति आदि निगमित शासन रिपोर्ट में दर्शायी गई है तथा जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा एवं विश्ले षण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का अंश है ।

## व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है । सेबी लिस्टिंग विनियमों का विनियम 34(2)(एफ) यह निर्धारित करता है कि वार्षिक रिपोर्ट में सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में एक व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास वित्ती य विवरणों के संदर्भ में पर्याप्तए आंतरिक वित्तीणय नियंत्रण है । आंतरिक वित्तीपय नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेतषण रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है, जो इस रिपोर्ट का अंश है ।

## ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

आपकी आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है, ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी की प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर नंबर 680 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी है ।

## आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वायन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र है।

आरटीआई मामलों का निष्पादन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं उसमें बनाये गये नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 'सूचना' प्रदान करने के लिए ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से कुल 246 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष से प्रारंभिक शेष संख्या 30 के रूप में आगे लाई गई थी। वर्ष के दौरान कुल 263 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया गया और 1 आरटीआई आवेदन अन्य संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष 12 आरटीआई आवेदनों को वर्ष 2023-24 के लिए 'आगे बढ़ाए' के रूप में लिया गया।

तिमाही विवरणियां सीआईसी की वेबसाइट के साथ-साथ डीओपीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही हैं। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को सीआईसी द्वारा निर्देशित आरटीआई लिंक के तहत जीआरएसई की वेबसाइट पर अपडेट किया गया था। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 के प्रावधान के अनुपालन में वर्ष 2022-23 के दौरान आरटीआई अधिनियम पर एक आंतरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

## कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, 19 अगस्त 2020 को आंतरिक समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल स्थित इकाइयों के लिए 7 सदस्य शामिल थे । डीईपी यूनिट, रांची के लिए एक अलग आंतरिक समिति अस्तित्व में है। डीईपी की आंतरिक समिति का पुनर्गठन 29 मार्च 23 को किया गया, जिसमें 5 सदस्य शामिल थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं:

(I) वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: शून्य

(II) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

(III) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

(IV) यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: दो

(V) नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति - लागू नहीं

## लोक शिकायतें

शिकायत का पारदर्शी एवं समय-बद्ध तरीके से निवारण के सुविधार्थ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, जन अभियोग एवं पेंशन, भारत सरकार ने एक वेब आधारित मॉनीटरिंग सिस्टकम www.pgportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर प्रारंभ किया है । आपकी कंपनी सार्वजनिक शिकायतों के कुशल और समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनशिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परतापूर्वक प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से कुल 18 लोक शिकायत याचिकाएँ प्राप्त हुईं और पिछले वर्ष से कोई भी शिकायत 'प्रारंभिक शेष' के रूप में सामने नहीं लाई गई। कुल 18 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।

## सतर्कता गतिविधियां

आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य, कंपनी के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, इस विभाग ने वर्ष के दौरान पूर्वनुमानिक और निवारक दोनों तरह की सतर्कता पर ध्यान दिया। कई क्षेत्रों के क्रियाकलापों को ग्रहण किया गया और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया और उनकी जांच की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जांच और संतुलन की प्रणालियाँ, आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम कर रही हैं । कई मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां भी की गईं:

(क) सीटीई प्रकार की गहन परीक्षाएं वित्त वर्ष 2022-23 में आयोजित की गईं

(ख) वर्ष 2022 के लिए सीटीई प्रकार की गहन परीक्षाओं पर की गई टिप्पणियों पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(ग) निम्नानुसार कई निवारक सतर्कता उपाय किए गए:

1. निवारक सतर्कता पर जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम हर महीने में 2 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं;
2. फाइलों की जांच की गई;
3. जीआरएसई की अपनी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के अलावा सीवीसी की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली जीआरएसई वेब साइट के साथ लिंक की गई है;
4. जीआरएसई की सभी यूनिटों में शिकायत पेटियां स्थापित की गई हैं;
5. डिस्प्ले बोर्ड पर सतर्कता संबंधी नारे प्रदर्शित किये गये;
6. सुंदरबन में ग्राम सभा आयोजित की गई, वीएडब्ल्यू 2022 कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार वितरण के साथ-साथ पास के स्कूल के साथ-साथ जीआरएसई कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं;

7. जीआरएसई के विभिन्न स्थानों पर सीवीओ और सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर/औचक दौरे किए गए।

(घ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

(ङ) वर्ष 2022 के लिए 60% वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की जांच पूरी हो चुकी है।

(च) लगभग 1000 मामलों में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों की सतर्कता स्थिति/मंजूरी पर इनपुट दिए गए। मंत्रालय की इच्छानुसार बोर्ड स्तर के अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल पर इनपुट भी दिए गए।

(छ) संगठन के हित के लिए कई सिस्टम सुधारों का सुझाव दिया गया।

(ज) प्रत्येक तिमाही में सीवीओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच संरचित बैठकें आयोजित की गईं ।

(झ) 2023 के लिए ओडीआई को अंतिम रूप दिया गया । सहमति सूची भी तैयार की गई और सीबीआई के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखते हुए उनके साथ साझा की गई।

(ञ) सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच की गई।

(ट) संवेदनशील पोस्ट की समीक्षा और पहचान की गई ।

(ठ) निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियाँ ऑनलाइन कर दी गई हैं और/या जारी हैं:

(i) वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना

(ii) कार्मिकों की सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया

(ड) सतर्कता मंजूरी/स्थिति बताने के लिए नीति की समीक्षा की गई और जीआरएसई सतर्कता मंजूरी नीति में इसे संशोधित किया गया।

## अखंडता समझौता

खरीद गतिविधि में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहलों में से एक बड़े मूल्य के अनुबंधों में सत्यनिष्ठा संधि की शुरूआत का उद्देश्य है। रक्षा मंत्रालय और सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ ₹ 2 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/अनुबंधों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है और केवल उन विक्रेताओं/बोलीदाताओं के साथ, जो प्रतिबद्ध हैं । कंपनी के साथ आईपी करने वाले स्वयं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा।

सत्यीनिष्ठाय अनुबंध संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और मालिक (जीआरएसई) के बीच एक करार पर अनिवार्य रूप से विचार करता है, जो दोनों ओर के व्यभक्तियों/अधिकारियों को वचनबद्ध करता है- ठेके के किसी भी स्तलर/पहलू में कोई भी भ्रष्टाचिार जनित कार्य न करने के लिए। सिर्फ उसी विक्रेता /बोलीदाता को, जो इसप्रकार के अनुबंध के लिए मालिक के साथ बचनबद्ध हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी खास ठेके के सम्बुन्ध में सत्यदनिष्ठाय अनुबंध बोली आमंत्रण के स्तलर से लेकर ठेके के अंतिम रूप से पूरा होने तक लागू रहेगा । उसका किसी प्रकार से उल्लंतघन बोलीदाता को अयोग्य ठहरायेगा और भविष्यग में बिजनेश डीलिंग से उसे निकाल दिया जायेगा ।

सीवीसी की अनुशंसा के अनुसार, कंपनी ने श्री बम बहादुर सिंह और श्री पिदतला श्रीधर, आईआरएस (सेवानिवृत्त) को कंपनी में इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 26 दिसंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईईएम ने 113 संविदाओं की निगरानी की और वाणिज्यिक विभाग के साथ त्रैमासिक बैठकें और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ अर्धवार्षिक संरचित बैठकें की ।

## सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में मंडल की रिपोर्ट या वित्तीय विवरण के किसी स्वैच्छिक संशोधन का विस्तृत कारण जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया गया है ।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ग) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(घ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की वर्तमान चिंता स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करता हो ।

## आभार

आपके निदेशक, रक्षा उत्पदान विभाग और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के निरंतर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और अपने आभार को दर्ज कराते हैं। निदेशक, भारत सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और अन्य राज्यों की सरकारों के सतही परिवहन मंत्रालय के निरंतर सहयोग और बहुमूल्य समर्थन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके निदेशक, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, ऑर्डनेन्स फैक्टरी मंडल , कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस विभाग और अन्य बहुमूल्य ग्राहकों के साथ-साथ व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा आपकी कंपनी पर विश्वास रखने के लिए उनके आभारी हैं। हम अपने कर्तव्य के पालन में असफल हो जाएंगे यदि हमें युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक और उनकी समर्पित टीम का सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलता जिनकी चौकस नज़रों के अंतर्गत हमारे पोतों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, हम सभी वर्गीकरणों सोसाइटियों, विशेष रूप से, आईआरएस एवं एबीएस को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने गुणवत्ता और मानकों के पालन को सुनिश्चित किया है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षण मंडल , बेंगलुरु के पूर्व अधिकारियों, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी क़ानून मंडल और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा प्रदान प्राप्त सहयोग और बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं ।

निदेशक, अपने सांविधिक, लागत एवं आतंरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अनियंत्रित प्रयासों के कारण आपकी कंपनी कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में सबसे आगे बने रहने में सक्षम हुई है ।

**कृते निदेशक मंडल**

हस्ता/-
**कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08591411

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21 जुलाई, 2023

# परिशिष्ट - ए

**31 दिसंबर 2022 को स्थायी एवं संविदा वर्ग पर काम करने वाले अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण**

| समूह / वर्ग | कुल शक्ति | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | महिला कार्मिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **समूह - ए** | 454 | 75 | 28 | 125 | 61 | 12 | 35 |
| **समूह - बी** | 37 | 5 | 2 | 11 | 7 | - | 3 |
| **समूह - सी** | 1,188 | 290 | 47 | 181 | 55 | 34 | 31 |
| **समूह-डी (सफाईवाला को छोड़कर)** | 84 | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | 22 |
| **समूह- डी (सफाईवाला)** | **10** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **कुल** | **1,773** | **396** | **85** | **325** | **124** | **50** | **91** |

# परिशिष्ट - बी

**स्थायी वर्ग एवं संविदा वर्ग (नियत अवधि/जर्नीमेन) के अंतर्गत 2022 के दौरान की गई भर्ती का विवरण**

| समूह / वर्ग | कुल भर्ती | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | महिला कार्मिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **समूह - ए** | 17 | - | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| **समूह - बी** | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| **समूह - सी** | 52 | 9 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| **समूह-डी (सफाईवाला को छोड़कर)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **समूह- डी (सफाईवाला)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **75** | **10** | **9** | **39** | **2** | **0** | **5** |

# परिशिष्ट - सी

## फॉर्म एमआर-3

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**31, मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद "कंपनी" उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपनी मत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला ।

कंपनी के किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और दायर रिटर्न और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मत में, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है:

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

(iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात्:

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

(ख) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016;

(ग) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;

(घ) वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;

(ङ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (बाद में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2005 के रूप में संशोधित) और अंतर्गत नियम बनाया गया

(च) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;

(छ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. **कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना**

   अधिनियम की धारा 149(4), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 और 3.1.4 में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के बोर्ड में नहीं थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) द्वारा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 149 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास 1 जून, 2022 से 31 मार्च , 2023 तक अपने बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी, जिसके लिए यह आवश्यक था । प्रबंधन द्वारा समय-समय पर रक्षा मंत्रालय को पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

2. **कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की संरचना**

   अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों, सीपीएसई पर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18(1) के संदर्भ में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था। 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या। हालाँकि, कंपनी के पास 25 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ऑडिट समिति की उचित संरचना थी।

3. **कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना**

   अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानों, सीपीएसई पर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 19(1) के संदर्भ में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था। 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या। हालाँकि, कंपनी के पास 25 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की उचित संरचना थी।

4. **लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं**

   लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान किए गए कुछ अन्य निगमित शासन प्रावधानों के संबंध में,कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक फ्रेमवर्क को यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह नियामक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, सूचीकरण विनियमों अर्थात उप-विनियम (4) और (10) विनियम 17, विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं को अनुसूची II के भाग सी पैरा ए के साथ, विनियम 19( 4) अनुसूची II के भाग डी पैरा ए और विनियम 25(4) आदि के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है ।

**हम रिपोर्ट करते हैं कि :**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में पूर्वोक्त को छोड़कर सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे,एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे,और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन,कंपनी ने सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर अधिनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य विशिष्ट क़ानूनों का पालन किया है।

**हम आगे रिपोर्ट करते है कि** लागू कानूनों,नियमों,विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है ।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष **2021-22** के लिए अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष **2022-23** के लिए अंतरिम लाभांश प्रदान किया था।

**कृते मेहता एण्ड मेहता,**
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता /-
**रवीना दुगर अग्रवाल**
साझेदार
एफसीएस नं.: 51836
सीपी नं.: 26055
यूडीआईएन: A051836E000661841

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 जुलाई 2023

**नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।**

# अनुलग्नक क

सेवा में,
सदस्यगण,
**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**
जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700024

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटिकटता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी मत को एक उचित आधार प्रदान करते है ;

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है ।

5) निगमित और अन्य लागू कानूनों,नियमों,विनियमों,मानकों के प्रावधानों का अनुपानल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी ।

6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त नियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

**कृते मेहता एण्ड मेहता,**
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

हस्ता /-
**रवीना दुगर अग्रवाल**
साझेदार
एफसीएस नं.: 51836
सीपी नं.: 26055
यूडीआईएन: A051836E000661841

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 जुलाई 2023

# परिशिष्ट - "डी"

## फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अनुवर्ती)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

### 1. आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

| | |
|---|---|
| संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति | लागू नहीं |
| अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति | लागू नहीं |
| अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि | लागू नहीं |
| संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य | लागू नहीं |
| बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि | लागू नहीं |
| अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था | लागू नहीं |

### 2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर था

| | |
|---|---|
| संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति | लागू नहीं |
| अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति | लागू नहीं |
| अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि | लागू नहीं |
| संविदा की मुख्य शर्तें या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि | लागू नहीं |
| अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो | कोई नहीं |

कृते निदेशक मंडल

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

# परिशिष्ट-'ई '

## वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

### I. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

जीआरएसई मुख्य रूप से अपनी उत्पादन यूनिटों के आसपास के समुदाय और समाज के समावेशी विकास के लिए विभिन्न विकास पहल और परियोजनाएं शुरू करके वैधानिक आवश्यकता से परे जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, जीआरएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियां समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

हमारे सीएसआर प्रयास स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाना, स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास आदि पर केंद्रित हैं।

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 और समय-समय पर उसके तहत नियमों के अनुपालन में सीएसआर गतिविधियों को लागू करने की रूपरेखा को परिभाषित करती है। सभी सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ-साथ विभिन्न सरकारी प्रावधानों एवं दिशानिर्देश के अनुसार की जाती हैं। ऐसी गतिविधियों का विवरण जीआरएसई वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थिरता पर बोर्ड स्तरीय समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए वार्षिक सीएसआर योजना की सिफारिश करती है, और बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को लागू किया जाता है। कार्यान्वयन के दौरान समय-समय पर परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाती है, ताकि प्रगति सुनिश्चित की जा सके और यदि कोई हो तो मध्य-पाठ्यक्रम सुधार भी किया जा सके।

### II. वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीआरएसई द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं

**(ए) वार्षिक थीम पर आधारित परियोजनाएं - स्वास्थ्य और पोषण**

**(i) स्वास्थ्य शिविर**

**(क) मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर**

वित्त वर्ष 2011-12 से कंपनी द्वारा अपनी उत्पादन यूनिटों के आसपास वंचित आबादी के लिए बुनियादी निदान और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हालाँकि, इस परियोजना की पहुंच बढ़ाने के लिए जुलाई 2022 से हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए नाओरा ( सुंदरवन ) में भी ऐसे स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कुलटोली में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जो सुंदरवन के बहुत आंतरिक भाग में स्थित एक द्वीप है । प्रत्येक शिविर में लगभग 250 रोगियों की देखभाल की जाती है और इन रोगियों को दवाएँ भी प्रदान की गईं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस परियोजना से लगभग 6000 मरीज़ लाभान्वित हुए

**(ख) रक्तदान शिविर**

17 फरवरी 2023 को थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। लगभग 100 कर्मचारी, ट्रेड अपरेंटिस, सीआईएसएफ कर्मी और ठेकेदारों के कर्मचारी पूरे मन से रक्तदान शिविर में शामिल हुए।

**(ग) टीबी निक्षय मित्रा**

जीआरएसई ने 60 एमडीआर टीबी रोगियों को उनके स्वास्थ्य में सुधार, वजन बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने आदि के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

**(घ) आदिवासी गांवों के वंचित बच्चों का समग्र विकास**

जीआरएसई ने झारखंड के खूंटी ( आकांक्षी जिले) में रांची और माल्यादा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में घोलापारा , अजगरा और नोरा जैसे आंतरिक ग्रामीण और आदिवासी गांवों के 530 वंचित बच्चे के समग्र विकास के लिए रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के साथ भागीदारी की है । । इस परियोजना से बच्चों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के विकास में मदद मिली है। इस परियोजना पर 65.56 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

**(iii) अस्पतालों/डिस्पेंसरी आदि का बुनियादी ढांचा विकास करना और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना ।**

**(क) लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया (टीएलएमटीआई)**

यह परियोजना कुष्ठ रोगियों के सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी क्योंकि वे आम जनता के लिए बनाए गए अस्पताल में इलाज का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। टीएलएमटीआई भारत में सबसे बड़ा कुष्ठ-केंद्रित गैर-सरकारी संगठन है जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ काम करता है। कंपनी ने कुष्ठ रोग और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) से पीड़ित लोगों के बेहतर इलाज के लिए ₹36.88 लाख के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए। यह उपकरण टीएलएमटीआई की एक यूनिट, कोलकाता के प्रेमानंद मेमोरियल अस्पताल को दिया गया , जिससे मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले लगभग 3000 कुष्ठ रोगियों को इस पहल से लाभ हुआ।

**(ख) रामकृष्ण सारदा मिशन, सिर्ती (आरकेएसएम)**

रामकृष्ण सारदा मिशन, अपनी नियमित गतिविधियों के अलावा, सिर्ती , कोलकाता में 'सेवांगन' नाम से एक धर्मार्थ औषधालय भी चलाता है, जो पड़ोसी झुग्गियों में रहने वाली वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए उपचार और नैदानिक जांच प्रदान करता है। जीआरएसई ने 'सेवांगन' नामक अपनी धर्मार्थ औषधालय के लिए ₹26 लाख मूल्य के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं । इस पहल से लगभग 1800 महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ।

**(ग) डॉ. बीसी रॉय जनरल हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी होम (बीसीआरएचएम)**

डॉ. बीसी रॉय जनरल हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी होम, न्यू बैरकपुर विभिन्न विभागों के माध्यम से आउटडोर उपचार की सुविधा प्रदान करता है। अस्पताल मुख्य रूप से समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्ग से आने वाले मरीजों, विशेषकर महिलाओं को अत्यधिक सब्सिडी वाला उपचार प्रदान करता है। जीआरएसई ने इस अस्पताल को ₹58.59 लाख की कीमत का 01 एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और 01 हाई-परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) सिस्टम प्रदान किया है। इस पहल से लगभग 5000 वंचित मरीज लाभान्वित हुए।

**(v) चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल विकास प्रशिक्षण**

जीआरएसई ने रामकृष्ण मठ के साथ भागीदारी की और कोलकाता के चितपुर में मा शारदा स्वनिरवर केंद्र में 60 बेरोजगार युवाओं को फ्लेबोटोमी और जनरल ड्यूटी नर्सिंग सहायक के क्षेत्र में चिकित्सा तकनीशियन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की। इन प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम के सफल समापन पर एनएसडीसी से प्रमाण पत्र मिला और उनमें से अधिकांश को पाठ्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद नौकरी मिल गई।

**(vi) 20 स्थानीय सरकारी स्कूलों में शौचालयों का रखरखाव**

मुख्य रूप से सरकार की ओर से राष्ट्रीय मिशन 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' और स्कूलों के बच्चों की जरूरतों का संज्ञान लेते हुए। जीआरएसई ने स्कूलों में, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेस ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से स्कूल शौचालयों के रखरखाव के लिए तंत्र अपनाया है । स्कूलों, लड़कियों के स्कूलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 20 स्थानीय सरकारी कार्यालयों में कुल 235 शौचालय, 148 यूरिनल्स, 100 वॉश बेसिन, 07 पेयजल नल, 02 स्नानघर, भस्मक, मैदान आदि का रखरखाव किया गया। इस परियोजना के तहत लगभग 35,000 छात्र लाभान्वित हुए।

**(vii) दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना**

जीआरएसई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के साथ एक दशक से अधिक का पुराना जुड़ाव है। जीआरएसई ने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केंद्र के अंतर्गत शिक्षा विकास इकाई IV, शिक्षा विकास इकाई V और जीवन कौशल प्रशिक्षण इकाई के तीन कक्षाओं का समर्थन करके व्यापक शैक्षिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआईसीपी के साथ साझेदारी की है। इन 03 कक्षाओं में लगभग 80% दिव्यांगता वाले गंभीर एकाधिक दिव्यांगता वाले लगभग 50 बच्चों को शामिल किया गया है। उन्हें न्यूनतम स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और जीवन-उन्मुख भाषा और संख्यात्मक कौशल में प्रशिक्षित किया गया था। जीवन कौशल प्रशिक्षण इकाई के बच्चों की उम्र 14-18 वर्ष के बीच है, जिन्हें प्री-वोकेशन कौशल में प्रशिक्षित किया गया था।

**(बी) अन्य परियोजनाएं**

**(i) कौशल भारत मिशन**

कौशल विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह देश में बेरोजगारी की चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान करता है। सीएसआर के तहत कौशल विकास पहल का मुख्य फोकस मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलना है ।

**(क) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि की है । इस पहल के माध्यम से लगभग 250 ट्रेड अपरेंटिस, ग्रेजुएट अपरेंटिस और तकनीशियन अपरेंटिस को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को कंपनी की विभिन्न शॉपों/ विभागों में सुरक्षित कार्य पद्धतियों, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के साथ-साथ कंपनी की प्रशिक्षण सुविधा में बुनियादी प्रशिक्षण पर प्रशिक्षित किया गया।

**(ख) आईटीआई को उपकरण उपलब्ध कराना**

जीआरएसई ने स्थानीय सरकारी आईटीआई को उनके कौशल विकास प्रशिक्षण में सुधार करने में सहायता की, जिसमें 04 सरकारी आईटीआई अर्थात. महिला आईटीआई कोलकाता, आईटीआई टॉलीगंज, कोलकाता और आईटीआई बालुरघाट, पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित हैं संस्थानों को उपकरण प्रदान किए गए ।

**(ग) आईटीआई को कौशल विकास प्रशिक्षण**

जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीआरएसई की सीएसआर पहल के एक भाग के रूप में सरकारी आईटीआई गरियाहाट, सरकारी महिला आईटीआई और सरकारी आईटीआई टॉलीगंज के छात्रों के लिए निम्नलिखित कौशल विकास गतिविधियों का समर्थन किया-

- सीआईआई द्वारा आयोजित 34वीं पूर्वी क्षेत्रीय वर्कस्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समर्थित आईटीआई के 06 प्रतिभाशाली छात्रों को प्रायोजित किया गया था।
- महिला आईटीआई के छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, सीओपीए, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में अतिथि व्याख्यान और उन्नत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- समर्थित आईटीआई के 147 छात्रों को औद्योगिक अनुभव प्रदान करने के लिए उनके औद्योगिक दौरे की व्यवस्था की गई।

**(ii) 04 स्थानीय सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना**

जीआरएसई ने 04 स्थानीय सरकारी स्कूलों स्कूल अर्थात रवीन्द्र बालिका विद्यापीठ (एचएस) - 8 किलोवाट , एकरा शक्तिगढ़ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए रवीन्द्र विद्यापीठ (एचएस) - 10 किलोवाट , कनखुली हाई स्कूल (एचएस) - 10 किलोवाट और कनखुली गर्ल्स हाई स्कूल (एचएस) - 8 किलोवाट में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। । इस पहल से स्कूलों को पारंपरिक बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और बिजली आपूर्ति पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

**(iii) स्थानीय स्कूलों के आधारभूत संरचना का विकास**

मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आरबी इंस्टीट्यूट ऐसे विशेष बच्चों के लिए हावड़ा जिले में सहायता प्राप्त एकमात्र सरकारी स्कूल है। । इस विद्यालय में 40% से 90% दिव्यांगता वाले लगभग 45 विशेष बच्चे नामांकित हैं। स्कूल के बच्चे मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग से हैं जो निजी स्कूलों का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। जीआरएसई ने जीर्ण-शीर्ण स्कूल असेंबली हॉल का नवीनीकरण किया ताकि इस सुविधा का उपयोग विशेष बच्चों के लिए किया जा सके।

**(iv) स्वच्छता पखवाड़ा**

स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में , जीआरएसई ने 01 दिसंबर से 15 दिसंबर 22 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया । जीआरएसई की यूनिटों के अंदर और बाहर कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं जैसे 'एकल उपयोग प्लास्टिक' को चुनना, स्वच्छता पेंटिंग प्रतियोगिता, दैनिक स्वच्छता के महत्व पर पौधा वितरण संगोष्ठी, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, अंतर-विद्यालय पेंटिंग प्रतियोगिता, आदि।

**3) सीएसआर पुरस्कार**

जीआरएसई को 'सीएसआर और स्थिरता' श्रेणी में प्रतिष्ठित 12 वां आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ ।

# सीएसआर गैलरी

रक्तदान शिविर

आईआईसीपी के साथ सीएसआर पहल

जीआरएसई स्लम विकास

स्वास्थ्य परीक्षण

शौचालय का रखरखाव

प्रेमानन्द मेमोरियल अस्पताल को चिकित्सा उपकरण

# सीएसआर गैलरी

रामकृष्ण शारदा मिशन को चिकित्सा उपकरण

दवा वितरण

रामकृष्ण मठ के साथ समझौता ज्ञापन

टीबी रोगी को पोषण संबंधी सहायता

फ्लेबोटोमी तकनीशियन और सामान्य दिवस प्रशिक्षण बैच

जीएपी यूनिट के बच्चों को पौधा वितरण

## III. सीएसआर समिति का गठन

| क्रं. सं. | निदेशक का नाम | पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया |
|---|---|---|---|---|
| (क) | श्री संजय दत्तात्रेय पानसे [1]<br>अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष | 2 | - |
| (ख) | श्रीमती दर्शना सिंह [2]<br>अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष | 2 | - |
| (ग) | श्री संजीब मोहंती [3]<br>अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष | 2 | 2 |
| (घ) | कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) [4]<br>निदेशक (कार्मिक) | सदस्य | 2 | - |
| (ङ) | श्री आर के दाश<br>निदेशक (वित्त) | सदस्य | 2 | 2 |
| (च) | कमांडर शांतनु बोस, भानौ (सेवानिवृत्त) [5]<br>निदेशक (पोत निर्माण) | सदस्य | 2 | 2 |

[1]25 अप्रैल 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सेवासमाप्त और उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
[2]25 अप्रैल 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और परिणामस्वरूप 01 जून 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनना बंद हो गया। इसके अलावा, उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।
[3]06 जून 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में भर्ती हुए और उनके कार्यकाल के दौरान दो बैठकें आयोजित की गईं।
[4]20 जून 2022 से समिति का सदस्य बनना बंद हो गया और उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
[5]20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान दो बैठकें आयोजित की गईं।

IV. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती है- https://grse.in/board-of-directors-and-committees/Board_of_Directors_and_its_Committees.pdf; https://grse.in/csr-policy/; https://grse.in/csr-projects-for-fy-2022-23/

V. कंपनी के नियम 8 के उप नियम (3) (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं, का प्रभाव मूल्यांकन के विवरण यदि लागू हो (संलग्न रिपोर्ट) - **कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लागू नहीं है ।**

VI. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

| क्रं. सं. | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में) | वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| | | शून्य | |

VII. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ।

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत -

**₹460 लाख**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों व गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष ।

**लागू नहीं**

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

**लागू नहीं**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)

**₹460 लाख**

VIII. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि | अव्ययित राशि (रुपये में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि | | धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि | | |
| | राशि | हस्तांतरण की तिथि | फंड का नाम | राशि | हस्तांतरण की तिथि |
| ₹460 लाख | | | शून्य | | |

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के विरूद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद । | स्थानीय क्षेत्र (हां /नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में) | चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) | धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/ नहीं) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका | |
| | | | | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| शून्य | | | | | | | | | | | | |

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद । | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका | |
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 1. | रांची, खूंटी जिले एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) आदिवासी क्षेत्रों के 530 अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों का समग्र विकास | खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना<br>खंड- (ii) बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना | नहीं | झारखंड<br>पश्चिम बंगाल | रांची, खूंटी जिले (दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट)<br>दक्षिण 24 परगना | 65.66 | नहीं | रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ | सीएसआर 00006101 |
| 2. | केंद्रों /औषधालयों/ पॉलीक्लिनिकों/ मध्यस्थ संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास या सरकार के अनुसार कोविड शमन पहल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल उपायों को लागू करना। समय-समय पर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं | खंड -(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | उत्तर 24 परगना | 58.59 | नहीं | डॉ बी सी रॉय जनरल हॉस्पिटल एण्ड मेटरनिटी होम, न्यू बैरकपूर | सीएसआर 00043889 |
| | | | | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 36.88 | नहीं | प्रेमनंदा मेमोरियल हॉस्पिटल, कोलकाता | सीएसआर 00043889 |
| | | | | पश्चिम बंगाल | दक्षिण 24 परगना | 26.00 | नहीं | रामकृष्ण सारदा मिशन, सिर्ती | सीएसआर 00001796 |
| 3. | स्वास्थ्य जांच शिविर व रक्तदान शिविर | खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता एवं दक्षिण 24 परगना | 23.78 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 4 | चिकित्सा टेकनीशियन को कौशल प्रशिक्षण | खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 19.85 | नहीं | रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ | सीएसआर 00002806 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद । | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका | |
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 5. | 20 स्कूलों के शौचालय का रखरखाव | खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता, हावड़ा एवं दक्षिण 24 परगना | 48.85 | हाँ | सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन, पश्चिम बंगाल शाखा एवं जीआरएसई | सीएसआर 00000185 |
| 6. | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के तीन कक्षाओं का एडोप्शन | खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना<br>खंड- (ii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें | 33.00 | नहीं | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) | सीएसआर 00001730 |
| 7. | आईटीआई के प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के का विकास | खंड - (ii) दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा सहित रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता एवं दक्षिण दिनाजपुर | 3.00 | नहीं | आईटीआई बालुरघाट, बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर जिला, पश्चिम बंगाल-733103 | सीएसआर 00025297 |
| | | | | | | 10.84 | नहीं | महिला आईटीआई, कोलकाता, बलीगंज, कोलकाता - 7000019 | सीएसआर 00023668 |
| | | | | | | 10.775 | नहीं | आईटीआई गरियाहाट, गरियाहाट रोड कोलकाता - 7000019 | सीएसआर 00024173 |
| | | | | | | 10.87 | नहीं | आईटीआई टॉलीगंज 24, चंडी घोष रोड, कोलकाता - 700040 | सीएसआर 00024382 |
| 8. | मानव संसाधन शक्ति के 10% के रक्षा मंत्रालय के निर्देश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यरत प्रशिक्षुओं को वैधानिक आवश्यकता के 2.5% से अधिक वजीफा का भुगतान किया जाता है । | खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता (पैन इंडिया से लाभ्यार्थी प्रशिक्षिओं) | 63.40 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं. सं. | परियोजना का नाम | अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद । | स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं) | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - कार्यान्वयन का तरीका | |
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 9. | 04 सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल का संस्थापना | खंड - (iv) पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 27.40 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 10. | स्कूलों के आधारभूत संरचना का विकास | खंड (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना । | हाँ | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | 14.35 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 11. | स्वच्छ गंगा फंड में योगदान | खंड - (iv) गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा फंड में योगदान; | नहीं | पैन इंडिया | पैन इंडिया | 2.00 | भारत सरकार | भारत सरकार | - |
| 12 | स्वच्छता पखवाड़ा | खंड (ii) स्वच्छता को बढ़ावा देना । | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1.78 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 13 | आजादी का अमृत महौत्सव (एकेएएम) | खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 0.43 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 14 | अपरेंटिस को आईसीसी प्रशिक्षण | खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 0.75 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| 15 | आईटीआई छात्रों का कौशल विकास | खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1.765 | हाँ | जीआरएसई लिमिटेड | - |
| | **TOTAL** | | | | | **460 .00** | | | |

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि - शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - लागू नहीं

(च) कुल राशि वित्तीय के लिए खर्च वर्ष (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ) - 460 लाख रू

(छ) सेट ऑफ हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

| क्रं. सं. | विवरण | राशि (₹ लाख रू) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | **459.54** |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि | **460** |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | **0.46** |
| (iv) | सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष , यदि कोई हो | **लागू नहीं** |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | **0.46** |

IX. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

| क्रं. सं. | गत वित्तीय वर्ष | राशि हस्तांतरित करने के लिए अव्ययित धारा 135 (6) के तहत सीएसआर खाता (में ₹) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो । | | | आगामी वित्तीय वर्षों मां व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | फंड का नाम | राशि (रू में) | हस्तांतरण की तिथि | |
| 1. | | | | शून्य | | | |

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| (1) क्रं. सं. | (2) परियोजना आईडी | (3) परियोजना का नाम | (4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई | (5) परियोजना अवधि | (6) परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (रू में) | (7) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रू में) | (8) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में परियोजना पर व्यय की गई समेकित राशि (रू में) | (9) पूरा हुआ /चल रही है परियोजना की स्थिति - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | |

X. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें ।

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि -

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें ।

| क्रं. सं. | पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि | पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि | इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि । | निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण | पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 फरवरी 2023 | 26 | रामकृष्ण सारदा मिशन, सिर्ती सरत पल्ली, पश्चिम पुटियारी, कोलकाता- 700 082 | यूएसजी मशीन, यूएसटी+ इलेक्ट्रो थेरेपी मशीन (2 इन 1),अल्ट्रा साउंड थेरेपी आई-केयर टोनोमीटर, आरवीजी सेंसर 1,प्रिंटर, पीसी आधारित 12 चैनल ईसीजी सिस्टम और पीसी | सेवांगना , रामकृष्ण सारदा मिशन, सिरिटी , शरत पल्ली, पश्चिम पुटियारी , कोलकाता - 700 082 |
| 2. | 09 नवंबर 2022 | 36.88 | लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, सीएनआई भवन, 16, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली -110001, | 01 स्लिट लैंप डिजिटल इमेजिंग सिस्टम, 01 बी-स्कैन प्रिंटर के साथ, 01 मोतियाबिंद सर्जरी के लिए फेको इमल्सीफिकेशन मशीन, 01 हम्फ्रे फील्ड ऑटोएनालाइजर , 01 टोनोमीटर , 02 ईसीजी मशीन, 01 ओटी लाइट, 04 आईसीयू बेड, 03 रोगी मॉनिटर, 01 इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, 01 स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टूर्निकेट सिंगल कफ ऑपरेशन | प्रेमानंद मेमोरियल अस्पताल, 259ए, एपीसी रोड, मानिकतला , कोलकाता - 700 006 |
| 3. | 13 फरवरी 2023 | 58.59 | डॉ. बीसी रॉय जनरल हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी होम, न्यू बैरकपुर, डॉ. बीसी रॉय सारणी (मेन रोड वेस्ट), न्यू बैरकपुर, जिला। - 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल - 700 131से), जिला दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) | 01 नं. एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन<br>01 नंबर उच्च-प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) प्रणाली | डॉ. बीसी रॉय जनरल हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी होम, न्यू बैरकपुर, डॉ. बीसी रॉय सारणी (मेन रोड वेस्ट), न्यू बैरकपुर, जिला। - 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल - 700 131 |

| क्रं. सं. | पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण या निर्माण की तिथि | पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि | इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि । | निर्माण या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण | पूंजीगत संपत्ति की सम्पूर्ण पता तथा स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 01 फरवरी 2023 | 03.00 | आईआईटीआई बालुरघाट, अटोइर, बिदायपुर (बेलताला आर्क के माध्यम से), बालुरघाट, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल -733103 | डिजिटल आईसी परीक्षक, फाइबर ऑप्टिक कॉम ट्रेनर, सात खंड डीपीएम ट्रेनर, एलईडी प्रकाश प्रणाली, एलईडी टीवी (ट्रेनर किट), सौर प्रशिक्षण किट / सिम्युलेटर, एलसीडी आधारित डीपीएम, एलसीडी टीवी (ट्रेनर किट) और एक बाड़े / शेड का निर्माण जैसे उपकरण (ग्रिल से घिरा प्लेटफार्म) ग्रीन जेनरेटर लगाने के लिए | आईआईटीआई बालुरघाट, अटोइर, बिदायपुर (बेलताला आर्क के माध्यम से), बालुरघाट, जिला। दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल -733103 |
| 5. | 01 फरवरी 2023 | 10.84 | महिला आईटीआई कोलकाता, 10 और 10/1, गरियाहाट रोड, बालीगंज, कोलकाता - 700019 | 10 पीसी, एसी और फर्नीचर | महिला आईटीआई कोलकाता, 10 और 10/1, गरियाहाट रोड, बालीगंज, कोलकाता - 700019 |
| 6. | 01 फरवरी 2023 | 10.77 | आईटीआई गरियाहाट, 10 और 10/1 गरियाहाट रोड, कोलकाता - 700019 | न्यूमेटिक वर्क स्टेशन (01 नंबर) और हाइड्रोलिक वर्क स्टेशन (01 नंबर) जिसमें ट्रेनर किट और अन्य उपकरण और सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर (20 उपयोगकर्ता) शामिल हैं। | आईटीआई गरियाहाट, 10 और 10/1 गरियाहाट रोड, कोलकाता - 700019 |
| 7. | 01 फरवरी 2023 | 10.87 | आईटीआई टॉलीगंज, 24, चंडी घोष रोड, कोलकाता - 700040 | 1जी से 5जी वेल्डिंग के लिए मोटराइज्ड वेल्डिंग पोजिशनर (टेबल टॉप टाइप) (05 नंबर) और फ्यूम एक्सट्रैक्टर सिस्टम के साथ मास्टर वेल्डिंग मूवेबल टेबल टाइप बूथ (01 नंबर) । | आईटीआई टॉलीगंज, 24, चंडी घोष रोड, कोलकाता - 700040 |

XI. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसका कारण का उल्लेख करे - **लागू नहीं**

हस्ता/-
**श्री संजीब मोहंती**
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन: 09559883

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पी आर, भानौ. (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.: 08591411

# प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

## 1. उद्योग परिदृश्य

### 1.1 वैश्विक परिदृश्य

**पोतनिर्माण :**

रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव और सीओवीआईडी -19 महामारी का प्रभाव, वर्ष 2022 के प्रमुख विकास थे। हरित ऊर्जा के लिए अपरिहार्य संक्रमण और उभरते हुए संभावित विघटनकारी परिवर्तन डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने खुद को उद्योग के लिए अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है। शिपयार्ड रक्षा और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए हरित और अत्याधुनिक डिजिटल पोतों को विकसित करने के लिए इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। एक परामर्श समूह के हालिया अध्ययन के अनुसार, वैश्विक पोत निर्माण बाजार का मूल्य 200 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें नौसेना पोत, वाणिज्यिक पोत और मनोरंजक पोत शामिल हैं। सैन्य पोत बाजार 2027 तक $907 अरब मूल्य का संचयी उद्योग बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी मांग मुख्य रूप से एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप और उप-सहारा अफ्रीकी देशों द्वारा संचालित होगी। वैश्विक नौसैनिक पोत निर्माण बाजार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और विकास जैसे कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव से प्रेरित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही नौसेना आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर जोर बढ़ गया है और क्षेत्र के देशों के साथ-साथ पनडुब्बी सूची प्रसार का पुनरुत्थान हुआ है। नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका. प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नौसैनिक बेड़े में पुराने पोतों को बदलने की आवश्यकता और युद्ध प्रौद्योगिकी में परिष्कार के स्तर में वृद्धि को देखते हुए बाजार में वृद्धि की उम्मीद है। वैश्विक नौसैनिक पोत निर्माण बाजार इस दशक की पहली छमाही के दौरान चरम पर होगा, जो सतही लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों दोनों की मांग से प्रेरित होगा। विश्व स्तर पर, युद्धपोतों की औसत आयु पच्चीस (25) वर्ष तक है और लगभग 180 खरीद कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न देश .

**पोत मरम्मत**

रक्षा और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए पोत मरम्मत बाजार, जो अगले 6 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ₹ 15,000 से ₹ 16,000 करोड़ का अवसर प्रस्तुत करता है । कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता के कारण वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में चीन, सिंगापुर और मध्य पूर्व के शिपयार्डों का वर्चस्व है। हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, लेकिन देश की स्थिति अनुकूल है और वैश्विक व्यापार का 7% से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर गुजरता है।

पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मजबूत कार्यबल होने का लाभ भारत को है। हालाँकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है।

### 1.2 भारतीय परिदृश्य

**पोतनिर्माण:**

भारतीय रक्षा पोत निर्माण अगले 12-15 वर्षों में ₹ 1.5 - ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक का बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पोत निर्माण भी ₹ 12000 - ₹ 15000 करोड़ प्रति वर्ष का अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें तटीय शिपिंग, ड्रेजर, फेरी और क्रूज़ और गैस वाहक सबसे बड़े खंड के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (एमआईवी 2030') कार्गो और यात्रियों की आवाजाही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों और तटीय मार्गों के उपयोग में बड़ी वृद्धि का लक्ष्य रखता है। 2030 तक परिचालन जलमार्गों की संख्या 16 से बढ़ाकर 23 करने के लक्ष्य के साथ, इन जलमार्गों पर वार्षिक कार्गो आवाजाही 73 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। नौका संचालन द्वारा वार्षिक यात्री आवाजाही भी 2030 तक 14 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ होने का अनुमान है। ये अवसर, ग्रीन शिपिंग में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जोर के साथ-साथ देश में पोत निर्माताओं के लिए एक नया अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। भारत में रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के शिपयार्डों के फोकस का क्षेत्र बना हुआ है। जबकि आपकी कंपनी सहित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में अग्रणी हैं, निजी शिपयार्ड भी भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप क्षमता बढ़ाने और अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढांचे को संशोधित करने के लिए विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एल एण्ड टी शिपबिल्डिंग और शॉफ्ट शिपयार्ड, जिन्होंने वाणिज्यिक पोत निर्माता के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश किया था, खुद को सक्षम युद्धपोत निर्माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारतीय पोत निर्माण उद्योग की ऑर्डर बुक को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इन बलों की प्रत्येक 200 पोतों का बेड़ा रखने की योजना है। अगले 14-15 वर्षों तक चलने वाले उनके संयुक्त पोत निर्माण कार्यक्रम से संकेत मिलता है कि वे आने वाले वर्षों में 150 से अधिक युद्धपोतों के लिए ऑर्डर देंगे।

भारत सरकार द्वारा पोत निर्माण उद्योग (गैर- रक्षा पोतों के लिए) को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई पोत निर्माण नीति का उद्देश्य भारतीय पोत निर्माणकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना है। हमारी सरकार ने नदियों के परिवहन नेटवर्क को और विकसित करने की आवश्यकता को पहचाना है और नई 'राष्ट्रीय रसद नीति' के तहत विभिन्न पहलों से अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा मिलने और भारत में निर्मित पोतों की मांग पैदा होने की उम्मीद है।

**पोतमरम्मत**

आने वाले दशक में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत, मरम्मत और उन्नयन के क्षेत्र में भी पर्याप्त बाजार अवसरों की उम्मीद है। इसका लाभ उठाने के लिए, जीआरएसई का इरादा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक पोतों की मरम्मत और रीफिटिंग पर ध्यान बढ़ाने का है।

भारतीय वाणिज्यिक पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है। लागत में कमी के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और पोत की मरम्मत निष्पादन चक्र के समय में वृद्धि करने वाले प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं के लिए अवसर की एक खिड़की प्रदान करता है।

'एमआईवी 2030' के तहत, सरकार आत्मनिर्भर नीति का लाभ उठाते हुए घरेलू मांग को व्यवस्थित करने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार डिपो, समुद्री निर्माण करके दक्षता में सुधार करने जैसी पहलों पर जोर दे रही है। क्लस्टर आदि

## 2. उत्पाद और सेवाएं

रक्षा उपक्रम, होने के कारण जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करती है । विगत 63 वर्षों में जीआरएसई ने लगभग 790 प्लेटफार्मों का निर्माण किया है जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, मॉरीशस सरकार और सेशेल्स, सरकार के 108 युद्धपोत शामिल हैं जो देश में किसी भी शिपयार्ड द्वारा निर्मित और वितरित किए गए युद्धपोतों की सबसे अधिक संख्या है । 05 टन की बोट्स के निर्माण से लेकर 24600 टन के फ्लीट टैंकर तक, जीआरएसई ने राष्ट्र के अग्रणी युद्धपोत निर्माता के रूप में अपनी क्षमता साबित की है । वर्ष दर वर्ष, जीआरएसई ने इन-हाउस पोत डिजाइन और पोत निर्माण के लिए अच्छी तरह से सिद्ध क्षमताएं स्थापित की हैं और फ्रिगेट्स, एंटी-सबमरीन वारफेयर ,कार्वेट, मिसाइल कार्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (लार्ज), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इनशोर पेट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट इत्यादि जैसे कई जटिल युद्धपोतों को सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण करके स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । कार्वेट, मिसाइल कार्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पैट्रोल वेसल, फास्ट पैट्रोल वेसल्स, इनशोर पैट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स आदि। शिपयार्ड ने भी एक मिशन शुरू किया है शून्य उत्सर्जन पोतों को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए और ऐसा एक पोत वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसकी डिलीवरी 2023-24 की तीसरी तिमाही तक निर्धारित है। मानव रहित सतही पोत, स्वायत्त पानी के नीचे वाहन और पोत आधारित ड्रोन शिपयार्ड के कुछ अन्य फोकस क्षेत्र हैं।

रक्षा दोनों क्षेत्रों में पोत मरम्मत व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पोत मरम्मत प्रभाग बनाया है । बड़े पैमाने पर पोत की मरम्मत और रिफिट के लिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि की दिशा में, जीआरएसई ने खिद्दरपुर ड्राई डॉक (केपीडीडी ) के तीन मौजूदा ड्राई डॉक के विकास और उपयोग के लिए 07 अक्टूबर 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।) खिद्दरपुर, कोलकाता में स्थित एसएमपीके का परिसर ।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने इंजीनियरिंग व्यवसाय में विविधता लाई है। इंजीनियरिंग उत्पाद प्रोफाइल में विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों के प्री-फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज, विभिन्न डेक मशीनरी आइटम जैसे एंकर कैपस्टैन, बोट डेविट, पंप आदि शामिल हैं । कंपनी का इंजन डिवीजन एमटीयू डीजल इंजनों की असेंबली / परीक्षण / ओवरहालिंग में शामिल है ।

## 3. एसडबल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्यूरो ओटी विश्लेगषण किया है और निम्नकलिखित की पहचान की है:--

**ताकत:**

(क) पोत निर्माण के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा जो एक साथ 20 छोटे और बड़े पोतों के निर्माण और फिटिंग को सक्षम बनाता है ।

(ख) 24,600 टन फ्लीट टैंकर के बेड़े से लेकर 5 टन बोट्स तक के व्यापक स्पेक्ट्रम का निर्माण करने की सिद्ध क्षमता ।

(ग) 33 एकड़ और 550 मीटर वाटर फ्रंट के साथ पाँच छोटे पोतों के समवर्ती निर्माण/ फिटिंग के क्षेत्र के लिए समर्पित स्टैंड-अलोन सुविधा (राजा बगान डॉकयार्ड) ।

(घ) चार बड़े पोतों के पोस्ट-लॉन्च आउटफिटिंग को समवर्ती रूप से शुरू करने हेतु जेट्टी के लिए समर्पित फिटिंग ।

(ङ) डिजाइन सॉफ्टवेयर और 100 टी डिजाइन इंजीनियरों की एक टीम सहित निर्बाध आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के मामले में पोत डिजाइन के लिए सिद्ध आंतरिक क्षमता।

(च) विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के लिए समर्पित वर्चुअल रियलिटी (वीआर) लैब ।

(छ) नवीनतम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से स्थापित परियोजना प्रबंधन प्रणाली।

(ज) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018, आईएसओ 14001:2015 एवं आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन ।

(झ) व्यापार संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मजबूत ईआरपी प्रणाली ।

(ञ) सभी स्तरों पर सक्षम और अत्यधिक कुशल मानव संसाधन।

(ट) इन हाउस कौशल विकाश प्रशिक्षण केंद्र ।

(ठ) एआई आधारित खरीद त्वरक का लाभ उठाते हुए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली।

(ड) एक अच्छी ऑर्डर बुक दृश्यता वाली वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी ।

(ढ) एक लाभ कमाने वाली, लाभांश भुगतान और शून्य ऋण कंपनी ।

(ण) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध ।

(त) वॉटरजेट के स्थानीयकरण और सह-उत्पादन के लिए वैश्विक ओईएम के साथ समझौता ज्ञापन ।

(थ) समर्पित अनुसंधान एवं विकास टीम ग्रीन टेक, ऑटोनॉमस वेसल्स और एआई सहित नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रही है।

**कमजोरियां:**

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

(ग) भारत के पूर्वी हिस्से में कमजोर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

**अवसर**

(क) बेड़े के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भारतीय नौ सेना और तटरक्षक की खरीद योजना ।

(ख) एमएचए और आईडब्ल्यूएआई की खरीद योजना ।

(ग) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के लिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती पोतों के लिए निर्यात क्षमता ।

(घ) निर्यात की क्रेडिट (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर सरकार की नीति ।

(ङ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों की मरम्मत और रीफिट ।

(च) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि ।

(छ) भारत और विदेश में उपयुक्त पोत निर्माण या मरम्मत यार्ड का अधिग्रहण।

(ज) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यावसायिक वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप ।

(झ) ड्रोन, मानव रहित सतही पोत (यूएसवी) और स्वायत्त पानी के नीचे के पोत (एयूवी) जैसे नए प्रौद्योगिकी उत्पाद

(ञ) हरित ऊर्जा प्लेटफार्म

**आशंकाएं**

(क) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से गंभीर प्रतिस्प र्धा ।

(ख) भौगोलिक स्थिति और वातावरण ।

(ग) इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्माल प्लेयरों से प्रतिस्पर्धा ।

(घ) प्रमुख पोत निर्माण गतिविधियों के लिए अपर्याप्त स्थानीय विक्रेता ।

(ङ) ग्राहक नामित फर्मों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के कारण परियोजनाओं का समय बढ़ जाता हैं ।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंपनी को उपलब्ध अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है, साथ ही एक अच्छी तरह से विविध, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विकास की दिशा में आंतरिक दक्षता और आधुनिक मानव संसाधन प्रथाओं में लगातार सुधार करना होगा। केंद्रित शिपयार्ड। कंपनी के पास रक्षा , वाणिज्यिक, तटीय सुरक्षा और अंतर्देशीय जल पोतों के निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक पोत निर्माण के लिए निर्यात बाजार में नए अवसर उभर रहे हैं जिनका प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभ उठाने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी की ताकत के आधार पर ऐसे अवसरों का दोहन करने और इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर कंपनी के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पानदन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके ।

## 4. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) लागत में कमी और उत्पादकता और आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में जोर ।

(ख) संचालन में नए युग की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं ।

(ग) शिपयार्ड के व्यावसायिक संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाएं।

(घ) "समय पर" डिलीवरी और गुणवत्ता अपेक्षाओं से अधिक के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने पर ध्यान दें ।

(ङ) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग।

(च) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग ।

(छ) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस विपणन प्रयास के माध्यम से व्यवसाय विकास।

(ज) केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संबद्ध इंजीनियरिंग व्यवसायों का विकास करना।

(झ) योग्यता अंतराल की पहचान और एक केंद्र बिन्दु पर समग्र व्यापार रणनीति रखते हुए कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना ।

(ञ) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकों सिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

(ट) हरित ऊर्जा प्लेटफार्मों और स्वायत्त वाहनों सहित नई प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ध्यान

केंद्रित करते हुए उत्पाद विविधीकरण ।

## 5. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 फरवरी 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी । इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं ।

## 6. आउटलूक

भारतीय पोत निर्माण उद्योग में हाल ही के दिनों में समग्र स्वस्थ वृद्धि देखी गई है । भारतीय नौसेना और तटरक्षक के पोत अधिग्रहण की योजना के आधार पर रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं ।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में है और बड़े, मध्यम और छोटे आकार के भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए आवश्यक पोतों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त की है । सामान्यता: इसके द्वारा निर्मित पोतों के लिए इसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है । आपकी कंपनी ने 31 दिसंबर 2022 को अपना 108वां युद्धपोत (भारतीय तटरक्षक को एक फास्ट पेट्रोल वेसल) सुपुर्द किया और इससे यह देश में एकमात्र शिपयार्ड बन गया है जिसने प्रतिष्ठित 100 का आकंड़ा पार करने की ऐसी उपलब्धि हासिल की है ।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है । रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है । सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है ।

पोत मरम्मत गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से स्थित एसएमपी के 03 मौजूदा ड्राई डॉक को विकसित करने और उपयोग करने के लिए जीआरएसई और एसएमपी (केओपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) और उसके बाद एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सुविधा की निकटता जीआरएसई के पोत मरम्मत प्रयासों को बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस नई अधिग्रहीत सुविधा में कई वाणिज्यिक और साथ ही भारतीय तटरक्षक पोतों की डॉकिंग और मरम्मत/ रीफिट सफलतापूर्वक की गई। उक्त समझौते के तहत, जीआरएसई और एसएमपीके, कोलकाता दोनों रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों में पोत की मरम्मत और रिफिट में नए व्यापार के अवसरों की खोज में एक गतिशील साझेदारी विकसित करने के लिए तत्पर हैं, जिससे राजस्व सृजन होगा और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और रोजगार में योगदान मिलेगा। कोलकाता में पीढ़ी. यह सहयोग पोतों की मरम्मत और मरम्मत सहित अतिरिक्त पोत निर्माण

गतिविधियों को शुरू करने के लिए जीआरएसई की भविष्य की रणनीति में भी योगदान देगा । कंपनी टीमों को मजबूत करके अपनी पोत मरम्मत गतिविधियों पर अतिरिक्त जोर दे रही है।

## 7. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) डिजाइन विभाग का विकास उत्कृष्टता के केंद्र में करना

ख) कारगर सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

ग) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

घ) पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार

ङ) पोत निर्माण प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं को उन्नत करें।

च) जीआरएसई में उत्पादकता में सुधार के लिए नए उपायों की पहचान करें और उन्हें लागू करें

छ) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट उत्पादों का उन्नयन

ज) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास ।

झ) अलग-अलग लाभ केंद्र के रूप में पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना

ञ) निर्यात/विशेष परियोजनाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाना

ट) पोत मरम्मत (एसआर) व्यवसाय से वीओपी बढ़ाने के उपाय

ठ) पोर्टेबल ब्रिजों, डेक मशीनरी, समुद्री पंप और डीजल इंजन व्यवसायों के वीओपी बढ़ाने के उपाय

ड) पीएलएम सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए 100% अनुपालन

ढ) राजस्व व्यय में कमी

ण) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार

त) कुशल जोखिम विश्लेषण और शमन योजनाएं

थ) संचालन के बेहतर प्रबंधन के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाएं

द) शिपयार्ड क्षमता में वृद्धि

ध) "नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकी" विभाग का निर्माण

न) भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम का लाभ उठाएं

## 8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास परिचालन की प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली लागू है जो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त है। इस प्रणाली में गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी की गई अच्छी तरह से परिभाषित संगठन संरचना और प्रक्रियाएं शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के संसाधनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है और हानि, दुरुपयोग और शारीरिक क्षति से सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रक्रियाएं स्वामी इन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कार्यक्रम के साथ कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है । आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, प्रक्रिया मालिक अपने संबंधित क्षेत्र में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। महत्वपूर्ण ऑडिट टिप्पणियाँ और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई निदेशक मंडल की ऑडिट समिति को रिपोर्ट की जाती है। कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के अधीन भी है। ऑडिट समिति आपकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और ऑडिट सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

## 9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, उपचार और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन ('ईआरएम') प्रक्रिया आईएसओ 31000 मानकों पर आधारित है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') निरीक्षण प्रदान करती है और पूरे संगठन में ईआरएम ढांचे को लागू करने के लिए टोन सेट करती है । यह प्रमुख जोखिमों की स्थिति, सभी स्थानों पर ईआरएम कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ जोखिम प्रशासन की समीक्षा करता है । कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) द्वारा किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है । मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) आरएमसी एवं आरएमएससी के संयोजक हैं। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजनाएँ तैयार करती हैं, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं । समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन और शमन पर मंडल को अद्यतन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है । कंपनी के प्रमुख जोखिम और चिंताएँ हैं:

- सुपुर्दगी में देरी से हमारी प्रतिष्ठा, संचालन और वित्तीय स्थिति पर भौतिक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- उपठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की असंतोषजनक गुणवत्ता के परिणामस्वरूप हमारे व्यवसाय, प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण आयातित कच्चे माल की अनुपलब्धता के साथ-साथ विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अस्थिर कीमतें कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रतिस्पर्धी बढ़त पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- कंपनी अपना कारोबार निश्चित मूल्य अनुबंध और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर संचालित कर रही है। चूंकि, कई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली हैं, इसलिए कंपनी कच्चे माल और उपकरणों की कीमत में वृद्धि का बोझ अपने ग्राहकों पर नहीं डाल पाएगी।
- बदलते कानूनों, नियमों और विनियमों और कानूनी अनिश्चितताओं से हमारे व्यवसाय और भविष्य की कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- हमारी कंपनी के तट पर गाद जमा होने का खतरा है और पानी की गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग का निरंतर रखरखाव करना पड़ता है।
- नए ठेकों और रक्षा बजट के आवंटन की मात्रा के लिए सीमित ग्राहकों पर निर्भरता।
- प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का खतरा।

## 10. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू में)

| विवरण | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| कुल आय | 2,762.98 | 1,915.77 |
| परिचालन से राजस्व | 2,561.15 | 1,754.45 |
| उत्पादन का मूल्य | 2,547.84 | 1,745.28 |
| कुल लाभ | 350.86 | 294.38 |
| असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ | 305.22 | 264.93 |
| असाधारण वस्तु | - | -7.69 |
| कर पूर्व लाभ | 305.22 | 257.24 |
| कर व्यय | 77.09 | 67.71 |
| कर पश्चात लाभ | 228.12 | 189.53 |
| निवल मूल्य | 1,413.82 | 1,257.89 |
| प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में) | 123.42 | 109.81 |
| प्रति शेयर आय (रू में) | 19.91 | 16.55 |
| प्रति शेयर लाभांश (रू में) | 6.20 | 5.80 |

**अनुपात विश्लेषण:**

| अनुपात | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार | भिन्नता का % |
|---|---|---|---|
| देनदार आवर्त | 25.33 | 10.65 | 138% |
| वस्तुसूची आवर्त | 1.20 | 1.68 | -29% |
| ब्याज व्याप्ति आवर्त | 48.10 | 181.04 | -73% |
| चालू अनुपात | 1.07 | 0.93 | 15% |
| ऋण इक्विटी अनुपात | 0.007 | 0.008 | -13% |
| कुल लाभ मार्जिन(%) | 12.70 | 15.36 | -17% |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (%) | 8.26 | 9.89 | -17% |
| निवल मूल्य पर लाभ (%) | 16.14 | 15.07 | 7% |

(करोड़ रू में)

| आयात और निर्यात | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान आयात | 461.24 | 194.88 |
| वर्ष के दौरान निर्यात | 59.78 | 60.94 |

- **देनदार टर्नओवर:** वित्त वर्ष 22-23 में देनदार टर्नओवर अनुपात वित्त वर्ष 21-22 में 10.65 की तुलना में बढ़कर 25.33 हो गया है। विभिन्न ग्राहकों से बकाया प्राप्तियों की वसूली के कारण वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियाँ कम हो गई हैं।
- **इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात:** विभिन्न परियोजनाओं के तहत लगभग 15 पोत जीआरएसई और बिजनेस पार्टनर के परिसर में समवर्ती निर्माण के अधीन हैं। इसलिए, इन्वेंट्री में लगभग 143% की वृद्धि हुई है।
- **ब्याज कवरेज अनुपात:** वर्ष के दौरान बैंक ओवरड्राफ्ट और वित्त लागत पर ब्याज शुल्क ₹ 504 लाख बढ़ गया ।

- **सकल राजस्व** में 44.60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2021-22 में 1,915.77 करोड़ रू से बढ़कर 2022-23 में 2,762.98 करोड़ रू हुई ।
- **उत्पादन का मूल्य** 2021-22 में 1,745.28 करोड़ रू से बढ़कर 2022-23 में 2,547.84 करोड़ रू हुई ।
- **निवल लाभ (कर पूर्व लाभ)** 18.65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2021-22 में 257.24 करोड़ रू से बढ़कर 2022-23 में 305.22 करोड़ रू हुई ।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि** 2021-22 के 45.30 लाख रू से बढ़कर 2022-23 में 54.60 लाख रू हुई ।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2021-22 के 109.81 रू से बढ़कर 2022-23 में 123.42 रू हुई ।

## 11. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों के बारे में विवरण विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल हैं ।

## 12. मानवशक्ति

31 मार्च 2023 तक के अनुसार आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1747 व्यक्तियों की थी ।

| 31 मार्च 2023 तक के अनुसार कुल कर्मचारी | अधिकारी | पर्यवेक्षकों | कार्यालय सहायक | वर्कमेन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल |
| 1,747 | 491 | 181 | 56 | 811 | 208 | 1,019 |

## 13. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

## 14. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी 'निदेशकों की रिपोर्ट' में दी गई है ।

## 15. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है,जो 'परिशिष्ट - "ई" के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है ।

**सावधानी कथन -** कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत 'दूरदर्शी बयान' हो सकते है । वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं । कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है ।

# निगमित शासन पर रिपोर्ट

## (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए)

### अंगीकृत निगमित शासन दर्शन

1. निगमित शासन हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य का निर्माण और वृद्धि है, जिसमें नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है। प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं उस मजबूत नींव का निर्माण करती हैं जिस पर सफल वाणिज्यिक उद्यम टिके रहते हैं। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं कंपनी का शासन दर्शन रहा है। हमारी निगमित संरचना, व्यवसाय और प्रकटीकरण प्रथाओं को हमारे निगमित शासन दर्शन के साथ जोड़ा गया है।

2. कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के तहत निगमित शासन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के संबंध में यथा लागू आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है ।

### निदेशक मंडल

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि कुल चुकता पूंजी का 74.50% भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

4. कंपनी के निदेशक मंडल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, सर्वोच्च निकाय है जो आपकी कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है। आपकी कंपनी का मंडल रणनीतिक निर्देश देता है और उनकी पूर्ति की जवाबदेही चाहता है। मंडल ने अपने "विजन" कथन को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए एक ट्रस्टी के रूप में आपकी कंपनी के प्रबंधन और प्रदर्शन की अंतिम जिम्मेदारी के साथ निहित है। मंडल के निर्णय आपकी कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए है । मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए उप-समितियों का गठन किया है।

### मंडल का आकार और संरचना

5. कंपनी के मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी (अंशकालिक सरकारी) सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी (अंशकालिक गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों का संयोजन हैं । 31 मार्च 2023 तक, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं है। उक्त तिथि के अनुसार, मंडल में 06 निदेशक शामिल हैं जिनमें 03 पूर्णकालिक निदेशक, 01 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 02 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

6. 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

| निदेशकों का नाम | नियुक्ति की तिथि | अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या # | | अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ## | | अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अध्यक्ष | सदस्य | अध्यक्ष | सदस्य | |
| **पूर्णकालिक निदेशक** | | | | | | |
| कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [1] [2] [3] [4] | 10 जून 2022 | - | - | - | - | - |
| श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ [5] | 01 जुलाई 2020 | - | - | - | - | - |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), निदेशक, (पोत निर्माण) [6] | 08 जून 2022 | - | - | - | - | - |
| **सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)** | | | | | | |
| श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सरकार द्वारा नामित निदेशक संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) [7] | 14 सितंबर 2020 | - | 03 | - | - | भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (सरकार द्वारा नामित निदेशक, गैर-कार्यकारी) |
| श्री राजीव प्रकाश सरकार द्वारा नामित निदेशक संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) [8] | 23 जून 2022 | - | 04 | - | - | हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकार द्वारा नामित निदेशक, गैर-कार्यकारी) |

| निदेशकों का नाम | नियुक्ति की तिथि | अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या # | | अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ## | | अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अध्यक्ष | सदस्य | अध्यक्ष | सदस्य | |
| **अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) (गैर-कार्यकारी)** | | | | | | |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे | 27 दिसंबर 2021 | - | 02 | - | 2 | - |
| श्रीमती दर्शना सिंह [9] | 12 अप्रैल 2022 | - | - | - | - | - |
| श्री संजीब मोहंती 10] | 06 अप्रैल 2022 | - | - | - | - | - |

# प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों, धारा 8 कंपनियों और वैकल्पिक निदेशकों को छोड़कर ।

## सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है।

[1] सरकार ने 01 अप्रैल 2022 से 08 जून 2022 तक कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

[2] सरकार ने 01 अप्रैल 2022 से 10 जून 2022 तक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

[3] 10 जून 2022 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए निदेशक (कार्मिक) का पद छोड़ दिए । ।

[4] सरकार ने 10 जून 2022 से 10 मार्च 2023 तक कंपनी के निदेशक (कार्मिक) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

[5] सरकार ने 10 मार्च 2023 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

[6] 08 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नियुक्त किया गया।

[7] 23 जून 2022 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त हो गया।

[8] 23 जून 2022 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, वह 23 दिसंबर 2022 से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक नहीं रहे।

[9] 12 अप्रैल 2022 से कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । बाद में, श्रीमती दर्शना सिंह ने 01 जून 2022 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया ।

[10] 06 अप्रैल 2022 से कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो (2) कार्यकारी (पूर्णकालिक निदेशक), दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और एक (1) अंशकालिक सरकारी निदेशक को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है । नवनियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा नीचे दिया गया है:

**कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) ने 34 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ 10 जून 2022 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व, वह कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्य कर रहे थे । उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल हैं । उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी एमएचओडब्ल्यू में 5 वें उच्च रक्षा उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम और नौसेना वॉर कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किए हैं ।

कमोडोर पी आर हरि, 2016 में एक मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुए और शिपयार्ड में निर्मित सभी नए निर्माण पोतों के उत्पादन योजना के प्रभारी रहे हैं । उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए थे ।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

**अन्य निदेशक पद:** शून्य

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

**कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)**

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) ने 08 जून 2022 को हमारे कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला । कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) 24 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के उपरांत वर्ष 2013 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड में शामिल हुए । कमांडर बोस एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी भी रहें हैं । निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे ।

उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया । उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है । इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता भी है ।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का

अनुभव है, व्यक्ति प्रबंधन करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है । जीआरएसई में, वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिजाइन के लिए आभासी वास्तविकता प्रयोगशाला (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) और उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में आर एण्ड डी परियोजनाएं और स्वदेशीकरण की ओर अधिक जोर शामिल है । उनकी देखरेख में जीआरएसई की आरबीडी यूनिट की आधारभूत संरचना उन्नयन योजना, क्रियान्वयन और पूर्वेक्षण किया गया है ।चल रही परियोजनाओं के निर्माण के लिए अब इसका लाभकारी दोहन किया जा रहा है।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

**अन्य निदेशक पद:** शून्य

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

**श्रीमती दर्शना सिंह**

श्रीमती दर्शन सिंह, (डीभा.नौ 09567496) को 12 अप्रैल, 2022 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गई है । उन्होंने वर्ष 1996 में वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से इतिहास में एमए और वर्ष 2006 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हैं । इसके अलावा, वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

हालाँकि, श्रीमती दर्शना सिंह ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2022 के माध्यम से कंपनी के  मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में, उन्होंने उल्लेख किया है कि आगामी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के कारण, वह कंपनी में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की अपनी भूमिका और स्थिति के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा, उन्होंने पुष्टि की है कि ऊपर उल्लिखित के अलावा उनके इस्तीफे का कोई मटिरियल कारण नहीं है। पत्र 01 जून 2022 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उनके इस्तीफे की प्रभावी तिथि को उस तिथि को प्राप्त पत्र के रूप में 01 जून 2022 माना गया है।

**अन्य निदेशक पद:** शून्य

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

**श्री संजीब मोहंती**

श्री संजीब मोहंती (डीआईएन 0955988) को 06 अप्रैल 2022 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है । उन्होंने वर्ष 1984 में उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक किया हैं और वर्ष 1990 में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हैं । वह भारत के ओडिशा राज्य में 32 से अधिक वर्षों के अभ्यासरत अधिवक्ता हैं । उनके अभ्यास के व्यापक क्षेत्र आपराधिक और नागरिक कानून हैं । वह नियमित रूप से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों / सत्र न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष उपस्थित होते हैं ।

उन्होंने ओडिशा कोऑपरेटिव टसर एण्ड सिल्क फेडरेशन लिमिटेड (एसईआरआईएफ़ईडी), 2002-2008 से ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए है । इसके अलावा, वह अपने कॉलेज के दिनों से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

**अन्य निदेशक पद:** शून्य

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

**श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (एनएस)**

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) को 23 जून 2022 से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स और सामाजिक अध्ययन संस्थान, इरास्मस विश्वविद्यालय से विकास अध्ययन में एमए किया है। इसके अलावा, वह 1995 बैच के भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा अधिकारी (आईपी एण्ड टीएएफएस) हैं। उनके पास वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में जून 2022 में शामिल होने से पहले उन्होंने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त) के रूप में काम किया है। इसके अलावा, वह 2.5 वर्षों से अधिक समय तक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी रहे।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

**अन्य निदेशक पद:**

| क्रम संख्या | कंपनियों/निकायों कॉर्पोरेट/फर्मों/व्यक्तियों के एसोसियशन का नाम | रुचि या कंसर्न की प्रकृति / रुचि या कंसर्न में परिवर्तन | तिथि जिस पर रुचि या कंसर्न उत्पन्न / चेंज हुई |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड | सरकार द्वारा नामित निदेशक | 14 सितंबर 2022 (नियुक्ति) और 23 दिसंबर 2022 (कार्यकाल समाप्ति) |
| 2 | ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड | सरकार द्वारा नामित निदेशक | 14 सितंबर 2022 (नियुक्ति) और 23 दिसंबर 2022 (कार्यकाल समाप्ति) |
| 3 | ड्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड | सरकार द्वारा नामित निदेशक | 14 सितंबर 2022 (नियुक्ति) |

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

8. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में एक (1) नए निदेशक को शामिल किया गया है। नव नियुक्त निदेशक का संक्षिप्त जीवन वृतांत नीचे दिया गया है:

**डीआइजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)**

25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) में सेवा देने के बाद, आईसीजी (सेवानिवृत्त) डीआइजी सुब्रोतो घोष वर्ष 2016 में जीआरएसई में जनरल मैनेजर (राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट) के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला है। कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वे मुख्य महाप्रबंधक (बीबी और डीईपी) के रूप में कार्यरत थे।

डीआइजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से बैचलर डिग्री के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल मरीन) में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एडवांस मरीन इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है।

भारतीय तटरक्षक बल में उनका शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित नियुक्तियाँ कीं जिनमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), प्रधान निदेशक (टीएस और आईटी) और परियोजना अधिकारी (पीसीवी) शामिल थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में अपने करियर के दौरान छह जलपोत नियुक्तियों पर भी काम किया है।

जीआरएसई में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को तीन-तीन पोतों की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान जीआरएसई का 100वां युद्धपोत राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट से सुपुर्द किया गया था। उन्होंने बेली ब्रिज यूनिट के टर्नओवर को दोगुना करने का नेतृत्व किया और उसके बाद साल-दर-साल लगभग 20% राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की।

डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) के पास परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और कठोर समय सीमा के तहत कई हितधारकों के साथ काम करने और बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम देने का सिद्ध अनुभव और क्षमता है। उनके पास पोत निर्माण के साथ-साथ पोत की मरम्मत का भी व्यापक अनुभव है।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

**अन्य निदेशक पद:** शून्य

**अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:** शून्य

## मुख्य बोर्ड विशेषज्ञता और कौशल

9. आपकी कंपनी में निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । वे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशानुसार कार्य करते हैं । आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ।

10. आपकी कंपनी के बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं । उन्हें आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिसकी वजह से वे बोर्ड और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम हैं । निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बोर्ड द्वारा निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन किया जाता है । नीचे दी गई तालिका में मुख्य बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञताओं का सार है, जो बोर्ड की राय में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक हैं:

| कौशल और गुण | विवरण |
|---|---|
| संगठनात्मक उद्देश्य | कंपनी के उद्धोग इसके संचालन, देश की समुद्री जरूरतों, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, घरेलू और वैश्विक दोनों ही विनियामक और प्रतिस्पर्धा वातावरण को समझने की क्षमता, जिस के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसायों के लिए अवसरों और खतरों की पहचान करने में सक्षम होती है । कंपनी के लिए एक प्रेरक विजन बनाने की दिशा में योगदान करने की क्षमता । |
| वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल | लेखांकन और वित्त, व्यापार निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं, संकट प्रतिक्रिया और प्रबंधन, उद्धोग ज्ञान, मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण में ज्ञान एवं कौशल । |
| नीति मूल्यांकन | कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र, सरकार के निर्देशों और कंपनी के व्यवसायों के लिए प्रयोज्यता के संदर्भ में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की क्षमता । |
| निगमित शासन | विनियामक अनुपालन, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही के मामलों पर ज्ञान, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त शासन प्रथाओं का पालन करना और इसके शोधन के लिए योगदान करना । |
| प्रौद्धोगिकी की समझ | प्रौद्धोगिकी और नवाचार में उभरते रूझानों को समझना जो व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जिनका उपयोग व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है । |
| संस्कृति निर्माण | एक नैतिक संगठानात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, हितों के टकराव को खत्म करने और नैतिकता, अखंडता और संगठानात्मक आचरण के उच्चतम मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में बोर्ड की भूमिका में योगदान देने की क्षमता । |

11. व्यक्तिगत निदेशकों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं की सूची नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संगठनात्मक उद्देश्य | वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल | नीति मूल्यांकन | निगम से संबंधित शासन प्रणाली | तकनीकी समझ | संस्कृति भवन |
| कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| श्री रमेश कुमार दाश | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| श्री राजीव प्रकाश | √ | √ | √ | √ | – | √ |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे | √ | √ | √ | √ | – | √ |
| श्री संजीब मोहंती | √ | √ | √ | √ | – | √ |

## मंडल प्रक्रिया

12. मंडल बैठक समान्यतः प्रति तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो इससे अधिक बैठकें की जाती है जो व्यापार करने में आसानी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, व्यापार विकास के लिए रणनीतियाँ बनाने, योजना नियंत्रण करने, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करने, उच्च मूल्य की मदों, छमाही/आवधिक परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालन योजना, तथा बजट का अनुमोदन करने के साथ मंडल के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए की जाती है।

13. आपकी कंपनी का विश्वास है कि सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रभावी मंडल बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची टिप्पणियों के साथ विस्तृत सूचना की पृष्ठभूमि दी जाती है ताकि मंडल निर्णय ले सके। कार्यसूची टिप्पणियों को समान्यतः मंडल के सदस्यों को समय रहते परिचालित कर दिया जाता है। मंडल के सदस्य अध्यक्ष से परामर्श करके किसी भी महत्वपूर्ण मामलों को मंडल को विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं । आवश्यकतानुसार कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी मंडल बैठक में उपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है । अंशकालिक निदेशक मंडल बैठक के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा कंपनी को तकनोलोजी, वित्त, विपणन, लोक नीति तथा प्रचालन के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं ।

## बैठकें और उपस्थिति

14. वर्ष 2022-23 के दौरान मंडल की सात (07) बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

| क्रम संख्या | दिनांक | मंडल की संख्या शक्ति | वर्तमान निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 25 मई 2022 | 06 | 05 |
| 2. | 26 जुलाई 2022 | 06 | 06 |
| 3. | 11 अगस्त 2022 | 06 | 05 |
| 4. | 10 नवंबर 2022 | 06 | 06 |
| 5. | 19 जनवरी 2023 | 06 | 05 |
| 6. | 10 फरवरी 2023 | 06 | 06 |
| 7. | 24 मार्च 2023 | 06 | 06 |

15. वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो मंडल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (102) दिन का था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| निदेशक का नाम | संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति | | | | | | | उपस्थिति का% | 26 सितंबर 22 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 मई 22 | 26 जुलाई 22 | 11 अगस्त 22 | 10 नवंबर 22 | 19 जनवरी 23 | 10 फरवरी 23 | 24 मार्च 23 | | |
| कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ |
| श्री रमेश कुमार दाश | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [2] | लागू नहीं | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ |
| श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव [3] | x | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं |
| श्री राजीव प्रकाश [4] | लागू नहीं | ✓ | x | ✓ | × | ✓ | ✓ | 67 | ✓ |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ |
| श्री संजीब मोहंती [5] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ |
| श्रीमती दर्शना सिंह [6] | ✓ | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 100 | लागू नहीं |

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 10 जून 2022 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

[2] 08 जून 2022 को कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नियुक्त किया गया

[3] 23 जून 2022 से कंपनी के सरकार द्वारा नामांकित निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त।

[4] 23 जून 2022 से कंपनी के नए सरकार द्वारा नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

[5] 12 अप्रैल 2022 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

[6] 01 जुलाई 2022 से कंपनी की स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में पद समाप्त हो गया

## मंडल की समितियां

16. वर्तमान में, मंडल ने आपकी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए सात (7) उप-समितियों का गठन किया है। मंडल उप-समितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    (क) लेखा परीक्षा समिति;
    (ख) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
    (ग) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति;
    (घ) शेयरधारक संबंध समिति;
    (ङ) जोखिम प्रबंधन समिति
    (च) प्रोक्योरमेंट समिति
    (छ) विधि समिति

17. निदेशक मण्डल की उपरोक्त वर्णित उप समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है ।

## मंडल की अनिवार्य समितियां

### लेखा परीक्षा समिति

18. 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण ऑडिट समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। हालाँकि, कंपनी के पास 25 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ऑडिट समिति का उचित गठन था। ऑडिट समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के अनुरूप है।

19. 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (ए) | श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| (बी) | श्री संजीब मोहंती<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| (सी) | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)<br>निदेशक (पोत निर्माण) [1] | सदस्य |

[1] 20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

20. निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव होते हैं। कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा), वैधानिक लेखापरीक्षक (जब त्रैमासिक और वार्षिक खातों पर चर्चा की जाती है) और आंतरिक लेखापरीक्षक (जब आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है) भी नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं।

21. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है । समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना ।।

22. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है । समिति व्हिसल ब्लोअर नीति के कामकाज और कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है ।

23. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की प्रेक्षण से बोर्ड को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं । वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

24. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया | | | | | उपस्थिति का % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23-मई-22 | 11-अगस्त-22 | 10-नवंबर-22 | 18-जनवरी-23 | 9-फ़रवरी-23 | |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| श्री संजीब मोहंती स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)[1] निदेशक (पोत निर्माण) | लागू नहीं | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| श्रीमती दर्शना सिंह [2] स्वतंत्र निदेशक | ✓ | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 100 |
| कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)[3] निदेशक (कार्मिक) | x | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 |

- उपस्थित × - विश्विद्यालय ला.न. - लागू नहीं

[1] 20 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

[2] 01 जून 2022 से कंपनी की स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में पद समाप्त हो गया

[3] 20 जून 2023 से समिति के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त

## मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति

25. 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। हालाँकि, कंपनी के पास 25 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का उचित गठन था। एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 और सेबी लिस्टिंग विनियम, जहां तक सरकारी कंपनियों पर लागू है, के अनुरूप है।

26. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन (3) गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (ए) | श्री संजीब मोहंती<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| (बी) | श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| (सी) | श्री राजीव प्रकाश [1]<br>सरकार द्वारा नामित निदेशक | सदस्य |

[1] 30 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

27. निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

28. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं: -

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना;

(ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना और अपनी सिफारिशें देना;

(ग) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

29. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान बैठकें आयोजित की गईं और उनमें भाग लिया गया | | | | | | उपस्थिति का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24-मई-22 | 26-जुलाई-22 | 09-नवंबर-22 | 18-जनवरी-23 | 9-फ़रवरी-23 | 22-मार्च-23 | |
| श्री संजीब मोहंती<br>स्वतंत्र निदेशक | | | | | | | 100 |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | | | | | | | 100 |
| श्रीमती दर्शना सिंह [1]<br>स्वतंत्र निदेशक | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 100 |
| श्री राजीव प्रकाश [2]<br>सरकार द्वारा नामित निदेशक | लागू नहीं | | | x | | | 80 |

- उपस्थित × - अनुपस्थित - लागू नहीं

[1] 01 जून 2022 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

[2] 30 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

30. वर्ष के दौरान मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गईं है ।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनिबिलिटी समिति ("सीएसआर और एसडी समिति")

31. कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत प्रतिपादित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी ("सीएसआर एवं एसडी") मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति को आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। उक्त नीति के शर्तों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन आपकी कंपनी के सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए किया गया है।

32. सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं: -

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल- VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सास्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना,जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश ;

(ग) अपनी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी नीति और समय- समय पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी ।

33. 31 मार्च 2023 के अनुसार निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | श्री संजीब मोहंती [1]<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) | श्री आर के दाश<br>निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ | सदस्य |
| (ग) | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [2]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | सदस्य |

[1] 06 जून 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त

[2] 20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

34. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

35. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर एवं एसडी कमेटी की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति | | उपस्थिति का% |
|---|---|---|---|
| | 9 नवंबर 2022 | 10 फरवरी 2023 | |
| श्री संजीब मोहंती [1]<br>स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ✓ | ___ 100 |
| श्री आर के दाश<br>निदेशक (वित्त) | ✓ | ✓ | ___ 100 |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [2]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | ✓ | ✓ | ___ 100 |

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 25 अप्रैल 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त

[2] 20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

**शेयरधारक संबंध समिति**

36. शेयरधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुरूप किया गया था।

37. सेबी लिस्टिंग नियमों के अनुरूप, शेयरधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना ।

38. 31 मार्च 2023 तक के अनुसार निदेशक मंडल की शेयरधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | श्री संजीब मोहंती [1]<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) | श्री आर के दाश<br>निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| (ग) | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [2]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | सदस्य |

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न.-लागू नहीं

[1] 25 अप्रैल 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त

[2] 20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

39. कंपनी सचिव शेयरधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है, और वह अनुपालन अधिकारी भी है।

40. वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की हितधारकों की संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति<br>10 फरवरी 2023 | उपस्थिति का% |
|---|---|---|
| श्री संजीब मोहंती [1]<br>स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ___ 100 |
| श्री आर के दाश<br>निदेशक (वित्त) | ✓ | ___ 100 |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [2]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | ✓ | ___ 100 |

✓- उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न.-लागू नहीं

[1] 25 अप्रैल 2022 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त

[2] 20 जून 2022 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया

41. 31 मार्च 2023 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13 (3) के तहत रिपोर्ट की गई स्थिति निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| 01 अप्रैल 2022 तक शिकायतें | 0 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त | 4 |
| वर्ष के दौरान हल किया गया | 4 |
| शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं | 0 |
| 31 मार्च 2023 तक लंबित | 0 |

## जोखिम प्रबंधन समिति

42. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के अनुरूप किया गया ।

43. जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय;

(ग) कारोबार निरंतरता योजना।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना; सुनिश्चित करें कि कंपनी चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों दोनों में जोखिमों और पुरस्कारों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के लिए उचित उपाय कर रही है।

(iv) दो साल में कम से कम एक बार, समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करने जिसमें , बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना भी शामिल है ;

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति भूमिका उत्तरदायित्व और प्राधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना; जोखिम रणनीतियों, नीतियों, ढांचे, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मंडल की सहायता करना।

(vii) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश/समीक्षा करना ।

(viii) जोखिम प्रबंधन समिति के पास, यदि वह आवश्यक समझे किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा ।

44. 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | श्री रमेश कुमार दाश<br>निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष |
| (ख) | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | सदस्य |
| (ग) | श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| (घ) | डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)<br>मुख्य जोखिम अधिकारी | सदस्य |
| (ङ) | श्री एस घोष चौधरी<br>जोखिम समन्वयक | सदस्य सचिव |

[1] 20 जून 2022 की प्रभावी तिथि से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।

45. जोखिम समन्वयक सदस्य और समिति के सचिव भी हैं।

46. वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति | | उपस्थिति का% |
|---|---|---|---|
| | 07 सितंबर 22 | 04 मार्च 23 | |
| श्री रमेश कुमार दाश<br>निदेशक (वित्त) | ✓ | ✓ | 100 |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | ✓ | ✓ | 100 |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ✓ | 100 |
| डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)<br>मुख्य जोखिम अधिकारी | ✓ | ✓ | 100 |
| श्री एस घोष चौधरी<br>जोखिम समन्वयक | ✓ | ✓ | 100 |

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 20 जून 2022 की प्रभावी तिथि से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।

## मंडल की अन्य समितियां

### प्रोक्योरमेंट समिति

47. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं:

    (क) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामग्री, उपकरण, टूल्स, स्टोर और पुर्जों की खरीद, रूसी स्रोतों सहित आयात, कार्यों की स्वीकृति, उप-अनुबंध और सुविधा किराया आदि के लिए आदेश देने के लिए ₹30 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों का अनुमोदन।

    (ख) मंडल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में प्रदान की गई मदों के संबंध में ₹5 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन ।

    (ग) प्रोक्योरमेंट समिति आपकी कंपनी के प्रोक्योरमेंट नियमावली, सीवीसी दिशानिर्देशों, सरकारी विनियमों आदि के अनुपालन में सभी प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों की जांच करती है और ऐसे प्रस्तावों के लिए अपनी स्वीकृति देती है। प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन की स्थिति में, समिति की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। तथापि, यदि समिति को लगता है कि किसी विशेष प्रस्ताव पर मंडल द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे समिति की सिफारिशों के साथ मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

    (घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित समस्त प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

48. 31 मार्च 2023 तक के अनुसार निदेशक मंडल की प्रोक्योरमेंट समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) | श्री संजय दत्तात्रेय पानसे<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| (ग) | श्री रमेश कुमार दाश<br>निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| (घ) | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1]<br>निदेशक, (पोत निर्माण) | सदस्य |

[1] 11 फरवरी 2022 की प्रभावी तिथि से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।

49. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

50. प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष मंडल की बैठक के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की टिप्पणियों के बारे में मंडल को अवगत कराते हैं।

51. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की छः (6) बैठकें हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति | | | | | | उपस्थिति का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 जुलाई 2022 | 30 जुलाई 2022 | 10 नवंबर 2022 | 21 दिसंबर 2022 | 19 जनवरी 2023 | 06 मार्च 2023 | |
| कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे स्वतंत्र निदेशक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), [1] निदेशक, (पोत निर्माण) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80 |

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 20 जून 2022 की प्रभावी तिथि से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।

## विधि समिति

52. निदेशक मंडल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई ।

## पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

53. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तों को दर्शाया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति आमतौर पर पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में नोटिस अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में 3 महीने का वेतन छोड़ा जा सकता है।

54. आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा में समय-समय पर निर्धारित किए जाते है । मंडल स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों की नियुक्ति की शर्तों और जीआरएसई के नियमों के अनुसार अन्य लाभों और अनुलाभों के अनुसार किया जाता है। मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन संबंधित वेतन (पी आरपी) देय हैं।

55. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है: (₹ लाख में )

| निदेशक का नाम | वेतन* | अनुलाभ | पीएफ/ग्रेच्युटी/पेंशन में कंपनी का योगदान | प्रदर्शन से संबंधित भुगतान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) [1] अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 38.88 | 1.48 | 5.83 | 7.62 | **53.81** |
| कमोडोर हरि पी आर [2] निदेशक (कार्मिक) | 9.58 | 0.94 | 1.10 | 3.04 | **14.66** |
| श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) और सीएफओ | 38.06 | 3.73 | 5.22 | 7.55 | **54.56** |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त),[3] निदेशक, (पोत निर्माण) | 36.51 | 0.27 | 4.75 | 3.48 | **45.01** |

* वेतन में बकाया शामिल है

[1] 10 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) का पद छोड़ें ।

[2] 10 जून 2022 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त ।

[3] 08 जून 2022 को कंपनी के निदेशक (पोतनिर्माण) (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त ।

56. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

**अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक**

57. सरकार द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सरकार के अगले आदेश तक इस पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क के हकदार नहीं हैं।

58. निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त या पुनर्नियुक्त, आमतौर पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए की जाती हैं । उन्हें मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 15,000/- का भुगतान करती है। इसके अलावा, कंपनी मंडल और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा/आवास व्यय की प्रतिपूर्ति भी करती है।

59. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Terms-and-Conditions-of-Appt-of-Non-Executive-Directors.pdf पर प्रकट किए गए हैं।

60. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क इस प्रकार है: (₹ लाख में)

| स्वतंत्र निदेशक का नाम | मंडल बैठक | समिति की बैठकें | कुल पारिश्रमिक |
|---|---|---|---|
| श्री संजय दत्तात्रेय पानसे | 1.40 | 2.85 | **4.25** |
| श्री संजीब मोहंती | 1.40 | 2.10 | **3.50** |
| श्रीमती दर्शना सिंह | 0.20 | 0.30 | **0.50** |

61. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी से अंशकालिक निदेशकों का कोई अन्य आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं रहा है।

62. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

**मूल्यांकन पैमाना**

63. चूंकि मंडल स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

**स्वतंत्र निदेशकों की बैठक**

64. वर्ष 2022-23 के दौरान 25 मार्च 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक (01) बैठक की गई।

**स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि**

65. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुसार अनुसरण करते हैं।

66. मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध करने की `बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं ।

## वार्षिक आम बैठक

67. आपकी कंपनी की विगत तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | तिथि और समय | स्थान | विशेष संकल्प पारित |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 11 सितंबर 20 10.30 बजे | पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से) | बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ |
| 2020-21 | 10 सितंबर 21 10.30 बजे | पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई भवन, 61 गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से) | बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ |
| 2021-22 | 26 सितंबर 22 10.30 बजे | पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई भवन, 61 गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से) | बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ |

## पोस्टल बैलेट

68. वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई डाक मतपत्र आयोजित नहीं किया गया था ।

69. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

**(i) पोस्टल बैलेट दिनांक 12 मई 2022**

| क्र.सं. | संकल्प का प्रकार | संकल्प का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | विशेष संकल्प | कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन 02725875) की नियुक्ति |
| 2 | विशेष संकल्प | कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीब मोहंती (डीआईएन: 09559883) की नियुक्ति |

कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए के लाभ एवं कंपनी, कंपनी सचिव के श्री ए के लाभ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस: 4848 / सीपी नंबर: 3238) को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया ।

ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 26 मई, 2022 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू और शुक्रवार, 24 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त हुई। उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के परिणाम पर समेकित रिपोर्ट शनिवार, 25 जून, 2022 को स्क्रूटिनाइज़र द्वारा प्रदान की गई थी। उपरोक्त प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत के साथ विधिवत पारित किया गया था और ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा 25 जून 2022 को की गई।

उपर्युक्त संकल्पों पर ई-वोटिंग का विवरण यहां दिया गया है:

| प्रस्तावों | पक्ष में | | | विपक्ष में | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या | डाले गये वैध मतों की संख्या | % | मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या | डाले गये वैध मतों की संख्या | % |
| कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय दत्तात्रेय पानसे (डीआईएन: 02725875) की नियुक्ति | 370 | 9,65,65,370 | 99.98 | 22 | 17,100 | 0.02 |
| कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीब मोहंती (डीआईएन: 09559883) की नियुक्ति | 351 | 9,47,33,870 | 98.10 | 41 | 18,31,600 | 1.90 |

**(ii) पोस्टल बैलेट दिनांक 26 जुलाई 2022**

| क्र.सं. | संकल्प का प्रकार | संकल्प का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | साधारण संकल्प | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नामित नियुक्ति की पुष्टि। |
| 2 | साधारण संकल्प | कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) की नियुक्ति की पुष्टि |
| 3 | साधारण संकल्प | कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) की नियुक्ति की पुष्टि |
| 4 | विशेष संकल्प | कंपनी की उधार लेने की शक्तियाँ |
| 5 | विशेष संकल्प | उधार लेने के संबंध में कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षा/प्रभार का निर्माण |

कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए के लाभ एवं कंपनी, कंपनी सचिव के श्री ए के लाभ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस: 4848 / सीपी नंबर: 3238) को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया ।

ई - वोटिंग अवधि रविवार, 31 जुलाई, 2022 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू हुई और सोमवार, 29 अगस्त 22 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त हुई । उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के परिणाम पर समेकित रिपोर्ट मंगलवार, 30 अगस्त 22 को स्क्रूटिनाइज़र द्वारा प्रदान की गई थी। उपरोक्त प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत के साथ विधिवत पारित किया गया और ई-वोटिंग के परिणाम मंगलवार, 30 अगस्त 22 को घोषित किए गए।

उपर्युक्त संकल्पों पर ई-वोटिंग का विवरण यहां दिया गया है:

| प्रस्तावों | पक्ष में | | | विपक्ष में | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या | डाले गये वैध मतों की संख्या | % | मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या | डाले गये वैध मतों की संख्या | % |
| कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नामित नियुक्ति की पुष्टि। | 481 | 1,05,05,593 | 97.64 | 38 | 2,54,334 | 2.36 |
| कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) की नियुक्ति की पुष्टि | 483 | 1,07,18,389 | 99.62 | 34 | 40,968 | 0.38 |
| कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061) की नियुक्ति की पुष्टि | 472 | 86,74,235 | 80.62 | 44 | 20,85,022 | 19.38 |
| कंपनी की उधार लेने की शक्तियाँ | 482 | 107,56,808 | 99.97 | 34 | 3,438 | 0.03 |
| उधार लेने के संबंध में कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षा/प्रभार का निर्माण | 481 | 107,56,727 | 99.97 | 35 | 3,519 | 0.03 |

70. आगामी एजीएम में लेन-देन के लिए प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है ।

**पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया**

71. पोस्टल बैलेट धारा 110 में निहित प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित, के अनुसार संचालित किया जाता है । शेयरधारकों को भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाता है । पोस्टल बैलेट सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को ईमेल पते पर भेजा जाता है, जहां ईमेल पते उपलब्ध हो या जहां ईमेल पते उपलब्ध नहीं हैं भौतिक रूप में अनुमत माध्यम से भेजा जाता है । कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में एक सूचना भी प्रकाशित करती है ।

72. कट-ऑफ तारीख तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं । मतों की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षाकर्ता अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपता है और मतदान अवधि के समापन के 48 घंटे के भीतर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा की जाती है। परिणाम कंपनी के वैबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित होते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं । यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए संकल्पों को विधिवत रूप से पूर्ण डाक मतपत्रों की प्राप्ति या ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि पर पारित किया गया है ।

## निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

73. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम आमतौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा होता है । सभी नए निदेशकों को बोर्ड के लिए उनके पदभारग्रहण करने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन प्रदान किया जाता है। वे उन्मुखीकरण सत्र के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से परिचित हुए हैं । निगमित प्रशासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों बोर्ड / समिति की बैठकों में समय-समय पर निम्नलिखित आधार पर अद्धतन किया जाता है :

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
- कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं;
- कंपनी पर प्रभाव रखने वाले विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

74. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://grse.in/wp-content/uploads/2022/06/Familiarisation-Programme-2021-22.pdf पर देखा जा सकता है ।

## मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता

75. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने बेहतर निगमित शासन तथा स्पष्ट/पारदर्शी प्रथाओं हेतु मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड' निर्मित किया है। उसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है तथा कंपनी की वैबसाइट में दर्शाया गया है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर उक्त कोड लागू होता है, ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी अनुपालन करने की प्रतिज्ञा की । आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

## इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

76. सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता को मंजूरी दे दी है, अन्य बातों के साथ , नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करता है । कोड में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है जो उन्हें कंपनी के शेयरों से डिल करते समय प्रक्रियाओं और प्रकटिकरण के बारे में सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघन के परिणामों में सावधान करते हुए कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य का उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता संवेदनशील सूचना कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे https://grse.in/wp-content/uploads/2022/08/Insider-Trading-Code-GRSE.pdf पर देखा जा सकता है।

## शेयरधारक जानकारी

77. सेबी लिस्टिंग सूची विनियमों की अनुसूची V के अनुसरण में आवश्यक विभिन्न शेयरधारक जानकारी ' शेयरधारक सूचना ' शीर्षक से इस रिपोर्ट में अनुलग्नक । में प्रस्तुत किया गया है ।

## प्रकटीकरण

78. (क) **हितों का टकराव:** वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जिससे आपकी कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। निदेशकों का पारिश्रमिक (जहां भी लागू हो) प्राप्त करने के अलावा, मंडल के सदस्यों का आपकी कंपनी के साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है, जो मंडल के निर्णय में, निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

(ख) **संबंधित पार्टी लेनदेन:** वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी के पास कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है, जो बड़े पैमाने पर इसके हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत आवश्यक है, संबंधित पार्टी लेनदेन का एक समेकित आधार पर निर्धारित प्रारूप में खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था और कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया है। कंपनी के संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Related-Party-Transactions-GRSE.pdf पर पर देखा जा सकता है।

(ग) **सामग्री सहायक कंपनियां:** आपकी कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है। हालांकि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 के अनुसार सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण पर कंपनी की नीति, जो कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Determining-Material-Subsidiaries-GRSE.pdf पर उपलब्ध है। ।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंध:** कोई नहीं

(ङ) **कंपनी में निदेशकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या :** कोई नहीं

(च) **सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 और सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन की चिंताओं को उठाने, कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध कदाचार को आगे आने और सजा/उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ।

वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों या उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण भाग के 'निदेशक'रिपोर्ट" में भी उपलब्ध है ।

(छ) **खातों की पुस्तकों में खर्च किए गए व्यय की वह मद, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं:** शून्य

(ज) **किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं:** शून्य

(झ) **वित्तीय खर्चों की तुलना में कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय के खर्चों का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

| क्रं. सं. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| (क) | कुल व्यय (सामग्री के अलावा) | 476.73 | 457.19 |
| (ख) | प्रशासनिक और कार्यालय व्यय | 9.39 | 6.02 |
| (ग) | (क) पर (ख) का प्रतिशत | 1.97 | 1.32 |
| (घ) | कुल व्यय के % के रूप में वित्त व्यय | 0.26 | 0.09 |

(ञ) **अनिवार्य अनुपालन:** गत तीन (3) वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण या मामला नहीं आया है और स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर निम्नलिखित है :

एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

| वित्तीय वर्ष | स्टॉक एक्सचेंज और नोटिस तिथि | गैर-अनुपालन की अवधि | सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति | लगाए गए जुर्माने की राशि (जीएसटी शामिल) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | एनएसई नोटिस दिनांक 15 फरवरी 21 | 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 4,30,700 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 17 मई 21 | 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,31,000 |
| 2021-22 | एनएसई नोटिस दिनांक 20 अगस्त 21 | 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 6,40,740 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 22 नवंबर 21 | 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 9,77,040 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 21 फरवरी 22 | 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही | 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 और 21 से संबन्धित | ₹ 12,34,280 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 20 मई 22 | 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2), 20 एवं 21 से संबन्धित | ₹ 11,49,320 |
| 2022-23 | एनएसई नोटिस दिनांक 22 अगस्त 22 | 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1) एवं 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 6,50,180 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 21 नवंबर 22 | 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,42,800 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 21 फरवरी 23 | Quarter ended December 2022 | Reg 17(1) | ₹ 5,42,800 |
| | एनएसई नोटिस दिनांक 22 मई 23 | दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,31,000- |
| | **कुल** | | | **₹ 72,29,860** |

बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना:

| वित्तीय वर्ष | स्टॉक एक्सचेंज और नोटिस तिथि | गैर-अनुपालन की अवधि | सेबी (एलओडीआर) के गैर-अनुपालन की प्रकृति | लगाए गए जुर्माने की राशि (जीएसटी शामिल) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | बीएसई नोटिस दिनांक 20 अगस्त 21 | 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 6,40,740 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 22 नवंबर 21 | 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 9,77,040 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 21 फरवरी 22 | 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही | 17 (1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 (2)/ (2ए) और 21(2) से संबन्धित | ₹ 12,34,280 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 20 मई 22 | 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1), 19(1)/19(2), 20(2)/(2ए) एवं 21(2) से संबन्धित | ₹ 11,49,320 |
| 2022-23 | बीएसई नोटिस दिनांक 22 अगस्त 22 | 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1), 18(1) एवं 19(1)/19(2) से संबन्धित | ₹ 6,50,180 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 21 नवंबर 22 | 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,42,800 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 21 फरवरी 23 | दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,42,800 |
| | बीएसई नोटिस दिनांक 22 मई 23 | 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही | 17(1) से संबन्धित | ₹ 5,31,000 |
| | **कुल** | | | **₹ 62,68,160** |

उपरोक्त जुर्माना अलग-अलग अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया है।

उपरोक्त नोटिसों के जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी द्वारा किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्रवाई कंपनी के हाथ में नहीं है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर भी है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एनएसई से उन जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है जो बकाया हैं, और स्टॉक एक्सचेंज की नीति के तहत लगाए गए जुर्माने की छूट के प्रावधानों के अनुसार छूट मांगी गई है। इसके अलावा, उक्त नीति के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज केवल कंपनी द्वारा गैर-अनुपालनों का अनुपालन करने के बाद ही छूट प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

मेसर्स माहेश्वरी आर एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक है, सेबी सूचीकरण विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश से संबंधित एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जो इस रिपोर्ट में अनुलग्नक II के रूप में प्रस्तुत है ।

इसके अलावा, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग 'सी' में उल्लिखित पैरा (2) से (10) की निगमित शासन रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी संरचना के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) और (टी) में निर्दिष्ट निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है । निदेशक मंडल की और आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, के निदेशक मंडल में लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं करना अपेक्षित संख्या में कोरम की अनुपलब्धता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी ने इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों में आवश्यक जानकारी का खुलासा किया।

(ट) **सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत गैर-अनिवार्य अनुपालन :** सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **मंडल:** सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, बोर्ड का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति देता है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार:** आपकी कंपनी तिमाही और छमाही वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/financial-results/ पर प्रदर्शित करती है। और व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम भी प्रकाशित करता है। हमने सभी शेयरधारकों को पत्र भेजने के अलावा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा लाभांश के भुगतान के बारे में सूचित कर दिया है, जहाँ भी आवश्यक हो ।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** आपकी कंपनी लगातार भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पारदर्शी, सही और निष्पक्ष तरीके से खाते को बनाए रखने पर्यास करती है । पिछले सत्रह वर्षों (2003-2004 से 2021-22) के दौरान कोई लेखा परीक्षा अयोग्यता नहीं रही हैं। आपकी कंपनी को इन वर्षों के दौरान कैग से "शून्य" टिप्पणियां भी मिली हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर एक असंशोधित राय जारी की है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(ठ) **निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट:** कंपनी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को निर्धारित प्रारूप में निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/corpore-governance-report/ पर भी प्रस्तुत किया गया है ।

(ड) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:** कंपनी एक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को गरिमा, सम्मान और समान उपचार के साथ व्यवहार किया जाए । कृपया अधिक विवरण के लिए निदेशक रिपोर्ट के अनुभाग'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण' देखें ।

(ढ) **बोर्ड की योग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र :** मेसर्स माहेश्वरी आर एण्ड एसोसिएट्स,कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से डिबार या आयोग्य घोषित नहीं किया गया है । यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में अनुलग्नक III के रूप में प्रस्तुत है ।

(ण) **निदेशक मंडल की समितियों की सिफारिशें:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया हो।

(प) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा मैसर्स मुखर्जी बिश्वास एण्ड पाठक,को दी गई कुल फीस कुल 15,42,000/- रू. है । वित्तीय विवरण' के नोट 27 के तहत विवरण उपलब्ध है ।

(फ) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सूची के विनियमन 17(8) के संदर्भ में बोर्ड को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं । विनियम, जिसकी प्रति अनुलग्नक-IV के रूप में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है । सीएमडी और सीएफओ सूचीकरण नियमों के विनियमन 33 (2) के संदर्भ में बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम देते समय वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाण पत्र भी देते हैं ।

## घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 14 मई, 2010 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियमन 26 का अनुसरण करते हुए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

**कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**

हस्ता./-
कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 जुलाई, 2023

# अनुलग्नक - I

## शेयरधारक जानकारी

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक**

| | |
|---|---|
| **तारीख** | **शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023** |
| **स्थान** | **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम ।**<br>**[मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]** |
| **समय** | **10:30 बजे** |

### लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 22 सितंबर 2023 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा । आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

| वित्तीय वर्ष | प्रति शेयर लाभांश (रू में) | कुल लाभांश का भुगतान (करोड़ रू में) |
|---|---|---|
| 2022-23* | 6.20 | 71.02 |
| 2021-22 | 5.80 | 66.44 |
| 2020-21 | 5.00 | 57.28 |
| 2019-20 | 7.14 | 81.79 |
| 2018-19 | 6.95 | 79.61 |

* 10/ - रू प्रति शेयर के लिए रू 5.50 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है ।

### स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की लिस्टिंग

2. 10 अक्तूबर 2018 से प्रभावी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए । आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है । स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

| स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉक कोड |
|---|---|
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)**<br>एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.)<br>मुंबई 400 051<br>वेबसाइट: www.nseindia.com | जीआरएसई |
| **बीएसई लिमिटेड (बीएसई)**<br>फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट<br>मुंबई 400 001<br>वेबसाइट: www.bseindia.com | 542011 |

### संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी का एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है ।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक नोटिस और डेटा जो शेयरधारक से संबंधित सामाग्री होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बताया जाता है । त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों, आदि के नोटिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) और वर्तमान (बंगाली में) प्रकाशित किए जाते हैं । 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) में प्रकाशित हुए थे । प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार थे:

| | |
|---|---|
| 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए | अगस्त 2022 के महीने में |
| 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही | नवंबर 2022 के महीने में |
| 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही | फरवरी 2022 के महीने में |
| 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष | मई 2023 के महीने में |

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर 'इन्वेस्टर्स कॉर्नर 'टैब के अंतर्गत वित्तीय परिणामों, विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं । वेबसाइट पर 'न्यूज़ रूम' सेक्शन में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां और संबंधित मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं।

### वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से आरंभ होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिणामों की घोषणा हेतु हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

| समाप्त तिमाही | जारी परिणाम |
|---|---|
| 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए | अगस्त 2023 का दूसरा सप्ताह |
| 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए | नवंबर 2023 का दूसरा सप्ताह |
| तिमाही और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए | फरवरी 2023 का दूसरा सप्ताह |
| 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | मई 2024 का दूसरा/ तीसरा सप्ताह |

## शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं । डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 382Z01011 है ।

8. 31 मार्च 2023 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,52,000 हैं । कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं । भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

| फॉर्म | इक्विटी शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट फॉर्म | 10,79,48,496 | 94.24 |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट फॉर्म | 66,03,499 | 5.76 |
| भौतिक फॉर्म | 5 | 0.00 |

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं । कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं । 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2022 के रू 2,592.88 करोड़ के मुकाबले रू 5,217.27 करोड़ रहा है ।

## 31 मार्च 2023 तक शेयरधारिता का वितरण

| इक्विटी शेयरों की संख्या | शेयरधारक | | शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या. | % | संख्या. | % |
| 1-500 | 57538 | 94.89 | 4183995 | 3.65 |
| 501-1000 | 1626 | 2.68 | 1261220 | 1.10 |
| 1001-2000 | 735 | 1.21 | 1105283 | 0.96 |
| 2001-3000 | 242 | 0.40 | 612351 | 0.53 |
| 3001-4000 | 99 | 0.16 | 354445 | 0.31 |
| 4001-5000 | 95 | 0.16 | 443718 | 0.39 |
| 5001-10000 | 138 | 0.23 | 1025605 | 0.90 |
| >10000 | 165 | 0.27 | 105565383 | 92.16 |
| **Total** | **60638** | **100.00** | **114552000** | **100.00** |

## 31 मार्च 2023 तक शेयरधारण का पैटर्न

| क्रं. सं. | शेयरधारक का नाम और श्रेणी | शेयरधारकों की संख्या | धारित शेयरों की कुल संख्या | एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना |
|---|---|---|---|---|
| **प्रमोटर शेयरधारक** | | | | |
| | केन्द्रीय सरकार | 1 | 8,53,41,240 | 74.50 |
| **(1)** | **प्रमोटर कि कुल शेयरधारिता** | **1** | **8,53,41,240** | **74.50** |
| **सार्वजनिक शेयरधारिता** | | | | |
| | **संस्थागत** | | | |
| क | म्यूचुअल फंड्स | 3 | 7,98,2673 | 6.97 |
| ख | वैकल्पिक निवेश फंड्स | 4 | 10,70,607 | 0.93 |
| ग | वित्तीय संस्थान / बैंक | - | - | - |
| घ | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक | 59 | 30,61,336 | 2.68 |
| ङ | बीमा कंपनियां | 1 | 11,885 | 0.01 |
| (क) | कुल संस्थागत शेयरधारिता | 67 | 1,21,26,501 | 10.59 |
| | **गैर-संस्थागत** | | | |
| क | निकाय कॉर्पोरेट | 365 | 32, 62,786 | 2.85 |
| ख | सार्वजनिक और अन्य | 60,205 | 1,38,21,473 | 12.06 |
| (ख) | कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता | 60,570 | 1,70,84,259 | 14.91 |
| **(2)** | **कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) + (ख)** | **60,637** | **2,92,10,760** | **25.5** |
| **कुल शेयरधारिता (1) + (2)** | | **60,638** | **11,45,52,000** | **100.00** |

## शेयर व्यापार का मूल्य और मात्रा

| वर्ष एवं माह | एनएसई | | | बीएसई | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च (₹) | न्यून (₹) | मात्र (संख्या में) | उच्च (₹) | न्यून (₹) | मात्र (संख्या में) |
| 2022 अप्रैल | 333.00 | 225.90 | 3,62,45,677 | 332.85 | 226.90 | 22,08,399 |
| मई | 324.40 | 248.30 | 12,442,173 | 324.15 | 248.05 | 13,85,049 |
| जून | 265.20 | 207.70 | 5,319,590 | 264.25 | 207.75 | 6,81,463 |
| जुलाई | 262.30 | 218.45 | 5,818,790 | 262.00 | 218.55 | 5,64,391 |
| अगस्त | 310.00 | 250.00 | 13,613,301 | 309.90 | 250.40 | 9,81,544 |
| सितंबर | 368.85 | 299.20 | 25,459,776 | 368.80 | 299.30 | 23,97,327 |
| अक्तूबर | 486.80 | 347.90 | 60,489,755 | 488.10 | 348.00 | 46,63,787 |
| नवंबर | 540.00 | 446.00 | 46,093,626 | 539.90 | 446.95 | 33,17,942 |
| दिसंबर | 556.80 | 392.50 | 25,788,085 | 556.80 | 390.70 | 17,55,140 |
| 2023 जनवरी | 506.10 | 463.50 | 11,243,066 | 506.05 | 463.30 | 8,72,198 |
| फरवरी | 529.10 | 400.50 | 8,076,406 | 528.70 | 400.95 | 7,80,196 |
| मार्च | 474.00 | 398.30 | 5,790,934 | 474.05 | 398.75 | 5,54,190 |

## ब्रोड आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

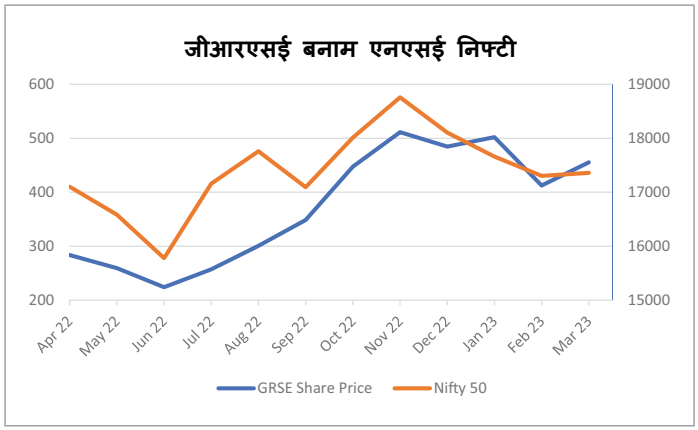


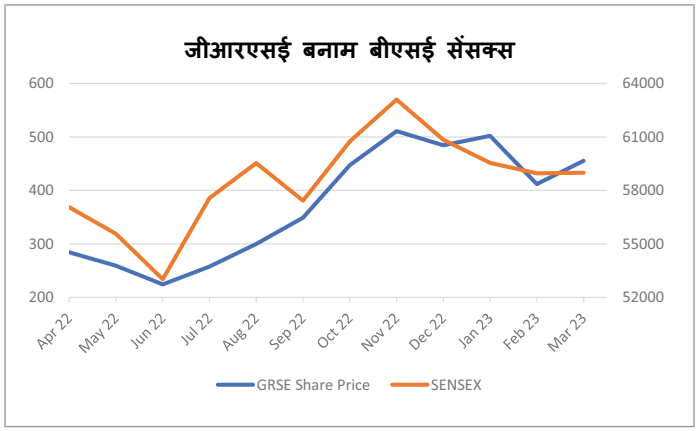


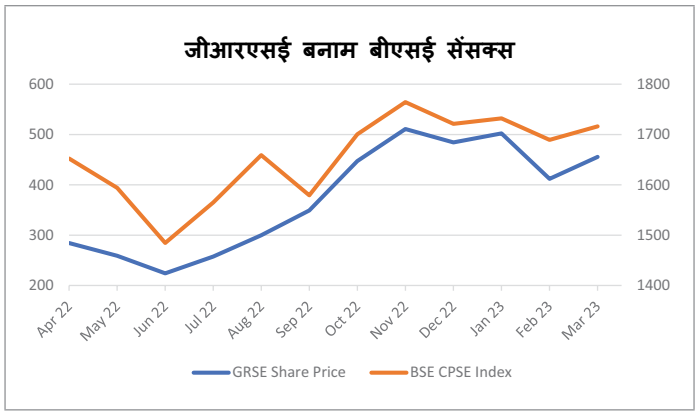


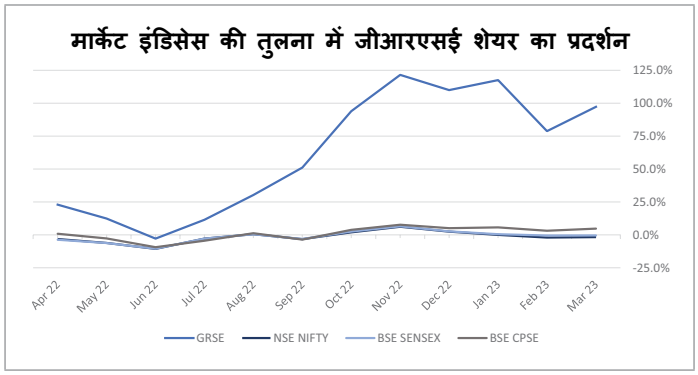


## शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान

राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कुल जारी / प्रदत्त पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान किया गया था । लेखा परीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है ।

## वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

10. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है । इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है । ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती है । इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

## क्रेडिट रेटिंग

12. वर्ष के दौरान, मैसर्स ब्रीकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आपकी कंपनी को गैर फंड आधारित सीमाओं सहित अल्पकालिक बैंक सुविधाओं हेतु दीर्घकालिक सुविधाओं और बीडब्ल्यूआर-ए1+ के लिए बीडब्ल्यूआर-एएए (आउटलुक स्टेबल) की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है ।

## शेयर अंतरण प्रणाली

13. कंपनी के डीमैटरियलाइज्ड शेयर डिपोजीटरी सिस्टम के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। हालाँकि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को आपकी कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा आपकी कंपनी के साथ समन्वय में संसाधित किया जाता है ।

14. निदेशक मंडल ने 25 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण का अधिकार कंपनी सचिव और कंपनी के अनुपालन अधिकारी को सौंप दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानांतरण के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नियमित रूप से कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण पर रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष उसकी जानकारी के लिए रखते थे।

15. इसके अलावा, 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियमन 40 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरों का अंतरण तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। । 31 मार्च 2023, को कंपनी के 5 इक्विटी शेयरों भौतिक रूप में रखा गया था ।

16. इसके अलावा, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिवों से प्राप्त शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर वार्षिक प्रमाणपत्र सेबी लिस्टिंग नियमों के विनियमन 40 (9) एवं 40 (10) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को भी जमा किए गए थे ।

## दावा रहित लाभांश

17. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़ें जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है । इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका

लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा । 31 मार्च 2023 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है ।

18. कंपनी ने आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण कंपनी की वबसाइट https://grse.in/iepf/ पर उपलब्ध है । 31 मार्च 2023 तक के अनुसार कंपनी के पास पड़े अनपेड़ तथा दावा रहित लाभांश राशि कंपनी की वैबसाइट https://grse.in/iepf/ और निगमित मामलों के मंत्रालय के वैबसाइट at www.iepf.gov.in. पर अपलोड किए गए है ।

## डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

19. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है ।

## निवेशक सेवाएं

20. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

    पत्राचार के लिए पता:

    205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,

    झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055

    ईमेल: info@alankit.com

21. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को निवेशकों द्वारा (04) भी शिकायतें प्राप्त हुई है ।

22. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है ।

## अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

| | |
|---|---|
| **नाम:** | **श्री संदीप महापात्र** |
| **पदनाम:** | कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी |
| **पता:** | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड |
| | जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, |
| | कोलकाता - 700 024 |
| | दूरभाष: +91 (033) 2469 8105-108 |
| | फैक्स: +91 (033) 2469 8150 |
| | ईमेल: co.sec@grse.co.in |
| | वेबसाइट: www.grse.in |

## संयंत्र के स्थान

| पोत निर्माण की गतिविधियाँ | इंजीनियरिंग गतिविधियाँ | इंजन गतिविधियाँ |
|---|---|---|
| **मेन वर्क्स यूनिट**<br>43/46, गार्डन रीच रोड<br>कोलकाता - 700 024 | **61 पार्क यूनिट**<br>61, गार्डन रीच रोड,<br>कोलकाता - 700 024 | **डीईपी रांची यूनिट**<br>प्लांट प्लाजा रोड,<br>धुर्वा,<br>रांची - 834 004 |
| **राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट**<br>44, गार्डन रीच रोड,<br>कोलकाता - 700 044 | **तारातला यूनिट**<br>पी -2 / 2, तारातला रोड,<br>कोलकाता - 700 088 | |
| **फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट**<br>पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी,<br>कोलकाता - 700 043 | | |

## विवरण का अद्यतन

### डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

23. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं । शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं ।

24. इसके अलावा, जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डीपी को आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) सहित अपना बैंक खाता विवरण प्रदान / अपडेट कर सकते हैं ।

### प्रमाणपत्र के रूप में धारित शेयरों के लिए

25. प्रमाणपत्र के रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए अपने पते/ शासनादेश/ बैंक विवरण आदि में किसी भी बदलाव की सूचना कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत दें ।

# अनुलग्नक - II

## निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड
कोलकाता-700024

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश") और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 ("सेबी एलओडीआर") की अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी और ई तथा विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से (I) में निर्धारण के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की जांच की है ।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी की के वित्तीय विवरणों के न ही लेखा परीक्षा है और न ही मत व्यक्त करता है ।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया, मेरी राय में, कंपनी ने सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

(क) 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियमन 17(1) (ए) ।

(ख) 01 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 और 01 जून 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियम 17(1)(ए) ।

(ग) 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति के संविधान के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 18 (1) और (2) ।

(घ) 01 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 1 9 (1) और 1 9 (2) ।

(ङ) सेबी एलओडीआर अर्थात उप-विनियम 17(4), विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं, अनुसूची II के भाग सी पैरा ए और विनियम 19(4) के साथ पठित अनुसूची II के भाग डी पैरा ए के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है ।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान के अनुपालन में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट के मद्देनजर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (10) का अनुपालन नहीं किया है। जिसके लिए सेबी एलओडीआर विनियम 25 (4) और संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी कहती हूं कि कंपनी रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को समय-समय पर रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते माहेश्वरी आर एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
**रश्मि महेश्वरी**
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126E000645359

दिनांक: 20 जुलाई 2023
स्थान: कोलकाता

# अनुलग्नक - III

## निदेशकों की गैर -आयोग्यता का प्रमाणपत्र

**(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)**

सेवा में,
सदस्यगण ,
**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**
जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, सीआईएन: L35111WB1934GOI00 7891 और निगमित कार्यालय जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है । कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था ।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

| क्रम.सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | कंपनी में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | 08591411 | 10 जून, 2022 |
| 2. | श्री रमेश कुमार दाश | 08511344 | 1 जुलाई, 2020 |
| 3. | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) | 09631817 | 08 जून, 2022 |
| 4. | श्री राजीव प्रकाश | 08590061 | 23 जून, 2022 |
| 5. | श्री संजय दत्तारे पानसे | 02725875 | 27 दिसंबर 2021 |
| 6. | श्री संजीब मोहन्ते | 09559883 | 06 अप्रैल, 2022 |

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके मंडल में सभी निदेशक अर्थात कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशक के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते माहेश्वरी आर एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
**रश्मि महेश्वरी**
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126E000645359

दिनांक: 20 जुलाई 2023
स्थान: कोलकाता

# अनुलग्नक IV

## मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता
मंडल के प्रिय सदस्यों,

हम, कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री रमेश कुमार दाश, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि:

   (i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा गया या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं ।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं । हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को सूचित किया है कि :

   (i) संदर्भित वर्ष के दौरान तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

हस्ता/-
**रमेश कुमार दाश**
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ
डीआईएन : 08511344

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08591411

कोलकाता
24 मई, 2023

# व्यावसायिक ज़िम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

**अनुभाग ए: सामान्य खुलासे**

**I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)।** | : | L35111WB1934GOI007891 |
| 2. | **सूचीबद्ध इकाई का नाम** | : | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड |
| 3. | **निगमन का वर्ष** | : | 26 फरवरी 1934 |
| 4. | **पंजीकृत कार्यालय पता** | : | जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024 |
| 5. | **कॉर्पोरेट पता** | : | जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024 |
| 6. | **ईमेल** | : | co.sec@grse.co.in |
| 7. | **टेलीफ़ोन** | : | 033-2469 8105 से 108 |
| 8. | **वेबसाइट** | : | www.grse.in |
| 9. | **वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की गई है** | : | **2022-23** |
| 10. | **स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं** | : | 1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)<br>2. बीएसई लिमिटेड (बीएसई) |
| 11. | **प्रदत्त पूंजी** | : | ₹1,14,55,20,000 |
| 12. | **बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में कोई जिज्ञासा होने पर उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफ़ोन, ईमेल पता) जिससे संपर्क किया जा सके** | : | श्री संदीप महापात्रा (कंपनी सचिव),<br>गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,<br>जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700024,<br>टेलीफोन: 033-2469 8545<br>ई-मेल: co.sec@grse.co.in |
| 13. | **रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।** | : | स्टैंडअलोन आधार |

**II. उत्पाद और सेवाएं**

**14. व्यवसाय गतिविधियाँ का विवरण (टर्नओवर का 90%):**

| क्रम संख्या | मुख्य गतिविधि का विवरण | व्यवसाय गतिविधि का विवरण | इकाई के कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| 01. | उत्पादन | (i) पोत निर्माण | 95.03% |
| | | (ii) इंजीनियरिंग | 2.74% |
| | | (iii) डीजल इंजन | 0.90% |
| 02. | सेवा | (iv) पोत की मरम्मत | 1.33% |

**15. इकाई द्वारा बेची गईं उत्पाद और सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90%):**

| क्रम संख्या | उत्पाद/सेवा | एनआईसी कोड | कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|---|
| 01. | पोत निर्माण | 301 | 95.03% |
| 02. | अभियांत्रिकी | 281 | 2.74% |
| 03. | पोत की मरम्मत | 331 | 1.33% |
| 04. | डीजल इंजन | 711 | 0.90% |

## III. प्रचालन

**16. स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या प्रचालन /कार्यालय का इकाई स्थित हैं:**

| स्थान | संयंत्र की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|
| **राष्ट्रीय** | 6 (छः) | 5 (पांच) | 11 (ग्यारह) |
| **अंतरराष्ट्रीय** | शून्य | शून्य | शून्य |

**17. इकाई द्वारा सेवित बाज़ार:**

**क. स्थानों की संख्या**

| स्थानों | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) | हमारे उत्पाद की पहुँच रक्षा बलों के माध्यम से पूरे भारतीय क्षेत्र तक है । |
| अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या) | लगभग 10 देश |

**ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का क्या योगदान है ?**

2.33%

**ग. ग्राहक के प्रकार का संक्षिप्त**

जीआरएसई रक्षा के साथ-साथ नागरिक प्रचालन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों को आपूर्ति करता है । हालाँकि, कंपनी की अधिकांश आपूर्ति भारतीय रक्षा सेवाओं, अर्थात् भारतीय नौसेना (आईएन), भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और भारतीय सेना (आईए) के लिए है।

## IV. कार्मिक

**18. वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर विवरण :**

**क. कार्मिक और कर्मी (दिव्यांग सहित):**

| क्रं. सं. | विवरण | कुल (ए) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (बी) | % (बी / ए) | संख्या (सी) | % (सी / ए) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| 1. | स्थायी (डी) | 590 | 539 | 91.36% | 51 | 8.64% |
| 2. | स्थायी के अतिरिक्त (ई) | 78 | 68 | 87.18% | 10 | 12.82% |
| 3. | **कुल कार्मिक (डी + ई)** | 668 | 607 | 90.87% | 61 | 9.13% |
| | **कर्मी** | | | | | |
| 4. | स्थायी (एफ) | 1075 | 1046 | 97.30% | 29 | 2.70% |
| 5. | स्थायी के अतिरिक्त (जी) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 6. | **कुल कर्मी (एफ + जी)** | 1076 | 1046 | 97.21% | 30 | 2.79% |

**ख. दिव्यांग कर्मचारी और कर्मी:**

| क्रं. सं. | विवरण | कुल (ए) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (बी) | % (बी / ए) | संख्या (सी) | % (सी / ए) |
| | **दिव्यांग कार्मिक** | | | | | |
| 1. | स्थायी (डी) | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
| 2. | स्थायी के अतिरिक्त (ई) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | **कुल दिव्यांग कार्मिक (डी + ई)** | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
| | **दिव्यांग कर्मी** | | | | | |
| 4. | स्थायी (एफ) | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% |
| 5. | स्थायी के अतिरिक्त (जी) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 6. | **कुल दिव्यांग कर्मी (एफ + जी)** | 37 | 35 | 94.59% | 2 | 5.41% |

**19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व**

| | कुल (ए) | महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | नहीं। (बी) | % (बी / ए) |
| निदेशक मण्डल | 6 | 0 | 0% |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 1 | 0 | 0 |

**20. स्थायी कार्मिकों और कर्मियों के लिए टर्नओवर दर**

(गत 03 वर्षों के ट्रेंड्स का खुलासा करें)

| | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कार्मिक | 2.60% | 0 | 2.60% | 1.86% | 0 | 1.86% | 0.89% | 0 | 0.89% |
| स्थायी कर्मी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## V. धारित, सहायक और संबंद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

**21. (ए) धारित/सहायक/संबंद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यमों का नाम**

| क्र. सं. | धारित/सहायक/संबंद्ध कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों का नाम | क्या धारित/ सहायक/संबंद्ध कंपनियां/संयुक्त उद्यम है, इंगित करें | सूचीबद्ध इकाई द्वारा रखे गए शेयरों का % | क्या कॉलम ए में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई के व्यवसाय उत्तरदायित्व में भाग लेता है ? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

## VI. सीएसआर विवरण

**22.** (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: **हाँ**

(ii) कारोबार ₹1,75,751.37 लाख में

(iii) निवल मूल्य ₹1,25,789.07 लाख में

## VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

**23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/फरियाद:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी और सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई एवं रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कोई निवेशक शिकायतें/फरियाद प्राप्त नहीं हुई है।

| हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है | शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) | वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी |
| समुदाय | हाँ (www.pgportal.gov.in) | 18 | 0 | इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। | 25 | 0 | इन शिकायतों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | नहीं | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| शेयरधारकों | हाँ* | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| कर्मचारी और श्रमिक | हाँ (शिकायतें ईमेल या पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए, कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं है) | 2 | 2 | सेवा संबंधी मामले | 4 | 4 | सेवा संबंधी मामले |
| ग्राहकों | हाँ** | 0 | 0 | ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है। | 0 | 0 | ग्राहकों के साथ संरचित बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है और इसमें भाग लिया गया है। |
| मूल्य श्रृंखला भागीदार | हाँ (कोई वेब लिंक उपलब्ध नहीं) | - | - | - | - | - | - |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - | - | - | - |

* सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास हितधारक संबंध समिति है। इसलिए, कोई वेब लिंक नहीं है

** जीआरएसई रक्षा ग्राहकों से संबंधित है और इसलिए सभी संचार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार गोपनीय मोड के माध्यम से होता है, अतः कोई वेब लिंक नहीं है।

## 24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

| क्रम संख्या. | पहचान गए भौतिक मुद्दे | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क | जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पर्यावरणीय पदचिह्न - जल प्रबंधन | जोखिम | रीसाइक्लिंग से संबंधित मौजूदा और उभरते नियमों का अनजाने में अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आर्थिक दंड और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है | अपशिष्ट उत्पादन में कमी, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को अधिकतम करना। | नकारात्मक प्रभाव |
| 2. | विनियामक अनुपालन | जोखिम | विनियामक अनुपालन का उल्लंघन करने पर अक्सर जुर्माना और जुर्माने सहित कानूनी सजा दी जाती है | 1. पारदर्शिता और अनुपालन पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत नैतिक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण<br>2. अनुपालन-संबंधी जोखिमों के संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन करना | नकारात्मक प्रभाव |
| 3. | कॉर्पोरेट प्रशासन - बोर्ड संरचना | जोखिम | जीआरएसई एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और कंपनी का अधिनियम/नियम/विनियम के तहत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्ति को भरने पर कोई नियंत्रण नहीं है, ताकि इसका अनुपालन किया जा सके। | कंपनी समय पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय के साथ अग्रिम कार्रवाई कर रही है। | नकारात्मक प्रभाव |
| 4. | सतत आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग | अवसर | हरित, स्थानीय और सामाजिक रूप से सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना स्थानीय रोजगार पैदा करने के साथ-साथ स्थिरता और विविधता में योगदान कर सकता है | 1. कच्चे माल की खरीद लागत कम<br>2. परिवहन लागत में कमी | सकारात्मक प्रभाव |
| 5. | भर्ती और प्रतिभा प्रतिधारण | अवसर | कर्मचारी लाभ योजनाएं शुरू करना, प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज की पेशकश करना और विविध कार्यबल पर ध्यान केंद्रित करने से सही प्रतिभा को बनाए रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान विविध दृष्टिकोण लाने में मदद मिल सकती है। | भर्ती लागत में कमी | सकारात्मक प्रभाव |
| 6. | शिकायत तंत्र | जोखिम | एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने से नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों का विश्वास कायम होता है। | कानूनी जुर्माना और सज़ा | नकारात्मक प्रभाव |
| 7. | मानव अधिकार | जोखिम | मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन न करने से प्रतिष्ठा को नुकसान और जुर्माना हो सकता है | संगठन और इसकी मूल्य श्रृंखला के भीतर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना | नकारात्मक प्रभाव |

| क्रम संख्या. | पहचान गए भौतिक मुद्दे | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क | जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी | जोखिम | नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन न करने की स्थिति में कंपनी को कानूनी जुर्माना, दंड, क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा, व्यवसाय में व्यवधान और विश्वास मंत कमी का सामना करना पड़ सकता है। | 1. लागू कानूनों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए आंतरिक नियंत्रण लागू करना<br>2. नैतिक प्रथाओं पर आंतरिक हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना तैयार करना<br>3. एक प्रभावी मुखबिर और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना | नकारात्मक प्रभाव |

## अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

| | प्रकटीकरण प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ | | | | | | | | | | |
| 1. | क. क्या आपकी इकाई की नीति/ नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| | ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| | ग. यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक | नीतियां कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies/ और कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। | | | | | | | | |
| 2. | क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3. | क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 4. | आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम | सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधान | आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015, आईएसओ 45001: 2018 | आईएसओ 45001: 2018 और डीपीई दिशानिर्देश | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी | डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी | आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 50001: 2018 | डीपीई दिशानिर्देश और एसडीजी | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देश | आईएसओ 9001: 2015 और एसडीजी |
| 5. | परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो। | वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय, गैर-वित्तीय लक्ष्यों और अनुपालन मापदंडों के लिए 100 अंकों के वेटेज के साथ जीआरएसई और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, कोई भी प्रतिबद्धता, लक्ष्य और लक्ष्य, जहां भी लागू हो, इस रिपोर्ट के खंड सी में प्रदान किए गए हैं। | | | | | | | | |
| 6. | विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं। | वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन पूरा होने पर, इसे आगे के मूल्यांकन और रेटिंग देने के लिए एमओडी / डीपीई को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, इस रिपोर्ट के खंड सी में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध प्रदर्शन प्रदान किया जाता है। | | | | | | | | |

| प्रकटीकरण प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

7. **शासन, नेतृत्व और निरीक्षण**

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)

हमारा लक्ष्य समुदाय के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी भविष्य बनाना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी उत्सर्जन और अपशिष्ट की निगरानी की जाती है। कंपनी लक्षित सीएसआर गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार वृद्धि और स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, नदी कायाकल्प, पर्यावरण स्थिरता आदि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक कायाकल्प को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

जीआरएसई एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। भारत का और कंपनी का अधिनियम/नियम/विनियम के तहत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्ति को भरने पर कोई नियंत्रण नहीं है, ताकि इसका अनुपालन किया जा सके।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

| | |
|---|---|
| डीआईएन नंबर | 10205285 |
| नाम | डीआइजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) |
| पद का नाम | निदेशक (कार्मिक) |
| टेलीफ़ोन नंबर। | 033-24691040 |
| ईमेल आईडी | dp@grse.co.in |

9. क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हाँ। स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने/निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की समितियाँ अपने विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ मौजूद हैं। समितियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और अन्य प्रबंधन समितियाँ हैं।

10. **कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**

| | समीक्षा का विषय | बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
| | उपरोक्त नीतियों के विरूद्ध निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई | निदेशक | | | | | | | | | नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक अद्यतन किए जाते हैं। | | | | | | | | |
| | सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार* | निदेशक | | | | | | | | | जब भी आवश्यकता हो. | | | | | | | | |

* स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निदेशक मंडल की संरचना और इसकी समिति के गठन के अलावा अनुपालन किया गया। चूँकि, कंपनी एक सीपीएसई है, निदेशकों की नियुक्ति हमारे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा की जानी है। इसलिए, पद को भरने के लिए मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है और यह मामला रक्षा मंत्रालय/डीपीई के पास लंबित है।

| प्रकटीकरण प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं. | कोई बाहरी मूल्यांकन नहीं किया गया, हालांकि, नीतियां, प्रक्रियाएं और अनुपालन आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों, नियामकों, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा जांच/समीक्षा के अधीन हैं। नीतियों का समय-समय पर विभिन्न विभाग प्रमुखों, व्यवसाय प्रमुखों द्वारा मूल्यांकन और अद्यतन किया जाता है। प्रबंधन और/या बोर्ड द्वारा अनुमोदित। | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए: | |
| | संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं) | चूंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं, इसलिए लागू नहीं है। |
| | इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं) | |
| | इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं) | |
| | इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं) | |
| | कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | |

## खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है , नेतृत्व संकेतकों का खुलासा स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

### सिद्धांत 1:

**व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

| खंड | आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 2 | अनुपालन प्रबंधन, पर्यावरण, सामाजिक, शासन आदि, और बेहतर बोर्ड बनाने पर मास्टर क्लास | 50% |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | 2 | ईएसजी और शासन नीति | 100% |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 35 | कर्मचारियों के कल्याण, सीडीए, सुरक्षा, पर्यावरण और स्थिरता आदि से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम। | 15.48 % |
| कर्मी | 30 | प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान/कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। | 36.43 % |

**2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:**

| मुद्रा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम | राशि (रू. में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं) |
| जुर्माना/जुर्माना | 1 | एनएसई<br>बीएसई | 22,66,780<br>22,66,780 | वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), 18(1), और 19(1)/19(2) | हाँ |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| कंपाउंडिंग शुल्क | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| गैर -मौद्रिक | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं) |
| कैद होना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सज़ा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

| मामले का विवरण | नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम |
|---|---|
| उल्लिखित एक जुर्माना/जुर्माने के मामले के विवरण के अलावा, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 2 2 अगस्त 2022, 21 नवंबर 2022, 21 फरवरी, 2023 और 22 मई, 2023 के माध्यम से तिमाहीवार प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है और जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, सेबी के एसओपी के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना माफ करने के मामले पर विचार नहीं कर सके। | एनएसई और बीएसई |

**4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हां, जीआरएसई की भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी नीति है। कंपनी के पास एक अच्छी तरह से तैयार आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम है जिसका सभी कर्मचारियों को पालन करना होता है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) रक्षा मंत्रालय, सरकार के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। भारत की। सीवीसी अधिनियम, 2003 के अनुसार, जीआरएसई लिमिटेड भ्रष्टाचार विरोधी/रिश्वत विरोधी नीति के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके सभी नियम और विनियम और नीतियां सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

संगठन की सतर्कता व्यवस्था का नेतृत्व एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जो केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर है और संगठन और केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच एक लिंक प्रदान करता है।

सीवीओ सभी शिकायतें प्राप्त करता है, सभी सतर्कता मामलों को संभालता है, नियमित और औचक निरीक्षण करता है और सीवीसी को रिपोर्ट करता है। सीवीओ और उनके अधिकारियों के नाम, ईमेल पता और फोन नंबर जीआरएसई वेबसाइट (https://www.grse.in/vigilance-corner/) के विजिलेंस कॉर्नर और यदि कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो सीवीओ से संपर्क करने के लिए भी एक लिंक (https://www. grse.in/registering-a-new-complaint/) में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति सीधे सीवीसी के पास शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो इसके लिए लिंक (https://portal.cvc.gov.in/) भी जीआरएसई वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, कंपनी के 2.0 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी निविदाओं और अनुबंधों की निगरानी के लिए, कंपनी के पास दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) हैं। 2.0 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी निविदाओं और अनुबंधों में आईईएम के नाम, पते और टेलीफोन नंबर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बोली लगाने वालों को, यदि वे चाहें, तो किसी भी समस्या के मामले में उनसे संपर्क करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा ऐसी निविदाओं में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से एक सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना होता है, जिसमें संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और प्रिंसिपल (जीआरएसई) के बीच एक समझौते की परिकल्पना की गई है, जो दोनों

पक्षों के व्यक्तियों / अधिकारियों को किसी भी भ्रष्ट का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में अभ्यास। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता, जो प्रिंसिपल के साथ इस तरह के समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाते हैं। किसी विशेष अनुबंध के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता बोलियां आमंत्रित करने के चरण से लेकर अनुबंध के अंतिम समापन तक क्रियाशील रहता है। इसके किसी भी उल्लंघन से बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बाहर किया जा सकता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता मैनुअल जीआरएसई में सतर्कता/भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश बनाता है। सीवीओ की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित कार्य करना है:

i) दंडात्मक सतर्कता

ii) निवारक सतर्कता

iii) निगरानी एवं जांच.

सीवीसी सतर्कता मैनुअल निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://www.cvc.gov.in/sites/default/files/Vigilance%20Manual%28updated%202021%29-Hyperlinked.pdf

जीआरएसई वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न नीतियों के लिंक इस प्रकार हैं:

1. जीआरएसई शिकायत नीति:

   https://www.grse.in/wp-content/uploads/2022/04/grse_complaint_policy_signed.pdf

2. जीआरएसई व्हिसिल ब्लोअर नीति:

   https://www.grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy.pdf

**5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| निदेशक | शून्य | शून्य |
| के.एम.पी | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| कर्मी | शून्य | शून्य |

**6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणी | संख्या | टिप्पणी |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | | शून्य | |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | | शून्य | |

**7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नियामक/कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना/जुर्माना/कार्रवाई नहीं की गई है।

**<u>नेतृत्व संकेतक</u>**

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम:**

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)। |
|---|---|---|
| उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | 0% |

**2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

हां, कंपनी को वार्षिक आधार पर और शामिल होने पर अपने बोर्ड सदस्यों से उनके निदेशक पद/समिति/शेयरधारिता के संबंध में खुलासे/घोषणाएं प्राप्त होती हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों के साथ लेनदेन करने से पहले विभिन्न क़ानूनों के तहत सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हों। इच्छुक निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उन एजेंडा आइटमों में भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनकी रुचि मानी जाती है।

## सिद्धांत 2:

**व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों**

**आवश्यक संकेतक**

1. **इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 | पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण |
|---|---|---|---|
| अनुसंधान एवं विकास | शून्य | शून्य | ना |
| कैपेक्स | 8.60% | शून्य | हरित ऊर्जा में सुधार |

2. **(ए) क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं?**

   **हाँ**

   **(बी) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये थे?**

   हमारे पास हरित खरीद प्रथाएं हैं जो पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल खरीद प्रथाओं को सक्षम बनाती हैं। सभी ई-टेंडरों के लिए एक समर्पित पोर्टल की सुविधा है, जिसे www.grse.in.

   उपकरणों की खरीद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है जो वैश्विक टिकाऊ मानकों के अनुरूप हैं। इन सभी प्रथाओं ने हमें टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने में सक्षम बनाया है। पारदर्शी और टिकाऊ खरीद सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं जैसे कि जेम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पर विक्रेताओं को शामिल करना, जिसके लिए 19,000 से अधिक विक्रेताओं के रिकॉर्ड जेम के साथ साझा किए गए, विक्रेताओं (दुर्दम्य / सहायक, आदि) के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भावना को प्रोत्साहित करना। खरीद, पैनल, समीक्षा और अद्यतन विक्रेता डेटाबेस आदि के लिए संयंत्रों/इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा। जीआरएसई ने व्यवसाय सुधार और टिकाऊ व्यवसाय अभ्यास के रूप में ई-खरीद/जीईएम लागू किया है। इसके अलावा, हमारे 100% उपकरण/इनपुट स्थायी रूप से सोर्स किए जाते हैं

   इसके अतिरिक्त, जीआरएसई उन सभी सरकारी नीतियों को लागू करता है जो हमारी स्थायी सोर्सिंग में योगदान करती हैं, जैसे कि घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद, घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों, सेवाओं या रक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए खरीद प्राथमिकता नीति, घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तरजीही बाजार पहुंच। नीति, आदि

3. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   जीआरएसई उत्पाद पूंजीगत सामान श्रेणी में आते हैं जिनका जीवन अधिकांश मामलों में 25 वर्ष से अधिक हो जाता है। कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। एक बार उत्पाद बिकने के बाद वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे। पूंजीगत वस्तुओं का उपयोगी जीवन समाप्त होने के बाद, वे पुन: उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसलिए पूंजीगत अच्छे उत्पादों के मालिकों द्वारा उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है।

4. **क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।**

   ईपीआर जीआरएसई की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

   नहीं, कंपनी ने उत्पादों के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन नहीं किया है।

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो कार्रवाई के साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें। उसी को कम करने के लिए लिया गया।**

   शून्य

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

   कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाएं उचित मात्रा में धातु स्क्रैप उत्पन्न करती हैं, हालांकि अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं। कुछ धातु स्क्रैप का पुन: उपयोग किया जाता है और शेष को उचित प्रक्रिया के बाद बेच दिया जाता है।

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):**

   जीआरएसई का व्यवसाय बी2बी प्रकृति का है और हमारे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद/प्रणालियां लंबे जीवन चक्र (25 वर्ष और उससे अधिक) के साथ पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। सभी संबद्ध पैकेजिंग सामग्री जिसमें हम अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, देश और विदेश में फैले हमारे ग्राहकों की संपत्ति बन जाती है। इस स्थिति में, ग्राहक से उत्पाद (जीवन के अंत) या पैकेजिंग सामग्री को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है।

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

   पोत निर्माण, पोत मरम्मत और कंपनी के अन्य उत्पादों के मामले में उत्पाद पैकेजिंग को पुनः प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

## सिद्धांत 3

**व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

**1. (ए) कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:**

| वर्ग | कुल (ए) | द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का % | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा (*) | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (बी) | % (बी/ ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (ई) | % (ई/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 539 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3.90 | - | - |
| महिला | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल | 590 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3.56 | - | - |
| **स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.47 | - | - |
| महिला | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.28 | - | - |

**(बी) श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:**

| वर्ग | कुल (ए) | द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का % | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा (*) | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (बी) | % (बी/ ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (ई) | % (ई/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 1046 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1.43% | - | - |
| महिला | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल | 1075 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1.40% | - | - |
| **स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) कंपनी के मेडिकल अटेंडेंस नियमों के तहत कंपनी द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का प्रबंधन किया जाता है।

**2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण**

| फ़ायदे | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिक | कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/ नहीं/एनए) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/ एनए) |
| पीएफ | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ग्रेच्युटी | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ईएसआई | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| अन्य - (जीआरएसई पेंशन योजना) | ना | ना | ना | ना | ना | ना |

टिप्पणी:

(i) कंपनी की इकाइयों में स्थापित कंपनी औद्योगिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। विशेष उपचार के मामले में, कर्मचारियों/कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाता है। चूंकि कंपनी द्वारा स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, इसलिए कोई अलग से स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया जाता है।

(ii) पीएफ और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में, सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को जीआरएसई पेंशन योजना के तहत भी कवर किया जाता है।

(iii) ईएसआई लागू नहीं है क्योंकि जीआरएसई सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना का विस्तार करता है।

**3. कार्यस्थलों की पहुंच**

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हाँ, हमारे सभी कार्यालय परिसर/इकाइयाँ दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। जीआरएसई लगातार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच में सुधार लाने की दिशा में काम कर रहा है और इसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है।

**4. क्या इकाई के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

हां, कंपनी भारत सरकार के आदेशानुसार समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग कर्मियों और महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई करती है। । कंपनी एक समान अवसर नियोक्ता है और भर्ती और रोजगार संबंध में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषाई आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।

यदि किसी कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त किया जाता है, तो 'दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम' के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, पीडबल्यूडी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता के लिए स्थानांतरण और जॉब रोटेशन नीति अनिवार्य है।

नीति का वेब लिंक https://www.grse.in/equal-opportunity-policy/

**5. पैरेंटल अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।**

| लिंग | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्य दर पर लौटें | अवधारण दर | कार्य दर पर लौटें | अवधारण दर |
| पुरुष | 100% | 100% | 100% | 100% |
| महिला | 100% | 100% | 100% | 100% |
| कुल | 100% | 100% | 100% | 100% |

**6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

| | हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें) |
|---|---|
| स्थायी कर्मचारी | हाँ |
| स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य | हाँ |
| कर्मचारी | हाँ |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य | हाँ |

जीआरएसई के पास शिकायत निवारण प्रणाली सहित कई ऑनलाइन शिकायत पोर्टल हैं जो अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को कंपनी के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ने की अनुमति देता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत विचार और राय व्यक्त करने में सक्षम बनाता है।

**7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:**

| वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों/श्रमिकों (ए) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी) | % (बी/ए) | कुल कर्मचारी / संबंधित श्रेणी के श्रमिक (सी) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी) | % (डी/सी) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | 672 | 460 | 68.45% | 629 | 478 | 75.99% |
| ▪ पुरुष | 611 | 421 | 68.90% | 572 | 439 | 76.75% |
| ▪ महिला | 61 | 39 | 63.90% | 57 | 39 | 68.42% |
| कुल स्थायी श्रमिक | 1076 | 1076 | 100.00 | 1161 | 1161 | 100.00 |
| ▪ पुरुष | 1046 | 1046 | 100.00 | 1129 | 1129 | 100.00 |
| ▪ महिला | 30 | 30 | 0 | 32 | 32 | 0 |

**8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:**

| वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | स्वस्थ्य पर और सुरक्षा उपाय | | कौशल पर उन्नयन | | कुल (डी) | स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | संख्या (बी) | % (बी ० ए) | सं. (सी) | % (सी/ए) | | संख्या (इ) | % (ई/डी) | संख्या (एफ) | % (एफ/डी) |
| | | | | | **कर्मचारी** | | | | | |
| पुरुष | 611 | 77 | 12.60 | 417 | 68.25 | 572 | 66 | 11.54 | 439 | 76.75 |
| महिला | 61 | 15 | 24.59 | 35 | 57.37 | 57 | 17 | 29.82 | 42 | 73.68 |
| कुल | 672 | 92 | 13.69 | 452 | 67.26 | 629 | 83 | 13.19 | 481 | 76.47 |
| | | | | | **श्रमिक** | | | | | |
| पुरुष | 1046 | 382 | 36.52 | 26 | 2.49 | 1129 | 14 | 1.24 | 74 | 6.55 |
| महिला | 30 | 5 | 16.67 | 2 | 6.67 | 32 | 2 | 6.25 | 3 | 9.38 |
| कुल | 1076 | 387 | 35.97 | 28 | 2.60 | 1161 | 16 | 1.38 | 77 | 6.63 |

**9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:**

| वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | संख्या (बी) | %(बी / ए) | कुल (सी) | संख्या (डी) | %(डी/सी) |
| पुरुष | 539 | 539 | 100 | 535 | 535 | 100 |
| महिला | 51 | 51 | 100 | 49 | 49 | 100 |
| कुल | 590 | 590 | 100 | 584 | 584 | 100 |
| पुरुष | 1046 | 284 | 27.15 | 1129 | 303 | 26.84 |
| महिला | 29 | 6 | 20.69 | 31 | 6 | 19.35 |
| कुल | 1075 | 290 | 26.98 | 1160 | 309 | 26.64 |

**10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

**ए. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हां। ऐसी प्रणाली की कवरेज?**

हां, जीआरएसई ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) लागू की है। जीआरएसई का लक्ष्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किसी भी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और उससे आगे निकलने के लिए आवश्यक उच्चतम मानक स्थापित करना है। सभी जीआरएसई इकाइयों के पास आईएसओ प्रमाणन है, और कवरेज सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार है। वैधानिक आवश्यकताओं/विनियमों/दिशानिर्देशों/पुलिस के अनुरूप, जीआरएसई कार्यस्थल से संबंधित सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तदनुसार, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके सभी कार्यों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह जोखिम मूल्यांकन में सहायता करता है और संचालन और गतिविधियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। आंतरिक और निगरानी ऑडिट और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है।

**बी. कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?**

कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है:

(i) खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन
(ii) पहलू और प्रभाव रजिस्टर
(iii) सूची जांचें
(iv) सुरक्षा निरीक्षण/टिप्पणियाँ
(v) ड्राइव एवं अभियान
(vi) सुरक्षा ऑडिट

**सी. क्या कंपनी के पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रिया है? (हां नहीं)**

हाँ

**डी. क्या कंपनी के कर्मचारियों/कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां नहीं)**

**हाँ**

**11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:**

| सुरक्षा घटना I संख्या | वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|---|
| खोए हुए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति काम किए गए घंटे) | कर्मचारी | 2.43 | 3.02 |
| | श्रमिक | शून्य | शून्य |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें | कर्मचारी | 08 | 09 |
| | श्रमिक | शून्य | शून्य |
| मरने वालों की संख्या | कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| | श्रमिक | शून्य | शून्य |
| उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर) | कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| | श्रमिक | शून्य | शून्य |

**12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।**

सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(i) कार्यस्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, मशीन गार्ड और निकास प्रणाली का प्रावधान;
(ii) पेयजल, विश्राम कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रावधान;
(iii) व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण के प्रावधान;
(iv) अग्नि, संरक्षा, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा पर साइनेज, एहतियाती बोर्ड और प्रशिक्षण के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई।
(v) हाइट वर्क, हॉट वर्क जैसी वर्क परमिट प्रणालियों का कार्यान्वयन;
(vi) कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच;
(vii) संरक्षा बैनर प्रदर्शित करके, संरक्षा बैज का वितरण, संरक्षा शपथ लेकर और संरक्षा जागरूकता पोस्टर आदि प्रदर्शित करके संरक्षा दिवस मनाया गया।

**13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत मां लंबित संकल्प | टिप्पणी |
| काम करने की स्थिति | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| स्वास्थ्य और संरक्षा | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |

**14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन (संस्था या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) किया गया |
|---|---|
| स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ | 100 |
| काम करने की स्थिति | 100 |

**15. संरक्षा -संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

(i) सभी संरक्षा संबंधी घटनाओं की जांच की जाती है और जांच से मिली सीख को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों की तैनाती के लिए पूरे संगठन में साझा किया जाता है। संरक्षा ऑडिट के दौरान सुधारात्मक कार्रवाइयों की तैनाती की प्रभावशीलता की जाँच की जाती है।

(ii) संबंधित क्षेत्र या समारोह जहां घटना हुई है, वहां संरक्षा नियमावली और एसओपी की समीक्षा/पुनरीक्षण किया जाता है।

(iii) स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को निम्नलिखित जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम के माध्यम से संबोधित किया जाता है अर्थात उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण (प्रौद्योगिकी/डिजिटलीकरण आदि का उपयोग), प्रशासनिक नियंत्रण (संरक्षा क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, दृश्य प्रदर्शन आदि)) और पीपीई का उपयोग।

**<u>नेतृत्व संकेतक</u>**

**1. क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हाँ /नहीं) (बी) श्रमिकों (हाँ /नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।**

| | | |
|---|---|---|
| क. | कर्मचारी | हाँ |
| ख. | कर्मी | हाँ |

**2. संस्था द्वारा किए गए उपायों को प्रदान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि की कटौती और जमा की गई है।**

जीआरएसई के सभी मूल्य श्रृंखला साझेदार पीएफ और ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जो उन्हें वैधानिक बकाया राशि में कटौती और जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। केंद्र और राज्य दोनों श्रम विभाग, पीएफ और ईएसआई विभाग इस संबंध में समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

इसके अलावा, जीआरएसई और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में सेवा प्रदाता द्वारा पीएफ, ईएसआई आदि जैसे आवश्यक वैधानिक भुगतान के लिए 'भुगतान शर्तों' के तहत खंड भी शामिल है।

**3. उन कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च परिणाम वाली कार्य संबंधी चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की पहली तिमाही में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

2022-23 और 2021-22 के दौरान किसी भी कर्मचारी का पुनर्वास नहीं किया गया।

**4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं)**

नहीं

**5. मूल्य श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

जीआरएसई के सभी मूल्य श्रृंखला साझेदार प्रासंगिक श्रम कानूनों और अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। जिसके कारण केंद्रीय और राज्य श्रम विभाग दोनों मूल्य श्रृंखला साझेदारों के आधार पर स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। पहचाने गए किसी भी अंतर को साझेदारों द्वारा उचित रूप से संबोधित किया जाता है।

**6. मूल्य श्रृंखला साझेदारों के स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

उपरोक्त 5 पॉइंट का संदर्भ लें

## सिद्धांत 4

**व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए**

**<u>आवश्यक संकेतक</u>**

**1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

कंपनी के पास प्रमुख हितधारकों की पहचान के लिए प्रणाली है। जीआरएसई में हितधारकों की सहभागिता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर उनकी अपेक्षाओं को समझने और संबोधित करने के लिए बातचीत करती है और साझा मूल्य बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करती है। कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के साथ आपसी विश्वास, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाए हैं। कंपनी के संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत की प्रक्रिया और उनकी प्रतिक्रिया ने हमें हितधारकों

के साथ स्थायी संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाया है। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, सरकार, नियामक और वैधानिक निकायों, लेखा परीक्षकों, बैंकरों के अलावा, कंपनी के डिवीजनों/यूनिटों के आसपास के सभी समुदाय के सदस्यों को कंपनी के प्रमुख हितधारक के रूप में माना जाता है।

**2. आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्यव्यस्तता की आवृत्ति बताएं।**

| हितधारक समूह | क्या इसकी पहचान कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में की गई है (हां/नहीं) | संचार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), के चैनल अन्य | कार्यव्यस्तता की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें) | कार्यव्यस्तता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| ग्राहकों | नहीं | ईमेल, पत्र, बैठकें, वेबसाइट आदि। | नियमित रूप से | ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी आवश्यकता, शिकायतों का समाधान, व्यावसायिक पूछताछ आदि का मूल्यांकन । |
| शेयरधारकों | नहीं | वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, समाचार पत्र प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज खुलासे, वार्षिक रिपोर्ट, आदि। | नियुक्ति त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर और जब भी कार्यक्रम होता है तब की जाती है। | सभी आयोजनों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक शिकायतों और प्रकटीकरणों का समाधान आवश्यक है। |
| कर्मचारी | नहीं | ईमेल, नोटिस बोर्ड, ई-न्यूज़लेटर, पत्रिका, कार्यक्रमों, शॉप कॉउंसिल, प्लांट काउंसिल आदि पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश, | साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और कभी-कभी | कंपनी की गतिविधियों पर जानकारी |
| विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं | नहीं | वेबसाइट, ईमेल, जीआरएसई वेबसाइट, विक्रेता बैठक आदि। | नियमित रूप से | विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को इसके बारे में जागरूक करना:<br>• सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)<br>• आयात प्रतिस्थापन<br>• जेम पोर्टल पर जारी निविदाओं में भाग लेना<br>• जीआरएसई के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना और उन पर नज़र रखना।<br>• जीआरएसई गुणवत्ता उद्देश्य |
| उद्योग निकाय, नियामक | नहीं | ईमेल, पत्र, बैठकें | जब भी आवश्यकता हो. | लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें |
| सरकार; गैर सरकारी संगठन; स्थानीय समुदाय; मीडिया. उद्योग विश्लेषक, समाज | नहीं | आवश्यकतानुसार: शासन आरएफआई/आरएफपी; प्रस्तुतियाँ, परियोजना बैठकें, समीक्षाएँ, उचित परिश्रम, कॉल और बैठकें, सम्मेलन और सेमिनार, सर्वेक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन; मीडिया साक्षात्कार और उद्धरण, प्रायोजित कार्यक्रम, विश्लेषक बैठक | मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जब भी आवश्यकता हो। | • जीआरएसई प्रदर्शन और रणनीति के बारे में बताएं;<br>• सार्वजनिक और व्यावसायिक चिंताओं के बारे में जानकारी साझा करें और योगदान करें;<br>• जिम्मेदार व्यावसायिक मुद्दों पर जीआरएसई की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें। |

**<u>नेतृत्व संकेतक</u>**

**1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

जीआरएसई अपने हितधारकों के साथ सक्रिय बातचीत के महत्व को पहचानता है क्योंकि इससे कंपनी को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने और हितधारकों का विश्वास बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, कंपनी स्थिरता के मुद्दों पर अपने हितधारकों के साथ परामर्श करती है। जीआरएसई भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित करता है जहां इसमें इसके हितधारक शामिल होते हैं, और उन्हें कंपनी के स्थिरता लक्ष्यों पर अपने दृष्टिकोण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी भौतिकता सर्वेक्षण और एक-पर-एक चर्चा के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ती है। हितधारक परामर्श के परिणामों की समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल की सीएसआर और स्थिरता समिति द्वारा की जाती है।

**2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

हाँ। कॉर्पोरेट पर्यावरण और सामाजिक प्रयासों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हितधारक परामर्श महत्वपूर्ण है। हितधारकों ने जीआरएसई के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयासों जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशीकरण, आयात प्रतिस्थापन उपकरणों का विकास, सौर ऊर्जा का उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण आदि के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। सीएसआर गतिविधियों को शुरू करते समय या जीआरएसई की सीमा के बाहर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए, हितधारकों (समुदाय, नियामक निकाय, आदि) से व्यापक लाभ के लिए संसाधनों के बेहतर और प्रभावी उपयोग के लिए परामर्श और प्रतिक्रिया ली जाती है।

**3. कमजोर/हाशिये पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।**

समुदाय के वंचित वर्ग के लिए, जीआरएसई गैर सरकारी संगठनों द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च करता है। ये एनजीओ अपने आधारभूत सर्वेक्षणों के दौरान समुदायों से जुड़ते हैं और उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझते हैं।

## सिद्धांत 5

**व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

**1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

| वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | कवर (बी) किए गए कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या | % (बी ० ए) | कुल (सी) | कवर (डी) किए गए कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या | % (डी/सी) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| स्थायी | 593 | 153 | 25.80% | 586 | 199 | 33.96% |
| स्थायी के अलावा अन्य | 79 | 11 | 13.92% | 43 | 5 | 11.63% |
| **कुल कर्मचारी** | **672** | **164** | **24.40%** | **629** | **204** | **32.43%** |
| **कर्मी** | | | | | | |
| स्थायी | 1076 | 0 | 0 | 1161 | 2 | 0.17% |
| स्थायी के अलावा अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **कुल कर्मचारी** | **1076** | **0** | **0** | **1161** | **2** | **0.17%** |

**2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:**

| वर्ग | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम मजदूरी से अधिक | | कुल (डी) | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | |
| | | नहीं (बी) | % (बी ० ए) | नहीं (सी) | % (सीए) | | सं. (ई) | % (ईडी) | नहीं. (एफ) | % (एफ/डी) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 590 | - | | 590 | 100% | 584 | - | | 584 | 100% |
| • पुरुष | 539 | - | | 539 | 100% | 535 | - | | 535 | 100% |
| • महिला | 51 | - | | 51 | 100% | 49 | - | | 49 | 100% |
| **स्थायी के अलावा अन्य** | 78 | | | 78 | 100% | 43 | - | | 43 | 100% |
| • पुरुष | 68 | - | | 68 | 100% | 35 | - | | 35 | 100% |
| • महिला | 10 | - | | 10 | 100% | 8 | - | | 8 | 100% |
| **कर्मी** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 1075 | | | 1075 | 100% | 1160 | - | | 1160 | 100% |
| • पुरुष | 1046 | - | | 1046 | 100% | 1129 | - | | 1129 | 100% |
| • महिला | 29 | - | | 29 | 100% | 31 | - | | 31 | 100% |
| **स्थायी के अलावा अन्य** | 1 | | | 1 | 100% | 1 | - | | 1 | 100% |
| • पुरुष | 0 | - | | 0 | 0% | 0 | - | | 0 | 0% |
| • महिला | 1 | - | | 1 | 100% | 1 | - | | 1 | 100% |

**3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:**

| | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी औसत | संख्या | संबंधित श्रेणी का पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी औसत |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | | | | |
| • कार्यात्मक निदेशक | 3 | 54.57 | 0 | ना |
| • सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | शून्य | 0 | ना |
| • स्वतंत्र निदेशक | 2 | ना | 1 | |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | 1 | 35.87 | 0 | 0 |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी: | | | | |
| अधिकारियों | 467 | 22.94 | 36 | 23.03 |
| पर्यवेक्षकों | 104 | 12.43 | 16 | 14.13 |
| कर्मी | 1126 | 13.48 | 30 | 11.36 |

टिप्पणी:

(i) 31.03.2023 को निदेशक मंडल और केएमपी पर विचार किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) और 17(2) के अनुसार वेतन और अनुलाभ के आधार पर औसत वेतन निकाला गया।

(ii) निदेशक मंडल और केएमपी का पारिश्रमिक विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, जो वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 का हिस्सा है।

(iii) सरकार द्वारा नामित निदेशक को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

(iv) स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड और आईटी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त होता है।

**4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां नहीं)**

नहीं

**5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के निवारण के लिए कंपनी में कोई अलग तंत्र मौजूद नहीं है। हालाँकि, सेवा संबंधी मामलों और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों की शिकायत के समाधान के लिए शिकायत तंत्र कार्य कर रहा है।

**6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणी |
| यौन उत्पीड़न | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |
| बाल श्रम | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |
| जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |
| वेतन | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |
| अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | - |

**7. उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र ।**

एक निवारक कदम के रूप में, शिकायतकर्ता की पहचान केवल आंतरिक शिकायत समिति को ही पता होती है और उसे सुरक्षित रखा जाता है। जांच में सभी बैठकें (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) कभी भी आमने-सामने नहीं की जातीं।

**8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां नहीं)**

हां, मानवाधिकार की आवश्यकता व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का हिस्सा बनती है। जीआरएसई और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसे मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खंड शामिल हैं।

9. **वर्ष के लिए आकलन:**

प्रासंगिक कानून/अधिनियम/सांविधिक से संबंधित अनुपालन और अंतराल की पहचान के लिए सभी जीआरएसई यूनिटों का समय-समय पर केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, पीएफ और ईएसआई विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों या विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?**

लागू नहीं

**<u>नेतृत्व संकेतक</u>**

1. **मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

शून्य. कंपनी को 2022-23 के दौरान मानवाधिकार सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के संबंध में कोई शिकायत/शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **आयोजित किसी भी मानवाधिकार संबंधी परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।**

सभी स्थान वैधानिक प्रावधानों का 100% अनुपालन बनाए रखते हैं। इसकी विधिवत रिपोर्टिंग भी क़ानून के अनुसार संबंधित सरकारी कार्यालयों को की जाती है। इसके लिए उचित परिश्रम को समय-समय पर आंतरिक निरीक्षण के माध्यम से भी विनियमित किया जाता है।

3. **क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हाँ

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

जीआरएसई ने मानवाधिकार मानदंडों पर अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन नहीं किया क्योंकि ये संस्थाएं श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/क़ानूनों के अंतर्गत आती हैं और संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है।

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

## सिद्धांत 6

**व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए**

**<u>आवश्यक संकेतक</u>**

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| कुल बिजली खपत (ए) | 29,148.54 जीजे | 29,647.37 जीजे |
| कुल ईंधन खपत (बी) | शून्य | शून्य |
| ऊर्जा की खपत (सी) | 5,240.40 जीजे | 5,320.96 जीजे |
| कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) | 34,388.94 जीजे | 34,968.32 जीजे |
| प्रति रुपए टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपए में) | 13.43जीजे/आईएनआर करोड़ | 19.90जीजे/आईएनआर करोड़ |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम. - नहीं

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

नहीं

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में) | | |
| (i) सतही जल | शून्य | शून्य |
| (ii) भूजल | 95430 | 95000 |
| (iii) तीसरे पक्ष का पानी | 254011 | 253190 |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल | शून्य | शून्य |
| (v) अन्य | शून्य | शून्य |
| **जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)** | 349441 | 348190 |
| **पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)** | 349441 | 348190 |
| **प्रति रुपए टर्नओवर पर पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)** | 136.44 किलोलीटर/आईएनआर करोड़ | 198.12 केएल/आईएनआर करोड़ |
| जल की तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

4. **क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

हाँ। अपशिष्ट जल/प्रवाह के उपचार के लिए हमारे सभी उत्पादन स्थानों पर एसटीपी और ईटीपी स्थापित किए गए हैं। उपचारित पानी का उपयोग बागवानी और अन्य गैर-पोर्टेबल उपयोगों के लिए किया जाता है।

5. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

जीआरएसई पर लागू नहीं

6. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

जीआरएसई पर लागू नहीं

7. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा प्रतिस्थापन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों का समाधान करती है। कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने अब तक मुख्य, एफओजे और आरबीडी इकाइयों में कुल 1950 केडब्ल्यूपी यानी 1.95 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 1.95 मेगावाट इकाई से कुल बिजली उत्पादन 1539851 किलोवाट था, जिसमें से 84184 किलोवाट सीईएससी ग्रिड को इंजेक्ट किया गया। इसके अलावा यह सुविधा ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में लगभग 1308873.35 किलोग्राम की कमी लाने में मदद करती है {KWh x 0.85 (यानी उत्सर्जन कारक) = Co2 का किलोग्राम}

8. **इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | |
| प्लास्टिक कचरा (ए) | 0 | 0 |
| ई-कचरा (बी) | 11.19 मीट्रिक टन | शून्य |
| जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी) | 0.04 मीट्रिक टन | 0.05 मीट्रिक टन |
| निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी) | 4,000 मीट्रिक टन (पुरानी एचआर बिल्डिंग मुख्य) | शून्य |
| बैटरी बर्बादी (ई) | 8.13 मीट्रिक टन | 4.15 मीट्रिक टन |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी) | केबल - 5.39 मीट्रिक टन<br>गंदा तेल - 14.40 मीट्रिक टन | केबल - 15 मीट्रिक टन<br>गंदा तेल - 3.80 मीट्रिक टन |
| उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (रचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) | ना | ना |
| **कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)** | **4,039.15** | **23** |

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| **उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)** | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | |
| (i) पुनर्चक्रित | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) पुनः उपयोग किया जाना | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | | |
| **उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)** | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | |
| (i) भस्मीकरण | 0 | 0 |
| (ii) लैंडफिलिंग | 0 | 0 |
| (iii) अन्य निपटान कार्य | 1500 मीट्रिक टन | 1750 मीट्रिक टन |
| **कुल** | **1500 मीट्रिक टन** | **1750 मीट्रिक टन** |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

9. **आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

विभिन्न उत्पादन इकाइयों ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी आंदोलन) नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। 1981), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल अधिनियम 1974 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), आदि। सभी इकाइयाँ आईएसओ 14001 प्रमाणित हैं और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करती हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित अनुसार सभी उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पादन की निगरानी की जाती है।

हमारी विनिर्माण गतिविधि में, अपशिष्ट उत्पादन में कमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप मं लिया जाता है और धातु शीट को काटने के लिए हमारी नेस्टिंग योजना इस पहलू का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती है। जीआरएसई में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप को एकत्र किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और बेचा गया।

इकाइयों में उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे का निपटान नियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

कंपनी, अपने संचालन के हिस्से के रूप में, पुराने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम (आईटी) और संचार सिस्टम से ई-कचरा उत्पन्न करती है, जिसे उनके जीवन की समाप्ति या क्षति के बाद निपटाने की आवश्यकता होती है। उत्पन्न और एकत्र किए गए ई-कचरे को निर्दिष्ट क्षेत्रों (कवर के तहत) में संग्रहीत किया जाता है और अधिकृत डिस्मेंटलर्स / रिसाइक्लर्स / रिफर्बिशर्स के माध्यम से निपटान के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलाम किया जाता है।

10. **यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस-पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया विवरण निर्दिष्ट करें निम्नलिखित प्रारूप:**

जीआरएसई का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में/आस-पास कोई संचालन/कार्यालय नहीं है।

11. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

लागू नहीं

12. **क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (Y/N)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:**

हां, जीआरएसई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| नवीकरणीय स्रोतों से | | |
| कुल बिजली खपत (ए) | 5240.40 जी.जे | 5320.96 जी.जे |
| कुल ईंधन खपत (बी) | शून्य | शून्य |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) | शून्य | शून्य |
| **नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)** | **5240.40 जी.जे** | **5320.96 जी.जे** |
| **गैर-नवीकरणीय स्रोतों से** | | |
| कुल बिजली खपत (डी) | 2914.85 जी.जे | 2964.74 जी.जे |
| कुल ईंधन खपत (ई) | शून्य | शून्य |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) | शून्य | शून्य |
| **गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)** | **2914.85 जी.जे** | **2964.74 जी.जे** |

नोट: किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं दिया गया - नहीं

2. **छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल के लिए | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (ii) भूजल के लिए | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iii) समुद्री जल को | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (v) अन्य | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| **छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)** | **0** | **0** |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

3. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम - जीआरएसई

(ii) संचालन की प्रकृति - पोत निर्माण

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) ऊपरी तह का पानी | 0 | 0 |
| (ii) भूजल | 95,430 | 95,000 |
| (iii) तीसरे पक्ष का पानी | 2,54,011 | 2,53,190 |
| (iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल | 0 | 0 |
| (v) अन्य | 0 | 0 |
| **जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)** | 3,49,441 | 3,48,190 |
| **पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)** | 3,49,441 | 3,48,190 |
| **प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता** (पानी की खपत/टर्नओवर) | 136.44 केएल/आईएनआर करोड़ | 198.12 केएल/आईएनआर करोड़ |
| **जल की तीव्रता** (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है | 0 | 0 |
| **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल में | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 54936 के.एल | 54936 के.एल |
| (ii) भूजल में | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iii) समुद्री जल में | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (v) अन्य | | |
| • कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| • उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| **छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)** | **54,936** | **54,396** |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

**4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

| पैरामीटर | यूनिट | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| **कुल दायरा 3 उत्सर्जन** (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफ़सीएस, पीएफ़सीएस, एसएफ़6, एनएफ़3 में विभाजन) | 0 | 0 | 0 |
| **कुल दायरा 3 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर** | 0 | 0 | 0 |
| **कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता** (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | 0 | 0 | 0 |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम - नहीं

**5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

**6. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहल के परिणाम के साथ-साथ उसका विवरण भी प्रदान करें।:**

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में, संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को स्वीकार करता है। वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए, जीआरएसई अपने उत्पादों और सेवाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को उत्पाद के जीवन चक्र में कम पर्यावरणीय फुटप्रिंट के साथ स्थायी तरीके से बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया जा सके। आंतरिक संचालन में भी, संगठन ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बड़ा जोर दे रहा है। कंपनी ने विभिन्न जीआरएसई स्थानों पर सौर फोटो वोल्टिक (छत के शीर्ष) संयंत्रों की कुल 1.95 मेगावाट इकाई स्थापित की है, जिससे कंपनी को ऊर्जा मिश्रण को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिली है। कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण आदि से संबंधित कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

**7. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।**

हां, जीआरएसई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी यही तैयारी की गई और उस पर कार्रवाई की गई। व्यवसाय निरंतरता योजना और/या आपदा प्रबंधन योजना इंटरनेट/सार्वजनिक डोमेन पर प्रकाशित नहीं की गई थी।

**8. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है।

**9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।**

पर्यावरणीय प्रभाव के लिए अधिकांश मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन किया गया।

## सिद्धांत 7

**व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

**1. (ए) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

कंपनी ने सात (07) व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ कॉर्पोरेट सदस्यता ली है।

**(बी)शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई सदस्य/संबद्ध है।**

| क्र.सं. | व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम | व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|---|
| 1 | फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) | राष्ट्रीय |
| 2 | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) | राष्ट्रीय |
| 3 | सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) | राष्ट्रीय |
| 4 | बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) | राज्य |
| 5 | रक्षा प्रौद्योगिकीविदों का समाज (एसओडीईटी) | राष्ट्रीय |
| 6 | इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (आईएसबीए) | राष्ट्रीय |
| 7 | सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) | राष्ट्रीय |

**2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

जीआरएसई पर नियामक अधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई उदाहरण नहीं उठाया गया ।

**नेतृत्व संकेतक**

**1. इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

जीआरएसई सरकार और नियामकों को उद्योग के प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न व्यापार और उद्योग संघों के साथ मिलकर काम करता है। कंपनी व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नीतिगत वकालत मामलों में पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से भाग लेती है।

## सिद्धांत 8

**व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए:**

**आवश्यक संकेतक**

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   बोर्ड की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक-ई' देखें।

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तारीख | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित है (हां नहीं) | सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित (हाँ/नहीं) | उपयुक्त वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

   शून्य

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**

   जीआरएसई के पास समुदाय, हितधारकों, बड़ी जनता आदि की शिकायतों को प्राप्त करने और हल करने के लिए कई तंत्र हैं। हमारी शिकायत प्रणाली समुदाय की पारदर्शिता, अपेक्षाओं को भी सुनिश्चित करती है। जीआरएसई ने अपने प्रत्येक कार्यालय में एक समर्पित शिकायत कक्ष स्थापित किया है और सभी शिकायतें एक ही प्रणाली में प्राप्त की जाती हैं और प्रत्येक शिकायत की समान महत्व के साथ अलग से और पूरी तरह से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, हम लोक शिकायत पोर्टल (पीजी पोर्टल) पर प्राप्त शिकायतों का निवारण भी करते हैं।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)।**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त | 63% (लगभग) | 64% (लगभग) |
| सीधे जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया गया | 0 | 0 |

**नेतृत्व संकेतक**

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों में से प्रश्न 1):**

| पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई की गई |
|---|---|
| लागू नहीं | |

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

| क्र.सं. | राज्य | आकांक्षी जिला | खर्च की गई राशि (रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | झारखंड | रांची और खूंटी | 51.42 लाख |

3. **(ए) क्या आपके पास कोई तरजीही खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)**

   हां, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई-भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी) के अनुसार अधिमान्य खरीद होती है।

   (बी) आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

   जीआरएसई महिलाओं, एससी/एसटी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले एमएसई जैसे हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों से खरीदारी करता है।

   (सी) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

   जीआरएसई ने एमएसई से 25% खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए 3% उप-लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसई से की गई कुल खरीद का मूल्य 564 करोड़ रुपये था, जो लगभग 63% है।

**4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी इकाई के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

| क्र.सं. | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व/अधिग्रहण (हां नहीं) | साझा लाभ (हाँ/नहीं) | लाभ अंश की गणना का आधार |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | |

**5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कोई विवाद सामने नहीं आया।

| प्राधिकारी का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई की गई |
|---|---|---|
| शून्य | | |

**6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

| क्र.सं. | सीएसआर परियोजना | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिये पर रहने वाले समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| i | रांची, खूंटी जिला (आकांक्षी जिला), झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के 264 वंचित बच्चों का समग्र विकास | लगभग 550 | 100% |
| ii | समय-समय पर प्राप्त सरकारी निर्देशों के अनुसार चिकित्सा उपकरण या अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों/पॉलीक्लिनिकों/मध्यस्थ संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास या सरकार के अनुसार कोविड शमन पहल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल उपायों को लागू करना। | लगभग 5000 | 100% |
| iii | स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर | लगभग 8000 | 100% |
| iv | चिकित्सा तकनीशियनों को कौशल प्रशिक्षण | 60 | 100% |
| v | 20 विद्यालयों के शौचालयों का रखरखाव | लगभग 35000 | 100% |
| vi | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) की 3 कक्षाओं को अपनाना | लगभग 50 | ला.न |
| vii | आईटीआई की प्रशिक्षण सुविधा एवं बुनियादी ढांचे का विकास | लगभग 1000 | 100% |
| viii | मानव संसाधन शक्ति के 10% के रक्षा मंत्रालय के निर्देश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यरत प्रशिक्षुओं को वैधानिक आवश्यकता के 2.5% से अधिक वजीफा का भुगतान किया जाता है। | लगभग 260. | 100% |
| ix | विद्यालयों के परिसरों में सौर पैनलों की स्थापना | लगभग 8000 छात्र। | 100% |
| x | स्कूलों का बुनियादी ढांचा विकास | लगभग 50 छात्र। | ला.न |
| xi | स्वच्छ गंगा कोष में योगदान | पैन इंडिया | ला.न |

## सिद्धांत 9

**व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   रक्षा बलों के पास मुद्दों को उठाने के लिए एक सुस्थापित, संरचित और समय-समय पर बैठकें होती हैं। कंपनी द्वारा इसका पालन एवं अनुपालन किया जा रहा है। इन दस्तावेज़ों को गोपनीय माना जाता है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:**

| | कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में |
|---|---|
| उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड | कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। अत: लागू नहीं |
| सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग | 100% |
| पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान | कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धपोत, जलयान, बेली ब्रिज, पोत इंजन और रणनीतिक/राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अन्य सहायक उपकरण हैं। एक बार उत्पाद बिकने के बाद वे कंपनी के पास वापस नहीं आएंगे। |

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

| | 2022-23 | | टिप्पणी | 2021-22 | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | | वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | |
| डाटा प्राइवेसी | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| विज्ञापन देना | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| साइबर सुरक्षा | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| अनुचित व्यापार आचरण | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |
| अन्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:**

| | संख्या | वापस बुलाने का कारण |
|---|---|---|
| स्वैच्छिक स्मरण | शून्य | लागू नहीं |
| जबरन वापस बुलाना | शून्य | लागू नहीं |

5. **क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हाँ। जीआरएसई के पास साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई ।**

   शून्य

**नेतृत्व संकेतक**

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

   जीआरएसई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी वेब लिंक - www.grse.in से प्राप्त की जा सकती है ।

2. **उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहकों को उपकरण/सिस्टम पर परिचालन मैनुअल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।**

   कंपनी अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में है और किसी भी व्यवधान के बारे में ईमेल द्वारा सूचित किया जाता है। अनुबंध में सहमत पत्र और कोई अन्य संचार माध्यम।

4. **क्या इकाई उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)**

   लागू नहीं। कंपनी के उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शित/स्टेंसिल करने के लिए किसी मानक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है।

5. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   **(ए) प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या**

   शून्य

   **(बी) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत**

   शून्य

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट

**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के सदस्यों को**

## वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

### राय

हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है [लेखा परीक्षा में निगमित कार्यालय और पूरे भारत में सभी यूनिट शामिल हैं।] जिसमें 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अनिवार्य जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं । 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों में तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नकदी प्रवाह का विवरण द्वारा अपेक्षित सूचना उसी प्रकार प्रदान करती है जैसा कि अपेक्षित है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है ।

### राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (एसएएस)के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

### प्रमुख मामले

1) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व मान्यता,, सूची, प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों का फिर स तैयार करने के संबंध में नोट सं. 50 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस तरह के पुन: प्रारूपण पर खातों की पुस्तकों में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है ।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

### प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले (केएएम)वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है ।

| क्र.सं. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| 1 | **पोत निर्माण से अनुबंध राजस्व**<br><br>वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **1.2(i)(ए)(i) और संख्या 20** में संदर्भित ।<br><br>कंपनी ने अप्रैल, 2018 से प्रभावी एक नया लेखांकन मानक, इंड एएस 115 के रूप में,"ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व"को अपनाया है। कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है जब वह पूर्ण संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को समय के साथ इनपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है अर्थात संपूर्ण अनुबंध के लिए अनुमानित वास्तविक लागतों की तुलना करके। लेखांकन मानक का अनुप्रयोग जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र है। हमने केएएम के रूप में पोत निर्माण अनुबंधों की राजस्व मान्यता की पहचान निम्न को मानते हुए की है:<br><br>(क) राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी गई है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, पहचान किए गए प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, चर विचार का निर्धारण और चर विचार को मापने के लिए, एक अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता । | पोत निर्माण अनुबंधों से मान्यता प्राप्त राजस्व पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:<br><br>क) प्रबंधन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड और गणना करने और संबंधित अनुबंध परिसंपत्ति, अनर्जित और आस्थगित राजस्व शेष के प्रबंधन के लिए लागू प्रक्रियाओं,प्रक्रियाओं और नियंत्रण को समझना।<br><br>ख) प्रमुख आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन, जिसमें शामिल हैं:<br><br>i. सिस्टम द्वारा उत्पन्न लागत और राजस्व रिपोर्ट की पूर्णता और सटीकता पर आईटी नियंत्रण स्वीकारना।<br><br>ii. अनुबंधों के चयनित नमूनों पर, हमने परीक्षण किया कि मान्यता प्राप्त राजस्व लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है।<br><br>ग) नए लेखांकन मानक के तहत प्रदान किए गए खुलासे की उपयुक्तता का मूल्यांकन।<br><br>तुलन पत्र में कार्य-प्रगति की मान्यता की रिपोर्टि तिथि और कंपनी के अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के अनुसार कार्य-प्रगति की संगणना के प्रासंगिक विवरण के साथ जाँच की गई है । |

| क्र.सं. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| | (ख) मानक राजस्व और अवधि के संबंध में मजबूत प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, जिस पर शेष प्रदर्शन दायित्वों को तुलन पत्र तिथि को संतुलित करने के बाद संतुष्ट किया जाएगा । | |
| | (ग) इसमें आईटी प्रणाली की महत्वपूर्ण भागीदारी है। | |
| | वर्ष के अंत में, कार्य-प्रगति का एक महत्वपूर्ण राशि इन अनुबंधों से संबंधित तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त है । | |
| 2 | **दुर्भर अनुबंध**<br>वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 19 में संदर्भित ।<br>कंपनी ने बांग्लादेशी बोट और गुइन्स फेरी के अनुबंधो को "दुर्भर" माना है, जिसमें अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक है । कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में खाता बही में 279.07 लाख रुपये के अनुमानित नुकसान का अनुमान लगाया है । | "दुर्भर अनुबंधों" पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं<br>1) प्रबंधन द्वारा दिए गए रिकॉर्ड और अनुमानों से अनुबंध दुर्भर क्यों प्रतीत होता है, इसका मूल्यांकन करना ।<br>2) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से अपरिहार्य लागतों के विवरण का मूल्यांकन करना ।<br>3) अनुबंध की शर्तों को समझना और ग्राहक के साथ संचार करना ।<br>4) अन्य मौजूदा अनुबंधों के मामले में समान संभावना का मूल्यांकन |

## वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है । अन्य जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन या निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं उनके शासन के साथ चार्ज की जिम्मेदारियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जिन विवरणों से अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। । इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इंड-एएस वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही, वास्तविक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं ।

इंड एएस के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें । यह आकलन कंपनी से चिंता का विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चिंता के विषय को आधार बनाएँ जब तक की प्रबंधन या इसके निबटान करने का इरादा रखता हो या संचालन को बंद करने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

## वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए हैं तो उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है ।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं । हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण

का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना की क्या एक घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर इंड एएस के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करें । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के संघर्ष का चिंता का विषय बना रह सकता है ।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ संवाद करते है, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिनकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन को एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं काअनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा के उपाय पर टिके होते है और जिन्हें सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है ।

शासन के साथ हुई चर्चा में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार में सार्वजनिक हित या लाभ से कम होंगे ।

## अन्य मामला

(i) नोट संख्या **30 (क)** (आकस्मिक देयताओं) में दर्शाई गई राशि में ब्याज/जुर्माना शामिल नहीं है जो दावों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

## अन्यक विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्रं सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार हम **अनुलग्नक- क** में आदेश के अनुच्छे द 3 एवं 4 में उल्लिखित मदों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने सभी जानकारियां एवं सूचनाएँ मांगी एवं प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण हेतु आवश्य क थी ।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिका अब तक यथा अपेक्षित रूप से रखी है जो उन खातों के हमारे परीक्षण से पता चलता है ।

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और नकदी प्रवाह विवरण जो निपटाए गए हैं वे खाता बही करार के अनुसार है।

   (घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संशोधित रूप में (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करते हैं ।

   (ङ) हमारी राय में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत प्रावधान कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ।

   (छ) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (ज) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार में, हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (आकस्मिक देनदारियों के रूप में वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **30क** का संदर्भ लें);

      ii. कंपनी के पास 279.07 लाख रुपये के भारी अनुबंध पर नुकसान के प्रावधान को छोड़कर व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक नुकसान हुआ था, जैसा कि नोट संख्या **19** में कहा गया है;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो ।

iv. (क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी, जो कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी सामग्री गलत विवरण शामिल है।

v. पिछले वर्ष के लिए घोषित उसी के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है ।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है ।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट **36 (ख)** में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है ।

vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने हेतु कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं ।

3. हम **"अनुलग्नक - ग"** में उपरोक्त धारा के शर्तों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निहित मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं जो अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार अपेक्षित है ।

**कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
**(सुर्दशन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
यूडीआईएन : 23059159BGXHQH4368

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 मई, 2023

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का "अनुलग्नक-क"

**(हमारे उसी तिथि के "अन्य विधि और विनायमक आवश्यकताएं पर रिपोर्ट के अनुभाग" के तहत पैराग्राफ 1 का संदर्भ लें)**

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(क) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की संख्या संबंधी ब्यौरे तथा स्थिति सहितपूरे विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्ड रखे हैं ।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास हर तीन साल में एक बार सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और संपत्ति उपयोग के अधिकार के संबंध में संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है । तदनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के कुछ प्रभाग/यूनिट की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापित किए गए थे। इस तरह के सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को खातों में उचित प्रकार से रखा गया है। हमारी राय में, इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है।

(ग) जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उसके लिए संपत्ति कर प्राप्तियों और पट्टा समझौते की हमारी जांच और पंजीकृत बिक्री विलेख / हस्तांतरण विलेख / वाहन विलेख जो हमें प्रदान किया गया है, के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्व-निर्मित भवनों के संबंध में शीर्षक और स्वामित्व विलेख अन्य सभी अचल संपत्तियां (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणों में शामिल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के नाम पर है ।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान अथवा 31 मार्च, 2023 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इनवेंटरी (तृतीय पक्षों के पास पड़े हुए को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन से उत्पन्न भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में ठीक से रखा गया है। हालांकि, इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं थी।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। पूर्व के वर्षों में बैंकों द्वारा स्वीकृत मूल कार्यशील पूंजी सीमा को वर्ष के दौरान संशोधित कर फंड आधारित के लिए 21,300 लाख और गैर-निधि आधारित के लिए 8,30,800 लाख कर दिया गया था। कंपनी द्वारा बैंक में दाखिल किए गए बयानों के आंकड़े कंपनी के खाता बही में बताए गए आंकड़ों की तुलना में नीचे दिए गए हैं :

| अवधि समाप्ति | बैंक को जमा किया गया कुल स्टॉक (लाख रू में) | खाता बही के अनुसार कुल स्टॉक (लाख रू में) | अंतर (लाख रू में) |
|---|---|---|---|
| जून-22 | 1,22,012 | 1,22,012 | - |
| सितंबर-22 | 1,30,745 | 1,30,745 | - |
| दिसंबर-22 | 2,13,594 | 2,13,594 | - |
| मार्च-23 (अनंतिम) | 2,83,254 | 2,85,932 | 2,678 |

भिन्नता के संबंध में हमारे अवलोकन नीचे दिए गए हैं :

स्टॉक विवरण को निर्धारित तिथि तक बैंक में जमा करना आवश्यक है । कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 23 मार्च को एक अनंतिम विवरण नियत तारीख तक बैंक को जमा कर दिया गया है और इसलिए यह खातों को अंतिम रूप देने बाद आने वाले वास्तविक आंकड़ों के साथ भिन्न होता है ।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जां के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स या किसी अन्य पार्टी में म्यूचुअल फंड और कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के अलावा कोई अन्य निवेश नहीं किया है जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6 (ए) और 10 (ए) में बताया गया है। कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को अग्रिम प्रदान किया है, जो ऋण की प्रकृति में नहीं हैं ।

(क) कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को अग्रिम प्रदान किया है, जो ऋण की प्रकृति में नहीं हैं इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड और कंपनी के इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश [नोट संख्या 6 (ए) और 10 (ए) में प्रकट] कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी में कोई अन्य निवेश नहीं किया है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण प्रदान किया है।

(ग) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(एफ़) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

iv हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई भी ऋण, गारंटी तथा प्रतिभूति अनुदान नहीं की गई हैं जिनके संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं । इसके अलावा, अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं क्यूंकी कंपनी एक सरकारी कंपनी हैं और रक्षा उत्पादन जैसे कार्य में लगी हुई है, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

v हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तात्पर्य के अनुसार किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2023 तक कोई अघोषित जमा राशि नहीं है । इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

vi हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और डीजल इंजन के निर्माण के संबंध में निर्धारित किया गया है। हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, विहित खातों और रिकार्डों को तैयार किया गया है और रखा गया है ।

vii (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें यथा उपलब्ध कराए गए कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य कोई सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकायों को जहां तक संभव हो उचित प्राधिकरणों में समान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है और 31 मार्च, 2023 को उपरोक्त देयताओं के संदर्भ में देय होने की तारीख से छ माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को जमा नहीं किए गए विवादित ब्योरे के विवरण निम्नलिखित हैं :

| क्र. सं. | सांविधि का नाम | बकाया का स्वरूप | अवधि जिससे संबंधित है | राशि (लाख रू. में) | मंच जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम,2003 | वैल्यू ऐडेड टैक्स | 2007-08 | 506.83 | पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिव्यूनल |
| 2 | इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 | इन्कम टैक्स | 2008-09 | 1624.58 | कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील) |
| 3 | इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 | इन्कम टैक्स | 2016-17 | 8.61 | कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील) |
| 4 | वस्तु एवं सेवा कर | आईटीसी क्रेडिट | 2020-21 | 142.17 | कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील) |
| | **कुल** | | | **2282.19** | |

ऊपर उल्लिखित राशि विशेष रूप से ब्याज और जुर्माना का है जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकती है।

viii आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी के पास बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाएं हैं (निधिक और गैर-निधिक दोनों सुविधाएं) । कंपनी ने बैंक से अल्पकालिक उधार का लाभ उठाया है । कंपनी ने ब्याज के भुगतान में ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी के पास कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं और वर्ष के दौरान ऐसी संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन

नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. हमारें सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के इस रिपोर्ट की तारीख के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उसके बाद तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, संबन्धित पार्टियों से लेनदेन, जहां लागू होता है, अधिनियम के खंड 177 और 188 का अनुसरण करते हुए किया गया है और लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबन्धित व्यक्तियों के साथ गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है।, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग है कंपनी के लिए लागू नहीं है।

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं है ।

xvii. कंपनी को हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वे देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं, कंपनी द्वारा निभा दिया जाएगा ।

xx. (क) चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी के पास निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित धनराशि नहीं है जिसे उक्त अधिनियम के धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) कंपनी के पास सीएसआर पर कोई चालू परियोजना नहीं है। अत: यह उपवाक्य लागू नहीं होता।

**कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E

हस्ता/-
**(सुर्दशन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
यूडीआईएन : 23059159BGXHQH4368

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 मई, 2023

# वित्तीय विवरणों पर सम दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

## कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट ।

हमने 31, मार्च 2023 के अनुसार इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा सहित **गार्डन रीच शिपबिल्डनर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है ।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य कंपोनेंट कों ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित है, पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कों स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना कों समय पर तैयार करने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन कों सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

## लेखा परीक्षकों की जिम्मेवदारी

हमारी जिम्मोदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा संचालित की। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यलकताओं का पालन करें और उचित आश्वारसन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया और क्या सभी सामग्री में यह नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की निष्पा दन प्रक्रिया और प्रचालन प्रभावकारिता निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, विद्यमान मैटीरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन तथा आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं आकलन शामिल किया गया। चयन की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें चाहे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण ही वित्ती य विवरणों की गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है ।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण जिसे हमने प्राप्तम किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्तर है ।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) उन रिकार्डों के रखरखाव, जो कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और निपटान का सही और सटीक विवरण प्रस्तुत करते हो;

(2) सही रूप से सुनिश्चित करते हो कि लेनदेन को यथा आवश्यक रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्यट रूप से स्वी कृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों कों तैयार करने के लिए अनुमति दी जा सके और यह, कि केवल प्रबंधन प्राधिकारों तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों कों परिचालित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण से बचाव अथवा समय पर पता लगाने, प्रयोग अथवा निपटान, जिसका वित्तीय विवरणों पर मैटीरियल प्रभाव पर सकता है, के बारे में सही रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है ।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है ।

## राय

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और 31 मार्च 2023 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हुआ है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण पर अनिवार्य कम्पोनेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है ।

**कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
**(सुर्दशन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या 059159
यूडीआईएन : 23059159BGXHQH4368

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 मई, 2023

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

| क्र.सं. | नीति | लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, आईटी प्रणाली साथ-साथ खातों की अखंडता के बाहर लेखांकन लेनदेन का वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो तो उसके बारे में बताया जाए । | हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है। इसलिए, वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने का कोई निहितार्थ उत्पन्न नहीं होता है। |
| 2 | क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए । क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है) | मौजूदा ऋण की पुनर्रचना का कोई उदाहरण नहीं है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। |
| 3 | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त धनराशि ली गई थी /प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी द्वारा केंद्र/सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों का ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और न ही हमें ऐसी किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों की सूचना मिली है। |

**कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
**(सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता संख्या 059159
यूडीआईएन : 23059159BGXHQH4368

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 मई, 2023

# नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय- विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है । इसके किए जाने का उल्लेख उनके द्वारा उनकी दिनांक 24 मई 2023 लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है ।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक की पेशकश करने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

राजेश
(राजेश राजन, आईए एण्ड एएस) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा-वाणिज्यिक)

बेंगलूर
दिनांक: 28 जुलाई 2023

# तुलन पत्र

## 31 मार्च 2023 तक के अनुसार

(लाख रू में)

| विवरण | | | नोट सं. | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्ति** | | | | | |
| **(1)** | **निवर्तमान परिसंपत्ति** | | | | |
| **(क)** | **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण** | | 3 | | |
| | (i) | आरओयू के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | | 48,826.43 | 48,295.69 |
| | (ii) | परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू) | | 1,098.65 | 1,161.04 |
| (ख) | चल रहे पंजीगत कार्य | | 4 | 484.45 | 965.98 |
| (ग) | अमूर्त परिसंपत्ति | | 5 | 835.96 | 608.69 |
| (घ) | विकासधीन अमूर्त परिसंपत्ति | | 4(क) | 119.60 | - |
| (ङ) | वित्तीय परिसंपत्ति | | | | |
| | (i) | निवेश | 6(क) | 0.44 | 0.44 |
| | (ii) | अन्य वित्तीय परिसंपत्ति | 6(ख) | 16,116.00 | 114,126.63 |
| (च) | निवर्तमान कर परिसंपत्ति | | 7 | 20,584.35 | 15,393.76 |
| (छ) | अन्य निवर्तमान परिसंपत्ति | | 8 | 16.34 | 10.78 |
| **कुल निवर्तमान परिसंपत्ति** | | | | **88,082.22** | **180,563.01** |
| **(2)** | **वर्तमान परिसंपत्ति** | | | | |
| (क) | वस्तुसूचियाँ | | 9 | 291,850.49 | 117,226.80 |
| (ख) | वित्तीय परिसंपत्ति | | | | |
| | (i) | वर्तमान निवेश | 10(क) | 23,366.40 | 19,667.82 |
| | (ii) | ट्रेड प्राप्तियाँ | 10(ख) | 5,084.50 | 15,134.02 |
| | (iii) | नकद एवं नकद समतुल्य | 10(ग) | 1,398.55 | 971.26 |
| | (iv) | उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष | 10(घ) | 431,382.07 | 254,802.63 |
| | (v) | अन्य वित्तीय परिसंपत्ति | 10(ङ) | 16,350.98 | 12,751.30 |
| (ग) | अन्य वर्तमान परिसंपत्ति | | 11 | 220,070.17 | 162,036.32 |
| (घ) | बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति | | 12 | 7.90 | 45.87 |
| **कुल वर्तमान परिसंपत्ति** | | | | **989,511.06** | **582,636.02** |
| **कुल परिसंपत्ति** | | | | **1,077,593.28** | **763,199.03** |
| **इक्विटी एवं देयताएँ** | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | |
| (क) | इक्विटी शेयर पूंजी | | 13(क) | 11,455.20 | 11,455.20 |
| (ख) | अन्य इक्विटी | | 13(ख) | 129,926.55 | 114,333.87 |
| **कुल इक्विटी** | | | | **141,381.75** | **125,789.07** |
| **देयताएँ** | | | | | |
| **(1)** | **निवर्तमान देयताएँ** | | | | |
| (क) | वित्तीय देयताएँ | | | | |
| | (i) | लीज देयताएँ | | 923.16 | 973.54 |
| | (ii) | ट्रेड देय | 14 | | |
| | | (क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष | | - | - |
| | | (ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष | | 817.36 | 818.92 |
| (ख) | प्रावधान | | 15 | 8,933.37 | 8,907.43 |
| (ग) | आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध) | | 16 | 1,451.90 | 1,078.13 |
| **कुल निवर्तमान देयताएँ** | | | | **12,125.79** | **11,778.02** |
| **(2)** | **वर्तमान देयताएँ** | | | | |
| (क) | वित्तीय देयताएँ | | | | |
| | (i) | कर्ज | 17(क) | 30,117.18 | - |
| | (ik) | लीज देयताएँ | | 170.41 | 146.88 |
| | (ii) | ट्रेड देय | | | |
| | | (क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष | 17(ख) | 236.15 | 228.52 |
| | | (ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष | 17(ख) | 117,150.59 | 40,940.31 |
| | (iii) | अन्य वित्तीय देयताएँ | 17(ग) | 2,894.56 | 2,393.35 |
| (ख) | अन्य वर्तमान देयताएँ | | 18 | 770,637.11 | 565,676.92 |
| (ग) | प्रावधान | | 19 | 2,879.74 | 16,245.96 |
| **कुल वर्तमान देयताएँ** | | | | **924,085.74** | **625,631.94** |
| **कुल इक्विटी एवं देयताएँ** | | | | **1,077,593.28** | **763,199.03** |
| **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ** | | | | | |
| **कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ** | | | 1 | | |
| **महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय** | | | 2 | | |

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

**हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।**

**कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता/-
**(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 मई का दिन, 2023

**कृते निदेशक मण्डल**

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
**आर. के दाश**
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
**एस. महापात्र**
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

# लाभ और हानि का विवरण

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रू में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| प्रचालनों से राजस्व | 20 | 256,114.51 | 175,444.87 |
| अन्य आय | 21 | 20,183.55 | 16,131.85 |
| **कुल आय** | | **276,298.06** | **191,576.72** |
| **व्यय** | | | |
| खपत किए गए मालों की लागत | 22(क) | 149,524.39 | 93,520.37 |
| पुन: बिक्री (बी एवं डी स्पेयर्स) हेतु उत्पादों का क्रय | | 11,210.06 | 836.50 |
| चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन | 22(ख) | 472.66 | 38.71 |
| उप संविदा प्रभार | | 31,793.34 | 25,459.35 |
| उत्पाद शुल्क | 23 | 31,691.07 | 29,028.60 |
| वित्त लागत | 24 | 648.07 | 142.88 |
| मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | 25 | 3,916.63 | 3,571.01 |
| अन्य व्यय - परियोजना संबंधित | 26 | 5,707.43 | 2,348.80 |
| अन्य व्यय | 27 | 10,812.62 | 10,137.80 |
| **कुल व्यय** | | **245,776.27** | **165,084.02** |
| **असाधारण वस्तु एवं कर पूर्व लाभ** | | **30,521.79** | **26,492.70** |
| असाधारण वस्तु | 28 | - | (768.54) |
| **कर पूर्व लाभ** | | **30,521.79** | **25,724.16** |
| कर व्यय | 29(क) | | |
| - वर्तमान कर | | 7,353.90 | 6,282.00 |
| - आस्थगित कर | | 355.49 | 489.48 |
| **कुल कर व्यय** | | **7,709.39** | **6,771.48** |
| **वर्ष के लिए लाभ** | | **22,812.40** | **18,952.68** |
| **अन्य व्यापक आय** | | | |
| वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे | | | |
| - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: निर्धारण | | 72.61 | 150.08 |
| - उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर | | (18.28) | (37.78) |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर** | | **54.33** | **112.30** |
| **वर्ष हेतु कुल व्यापक आय** | | **22,866.73** | **19,064.98** |
| **प्रति इक्विटी शेयर आय:** | | | |
| (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.) | | | |
| प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय | | 19.91 | 16.55 |
| **कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ** | 1 | | |
| **महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय** | 2 | | |

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

**हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।**

**कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता/-
**(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 मई का दिन, 2023

**कृते निदेशक मण्डल**

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
**आर. के दाश**
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
**एस. महापात्र**
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

# नकदी प्रवाह विवरण

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | | | |
| कराधान से पूर्व लाभ | | 30,521.79 | | 25,724.16 |
| के लिए समायोजन - | | | | |
| ब्याज आय | | (17,834.00) | | (13,019.00) |
| अवास्तविक उचित मूल्य लाभ (शुद्ध) | | (268.17) | | (421.70) |
| परिभाषित लाभ योजना के पुनर्माप पर बीमांकिक लाभ/हानि | | 54.33 | | 112.30 |
| मूल्यह्रान्स और परिशोधन व्यय | | 3,916.63 | | 3,629.60 |
| परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ - निवल | | (24.48) | | (28.22) |
| वित्त लागत | | 648.07 | | 142.88 |
| विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ) | | 352.68 | | (44.90) |
| देयताएं जो रिटेन बेक  की आवश्यकता नहीं है । | | (847.07) | | (654.55) |
| **कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ** | | **16,519.78** | | **15,440.57** |
| **कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :** | | | | |
| व्यापार और अन्य प्राप्यों में (अभिवृद्धि)/ह्रास | 10,081.41 | | 2,751.15 | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) | 94,410.95 | | (43,042.00) | |
| अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास | (5,196.15) | | (3,435.47) | |
| अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास | (58,033.85) | | (36,014.40) | |
| बिक्री (वर्तमान परिसंपत्ति) के लिए धारित परिसंपत्ति मे (अभिवृद्धि)/ह्रास | 37.97 | | (2.48) | |
| वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास | (174,623.69) | | (38,439.35) | |
| व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास | 76,146.78 | | (36,644.57) | |
| प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास | (12,493.21) | | 1,329.39 | |
| अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) | 386.24 | | 918.35 | |
| अन्य वर्तमान देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास | 205,122.72 | | 107,813.20 | |
| अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों (आस्थगित कर देयता) में (अभिवृद्धि)/ह्रास | 373.77 | 136,212.93 | 527.26 | (44,238.92) |
| **परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी** | | **152,732.71** | | **(28,798.35)** |
| प्रदत करों (शुद्ध धन वापसी) | | (7,709.39) | | (6,771.48) |
| **परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी** | | **145,023.32** | | **(35,569.83)** |
| **ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पंजीगत चालू कार्य सहित) | (4,225.84) | | (5,482.78) | |
| म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल) | (3,657.28) | | 62,939.21 | |
| सावधि जमा में निवेश (निवल) | (176,579.44) | | (27,617.49) | |
| प्राप्त ब्याज | 17,834.00 | (166,628.56) | 13,019.00 | 42,857.94 |
| **निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी** | | **(166,628.56)** | | **42,857.94** |

(लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| ब्याज | (442.06) | (80.26) |
| लीज किराया का प्रमुख घटक | (162.53) | (118.35) |
| लीज किराया का ब्याज घटक | (88.80) | (62.62) |
| कर्ज (बैंक ओडी) | 29,999.97 | - |
| प्रदत लाभांश | (973.69) | (1,317.35) |
| अन्तरिम लाभांश | (6,300.36) | (5,670.32) |
| **वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकद** | **22,032.53** | **(7,248.90)** |
| **नकद और नकद समकक्षों में निवल (अभिवृद्धि )/ह्रास** | **427.29** | **39.21** |
| **वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य ओपेनिंग** | **971.26** | **932.05** |
| **वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य शेष** | **1,398.55** | **971.26** |

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अतंर्गत तैयार किए गए हैं। .
2. नकद एवं नकद समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
3. तुलन पत्र तिथि के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में निहित हैं: (लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| बैंकों में शेष राशि | | |
| चालू खाता | 1,398.54 | 971.25 |
| हस्तगत नकदी | 0.01 | 0.01 |
| **नकद और नकद समतुल्य** | **1,398.55** | **971.26** |

4. ब्रैकेटों में दिया गया आकंड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

**हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।**

**कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता/-
**(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 मई का दिन, 2023

**कृते निदेशक मण्डल**

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
**आर. के दाश**
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
**एस. महापात्र**
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

# इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

**क. इक्विटी शेयर कैपिटल**

(लाख रू. में)

| 1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार राशि | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 1 अप्रैल,2022 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|
| 11,455.20 | - | 11,455.20 | - | 11,455.20 |

| 1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार राशि | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 1 अप्रैल,2021 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|
| 11,455.20 | - | 11,455.20 | - | 11,455.20 |

**ख. अन्य इक्विटी**

(लाख रू. में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित | आम रिजर्व | प्रतिधारित आय | |
| **1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार शेष राशि** | **928.80** | **6,064.86** | **107,340.21** | **114,333.87** |
| वर्ष (क) के लिए लाभ | - | - | 22,812.40 | 22,812.40 |
| वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय | - | - | 54.33 | 54.33 |
| **(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय** | - | - | 22,866.73 | 22,866.73 |
| प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें) | - | - | (973.69) | (973.69) |
| अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें) | | | (6,300.36) | (6,300.36) |
| **31 मार्च, 2023 तक के अनुसार शेष राशि** | **928.80** | **6,064.86** | **122,932.89** | **129,926.55** |

(लाख रू. में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित | आम रिजर्व | प्रतिधारित आय | |
| **1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार शेष राशि** | 928.80 | 6,064.86 | 95,262.90 | 102,256.56 |
| वर्ष (क) के लिए लाभ | - | - | 18,952.68 | 18,952.68 |
| वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय | - | - | 112.30 | 112.30 |
| **(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय** | - | - | 19,064.98 | 19,064.98 |
| प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें) | - | - | (1,317.35) | (1,317.35) |
| अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें) | - | - | (5,670.32) | (5,670.32) |
| **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार शेष राशि** | **928.80** | **6,064.86** | **107,340.21** | **114,333.87** |

**नोट:** परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) के पुन : निर्धारण पर 112.30 लाख रुपये और 54.33 लाख रुपये के लाभ को

क्रमशः 31 मार्च, 2023 और 2022 को समाप्त वर्षों के लिए बरकरार आय के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है । सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

**हमारी उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार।**

**कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता/-
**(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 मई का दिन, 2023

**कृते निदेशक मण्डल**

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
**आर. के दाश**
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
**एस. महापात्र**
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

# वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

## नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### नोट 1.1: कंपनी का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था । कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई, भवन, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है । कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है । कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है ।

### नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

**(क) तैयारी का आधार**

**(i) अनुपालन का विवरण**

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है ।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया जाता है ।

**(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां - जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां ।

**(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण**

तुलन पत्र में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है ।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर पोत के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है ।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है ।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का साकार या इरादा की उम्मीद है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटाय जाने की उम्मीद होती है, या

iv. नकद या नकद समकक्ष जब तक की प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए एक विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो ।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

एक देनदारी को वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता जब यह :

i. इसका निपटान, सामान्य संचालन चक्र में किए जाने की उम्मीद होती है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसका निपटान, प्रतिवेदन अवधि के बाद, या बारह महीनों के भीतर किए जाने के लिए निर्धारित होता है

iv. प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है ।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

**(iv) राशियों का पूर्णांकन**

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं, निकटतम लाख में बदल दिया गया है ।

**(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है ।

**(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

I. संपत्ति,संयंत्र और उपकरण को यदि कोई हो तो,लागत, कम संचित मूल्यह्रांस और हानि में दर्शाया गया है ।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष तुलन पत्र तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है । इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है । इसमें सप्लाई कम इरेक्शन कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं ।

(ii) लागत का मतलब है कि व्यापार मूल्य में छूट के बाद नकद मूल्य के रूप में मानी जाने वाली खरीद मूल्य,

छूट और जुडने वाले शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति बनाने के लिए दायित्व, संयंत्र और उपकरण के पार्ट को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लागत ।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तब यदि मान्यता मानदंड संतोषजनक हो तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है । अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में पहचान की जाती है ।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोग जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है ।

(v) व्यक्तिगत रूप से 5000/- रुपये या उससे कम की संपत्ति में वृद्धि का उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर वर्ष में 100% पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(vi) मुख्य संपत्ति के साथ खरीदे गए पुर्जों को उस संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक के अनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

(ii) सेवानिवृत्ति और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है । किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/ हानि को प्रतिवेदन अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है ।

(iii) संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है ।

इंड एएएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है । इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से अग्रेनित किया गया है । 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है ।

(iv) **मूल्यह्रांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य:**

निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

| परिसंपत्ति की श्रेणी | विवरण | वर्ष |
|---|---|---|
| **संयंत्र और उपकरण** | गोलियथ क्रेन (250 टन क्षमता) | **25** |
| **संयंत्र और उपकरण** | हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें;<br>कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक और गोफन, उत्तोलक/जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण | **08** |
| **संयंत्र और उपकरण** | विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन;<br>वेल्डिंग टॉर्च, गेस टॉर्च, पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण | **05** |
| **फर्नीचर और फिक्सचर** | सभी इलेक्ट्रिकल/विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/मनोरंजन सिस्टम/गीजर/वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट/उपकरण, कैंटीन गैजेट्स/यूटिलिटी, संचार उपकरण | **05** |

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है । महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़ना पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है ।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है । यह उस तिथि के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तिथि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (फ्री होल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है ।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है ।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है ।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है ।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है ।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है ।

vi. आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% माफ कर देने की सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

**(ग) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और ऐक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है । उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है ।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है । बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देनदारियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है ।

**(घ) उधार संबंधी लागत**

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय) के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है । एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है । अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है ।

**(ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता**

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को तुलन पत्र की तारीख में स्थापित किया जाता है । तुलन पत्र की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है । वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है ।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है । क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

**(च) अमूर्त परिसंपत्तियां**

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता,यदि कोई हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है । परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं । सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है । विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है ।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए,1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है ।

**(छ) अनुसंधान एवं विकास**

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष में व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है जिसमें इसे व्यय किया जाता है ।

**(ज) वस्तुसूचियां**

वस्तुसूची का मूल्यांकन इंड एएस 2 के प्रावधानों के अनुसार है। लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

i. कच्चा माल, अवयव, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों

ii. संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर ।

iii. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण, पारगमन में स्टोर, सामग्री और अन्य आपूर्ति ।

iv. भौतिक सत्यापन के समय अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तु सूची की पहचान की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, ऐसी वस्तु सूची के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(क) किसी जलयान की डिलीवरी की तारीख से 4 साल या उससे अधिक समय तक नहीं चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोर का मूल्य लागत का 50% माना जाता है।

(ख) अप्रचलन उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जिनकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी है, नॉन मूविंग स्टोर (परियोजना विशिष्ट के अलावा) 4 साल और उससे अधिक के लिए और जिन्हें आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

V. लागत पर: निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगति पर चल रहे कार्यों (ठेकेदारों द्वारा रखी गई सामग्री सहित) की सभी वस्तुएं

VI. अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर: स्क्रैप ।

VII. लागत पर:अंतर-यूनिट स्थानांतरण मद

नोट:

क) वस्तुसूची की लागत में खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और वस्तु सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल होती हैं।

ख) सामान्य स्तर की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए इन-प्लांट वस्तुओं का मूल्यांकन मानक लागत पर किया जाता है और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

**झ) राजस्व मान्यता**

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी ।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं । अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है । यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है ।

**परिचालन से राजस्व प्राप्ति**

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

(i) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तक (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक संपत्ति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है । एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है ।

कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है । इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो -

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का प्रदर्शन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) जिसे ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है ।

(घ) एसबीएफए नीति के तहत पात्र अनुबंधों के संबंध में पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर मान्यता दी जाती है जब प्रबंधन विश्वसनीय रूप से इसकी संभावित प्राप्ति को माप सकता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है तभी संस्था प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को यथोचित रूप से माप सकती है।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचान जाता है यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके । इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है ।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है । इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्यूंकि वस्तुओं और/या सेवाओं के आदान-प्रदान में विचार की पात्रता के अध्यधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है ।

(ii) नौसेना स्टोर से वस्तु की प्राप्ति के प्रमाण समय पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर बी एवं डी पूर्जों की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान की जाती है ।

(iii) संशोधन नौकरियों के लिए राजस्व मान्यता: संशोधन नौकरियों के मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अनुशंसित है ।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीयरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (i) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट होता है, क्यूंकि यह ओवर-टाइम के मानदंडों को पूरा नहीं करता है । आपूर्ति किए गए ब्रिज का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है । इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का सम्पूर्ण सेट ग्राहक को डिलीवर किया जाता है ।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई प्रदर्शन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और उप-मार्ग का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है । हालांकि, अनुबंधों में अन्य प्रदर्शन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है । जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (आई) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है ।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) वस्तुओं की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन परिसंपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके प्रदर्शन दायित्वों को

एक निश्चित समय पर संतुष्टि के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे तब मान्यता दी जाती है । जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने पर आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है ।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में अनुबंध प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है ।

अनुबंध परिसंपत्ति: जब कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक द्वारा प्रतिफल के भुगतान के संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

अनुबंध दायित्व : जब प्रतिफल भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

(छ) परिवर्तनीय निर्णय:

किसी अनुबंध में छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, जुर्माना (परिनिर्धारित क्षति) या या इसी तरह की अन्य मदों जैसे परिवर्तनीय विचार संविदात्मक प्रावधानों/प्रबंधन आकलन और उस निवल राशि के आधार पर किए जाते हैं जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी। यदि किसी संस्था की प्रतिफल की पात्रता भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर है तो वादा किया गया प्रतिफल भिन्न हो सकता है।

**अन्य आय**

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है । ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है और इसे रसीद की निश्चितता एवं समय के आधार पर गणना किया जाता है । फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो ।

(ख) अन्य मदों को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

**बीमा संबंधी दावे**

बीमा संबंधी दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, क्रेडिट की गणना की कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर की जाती है ।

**(ञ) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:**

**(i) आरंभिक मान्यता**

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है ।

**(ii) रूपान्तरण**

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि के समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है ।

**(iii) विनिमय अंतर**

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं ।

**(ट) अनुदान/अनुवृत्ति**

**i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ**

विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है ।

**ii. राजस्व अनुदान/अनुवृत्तियाँ**

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित व्यय के साथ समायोजित किया जाता है । एक विशिष्ट व्यय से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है ।

**(ठ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण**

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है । कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों, परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है ।

**(ड) नकद और नकद समकक्ष**

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है ।

**(ढ) वित्तीय प्रपत्र**

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का तथा एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी प्रपत्र की उत्पत्ति होती है ।

**वित्तीय परिसंपत्ति**

**वर्गिकरण**

कंपनी, वित्तीय लागत को तत्पश्चात परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है ।

**आरंभिक मान्यता और माप:**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गई तो वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं ।

**परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति :**

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्ति को रोककर रखना होता है और परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है । यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है ।

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति (एफ़वीटीओसीआई)**

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तिय को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है । उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है ।

**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तिय एफ़वीटीपीएल)**

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है ।

**वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता**

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्ति से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीओसीआई ऋण विलेखों का आकलन करती है । इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं । नोट 35 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं ।

सिर्फ व्यापार प्राप्यों के लिए, इंड एएस 109 वित्तीय लेखपत्रों द्वारा स्वीकृत सरलीकृत दृष्टिकोण को कंपनी लागू करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक मान्यता से प्रत्याक्षित आजीवन हानियों को मान्यता दिये जाने की जरूरत पड़ती है ।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है । लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है ।

**वित्तीय परिसंपत्ति की विमान्यता**

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो ।

**वित्तीय देनदारियां**

कंपनी की वित्तीय देनदारियां, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियां का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं ।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं ।

**वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप**

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं । वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है । प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है ।

**उत्तरवर्ती माप**

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है । मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को विमान्य कर दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है ।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है ।

**वित्तीय देनदारी की विमान्यता**

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है । एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्ति या स्वीकार की गई देनदारियां भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है ।

**(ण) उचित मूल्य की माप**

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय प्रपत्र को मापती है ।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपेत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला लेनदेन:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में ।

कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभदायक बाजार सुलभ होना चाहिए ।

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं ।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है ।

सभी परिसम्पत्ति और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की मांप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

**स्तर 1 –** एक जैसी परिसंपत्ति या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

**स्तर 2 –** मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

**स्तर 3 –** मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है ।

उन परिसम्पत्ति और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है ) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं ।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्ति ।

**(त) पट्टे**

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है । पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है । पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-सबस्टेंस फिक्स्ड़ पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके प्रारंभ तिथि के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधर लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्यक की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा ।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा ।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है । वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप में प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो ।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है । यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है ।

अल्पकालिक के पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है । अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है ।

**पट्टादाता के रूप में कंपनी**

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है । एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है ।

**(थ) कर्मचारी लाभ**

**I. अल्पकालिक दायित्व**

पारिश्रमिकों वेतनों के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदिन अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है ।

**II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व**

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियां जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है । प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है । बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

**III. रोजगार - पश्चात दायित्व**

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत- पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे पेंशन योजना ।

**ग्रेच्युटी**

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता ही और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं । आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है ।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तिय का उचित मूल्य होता है । परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है ।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है ।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है ।

**सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना**

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना,एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है ।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं । उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है ।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाले प्रीमियम को वर्ष के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

**भविष्य निधि और पेंशन योजना**

पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित की गई दर से कम नहीं भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी होती है। यदि ट्रस्ट ब्याज देयता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी को कमी को पूरा करना होगा। चूंकि, योजना परिभाषित लाभ योजना है, इसलिए कंपनी को वही बीमांकिक रूप से मूल्यांकित किया गया है। मामले में, वर्ष के लिए अतिरिक्त देयता की आवश्यकता है, वही प्रदान किया जाता है।

**पेंशन फ़ंड**

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित अंशदान अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू अंशदान दर पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है ।

**(द) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश**

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है । अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है ।

**(ध) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान**

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है । इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है ।

**i. वर्तमान कर**

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है । इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता है ।

वर्तमान कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है ।

**II. आस्थगित कर**

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तिय और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है । आस्थगित कर परिसंपत्ति की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है । सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है ।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्ति को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधान
प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है ।

**(न) प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर बुनियादी आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है । अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस मुद्दे; और विपरीत शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) की घटनाओं के कारण समायोजित किया जाता है ।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है ।

**(प) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्ति**

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है । हालांकि प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास वृहत संविदा है ।

ii. सौपीं गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है । अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान, लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है ।

iii. आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है ।

iv. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है ।

v. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के व्यय संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है । समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज व्यय माना जाता है ।

**अ. गैर-कर नागरिक मामलों में**

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है ।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद - विवादास्पद राशि का 25%

ii. उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद - विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता । संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है ।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं

बढ़ती है ।

घ. सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है ।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण या इसी तरह के मामालों में उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समक्ष ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है ।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं ।

## नोट 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड-एएस के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कुछ मदों हेतु अनुमानों और कल्पनाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं । प्राप्त वास्तविक राशियाँ, इन अनुमानों से अलग हो सकती है । लेखांकन अनुमान, समय-समय पर बदल सकते हैं । वास्तविक परिणाम, उन अनुमानों से अलग हो सकते हैं । अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं जब प्रबंधन को उन अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों के होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता चलता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणामों के बारे में पता चलता है/कार्यन्वित किया जाता हैं और महत्वपूर्ण होने पर, वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रभावों का प्रकट किया जाता है ।

**अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:**

**i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:**

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है । पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है । जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है । कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है ।

**ii. परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:**

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है । प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है - छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा । छूट दर का निर्धारण, सरकारी बॉन्डों में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है । अंतर्निहित बॉन्डों की परिपक्वता की अवधि के बाद रोजगार लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता से मेल खाती है ।

**iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता**

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है । प्रबंधन कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा ।

**iv. अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:**

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं । इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है ।

**v. दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों पर छूट**

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है । जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है ।

## नोट 2.1: हाल ही में किए गए लेखांकन ऐलान:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है।

31 मार्च, 2023 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया।

**इंड एएस 1 - वित्तीय विवरण की प्रस्तुति -** इस संशोधन के अनुसार संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

**इंड एएस 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियां में परिवर्तन -** इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में बदलावों को लेखांकन अनुमानों में बदलावों से अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

**इंड एएस 12- आयकर -** इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

## नोट 3: सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

| विवरण | सकल वहन राशि | | | | मूल्यह्रास और परिशोधन | | | | निवल वहन राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ = (क + ख - ग) | ङ | च | छ | ज =(ङ+च-छ) | झ=(घ-ज) | |
| | 1 अप्रैल 2022 तक के अनुसार | जोड़ | कटौतियां / समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 1 अप्रैल 2022 तक के अनुसार | वर्ष हेतु व्यय | कटौतियां / समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च 2022 तक के अनुसार |
| **आरओयू के अलावा** | | | | | | | | | | |
| फ्रीहोल्ड - भूमि | 5,125.72 | - | - | 5,125.72 | - | - | - | - | 5,125.72 | 5,125.72 |
| फ्रीहोल्ड - भवन | 10,196.47 | 731.34 | 45.84 | 10,881.97 | 1,295.72 | 357.72 | 17.64 | 1,635.80 | 9,246.17 | 8,900.75 |
| संयंत्र और उपकरण | 27,460.79 | 830.77 | 268.82 | 28,022.74 | 5,177.69 | 1,334.75 | 221.17 | 6,291.27 | 21,731.47 | 22,283.10 |
| विद्युत संस्थापना | 1,381.38 | 110.46 | 0.13 | 1,491.71 | 443.09 | 142.17 | - | 585.26 | 906.45 | 938.29 |
| डॉक्स और जेटी | 5,572.04 | 1,790.47 | 0.45 | 7,362.06 | 2,280.13 | 365.32 | - | 2,645.45 | 4,716.61 | 3,291.91 |
| फर्नीचर और फिक्सचर | 2,147.45 | 70.48 | 98.87 | 2,119.06 | 755.36 | 208.11 | 86.95 | 876.52 | 1,242.54 | 1,392.09 |
| कार्यालय उपकरण | 739.23 | 17.22 | 12.90 | 743.55 | 211.15 | 77.32 | 10.12 | 278.35 | 465.20 | 528.08 |
| कंप्यूटर | 3,017.63 | 652.72 | 11.77 | 3,658.58 | 1,937.47 | 371.85 | 7.78 | 2,301.54 | 1,357.04 | 1,080.16 |
| लॉन्च, नौकाओं एवं नाव | 117.29 | - | - | 117.29 | 20.12 | 6.16 | - | 26.28 | 91.01 | 97.17 |
| वाहनों | 44.91 | - | - | 44.91 | 24.44 | 4.34 | - | 28.78 | 16.13 | 20.47 |
| मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि | 164.35 | - | 0.34 | 164.01 | 74.25 | 16.58 | - | 90.83 | 73.18 | 90.10 |
| **उप-कुल (1)** | **55,967.26** | **4,203.46** | **439.12** | **59,731.60** | **12,219.42** | **2,884.32** | **343.66** | **14,760.08** | **44,971.52** | **43,747.84** |
| **गत वर्ष** | **37,711.38** | **18,502.77** | **246.89** | **55,967.26** | **9,844.38** | **2,533.34** | **158.30** | **12,219.42** | **43,747.84** | |
| जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति | | | | | | | | | | |
| भवन | 4,516.49 | - | - | 4,516.49 | - | - | - | - | - | - |
| अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित | 3,224.69 | - | - | 3,224.69 | - | - | - | - | - | - |
| जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन | 1,291.80 | - | - | 1,291.80 | 380.24 | 54.32 | - | 434.56 | 857.24 | 911.56 |
| संयंत्र और उपकरण | 3,320.27 | - | - | 3,320.27 | - | | - | - | - | - |
| अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित | 861.00 | - | - | 861.00 | - | | - | - | - | - |
| जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित संयंत्र और उपकरण | 2,459.27 | - | - | 2,459.27 | 1,583.32 | 226.19 | - | 1,809.51 | 649.76 | 875.95 |
| डॉक्स और जेटी | 33,894.69 | - | - | 33,894.69 | - | | - | - | - | - |
| अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित | 28,240.08 | - | - | 28,240.08 | - | | - | - | - | - |
| जीआरएसई (ग) द्वारा डॉक्स और जेटी वित्त पोषित | 5,654.61 | - | - | 5,654.61 | 2,894.27 | 412.43 | - | 3,306.70 | 2,347.91 | 2,760.34 |
| **उप-कुल (क+ख+ग) (2)** | **9,405.68** | **-** | **-** | **9,405.68** | **4,857.83** | **692.94** | **-** | **5,550.77** | **3,854.91** | **4,547.85** |
| **गत वर्ष** | **9,405.68** | **-** | **-** | **9,405.68** | **4,164.89** | **692.94** | **-** | **4,857.83** | **4,547.85** | |
| **आरओयू (1+2) के अलावा - कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण** | **65,372.94** | **4,203.46** | **439.12** | **69,137.28** | **17,077.25** | **3,577.26** | **343.66** | **20,310.85** | **48,826.43** | **48,295.69** |
| **गत वर्ष** | **47,117.06** | **18,502.77** | **246.89** | **65,372.94** | **14,009.27** | **3,226.28** | **158.30** | **17,077.25** | **48,295.69** | |
| संपत्ति के उपयोग का अधिकार | | | | | | | | | | |
| पट्टादारी - भूमि | 757.69 | - | - | 757.69 | 21.26 | 21.10 | - | 42.36 | 715.33 | 736.43 |
| पट्टादारी - वाहन | 483.04 | 46.88 | - | 529.92 | 58.43 | 88.17 | - | 146.60 | 383.32 | 424.61 |
| **कुल संपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) (3)** | **1,240.73** | **46.88** | **-** | **1,287.61** | **79.69** | **109.27** | **-** | **188.96** | **1,098.65** | **1,161.04** |
| **गत वर्ष** | **711.95** | **955.86** | **427.08** | **1,240.73** | **322.32** | **184.45** | **427.08** | **79.69** | **1,161.04** | |
| **कुल सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण (1+2+3)** | **66,613.67** | **4,250.34** | **439.12** | **70,424.89** | **17,156.94** | **3,686.53** | **343.66** | **20,499.81** | **49,925.08** | **49,456.73** |
| **गत वर्ष** | **47,829.01** | **19,458.63** | **673.97** | **66,613.67** | **14,331.59** | **3,410.73** | **585.38** | **17,156.94** | **49,456.73** | |

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में परिसंपत्ति के स्क्रैपिंग का मूल्य 80.22 लाख रू.(डीम्ड लागत 324.36 लाख रू.),रिटायर्ड परिसंपत्ति का मूल्य 7.66 लाख रू.(डीम्ड लागत 86.76 लाख रू.) का समयोजन शामिल है। इसके अलावा इसमें वर्ष 2022-23 के दौरान 7.58 लाख रू. (डीम्ड लागत 28.95 लाख रू.) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है । 2021-22 में परिसंपत्ति और रिटायर्ड परिसंपत्ति की स्क्रैपिंग क्रमश: 27.91 लाख (डीम्ड लागत 66.08 लाख रू.) और 7.00 लाख रू. (डीम्ड लागत 35.05 लाख रू.) थी। इसके अलावा इसमें गत वर्ष 2021-22 के दौरान 53.68 लाख रू. (डीम्ड लागत 146.53 लाख रू.) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है ।

(ii) 31 मार्च 2023 तक के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति - 649.76 लाख रू. (31 मार्च, 2022 तक के अनुसार 875.95 लाख रू.) के संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ 70.01 लाख रू. (31 मार्च,2022: 199.03 लाख रू.) मूल्य के न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है ।

(iii) 31 मार्च 2023 तक के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक, इंक्लाइंड बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो आधारभूत अवसंरचना के विकास के आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई हैं। ये परिसंपत्ति भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से 32,325.77 लाख रुपये (मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति 801.23 लाख रू. (31 मार्च, 2022: 801.23 लाख रू.) की है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं ।

(v) 61 की भूमि, गार्डन रीच रोड, कोलकाता का स्वामित्व भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पास है ।

(vi) 31 मार्च 2023 तक के अनुसार भवन राशि 95.96 लाख रू. (मूल लागत) (31 मार्च, 2022:95.96 लाख रू.) की है जिसमें दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है ।

## नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रू. में)

| विवरण | क | ख | ग | घ= (क+ख-ग) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2022 तक के अनुसार | जोड़ | कटौतियां /समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार |
| संयंत्र एवं उपकरण | - | 115.86 | - | 115.86 |
| डॉक्स और जेटी | 867.39 | 881.66 | 1,749.05 | - |
| कंप्यूटर | 86.55 | 564.23 | 312.98 | 337.80 |
| सिविल निर्माण | 12.04 | 49.96 | 31.21 | 30.79 |
| **कुल चालू पूंजीगत कार्य** | **965.98** | **1,611.71** | **2,093.24** | **484.45** |
| **गत वर्ष** | **15,129.72** | **2,605.22** | **16,768.96** | **965.98** |

## नोट 4 (क): विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

(लाख रू. में)

| विवरण | क | ख | ग | घ= (क+ख-ग) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2022 तक के अनुसार | जोड़ | कटौतियां /समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार |
| मूलरूप विकास | - | 119.60 | - | 119.60 |
| **कुल चालू पूंजीगत कार्य** | **-** | **119.60** | **-** | **119.60** |
| **गत वर्ष** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल**

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| सीडबल्यूआईपी | की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| चालू परियोजना | 484.45 | - | - | - | 484.45 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **484.45** | **-** | **-** | **-** | **484.45** |

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्ति | की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| चालू परियोजना | 119.60 | - | - | - | 119.60 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **119.60** | **-** | **-** | **-** | **119.60** |

**परियोजना पूरा होने की अवधि**

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| सीडबल्यूआईपी | में पूरा किया जाएगा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक |
| **चालू परियोजना** | | | | |
| संयंत्र एवं उपकरण | 1.39 | - | - | - |
| कंप्यूटर | 13.70 | - | - | - |
| **अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं** | - | - | - | - |
| **कुल** | **15.09** | - | - | - |

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्ति | में पूरा किया जाएगा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक |
| **चालू परियोजना** | | | | |
| मूलरूप विकास | 15.93 | - | - | - |
| **अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं** | - | - | - | - |
| **कुल** | **15.93** | - | - | - |

## नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य (जारी)

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार एजिंग शेड्यूल**

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| सीडबल्यूआईपी | की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| चालू परियोजना | 953.94 | 12.04 | - | - | 965.98 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **953.94** | **12.04** | **-** | **-** | **965.98** |

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्ति | की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | |
| चालू परियोजना | - | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**परियोजना पूरा होने की अवधि**

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| सीडबल्यूआईपी | में पूरा किया जाएगा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक |
| चालू परियोजना | | | | |
| कंप्यूटर | 112.00 | | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - |
| **कुल** | **112.00** | **-** | **-** | **-** |

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्ति | में पूरा किया जाएगा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक |
| चालू परियोजना | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## नोट 5: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रू. में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | परिशोधन | | | | निवल वहन राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार | योग | कटौती / समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 1 अप्रैल, 2022 तक के अनुसार | वर्ष हेतु व्यय | कटौती / समायोजन | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च 2022 तक के अनुसार |
| | क | ख | ग | घ=(क+ख -ग) | ङ | च | छ | ज=(ङ+च-छ) | झ=(घ-ज) | |
| सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित) | 2,089.11 | 457.37 | 0.95 | 2,545.53 | 1,480.42 | 230.10 | 0.95 | 1,709.57 | 835.96 | 608.69 |
| **कुल अमूर्त परिसंपत्ति** | **2,089.11** | **457.37** | **0.95** | **2,545.53** | **1,480.42** | **230.10** | **0.95** | **1,709.57** | **835.96** | **608.69** |
| **गत वर्ष** | **1,785.20** | **304.68** | **0.77** | **2,089.11** | **1,262.34** | **218.85** | **0.77** | **1,480.42** | **608.69** | |

## नोट 6: वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

**नोट 6 (क): निवेश-गैर-वर्तमान**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| **इक्विटी लेखपत्र** | | |
| सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत | | |
| लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर | | |
| वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर ( 31 मार्च 2023: 6,145) 10 रू.के प्रत्येक इक्विटी शेयर | 0.44 | 0.44 |
| **कुल निवेश** | **0.44** | **0.44** |
| **कुल गैर-वर्तमान निवेश** | 0.44 | 0.44 |
| अनुद्धृत निवेश की कुल रकम | 0.44 | 0.44 |

यह मानते हुए कि निवेश राशि मटिरियल नहीं है, प्रबंधन का मानना है कि उसका उचित मूल्य भी इममटिरियल होगा और इसलिए उसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लागत पर वहन किया जाता है।

**नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाल बैंक जमा | - | 99,900.00 |
| एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश | 7,460.28 | 6,967.54 |
| बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा | 766.42 | 759.41 |
| नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण | 817.36 | 818.92 |
| ब्याज प्रोद्भूत किंतु जमा हेतु अदेय | 7,071.94 | 5,680.76 |
| **कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)** | **16,116.00** | **114,126.63** |

## नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| अग्रिम आयकर | 4,466.96 | 9,021.96 |
| जोड़ : टीडीएस और टीसीएस प्राप्य | 26,361.94 | 26,713.74 |
| | 30,828.90 | 35,735.70 |
| अल्प : आयकर का प्रावधान | (10,244.55) | (20,341.94) |
| **कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपति** | **20,584.35** | **15,393.76** |

## नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपति

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| पूंजीगत आग्रिम | - | 7.43 |
| पूंजीगत आग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम राशियाँ | | |
| पूर्व प्रदत व्यय | 16.34 | 3.35 |
| **कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति** | **16.34** | **10.78** |

## नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| कच्चे माल एवं उपकरण | 147,535.18 | 77,950.24 |
| पी17ए का परिवर्तनीय मदें | 131,432.89 | 33,675.24 |
| | 278,968.07 | 111,625.48 |
| अल्प:अप्रचलन एवं अचल के लिए प्रावाधान | (696.38) | (956.70) |
| सामग्री के लिए प्रावधान | - | (184.98) |
| | 278,271.69 | 110,483.80 |
| ट्रांसिट में स्टॉक | 7,440.47 | 102.16 |
| चल रहे कार्य | 5,737.54 | 5,587.15 |
| स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ | 220.18 | 250.03 |
| स्क्रैप | 180.61 | 803.66 |
| **कुल वस्तुसूचियाँ** | **291,850.49** | **117,226.80** |

कच्चे माल और उपकरण में तीसरे पक्ष के पास पड़े ₹ 43,839.82 लाख (31 मार्च, 2022: ₹ 17,332.15 लाख) शामिल हैं।

उपरोक्त सूची में ₹ 530.48 लाख मूल्य की सामग्री शामिल है जो पारगमन में है, बिक्री के रूप में नहीं मानी जाती है, क्योंकि नियंत्रण अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है

## नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान)

### नोट 10(क): वर्तमान निवेश

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| एफ़वीटीपीएल में मापा गया म्यूचुअल फंड में निवेश | 23,366.40 | 19,667.82 |
| **कुल वर्तमान निवेश** | **23,366.40** | **19,667.82** |

### नोट 10 (ख): ट्रेड प्राप्य-वर्तमान

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| **ट्रेड प्राप्य** | | |
| असुरक्षित, अच्छा समझा गया | 5,084.50 | 15,134.02 |
| असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया | 25.74 | 86.78 |
| | 5,110.24 | 15,220.80 |
| अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान | 25.74 | 86.78 |
| **कुल ट्रेड प्राप्य-वर्तमान** | **5,084.50** | **15,134.02** |

**व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल**

**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| विवरण | नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 6 महीनों से कम | 6 महिना -1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया | 936.62 | 3,541.76 | 131.94 | 143.51 | 129.64 | 201.03 | 5,084.50 |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | | - |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड | - | - | - | - | - | 25.74 | 25.74 |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया | - | - | - | - | - | | - |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | | - |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड | - | - | - | - | - | | - |
| **कुल** | **936.62** | **3,541.76** | **131.94** | **143.51** | **129.64** | **226.77** | **5,110.24** |
| **अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान** | | | | | | | (25.74) |
| **कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान** | | | | | | | **5,084.50** |

**31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| विवरण | नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 6 महीनों से कम | 6 महिना -1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया | 283.31 | 5,986.30 | 889.34 | 6,778.66 | 953.12 | 243.29 | 15,134.02 |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - |
| अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड | - | - | - | - | - | 86.78 | 86.78 |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया | - | - | - | - | - | - | - |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - |
| डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **283.31** | **5,986.30** | **889.34** | **6,778.66** | **953.12** | **330.07** | **15,220.80** |
| **अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान** | | | | | | | (86.78) |
| **कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान** | | | | | | | **15,134.02** |

**नोट 10(ग) : नकद और नकद समतुल्य** (लाख रू. में)

| **विवरण** | **31 मार्च, 2023 तक के अनुसार** | **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** |
|---|---|---|
| बैंकों में शेष राशियाँ | | |
| - चालू खातों में | 1,398.54 | 971.25 |
| हस्तगत नकदी | 0.01 | 0.01 |
| **कुल नकद और नकद समतुल्य** | **1,398.55** | **971.26** |

**नोट 10(घ): अन्य बैंक शेष**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| 03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा | 388,767.00 | 211,800.00 |
| पी17ए के परिवर्तनीय मद के लिए निर्धारित फ्लेक्सि बैंक जमा | 42,604.33 | 42,992.48 |
| अवैतनिक लाभांश खाता | 10.74 | 10.15 |
| **कुल अन्य बैंक शेष** | **431,382.07** | **254,802.63** |

**नोट 10(ङ): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति- वर्तमान**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा | 2.73 | 3.69 |
| एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश | 659.73 | 588.77 |
| ब्याज प्रोद्भूत किंतू जमा हेतु अदेय | 7,009.41 | 3,216.73 |
| अनुबंध परिसंपत्ति | 8,550.74 | 8,818.15 |
| नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग | 128.37 | 123.96 |
| **कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान** | **16,350.98** | **12,751.30** |

**नोट 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्ति**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ | | |
| - कर्मचारी | 358.95 | 132.15 |
| - उत्पाद शुल्क | 26.20 | 26.20 |
| - बिक्री कर/वैट | 67.08 | 67.08 |
| - वस्तु एवं सेवा कर | 67,248.83 | 32,042.78 |
| - पूर्व प्रदत व्यय | 2,163.44 | 1,349.84 |
| - आपूर्तिकर्ताओं | 149,488.28 | 126,767.01 |
| - अन्य प्राप्य | 717.39 | 1,651.26 |
| **- कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्ति** | **220,070.17** | **162,036.32** |

**नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| संयंत्र और उपकरण | 5.65 | 15.90 |
| फर्नीचर और फिक्सचर | 1.39 | 28.25 |
| मोटर कार | - | 1.32 |
| कार्यालय उपकरण | 0.86 | 0.40 |
| **बिक्री के लिय रखी गई परसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्ति** | **7.90** | **45.87** |

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी वहनकारी राशि से कम और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पर मापा गया था और प्रक्रिया के अनुसार निपटान करें ।कंपनी ने उचित मूल्य को रिलाईजेशन के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

## नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

**नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **प्राधिकृत** | | | | |
| 10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 10 रुपए) | 125,000,000 | 12,500.00 | 125,000,000 | 12,500.00 |
| **जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप** | | | | |
| 10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 10 रुपए) | 114,552,000 | 11,455.20 | 114,552,000 | 11,455.20 |
| | | **11,455.20** | | **11,455.20** |

**बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| वर्ष के प्रारम्भ में | 114,552,000 | 11,455.20 | 114,552,000 | 11,455.20 |
| जोड़: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना* | - | - | - | - |
| **वर्ष के अंत में** | **114,552,000** | **11,455.20** | **114,552,000.00** | **11,455.20** |

*कंपनी ने 30 जून, 2017 को हुई अपनी बोर्ड बैठक और 25 अगस्त, 2017 को हुई वार्षिक आम बैठक में कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी को उप-विभाजित किया । जिसमें 100/- रू प्रत्येक के 1,25,00,000 शेयरों में 10/- रू प्रत्येक के 12,50,00,000 शेयर शामिल हैं ।

**इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार**

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10/- रु.(31 मार्च,2022: 10/-रुपये) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

**कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

| शेयरधारक | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | होल्डिंग% | शेयरों की संख्या | होल्डिंग% |
| भारत के राष्ट्रपति | 85,341,240 | 74.50% | 85,341,240 | 74.50% |
| एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड | 7,343,837 | 6.41% | 97,50,951 | 8.51% |

**प्रमोटरों का शेयरधारिता का प्रकटीकरण**

**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर**

| प्रमोटर का नाम | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का % |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | |
| भारत के राष्ट्रपति | 85,341,240 | 74.5% | 85,341,240 | 74.5% | - |

**31 मार्च, 2022 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर**

| प्रमोटर का नाम | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार | | 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार | | वर्ष के दौरान परिवर्तन का % |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | |
| भारत के राष्ट्रपति | 85,341,240 | 74.5% | 85,341,240 | 74.5% | - |

**नोट 13(ख) : अन्य इक्विटी**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व | 928.80 | 928.80 |
| सामान्य आरक्षित | 6,064.86 | 6,064.86 |
| प्रतिधारित कमाई | 122,932.89 | 107,340.21 |
| **कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ** | **129,926.55** | **114,333.87** |

**(i) प्रतिधारित आय**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 107,340.21 | 95,262.90 |
| अवधि हेतु शुद्ध लाभ | 22,812.40 | 18,952.68 |
| प्रत्यक्ष मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें | | |
| -परिभाषित लाभ योजना का पुन: माप (शुद्ध कर) | 54.33 | 112.30 |
| प्रदत्त लाभांश | (973.69) | (1,317.35) |
| अंतरिम प्रदत्त लाभांश | (6,300.36) | (5,670.32) |
| **समापन शेष** | **122,932.89** | **107,340.21** |

**अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य:**

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 213 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है। पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है।

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

## नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान)

**ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| ट्रेड देय | | |
| रूसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता | 817.36 | 818.92 |
| **कुल ट्रेड देय (गैर वर्तमान)** | **817.36** | **818.92** |

**ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल**

**31 मार्च 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| विवरण | भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| अन्य | - | 128.37 | 128.37 | 560.62 | 817.36 |
| डिस्प्यूटेड बकाया-एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| डिस्प्यूटेड बकाया-एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **128.37** | **128.37** | **560.62** | **817.36** |

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार** (लाख रू. में)

| विवरण | भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| अन्य | - | 123.96 | 123.96 | 571.00 | 818.92 |
| डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| डिस्पूटेड बकाया-अन्य | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **123.96** | **123.96** | **571.00** | **818.92** |

## नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

| **विवरण** | **31 मार्च, 2023 तक के अनुसार** | **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** |
|---|---|---|
| उपार्जित अवकाश देनदारी | 7,373.79 | 7,421.46 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | 1,559.58 | 1,485.97 |
| **कुल प्रावधान (गैर वर्तमान)** | **8,933.37** | **8,907.43** |

## नोट 16: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

**शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से सबंन्धित है:** (लाख रू. में)

| **विवरण** | **31 मार्च, 2023 तक के अनुसार** | **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** |
|---|---|---|
| आस्थगित कर देनदारियां | | |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति | 3,963.81 | 3,711.48 |
| म्यूचुअल फंड के उचित मूल्यांकन पर लाभ | 10.40 | 6.31 |
| **कुल आस्थगित कर परिसपंत्ति** | **3,974.21** | **3,717.79** |
| आस्थगित कर परिसपंत्ति | | |
| परिभाषित लाभ दायित्व | 2,445.59 | 2,420.66 |
| संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए भत्ता | 6.48 | 21.84 |
| भारी अनुबंध के लिए प्रावधान | 70.24 | 197.16 |
| **कुल आस्थगित कर परिसपंत्ति** | **2,522.31** | **2,639.66** |
| **शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां** | **1,451.90** | **1,078.13** |

**नोट 16 (क) : आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)**

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसपंत्ति) में मूवमेंट (लाख रू. में)

| विवरण | सपंत्ति, सयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसपंत्ति | परिभाषित लाभ दायित्व | अन्य मद | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **01 अप्रैल 2021 तक के अनुसार** | **3,152.04** | **(2,283.09)** | **(318.08)** | **550.87** |
| प्रभारित/(क्रेडिटेड): | | | | |
| -लाभ या हानि हेतु | 559.44 | (175.35) | 105.39 | **489.48** |
| - अन्य व्यापक आय हेतु | - | 37.78 | - | **37.78** |
| **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** | **3,711.48** | **(2,420.66)** | **(212.69)** | **1,078.13** |
| प्रभारित/(क्रेडिटेड): | | | | |
| - लाभ या हानि हेतु | 252.33 | (43.21) | 146.37 | **355.49** |
| -अन्य व्यापक आय हेतु | - | 18.28 | - | **18.28** |
| **31 मार्च , 2023 तक के अनुसार** | **3,963.81** | **(2,445.59)** | **(66.32)** | **1,451.90** |

## नोट 17: वित्तीय देनदारियां (वर्तमान)

**नोट 17(क): उधार (वर्तमान)**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| सुरक्षित अल्पावधि उधार : | | |
| क) मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण | | |
| - बैंक से (आवधिक जमा द्वारा सुरक्षित) | 30,117.18 | - |
| **कुल आदाता (वर्तमान)** | **30,117.18** | **-** |

**नोट 17(ख): ट्रेड देय (वर्तमान)**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| ट्रेड देय | | |
| - सुक्ष्म और लुघ उद्योग | 236.15 | 228.52 |
| - रूसी आस्थगित ऋण | 128.37 | 123.96 |
| - अन्य | 117,022.22 | 40,816.35 |
| **कुल ट्रेड देय (वर्तमान)** | **117,386.74** | **41,168.83** |

**व्यापार देय एजिंग शेड्यूल**

**31 मार्च, 2023 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| विवरण | भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| एमएसएमई | 236.15 | - | - | - | 236.15 |
| अन्य | 91,776.81 | 12,981.48 | 6,497.10 | 5,895.21 | 117,150.59 |
| डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| डिस्पूटेड बकाया-अन्य | - | - | - | - | - |
| **कुल ट्रेड देय (वर्तमान)** | **92,012.96** | **12,981.48** | **6,497.10** | **5,895.21** | **117,386.74** |

**31 मार्च, 2022 तक के अनुसार**

(लाख रू. में)

| विवरण | भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| एमएसएमई | 228.52 | - | - | - | 228.52 |
| अन्य | 31,573.05 | 3,839.99 | 4,396.10 | 1,131.17 | 40,940.31 |
| डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| डिस्पूटेड बकाया-अन्य | - | - | - | - | - |
| **कुल ट्रेड देय (वर्तमान)** | **31,801.57** | **3,839.99** | **4,396.10** | **1,131.17** | **41,168.83** |

**नोट 17(ग): अन्य वित्तीय देनदारियां** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| सुरक्षा जमा | 439.14 | 387.49 |
| उपार्जित व्यय | | |
| उपार्जित वेतन और लाभ | 931.13 | 585.95 |
| किराया | 15.53 | 36.27 |
| अप्रदत्त लाभांश | 10.74 | 10.15 |
| अन्य देय राशियाँ | 1,498.02 | 1,373.49 |
| **कुल अन्य वित्तीय देनदारियां** | **2,894.56** | **2,393.35** |

**नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियां** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| अनुबंध देनदारियां | 770,137.71 | 565,457.41 |
| सांविधिक देनदारियां | 483.43 | 203.54 |
| अन्य देनदारियां | 15.97 | 15.97 |
| **कुल अन्य वर्तमान देनदारियां** | **770,637.11** | **565,676.92** |

**नोट 19: प्रावधान (वर्तमान)** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| गारंटी मरम्मत | 600.01 | 2,325.25 |
| परिसमापन हर्जाने के लिए प्रावधान | - | 10.42 |
| उपार्जित अवकाश दायित्व | 659.73 | 588.77 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | 123.20 | 121.04 |
| भारी अनुबंध | 279.07 | 783.32 |
| अन्य प्रावधान | 1,217.73 | 12,417.16 |
| **कुल प्रावधान (वर्तमान)** | **2,879.74** | **16,245.96** |

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

"डिलीवर किए गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर डिलीवर किए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान लगाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ-साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गणुवत्ता पहलों की सफलता शामिल है। अन्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान के लिए ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के आधार पर प्रावधान का अनुमान है और किसी भी हाल के रुझान है कि भविष्य के दावों का सुझाव दे सकते है ऐतिहासिक मात्र से अलग हो सकता है ।

कठिन अनुबंध का प्रावधान

कंपनी ने भारतीय तट रक्षक के साथ अनुबंध संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एक एफपीवी पोत (यार्ड 2118) की आपूर्ति की है। सेशेल्स सरकार के साथ दिनांक 03 फरवरी 2021 के अनुबंध के अनुसार सेशेल्स सरकार को वर्ष 2020-21 में सुपुर्द एक पोत के बदले में डायवर्ट करके एफपीवी अनुबंध का एक पोत भारतीय तटरक्षक बल के साथ शामिल हुआ। वर्ष 2020-21 में पोत की आपूर्ति के विरुद्ध भारी नुकसान दर्ज किया गया था एवं प्रावधान को अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में यार्ड 2118 की सुपुर्दगी को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में, ₹ 783.32 लाख (गत वर्ष : ₹ 393.68 लाख) की भारी हानि का शेष अनुचित प्रावधान को समायोजित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में गुयाना और बांग्लादेश को जलयानों के निर्माण और आपूर्ति के लिए दो अनुबंध के संबंध में कुल अनुमानित पूर्णता लागत 64756 लाख रुपए की वसूली योग्य मूल्य से अधिक होने की संभावना है जिसमें से 36849 लाख रुपए की राशि आज तक की गई लागत की तुलना

में चालू वर्ष में समायोजित की गई है और तदनुसार उपर्युक्त अनुबंध से मान्यता प्राप्त राजस्व प्राप्त है। नोट 26 में विविध खर्चों के तहत शेष 279.07 लाख रुपये दिखाए गए हैं।

भारी हानि दायित्व का मूवमेंट "प्रावधान के मूवमेंट" के अंतर्गत परिलक्षित होता है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान के प्रमुख श्रेणी में मूवमेंट के बारे में निम्न प्रस्तुत है : (लाख रू. में)

| विवरण | गारंटी मरम्मत | दुर्वह अनुबंध का प्रावधान | एल डी सहित अन्य प्रावधान |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2021 तक के अनुसार** | **2,712.79** | **1,177.00** | **11,518.08** |
| लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया) | | | |
| मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान | 1,429.32 | - | 3,682.58 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि | (1,816.86) | (393.68) | (2,773.08) |
| **31 मार्च 2022 तक के अनुसार** | **2,325.25** | **783.32** | **12,427.58** |
| लाभ या हानि में शलुक लिया गया/(जमा किया गया) | | | |
| मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान | 418.97 | 647.56 | 1,182.93 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि | (2,144.21) | (1,151.81) | (12,392.78) |
| **31 मार्च 2023 तक के अनुसार** | **600.01** | **279.07** | **1,217.73** |

## नोट 20: संचालन से राजस्व

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **(क) अनुबंध राजस्व** | | |
| - पोत निर्माण | 230,196.88 | 157,101.33 |
| - पोत मरम्मत | 196.32 | - |
| - सामान्य इंजीनियरिंग | - | 494.09 |
| - डीजल इंजन | 2,188.93 | 5,406.45 |
| **(ख) उत्पादों की बिक्री** | | |
| - बी एवं डी स्पेयर्स | 11,894.55 | 865.07 |
| - बेली ब्रिज | 5,646.68 | 5,430.63 |
| - सामान्य इंजीनियरिंग | 51.96 | 602.69 |
| - डीजल इंजन | 5.38 | - |
| **(ग) सेवाओं की बिक्री** | | |
| - पोत मरम्मत | 3,201.42 | 4,049.12 |
| - बेली ब्रिज | 1,283.00 | 504.75 |
| - सामान्य इंजीनियरिंग | - | - |
| - डीजल इंजन | 102.20 | 20.50 |
| **(घ) विविध परियोजना** | 16.40 | 53.39 |
| **(ड) अन्य संचालनीय राजस्व** | | |
| - स्क्रैप की बिक्री | 1,307.06 | 868.72 |
| - प्रशिक्षण शुल्क | 23.73 | 48.13 |
| **संचालन से कुल राजस्व** | **256,114.51** | **175,444.87** |

i. निर्यात अनुबंध से संचालन से उपरोक्त शामिल राजस्व रू. 5,978.19 लाख (वित्त वर्ष 21- 22 : रू. 6,094.42 लाख) है ।

ii. निर्यात बिक्री रू. 477.17 लाख (वित्त वर्ष 21-22 : रू. 3,485.12 लाख) रू. ।

iii. कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसचूना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जन, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसचूना एस.ओ. 802 (ई) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

## नोट 21: अन्य आय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 17,834.00 | 13,019.00 |
| म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ | 578.30 | 1,368.59 |
| उचित मूल्यांकन पर लाभ | | |
| -म्यूचुअल फंड | 41.30 | 25.07 |
| -अन्य | 442.24 | 525.72 |
| किराया आय | 12.90 | 18.30 |
| शुद्ध विदेशी विनिमय लाभ | - | 44.90 |
| बीमा दावे | 47.12 | 207.95 |
| देनदारियाँ/प्रावधान रिटेन बैंक | 847.07 | 654.55 |
| रिटायर्ड परिसंपत्ति (शुद्ध) पर लाभ/(हानि) | 100.25 | 56.03 |
| अन्य आय | 280.37 | 211.74 |
| **कुल अन्य आय** | **20,183.55** | **16,131.85** |

## नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| कच्चे माल | 47,928.06 | 16,881.64 |
| उपकरण एवं घटक | 101,596.33 | 76,638.73 |
| **खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत** | **149,524.39** | **93,520.37** |

## नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में परिवर्तन

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | |
| - बेली ब्रिज यूनिट | 4,339.84 | 5,057.88 |
| - इंजन यूनिट | 292.22 | 309.05 |
| - अन्य | 955.09 | 459.56 |
| **कुल आरंभिक शेष** | **5,587.15** | **5,826.49** |
| समापन शेष | | |
| - बेली ब्रिज यूनिट | 4,603.60 | 4,339.84 |
| - इंजन यूनिट | 186.68 | 292.22 |
| - अन्य | 947.26 | 955.09 |
| **कुल समापन शेष** | **5,737.54** | **5,587.15** |
| चल रहे कार्य की वस्तुस्तुची में कुल परिवर्तन | (150.39) | 239.34 |
| स्क्रैप की वस्तुस्तुची में परिवर्तन | 623.05 | (200.63) |
| **चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में कुल परिवर्तन** | **472.66** | **38.71** |

## नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वेतन और पारिश्रमिक | 24,926.15 | 23,669.68 |
| अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण | - | (709.95) |
| | 24,926.15 | 22,959.73 |
| भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान | 3,591.71 | 3,298.82 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 3,173.21 | 2,770.05 |
| **कुल कर्मचारी लाभ व्यय** | **31,691.07** | **29,028.60** |

## नोट 24: वित्त लागत

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| ब्याज व्यय | | |
| बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज व्यय | 408.04 | - |
| एलडी देयता पर ब्याज व्यय | 126.57 | 66.47 |
| - लीज देयता पर ब्याज व्यय | 88.80 | 62.62 |
| - सूक्ष्म एवं सघु उद्यमों के बकाया पर ब्याज | 24.66 | 13.79 |
| **कुल वित्त लागत** | **648.07** | **142.88** |

## नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मलूयह्रास | 3,686.53 | 3,410.74 |
| अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण | - | (58.59) |
| | 3,686.53 | 3,352.15 |
| अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन | 230.10 | 218.86 |
| **कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय** | **3,916.63** | **3,571.01** |

## नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना सबंन्धित

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| सुविधा किराया | 58.45 | 121.56 |
| बीमा | 1,134.86 | 325.89 |
| यात्रा व्यय | 484.39 | 255.71 |
| तकनीशियनों की फीस | 3,182.36 | 1,365.59 |
| जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधित व्यय | 263.21 | 86.70 |
| बैंक प्रभार | 357.47 | 1.25 |
| विविध व्यय | 226.69 | 192.10 |
| **कुल अन्य व्यय - परियोजना संबंधित** | **5,707.43** | **2,348.80** |

## नोट 27: अन्य खर्चों

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत | 91.44 | 71.30 |
| बिजली और ईंधन | 889.39 | 863.48 |
| किराया | 234.88 | 128.31 |
| मरम्मत और रखरखाव | | |
| - भवन | 610.61 | 601.81 |
| - संयंत्र एवं उपकरण | 755.58 | 560.08 |
| - अन्य | 1,219.23 | 1,199.34 |
| बीमा | 580.15 | 630.94 |
| दरें और कर | 157.76 | 124.70 |
| मार्केटिंग व्यय | 110.54 | 91.18 |
| स्टोर खाली करने और प्रेषण का खर्च | 39.45 | 29.07 |
| अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुस्तुची हेतु प्रावधान | 236.81 | 231.34 |
| सामाग्री हेतु प्रावधान | - | 184.98 |
| परिवहन किराया शुल्क | 368.91 | 336.58 |
| यात्रा व्यय | 275.51 | 125.55 |
| विज्ञापन और प्रचार | 337.37 | 289.28 |
| बैंक चार्ज एवं कमीशन | 34.89 | 38.90 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री | 10.14 | 8.09 |
| डाक एवं कूरियर | 10.53 | 5.85 |
| टेलीफोन और फैक्स | 41.98 | 33.78 |
| कानूनी खर्च | 28.66 | 11.00 |
| निगमित सामाजिक दायित्व | 460.00 | 410.00 |
| संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता | 59.88 | - |
| लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: | | |
| (क) लेखा परीक्षण शुल्क | 8.60 | 8.60 |
| (ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क | 1.25 | 1.25 |
| (ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क | 5.57 | 5.10 |
| सीआईएसएफ़ व्यय | 3,235.50 | 3,499.57 |
| रिटेन ऑफ की गई परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण | 75.77 | 27.81 |
| शुद्ध विदेशी मुद्रा हानि | 352.68 | - |
| अन्य विविध व्यय | 579.54 | 619.91 |
| **कुल अन्य व्यय** | **10,812.62** | **10,137.80** |

उपरोक्त नोटों में संबंधित विभिन्न शीर्षों के तहतअनुसंधान और विकास पर कुल रू. 1,365 लाख (विगत वर्ष रू. 1,292 लाख) रू का व्यय परिलक्षित होता है ।

## नोट 28: असाधारण मद

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| लॉकडाउन के दौरान पी एवं एम का वेतन और मजदूरी/मूल्यहनास | - | 768.54 |
| **कुल असाधारण मद** | **-** | **768.54** |

**नोट 29 (क): आयकर व्यय** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| आयकर व्यय | | |
| वर्तमान कर | | |
| वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर | 7,353.90 | 6,282.00 |
| **कुल वर्तमान कर व्यय** | **7,353.90** | **6,282.00** |
| आस्थगित कर | | |
| आस्थगित कर (लाभ)/व्यय | 355.49 | 489.48 |
| **कुल आस्थगित कर व्यय** | 355.49 | 489.48 |
| **आयकर व्यय** | **7,709.39** | **6,771.48** |

**(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:**

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| भारत में अधिनियमित आयकर दर जो कर पूर्व कंपनी के लाभ पर लागू होती है | 25.17% | 25.17% |
| कर पूर्व लाभ | 30,521.79 | 25,724.16 |
| **भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर** | **7,681.72** | **6,474.26** |
| व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है | 1,844.83 | 1,674.52 |
| व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य है | (2,288.42) | (1,969.97) |
| निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं | 115.77 | 103.19 |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति के आंकलन के परिवर्तन में समायोजन | 355.49 | 489.48 |
| **लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय** | **7,709.39** | **6,771.48** |

## नोट 30: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

इंड एएस 37 "प्रावधान, के अनुसार आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति " का प्रकटीकरण यहाँ नीचे दिया गया है: (लाख रू. में)

| (क) | आकस्मिक देनदारियाँ | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|---|
| (i) | कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया | 7,666.16 | 7,471.65 |
| (ii) | गारंटियाँ | | |
| | क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटियाँ | 434,298.13 | 274,099.33 |
| | ख) प्रदर्शन और वारंटियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड | 103,291.28 | 164,976.63 |
| | ग) असमाप्त साख पत्र | 6,116.21 | 15,919.12 |
| (iii) | अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | | |
| | क) बिक्री कर | 506.83 | 506.83 |
| | ख) आय कर | 1,633.19 | 1,635.11 |
| | ग) वस्तु एवं सेवा कर | 142.17 | - |

(क) वर्ष 2007-08 के लिए आकलन बकाया और मांग की दिशा में, बिक्री कर के खाते में आकस्मिक देनदारी का परिमाण रू 506.83 लाख रू (31 मार्च 2022: 506.83 लाख रू ) है । इन सभी राशियों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार इन्हें खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्यूंकी सारी मांगें, अपील के अलग-अलग चरणों में है ।

(ख) आयकर के कारण आकस्मिक देयता 1633.19 लाख (31 मार्च, 2022: 1635.11, लाख) है, आयकर प्राधिकरण द्वारा आकलन वर्ष 2009-10-, 1624.58 लाख रू के लिए फॉर्म 26एएस के आधार पर कर योग्य आय में मनमाने ढंग से वृद्धि और आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 80 जी छूट - 8.61 लाख रुपये की छूट दी गई है। आकलन वर्ष 2014-15 के लिए परिनिर्धारित क्षतिके लिए 1.92 लाख रुपए के प्रावधान का निपटान जीआरएसई के पक्ष में कर दिया गया है, इसलिए 1.92 लाख रुपये की आकस्मिक देयता वापस ले ली गई है । उपर्युक्त विवादों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मुद्दे अपील के प्रथम चरण में हैं।

## नोट 30: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति (जारी)

(ग) जून 20 से सितंबर 20 (वित्त वर्ष 2020-21) की अवधि के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के अतिरिक्त रिफंड की मांग के प्रति जीएसटी के कारण विवाद 142.17 लाख रू (31 मार्च, 2022 शून्य) है। इस राशि को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मांग अतिरिक्त आयुक्त, एलटीयू के समक्ष अपील के प्रथम चरण में है। इसके अतिरिक्त, इसका खातों पर शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि भुगतान करने की आवश्यकता होती है तो आईटीसी को पुनः क्रेडिट किया जाएगा।

(घ) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दिखाई गई राशि उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राप्त सर्वोत्तम संभव अनुमानों को दर्शाती है। नकदी प्रवाह की अनिश्चितता और समय विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर करता है जो कंपनी या दावेदारों द्वारा लागू किया गया है और इसलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

प्रबंधन की राय में, ऊपर उल्लिखित विवादों के लिए किसी प्रावधान को इस आधार पर आवश्यक नहीं माना जाता है कि कंपनी द्वारा की गई अपीलों के सफल परिणाम की उचित संभावना है।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्ति

(i) सीआईडब्ल्यूटीसीएल, कोलकाता और जीआरएसई के बीच 23 नवंबर, 2022 के निपटान समझौते के अनुसार, सीआईडब्ल्यूटीसीएल से 165.64 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा वसूली की गई वसूली की प्रतिपूत के रूप में प्राप्त 106.59 लाख रुपए की राशि को अन्य प्राप्य राशि में समायोजित कर दिया गया है और शेष 59.10 लाख रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में भूमि किराए के रूप में समायोजित कर दिया गया है।

## नोट 31: प्रतिबद्धताएँ

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 तक के अनुसार | 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है | 3,207.34 | 2,341.67 |
| उपरोक्त अग्रिम के विरुद्ध भुगतान किया गया | - | 7.43 |

## नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व

**(i) अवकाश दायित्व**

अवकाश दायित्व, बीमारी और अर्जित अवकाश हेतु कंपनी की देनदारी को कवर करते हैं ।

पूर्व अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों से उपार्जित अवकाश की सम्पूर्ण राशि ग्रहण करने की आशा नहीं करती है या अगले 12 महीने के भीतर भुगतान आवश्यक नहीं बनाती है । तदनुसार 659.73 लाख रू. (31 मार्च 2022: 588.77 लाख रू.) को वर्तमान के रूप में और शेष राशि को गैर वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है । अवकाश दायित्व एक अवित्तपोषित योजना है, कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनाई रखी जाने वाली

योजना में योगदान करती बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व में सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है ।

(लाख रू. में)

| विवरण | अवकाश दायित्व |
|---|---|
| **31 मार्च 2022 तक के अनुसार** | |
| वर्तमान अंश | 588.77 |
| गैर-वर्तमान अंश | 7,421.46 |
| **कुल** | **8,010.23** |
| **31 मार्च 2023 तक** | |
| वर्तमान अंश | 659.73 |
| गैर-वर्तमान अंश | 7,373.79 |
| **कुल** | **8,033.52** |

**(ii) रोजगार पश्चात दायित्व**

**(क) ग्रेच्युटी**

कंपनी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्रदान करती है । लगातार 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी, ग्रेच्युटी के योग्य होते हैं । सेवानिवृत्ति/कार्य समापन पर देय ग्रेच्युटी की राशि, सेवा के वर्षों की संख्या के साथ 15 दिनों (एक महीने में 26 दिन मानते हुए) के वेतन के लिए समानुपातिक रूप से हिसाब करके प्राप्त कर्मचारियों का आखिरी बार उठाया गया मूल (महंगाई भत्ता सहित) वेतन प्रति माह में गुना करके मिलने वाली राशि है । ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त कोष में योगदान करती है ।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए, धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है ।

## नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

### (ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

कंपनी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का संचालन करती है । यह योजना एक अवित्तपोषित योजना है । बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है ।

उपरोक्त के अलावा, अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान किए गए 1,131.09 लाख रूपये (31 मार्च 2022: 720.31 लाख रू.) रूपये का प्रीमियम है । बीमा कंपनी को देय योगदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है ।

### (ग) भविष्य निधि

कंपनी द्वारा स्थापित छूट भविष्य निधि इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ के तहत एक परिभाषित लाभ योजना है।

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक क़ानून के अनुसार देय होता है।

भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2022-23 के लिए (वर्ष 2021-22 के लिए 1737.98 लाख रुपये)1838.00 लाख रुपये है।

प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) और अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए जीआरएसई के छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के इंड एएस 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्ति और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

(लाख रू. में)

| विवरण | वर्तमान मूल्य | का उचित मूल्य | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2022** | 40,058.37 | (40,206.09) | (147.72) |
| वर्तमान सेवा लागत | 5,074.37 | - | 5,074.37 |
| ब्याज व्यय/(आय) | 3,112.93 | (3,276.80) | (163.86) |
| **लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि** | **8,187.31** | **(3,276.80)** | **4,910.51** |
| पुन:माप | | | |
| योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर | - | 299.87 | 299.87 |
| जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि | - | - | |
| त्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 19.45 | - | 19.45 |
| अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि | (41.91) | - | (41.91) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **(22.46)** | **299.87** | **277.41** |
| नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम | - | (2,190.84) | (2,190.84) |
| लाभ भुगतान | (3,725.72) | 3,725.72 | - |
| प्रतिभागियों का योगदान | - | (2,883.53) | (2,883.53) |
| में स्थानांतरण | - | - | - |
| **31 मार्च,2023** | **44,497.50** | **(44,531.67)** | **(34.17)** |

वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में वर्गीकृत करने के संबंध में अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। लेखांकन नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया था और देखा गया था कि लाभ के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक है। इसलिए, वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी के खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

### (iii) परिभाषित योगदान योजना:

**अधिवर्षिता पेंशन निधि:**

पेंशन योजना एक ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 (वर्ष 2021-22 के लिए 454.81 लाख रुपये) के लिए नियोक्ता के योगदान के दिशा में एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों हेतु 432.40 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है।

असंगठित कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत 01 जनवरी 2012 से की गई है । प्रचालकों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के योगदान की दिशा में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 741.24 लाख (एरियर के साथ ) (वर्ष 2021-22 के लिए 371.47 लाख रूपये) लाख रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है ।

## नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

### (iv) तुलन पत्र मान्यता

#### (क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

| विवरण | दायित्व का वर्तमान मूल्य |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2021** | 1,566.16 |
| वर्तमान सेवा लागत | 51.61 |
| ब्याज व्यय/(आय) | 110.72 |
| **लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि** | **162.33** |
| पुन:माप | |
| योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर | - |
| जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि | - |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि | (38.49) |
| अनुभव (लाभ)/हानि | (82.99) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **(121.48)** |
| नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम | **-** |
| लाभ भुगतान | - |
| **31 मार्च, 2022** | **1,607.01** |

(लाख रू. में)

| विवरण | दायित्व का वर्तमान मूल्य |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2022** | 1,607.01 |
| वर्तमान सेवा लागत | 64.56 |
| ब्याज व्यय/(आय) | 116.50 |
| **लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि** | **181.06** |
| पुन:माप | |
| योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर | - |
| जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि | - |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि | (42.22) |
| अनुभव (लाभ)/हानि | (63.07) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **(105.29)** |
| नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम | - |
| लाभ भुगतान | - |
| **31 मार्च, 2023** | **1,682.78** |

## नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

**(ख) ग्रेच्युटी**

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

| विवरण | दायित्व का वर्तमान मूल्य | योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2021** | 11,879.33 | (11,879.33) | - |
| वर्तमान सेवा लागत | 694.90 | - | 694.90 |
| ब्याज व्यय/(आय) | 791.27 | (839.87) | (48.60) |
| **लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि** | **1,486.17** | **(839.87)** | **646.30** |
| पुन:माप | | | |
| योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर | - | (18.39) | (18.39) |
| जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि | - | - | - |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि | 174.97 | - | 174.97 |
| अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि | (185.16) | - | (185.16) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **(10.19)** | **(18.39)** | **(28.58)** |
| नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम | - | (617.72) | (617.72) |
| लाभ भुगतान | (1,374.78) | 1,374.78 | - |
| **31 मार्च, 2022** | **11,980.53** | **(11,980.53)** | **-** |

(लाख रू. में)

| विवरण | दायित्व का वर्तमान मूल्य | योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2022** | 11,980.53 | (11,980.53) | - |
| वर्तमान सेवा लागत | 717.96 | - | 717.96 |
| ब्याज व्यय/(आय) | 823.55 | (868.58) | (45.03) |
| **लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि** | **1,541.51** | **(868.58)** | **672.93** |
| पुन:माप | | | |
| योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर | - | 25.08 | 25.08 |
| जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि | - | - | - |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि | (84.70) | - | (84.70) |
| अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि | 92.31 | - | 92.31 |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **7.61** | **25.08** | **32.69** |
| नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम | - | (705.61) | (705.61) |
| लाभ भुगतान | (1,242.38) | 1,242.38 | - |
| **31 मार्च, 2023** | **12,287.27** | **(12,287.27)** | **-** |

## नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

### (v) महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक कल्पनाएं

महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाएं निम्नलिखत है:

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| छूट दर | 7.25% | 7.07% |
| योजन परिसंपत्ति पर प्रत्याशित रिटर्न | 7.25% | 7.07% |
| वेतन वृद्धि दर | 7.00% | 7.00% |
| संघर्षण दर | 1.00% | 1.00% |
| मृत्यु दर | आईएएलएम (2012-2014) अल्टिमेट | आईएएलएम (2012-2014) अल्टिमेट |

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भावी मृत्यु दर से संबंधित कल्पनाएं, प्रकाशित आंकड़ों और अनुभव के अनुसार बीमांकिक सलाह पर आधारित हैं । ये कल्पनाएं, 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में औसत जीवन प्रत्याशा में बदल जाती है ।

### (vi) संवेदनशीलता संबंधी विश्लेषण

भारित प्रधान कल्पनाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के संवेदशीलता निम्नलिखित है : (लाख रू. में)

| विवरण | परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट की दर **(-/+ 0.5%)** | 11,845.41 | 12,759.14 | 11,539.63 | 12,451.95 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -3.60% | 3.84% | -3.68% | 3.93% |
| वेतन वृद्धि दर **(-/+ 0.5%)** | 12,547.18 | 12,007.88 | 12,292.01 | 11,648.85 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 2.12% | -2.27% | 2.60% | -2.77% |
| संघर्षण दर **(-/+ 0.5%)** | 12,287.80 | 12,286.73 | 11,980.72 | 11,980.34 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर **(-/+ 10%)** | 12,289.90 | 12,284.62 | 11,981.47 | 11,979.59 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.01% |

(लाख रू. में)

| विवरण | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव' | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट की दर **(-/+ 0.5%)** | 1,636.33 | 1,728.38 | 1,562.65 | 1,650.56 |
| % संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन | -2.76% | 2.71% | -2.76% | 2.71% |
| आर्कषक मुल्य **(-/+ 0.5%)** | 1,722.66 | 1,642.06 | 1,645.09 | 1,568.12 |
| % संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन | 2.37% | -2.42% | 2.37% | -2.42% |
| जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर **(-/+ 10%)** | 1,680.25 | 1,685.30 | 1,604.59 | 1,609.42 |
| % संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन | -0.15% | 0.15% | -0.15% | 0.15% |

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, एक कल्पना में एक परिवर्तन पर आधारित है जबकि अन्य सभी कल्पनाओं को स्थिर रखा गया है । व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ कल्पनाओं में परिवर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है । महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाओं में परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण विधि की मदद से गणित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) का इस्तेमाल किया गया है जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित

लाभ देनदारी की गणना करते समय इस्तेमाल किया गया है ।

संवेदनशील विश्लेषण की तैयारी में इस्तेमाल की गई कल्पनाओं की विधियों और प्रकारों में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

**(vii) योजना परिसंपत्ति की प्रमुख श्रेणियाँ**

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है । इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की रचना का खुलासा नहीं किया गया है

**(viii) जोखिम संकट**

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी पर अनगिनत जोखिमों का संकट है जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोखिम संकटों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी को बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है ।

परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भारत सरकार के बांडों के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसमपत्ति पर ब्याज दर में कमी आने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

जीवन प्रत्याशा:

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है । योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है । योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी ।

**(ix) परिभाषित लाभ देनदारी और नियोक्ता का योगदान**

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में प्रत्याशित योगदान, 1800 लाख रूपये है ।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि, 12 वर्ष (31, मार्च 2022 - 11 वर्ष) है और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की भारित औसत अवधि 40 वर्ष (31, मार्च 2022 - 38 वर्ष) है । छूट रहित ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है :

(लाख रू. में)

| विवरण | एक वर्ष से कम | एक वर्ष से अधिक |
|---|---|---|
| **31 मार्च, 2023 तक के अनुसार** | | |
| परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) | 1,451.52 | 22,699.83 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | 127.38 | 6,025.80 |
| **कुल** | **1,578.90** | **28,725.63** |
| **31 मार्च, 2022 तक के अनुसार** | | |
| परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) | 1,294.22 | 22,181.13 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | 125.15 | 5,443.84 |
| **कुल** | **1,419.37** | **27,624.97** |

## नोट 33: संबंधित पक्ष से लेनदेन

कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, जिन्हें 74.50% स्वामित्व प्राप्त है ।

**(क) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| अल्पकालिक कर्मचारी लाभ | 195.92 | 210.01 |
| रोजगार पश्चात लाभ | 8.01 | 18.59 |
| **कुल मुआवजा** | **203.93** | **228.60** |

संबंधित पक्षों को देय राशि के संबंध में वर्ष के दौरान कोई राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

**(ख) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन**

चूंकि जीआरएसई रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इंड एएस 24 के तहत आवश्यकतानुसार, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित हैं: - (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री | | |
| वस्तुओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) | 25,163.81 | 10,447.05 |
| सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) | 2,482.68 | 525.60 |
| अन्य लेनदेन | | |
| शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश | 725.40 | 981.42 |
| शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश | 4,693.77 | 4,224.39 |

**(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ख़रीदारी से उत्पन्न होने वाले बकाया शेष** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री) | 3,550.72 | 13,327.67 |
| संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) | | |

## नोट 34: उचित मूल्य मापन

**श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफ़वीपीएल | एफ़वीओसीआई | परिशोधित लागत | एफ़वीपीएल | एफ़वीओसीआई | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | | | |
| निवेश | | | | | | |
| इक्विटी साधन | 0.44 | - | - | 0.44 | - | - |
| म्यूचुअल फंड | 23,366.40 | | | 19,667.82 | | |
| ट्रेड प्राप्य | - | - | 5,084.50 | - | - | 15,134.02 |
| सुरक्षा जमा | - | - | 769.15 | - | - | 763.10 |
| नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट | - | - | 945.73 | - | - | 942.88 |
| अनुबंध परिसंपत्ति | - | - | 8,550.74 | - | - | 8,818.15 |
| नकद एवं नकद समतुल्य | - | - | 1,398.55 | - | - | 971.26 |
| अन्य बैंक बैलेंस | - | - | 431,382.07 | - | - | 254,802.63 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्ति | | | | | | |
| 12 महीनों से अधिक मेचूरिटी के साथ बैंक जमा | - | - | - | - | - | 99,900.00 |
| ब्याज प्रोद्भूत लेकिन जमा हेतु देय नहीं | - | - | 14,081.35 | - | - | 8,897.49 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्ति** | **23,366.84** | **-** | **462,212.09** | **19,668.26** | **-** | **390,229.53** |
| **वित्तीय देनदारियां** | | | | | | |
| ऋण रकम | - | - | 30,117.18 | - | - | - |
| लीज देनदारियां | - | - | 1,093.57 | - | - | 1,120.42 |
| ट्रेड देय | - | - | 118,204.10 | - | - | 41,987.75 |
| सुरक्षा जमा | - | - | 439.14 | - | - | 387.49 |
| **अन्य** | - | - | **2,455.42** | - | - | **2,005.86** |
| **कुल वित्तीय देनदारियां** | - | - | **152,309.41** | - | - | **45,501.52** |

## नोट 34: उचित मूल्य मापन (जारी)

### (i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है । उचित मूल्य का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपट् की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है ।

(लाख रू. में)

| 31 मार्च, 2023 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ | स्तर 1 | स्तर2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | |
| एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश | | | | |
| स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश | - | - | 0.44 | 0.44 |
| म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश | - | 23,366.40 | - | 23,366.40 |
| **कुल वित्तीय परिसपंत्ति** | **-** | **23,366.40** | **0.44** | **23,366.84** |

| 31 मार्च, 2023 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ | स्तर 1 | स्तर2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | |
| नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट | - | - | 945.73 | 945.73 |
| ट्रेड प्राप्तियाँ | - | - | 5,084.50 | 5,084.50 |
| **कुल वित्तीय परिसपंत्ति** | **-** | **-** | **6,030.23** | **6,030.23** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | |
| ट्रेड देय | | | | |
| विक्रेताओ से कांटा गया एलडी | - | - | 3,994.26 | 3,994.26 |
| रूसी आस्थगित क्रेडिट | - | - | 945.73 | 945.73 |
| **कुल वित्तीय देनदारियाँ** | **-** | **-** | **4,939.99** | **4,939.99** |

| 31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ | स्तर 1 | स्तर2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | |
| एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश | | | | |
| स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश | - | - | 0.44 | 0.44 |
| म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश | | 19,667.82 | | 19,667.82 |
| **कुल वित्तीय परिसपंत्ति** | **-** | **19,667.82** | **0.44** | **19,668.26** |

| 31 मार्च, 2022 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ | स्तर 1 | स्तर2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | |
| नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट | - | - | 942.88 | 942.88 |
| ट्रेड प्राप्तियाँ | - | - | 15,134.02 | 15,134.02 |
| **कुल वित्तीय परिसपंत्ति** | - | **-** | **16,076.90** | **16,076.90** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | |
| ट्रेड देय | | | | |
| विक्रेताओ से कांटा गया एलडी | - | - | 1,903.76 | 1,903.76 |
| रूसी आस्थगित क्रेडिट | - | - | 942.88 | 942.88 |
| **कुल वित्तीय देनदारियाँ** | **-** | **-** | **2,846.64** | **2,846.64** |

## नोट 34: उचित मूल्य मापन (जारी)

**(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक**

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों में शीर्ष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है ।

**(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य** (लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 तक के अनुसार | | 31 मार्च 2022 तक के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | वहनकारी मूल्य | उचित मूल्य | वहनकारी मूल्य | उचित मूल्य |
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | | | | |
| नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण | 945.73 | 945.73 | 942.88 | 942.88 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्ति** | **945.73** | **945.73** | **942.88** | **942.88** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | |
| ट्रेड देय | | | | |
| विक्रेताओ से कांटा गया एलडी | 3,994.26 | 3,450.25 | 1,903.76 | 1,595.70 |
| रूसी आस्थगित ऋण | 945.73 | 945.73 | 942.88 | 942.88 |
| **कुल वित्तीय देनदारियाँ** | **4,939.99** | **4,395.98** | **2,846.64** | **2,538.58** |

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतलुय की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है ।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया । उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपुट के समावेश के कारण उचित मलूय पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है ।

## नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से जुड़ी हैं: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

इस नोट में जोखिम के उन स्रोतों का वर्णन किया गया है जो संस्था से जुड़ा रहता है और संस्था इस जोखिम को कैसे प्रबंधित करती है उसका भी वर्णन किया गया है:

| जोखिम | से उत्पन्न होने वाला अनावृत्ति | प्रबंधन |
|---|---|---|
| ऋण जोखिम | नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं। | बैंक जमा और ऋण सीमा का विविधीकरण। |
| तरलता जोखिम | वित्तीय देनदारियां जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं। | नकद प्रवाह का अनुमान लगाना और देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्ति के स्तर पर विचार करना। |
| बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा | भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियां जिन्हें भारतीय रुपये (आईएनआर) में मूल्यवर्गित नहीं किया जाता हैं। | मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए खरीदारों से प्रतिपूर्ति। |

**(क) ऋण जोखिम**

ऋण जखिम वह जोखिम है जिसे प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी पर अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) से ऋण जोखिम का उजागर किया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूदा जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

**(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध संपत्ति**

ग्राहक ऋण जोखिम को कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है । व्यापार प्राप्य, ब्याज रहित होते हैं और आम तौर पर इन पर कोई ऋण शर्त नहीं होती है । नियमित रूप से बकाया ग्राहक प्राप्यों की निगरानी की जाती है । ट्रैड प्राप्यों को मुख्य रूप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऋण जोखिम को कम माना जाता है । इसके अलावा, कंपनी उन ऑर्डरों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करता है जो ऋण जोखिम को भी कम करता है । व्यापार प्राप्यों के वयोवृद्धि हेतु कृपया नोट 10(ख) का संदर्भ लें ।

**(ii) वित्तीय साधन और जमा**

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद शेष राशियों से ऋण जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है । अधिशेष धनराशियों का निवेश, कंपनी की अधिशेष धनराशियों के निवेश पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । जोखिमों की सघनता को कम करने के लिए और इसलिए प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान करने की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय हानि को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

31, मार्च 2023 और 31, मार्च 2022 के तुलन पत्र के घटकों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम अनावरण, वहनकारी राशियाँ हैं जिन्हें नोट 6 (ख), नोट 10 (ग) और नोट 10 (घ) में दिखाया गया है ।

## नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

### (ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निपटाए जाते हैं।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है । अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त नकदी और तरल निवेशों का रखरखाव करती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना और आंतरिक एवं बाहरी नियामक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपातों की निगरानी करना शामिल है।

**वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका सभी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रदर्शित राशियाँ, अनुबंधात्मक छूट-रहित नकदी प्रवाह और उनके वहनकारी शेष के बराबर 12 महीनों के भीतर बकाया शेष राशियाँ हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है ।

(लाख रू. में)

| वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 20223 | एक वर्ष या उससे कम | एक वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|
| ऋण रकम | 30,117.18 | - | 30,117.18 |
| व्यापार देनदारियां | 117,386.74 | 1,668.94 | 119,055.68 |
| लीज देनदारियां | 170.41 | 923.16 | 1,093.57 |
| अन्य वित्तीय देनदारियां | 2,894.56 | - | 2,894.56 |
| **कुल वित्तीय देनदारियां** | **150,568.89** | **2,592.10** | **153,160.99** |

(लाख रू. में)

| वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 20212 | एक वर्ष या उससे कम | एक वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|
| ऋण रकम | - | - | - |
| व्यापार देनदारियां | 41,168.83 | 1,735.51 | 42,904.34 |
| लीज देनदारियां | 146.88 | 973.54 | 1,120.42 |
| अन्य वित्तीय देनदारियां | 2,393.35 | - | 2,393.35 |
| **कुल वित्तीय देनदारियां** | **43,709.06** | **2,709.05** | **46,418.11** |

### (ग) बाजार ज़ोखिम

**विदेशी मुद्रा जोखिम**

एक वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से संबंधित जोखिम में, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा ।

कंपनी पर विदेशी मुद्रा जोखिम का संकट मंडराता रहता है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों को आयात करती है । इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ पोतों को विदेशी ख़रीदारों को निर्यात करती है और उस पर, विदेशी मुद्रा लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम का संकट मँडराता रहता है । विदेशी विनिमय जोखिम, एक मुद्रा में नामांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों और भावी वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (रूपये) नहीं होती है । विदेशी मुद्रा में भुगतान और आयात के खाते में बहिर्वाह काफी हद तक ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है । निर्यात के मामले में जोखिम को, अत्यंत संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है ।

**विदेशी मुद्रा जोखिम एक्स्पोसर**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा राशि को क्लोजिंग रेट से गुणा करके) इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ईयूआर | जीबीपी | यूएसडी | ईयूआर | जीबीपी | यूएसडी |
| **वित्तीय परिसंपत्ति** | - | - | - | - | - | - |
| **वित्तीय देनदारियों** | 1,622.62 | 76.02 | 47.83 | 829.02 | 81.75 | 256.19 |
| **विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए शुद्ध जोखिम** | **(1,622.62)** | **(76.02)** | **(47.83)** | **(829.02)** | **(81.75)** | **(256.19)** |

## नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

**संवेदनशीलता**

विनिमय दरों में परिवर्तन में लाभ या हानि की संवेदनशीलता, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा नामांकित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होता है ।

(लाख रु. में)

| विवरण | कर पूर्व लाभ पर प्रभाव | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **यूरो संबंधी संवेदनशीलता** | | |
| भारतीय रूपये/यूरो में 5.51% (31 मार्च 2022 - 8.91 %)* की वृद्धि | (89) | (74) |
| भारतीय रूपये/यूरो में 2.66% की कमी (31 मार्च 2022 - 2.66%)* | 43 | 22 |
| **ग्रेट ब्रिटेन पाउंड संबंधी संवेदनशीलता** | | |
| भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 4.58 % (31 मार्च 2022 - 8.23%)* की वृद्धि | (3) | (7) |
| भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 1.64 % (31 मार्च 2022 - 1.64%)* की कमी | 1 | 1 |
| **यूएस डॉलर संबंधी संवेदनशीलता** | | |
| भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 7.07 % (31 मार्च 2022 - 6.61%)* की वृद्धि | (3) | (17) |
| भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 1.81 % (31 मार्च 2022 - 1.81%)* की कमी | 1 | 5 |

*अन्य सभी परिवर्तनीय राशियों को स्थिर मानते हुए

## नोट 36: पूंजी प्रबंधन

**(क) जोखिम प्रबंधन**

पूंजी को प्रबंधित करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित है :

- एक निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक अनुकूल पूंजी संरचना को बनाए रखना ।

पूंजी संरचन को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधरकों को दिए जाने वाले लाभांश की रकम को समायोजित कर सकती है, शेयरधरकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है ।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना गया है ।

**(ख) प्रस्तावित और प्रदत्त लाभांश**

(लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|
| **(i) इक्विटी शेयर** | | |
| 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश - 0.85 रु. (31 मार्च, 2021 - रु. 1.15) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर | 973.69 | 1,317.35 |
| 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश - 5.50 रु.(31 मार्च, 2022 - रु.4.95) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर | 6,300.36 | 5,670.32 |
| **(ii) लाभांश जिन्हें प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है** | | |
| उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत के बाद से मंडल ने प्रत्येक सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 0.70 रु. (31 मार्च, 2022: 8085 रु.) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफ़ारिश की है । यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है । | 801.86 | 973.69 |

## नोट 37: प्रति शेयर आय

| विवरण | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|
| **बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कारण होने वाला लाभ (लाख रूपये में))** | 22,812.40 | 18,952.68 |
| बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या | 114,552,000 | 114,552,000 |
| **बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रूपये)** | **19.91** | **16.55** |

## नोट 38: निगमित सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) क्रियाकलापों पर व्यय

वर्ष के दौरान जिन विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है : (लाख रु. में)

| कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का संबंधित खंड | सीएसआर गतिविधियों का विवरण | खर्च की गई राशि |
|---|---|---|
| i) खंड (i) | भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना । | 312.62 |
| ii) खंड (ii) | शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल भी शामिल है | 117.98 |
| iii)खंड (iv) | गंगा को साफ करने में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना। | 29.40 |
| | **कुल** | **460.00** |

(लाख रु. में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि | 457.32 | 405.50 |
| **वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:** | | |
| i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण | - | - |
| ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य | 460.00 | 410.00 |
| वर्ष के अंत में कमी | - | - |
| विगत वर्षों की कुल कमी | - | - |
| कमी का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं |
| सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति | i) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य निवारक को बढ़ावा देना<br>ii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन<br>iii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना<br>iv) दिव्यांग बच्चों को रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय सहित कौशल<br>v) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान | i) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य निवारक को बढ़ावा देना<br>ii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन<br>iii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना<br>iv) दिव्यांग बच्चों को रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय सहित कौशल<br>v) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान |
| प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण | लागू नहीं | लागू नहीं |
| वर्ष के दौरान संविदात्मक दायित्व और मूवमेंट में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान | लागू नहीं | लागू नहीं |

## नोट 39 : निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र के तारीख को, कंपनी या तो एक परिसंपत्ति के रूप में या एक देनदारी के रूप में प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति की रिपोर्ट देती है । एक अनुबंध, एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां खर्च की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान), प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध, एक देनदारी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मामला ठीक विपरीत है ।

(लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|
| (i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व | 232,582.13 | 163,001.87 |
| (ii) उस तिथि तक सभी अनुबंधों की प्रतिवेदन तिथि तक की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान) का कुल परिणाम | 680,595.78 | 458,524.00 |
| (iii) प्रगति अनुबंधों के लिए ग्राहक अग्रिमों की बकाया (सकल) राशि | 1,359,524.24 | 934,454.18 |

## नोट 40: रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राष्ट्र ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राष्ट्र ऋण को पुन: संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रु.-रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रु. में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रु. भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया । इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है । तदनुसार 31 मार्च 2023 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल 945.73 लाख रु. (छूट रहित राशि 1797.32 लाख रु.) (31 मार्च 2022 942.88 लाख रु.) (छूट रहित राशि 1859.47 लाख रु.) है ।

## नोट 41:

(क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है । चालूवर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण जीआरएसई मेन वर्क्स, बरानगर यूनिट, जीआरएसई भवन में किया जा चुका है । पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में प्रदर्शित किया गया है ।

(ख) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में निःशुल्क प्राप्त हुई थी। तब से भूमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर (टाइटल डीड एचईसी रांची के पास है) का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2023 तक के अनुसार इनकी बुक लागत 1055.57 लाख रु. (मूल लागत 3207.53 लाख रु.) है । उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कन्वेएस डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में 1488 लाख रु. और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर 148.8 लाख रु. प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनुसार पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके , एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनपुस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार,मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया । एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया ।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भूमि कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश निःशुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है । इस मामले की सनुवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01दिनांक 28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजा धारियों की बेदखली)अधिनियम 1971 के अतंर्गत एक आवेदन दायर किया है।

जीआरएसई ने माननीय झारखड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कार्रवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे । इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओ का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित 5505.60 लाख रु. (विगत वर्ष 5356.80 लाख रू.) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

## नोट 42 :

विक्रेताओ को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर,2022 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे । कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है,लेखा में समायोजन किया गया है ।

## नोट 43 :

(क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं । हालांकि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में,शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है ।

(ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यत: पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है । अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यत: सरकारी विभागों से प्राप्त है ।

## नोट 44:

01.04.2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 116) की शुरुआत के साथ, कंपनी ने पूर्वव्यापी ट्रांजीक्शन विधि का उपयोग करते हुए इसे अपनाया है । चालू वित्त के दौरान, उपयोग के अधिकार (आरओयू) के कुल 46.88 लाख रु. है ।

भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया जिन्हें अब तक व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी,अब पट्टा देयता में कमी के रूप में दर्ज किए गए है।

वर्ष के दौरान, 60.19 लाख रु. (वित्त वर्ष 2021-22: 36.23 लाख रु.) और 102.34 लाख रु. के वाहन (वित्त वर्ष 2021-22: 82.12 लाख रु.) के पट्टा होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए हेतु अन्य खर्चों के तहत किराया और परिवहन शुल्क इसी पट्टा देयता के साथ समायोजित किया गया है। वित्त लागत पर 88.80 लाख रु. (वित्त वर्ष 2021-22: 62.62 लाख रु.) के पट्टा किराया पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 109.37. लाख रु. (वित्त वर्ष 2021-22: 184.45 लाख रु.) के आरओयू एसेट का परिशोधन शामिल है ।

**पट्टा देनदारियों का विवरण नीचे संलग्न है:**

(लाख रू. में)

| विवरण | 01.04.22 तक के अनुसार | अतिरिक्त / समायोजन | ब्याज की समाप्ति | कुल नकद बहिर्वाह | 31.03.23 तक के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि | 663.05 | - | 56.29 | 60.19 | 659.15 |
| वाहन | 457.37 | 46.88 | 32.51 | 102.34 | 434.42 |
| **कुल** | **1,120.42** | **46.88** | **88.80** | **162.53** | **1,093.57** |

**बिना छूट के आधार पर परिसंपत्ति की संविदात्मक परिपक्वता का आधार:**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31.03.23 तक के अनुसार | 31.03.22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| 1 वर्ष से कम | | |
| 1 वर्ष से अधिक | 1,098.65 | 1,161.04 |
| **कुल** | **1,098.65** | **1,161.04** |

**बिना छूट के आधार पर देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का आधार:**

(लाख रू. में)

| विवरण | 31.03.23 तक के अनुसार | 31.03.22 तक के अनुसार |
|---|---|---|
| 1 वर्ष से कम | 170.41 | 176.35 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष तक | 641.01 | 664.35 |
| 5 वर्ष से अधिक | 1,894.30 | 1,998.24 |

## नोट 45:

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख रू. में)

| क्रं.सं. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| क) | लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि | 236.15 | 228.52 |
| ख) | लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किए जाने पर देय ब्याज | 3.47 | 1.33 |
| ग) | धारा 16 के प्रावधान के अतंर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को अदा की गई राशि | - | - |
| घ) | भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | 21.19 | 12.46 |
| ङ) | वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि | 24.66 | 13.79 |
| च) | आगे की ब्याज की राशि देय शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में भुगतान न कर दिया जाए | - | |

## नोट 46 :

बैंकरों के संघ द्वारा स्वीकृत कुल निधि आधारित सीमा 21,000 लाख रु. (मार्च 31,2022: 11,001 लाख रु.) और गैर-निधि आधारित सीमा 8,30,800 लाख रु. (मार्च 31,2022: 4,56,500 लाख रु.) निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाएं के मध्य विनिमेय योग्य है । उक्त सीमाएं माल और प्राप्य के मालबंधन द्वारा सुरक्षित हैं ।

ऋण राशि रु. 31 मार्च, 2023 तक 30,117.18 लाख रु. का बकाया कंपनी की सावधि जमा के दृष्टिबंधक पर है।
31 मार्च, 2023 तक के अनुसार बैंक द्वारा दी गई गारंटी रु. 4,34,298.13 लाख है ।

## नोट 47: वसूली या परिसंपत्ति और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख रू. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 महीनों से कम | 12 महीनों से अधिक | 12 महीनों से कम | 12 महीनों से अधिक |
| **परिसंपत्ति** | | | | |
| **(1) गैर - चालू परिसपंत्ति** | | | | |
| (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | - | 49,925.08 | - | 49,456.73 |
| (ख) चालू पूंजीगत कार्य | 484.45 | - | 965.98 | - |
| (ग) अमूर्त परिसंपत्ति | - | 835.96 | - | 608.69 |
| (घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति | 119.60 | - | - | - |
| (ङ) वित्तीय परिसंपत्ति | | | | |
| (i) निवेश | - | 0.44 | - | 0.44 |
| (ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति | - | 16,116.00 | - | 114,126.63 |
| (च) गैर-चालू कर परिसंपत्ति | - | 20,584.35 | - | 15,393.76 |
| (छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति | - | 16.34 | - | 10.78 |
| **(2) चालू परिसपंत्ति** | | | | |
| (क) वस्तु सूचियाँ | 291,850.49 | - | 117,226.80 | - |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्ति | | | | |
| (i) चालू निवेश | 23,366.40 | - | 19,667.82 | - |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 5,084.50 | - | 15,134.02 | - |
| (iii) नकद और नकद समकक्ष | 1,398.55 | - | 971.26 | - |
| (iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बेलेंस | 431,382.07 | - | 254,802.63 | - |
| (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति | 16,350.98 | - | 12,751.30 | - |
| (ग) अन्य चालू परिसंपत्ति | 220,070.17 | - | 162,036.32 | - |
| (घ) बिक्री के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकृत है | 7.90 | - | 45.87 | - |
| **देनदारियाँ** | | | | |
| **(1) गैर - चालू देनदारियाँ** | | | | |
| (क) वित्तीय देनदारियाँ | | | | |
| (i) पट्टा देनदारियाँ | - | 923.16 | - | 973.54 |
| (ii) व्यापार देयताएँ | - | 817.36 | - | 818.92 |
| (ख) प्रावधान | - | 8,933.37 | - | 8,907.43 |
| (ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल) | - | 1,451.90 | - | 1,078.13 |
| **(2) चालू देनदारियाँ** | | | | |
| (क) वित्तीय देनदारियाँ | | | | |
| (i) पट्टा देनदारियाँ | 30,117.18 | - | - | - |
| (ik) लीज देनदारियां | 170.41 | - | 146.88 | - |
| (ii) व्यापार देयताएँ | | | | |
| (क) सुक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया | 236.15 | - | 228.52 | - |
| (ख) सुक्ष्म और लघू उद्धमों के अलावा अन्य कुल बकाया | 117,150.59 | - | 40,940.31 | - |
| (iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 2,894.56 | - | 2,393.35 | - |
| (ख) अन्य चालू देनदारियाँ | 770,637.11 | - | 565,676.92 | - |
| (ग) प्रावधान | 2,879.74 | - | 16,245.96 | - |

**नोट 48 :**

**अचल संपत्तियों का अधिकार डीड कंपनी के नाम पर नहीं है / संयुक्त रूप से है**

| बैलेंस शीट से मिलता जुलता मद | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य | डीड के नाम पर किए गए अधिकार | चाहे टाइटल डीड धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक / निदेशक के रिश्तेदार हों या प्रमोटर/ डायरेक्टर के कर्मचारी हों । | संपत्ति किस तारीख से धारित है | कंपनी के नाम नहीं होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | इमारत | 95.96 लाख रू | मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा) | लागू नहीं | 15.06.1998 | मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व । (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शेयर) |

**नोट 49:**

| अनुपात | न्यूमीरेटर | डेनोमीरेटर | 31 मार्च 23 तक के अनुसार | 31 मार्च 22 तक के अनुसार | भिन्नता का % | भिन्नता का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात (समय से) | वर्तमान संपत्ति | वर्तमान में देनदारियां | 1.07 | 0.93 | 15% | |
| ऋण इक्विटी अनुपात (समय से) | ऋण (लंबी अवधि) | इक्विटि | 0.007 | 0.008 | -13% | |
| कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (समय से) | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (पीएटी, मूल्यह्रास और ब्याज) | ऋण सेवा (ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकाना) | 33.77 | 86.77 | -61% | मुख्य रूप से बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज शुल्क और वित्त लागत के कारण वर्ष के दौरान 504 लाख रु. की वृद्धि हुई है । |
| इक्विटि से रिटर्न % | कर पश्चात लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) | शेयरधारक की औसत इक्विटी | 17.08% | 15.83% | 8% | |
| इनवेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय से) | बेचे गए सामान की लागत | औसत सूची | 1.20 | 1.68 | -29% | विभिन्न परियोजनाओं के तहत लगभग 15 पोत जीआरएसई और बिजनेस पार्टनर के परिसर में समवर्ती निर्माण के अधीन हैं। इसलिए इन्वेंट्री में लगभग 143% की वृद्धि हुई है। |
| व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से) | क्रेडिट बिक्री | औसत व्यापार प्राप्तियां | 25.33 | 10.65 | 138% | विभिन्न ग्राहकों से बकाया प्राप्तियों की वसूली के कारण वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियाँ कम हो गई हैं। |
| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय से) | क्रेडिट खरीद | औसत व्यापार देय | 4.19 | 2.20 | 90% | उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं की अधिक आपूर्ति के कारण, वर्ष के अंत में व्यापार देय में वृद्धि हुई है। |
| शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय से) | परिचालन से राजस्व | कार्यशील पूंजी | 3.91 | -4.08 | 196% | बैंक जमा, जो 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत थे, चालू वर्ष में "शून्य" हैं और पूरी राशि का खुलासा वर्तमान परिसंपत्ति के तहत किया गया है क्योंकि इसकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है। |
| शुद्ध लाभ अनुपात (%) | पीएटी | परिचालन से राजस्व | 8.91% | 10.80% | -18% | |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) | ईबीआईटी | नियोजित पूंजी | 21.81% | 20.33% | 7% | |
| निवेश पर रिटर्न (%) | निवेशित फंड से आय | औसत निवेश | 4.86% | 4.20% | 16% | |

**नोट 50:**

कंपनी ने उपरोक्त पहलुओं पर अधिक स्पष्टता के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में इनवेंट्री , राजस्व मान्यता और प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के संबंध में अपनी लेखांकन नीतियों की समीक्षा और पुन: मसौदा तैयार किया है और इस तरह के पुन: प्रारूपण के लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

**नोट 51:**

कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्था (ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) ") इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") ) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी ।

**नोट 52:**

क) आईएचक्यू की सिफारिश के अनुरूप परियोजना पी 28 के अंतिम पोत यार्ड 3020 के परिनिर्धारित क्षति के दावे का निपटान अनुबंध में संशोधन के साथ किया गया है। ग्राहक द्वारा 30.9.22 को जारी एलडी दावे की शेष राशि निवल रोक दी गई।

ख) मौजूदा अनुबंधों के लिए परिसमाप्त क्षति उपचार इस संबंध में इंडस्ट्रीज़ एएस 115 आवश्यकता और संबंधित कंपनी नीति के अनुसार किया जाता है। परिसमाप्त क्षति एक परिवर्तनीय प्रतिफल है जिसका हिसाब संविदात्मक प्रावधानों/प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है और प्रतिफल की शुद्ध राशि जिसके लिए कंपनी हकदार होगी उसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

**नोट 53:**

**बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध** (लाख रु. में)

| समाप्त की गई कंपनी का नाम | समाप्त की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति | 31 पर मार्च, 2023 तक के अनुसार बकाया शेष | समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए | 31 पर मार्च, 2022 तक के अनुसार बकाया शेष | समाप्त की गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए |
|---|---|---|---|---|---|
| हैल्सियॉन फ्रेंड्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | देय | 0.01 | विक्रेता | 0.01 | विक्रेता |
| एल्विन मरीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड | देय | 0.57 | विक्रेता | 0.94 | विक्रेता |
| सिम्पैक मरीन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड | देय | 1.80 | विक्रेता | 1.80 | विक्रेता |
| बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड | देय | 6.34 | विक्रेता | 6.34 | विक्रेता |
| नव भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | देय | - | विक्रेता | 2.95 | विक्रेता |

**नोट 54:**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के लिए राशियों और अन्य खुलासे को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरणों के संबंध में पढ़ा जाना है।

**नोट 55:**

निदेशक मंडल द्वारा 24 मई 2023 को वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनमुति दी गई थी ।

**हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते मुखर्जी विश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई

हस्ता/-
**(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)**
साझेदार
सदस्यता सं.- 059159

हस्ताक्षर स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 मई, 2023

**कृते निदेशक मण्डल**

हस्ता/-
**कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08591411

हस्ता/-
**आर. के. दाश**
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ
डीआईएन - 08511344

हस्ता/-
**एस. महापात्र**
कंपनी सचिव
एसीएस 10992

**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**
**पंजीकृत और निगमित कार्यालय :जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700024**
**फोन : (033)-24698105-108, फैक्स : (033)-24698150**
वेबसाइट: www.grse.in ई-मेल: co.sec@grse.co.in
**सीआईएन: L35111WB1934GOI007891**

# 107वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों के संव्यवहार हेतु **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** की 107वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023** को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी :

**सामान्य व्यवसाय:**

(1) 31 मार्च,2023 को समाप्त कंपनी वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उनको अंगीकार करना ।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-23 (अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर/वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 6.20 का कुल लाभांश) के लिए प्रति इक्विटी शेयर के भुगतान के लिए रु. 5.50 का अन्तरिम लाभांश अनुमोदित करना और प्रति इक्विटी शेयर रु. 0.70 का अंतिम लाभांश घोषित करना ।

(3) कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव कर रहे ।

(4) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करना ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी की आम बैठक में लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा या इसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जैसा कि कंपनी अपनी आम बैठक में उचित समझे. इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं ।

**विशेष व्यवसाय:**

(5) कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 10205285) की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए, और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करें। एक साधारण संकल्प:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152, 160, 161, 196, 203 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित, फिलहाल) लागू) और उसके तहत बनाए गए नियम, कंपनी के एसोसिएशन के लेख, विनियमन 17 (1 सी) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के अन्य लागू प्रावधान, संशोधित, और आगे एचआर की सिफारिशों पर, कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, DIG सुब्रतो घोष, ICG (सेवानिवृत्त) (DIN: 10205285), पूर्णकालिक निदेशक, जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था । 20 जून 2023 पत्र क्रमांक के अनुसार। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 1/1(1)2022/ डी(एनएस) दिनांक 16 जून 2023। भारत के (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) और निदेशक (कार्मिक) के रूप में तैनात, सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा डीआइजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 10205285) की नियुक्ति की पुष्टि के लिए प्रदान की जाती है । समय निदेशक को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नामित किया गया है और उन्हें 20 जून 2023 से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक 22 महीने की अवधि के लिए और भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर पद पर रहना होगा, और होंगे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी।"

**"आगे संकल्प लिया गया** कि बोर्ड ऐसे सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों, उपकरणों और लेखों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है और यहां प्रदत्त अपनी सभी या किसी भी शक्ति को निदेशकों की किसी भी समिति को सौंपने के लिए अधिकृत है। या उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए कंपनी के किसी निदेशक या किसी कर्मचारी को।

(6) 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए और उचित पाए जाने पर,साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित किए जाएं:

**"संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (किसी भी सांविधिक संशोधन (तत्संबंधी) अथवा पुनाधिनियमन को शामिल करते हुए) के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मेसर्स चटर्जी एण्ड कंपनी, पूर्वोक्त लेखा-परीक्षक को इस संबंध में किए गए खर्चों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्स और लागू कर सहित रु. 58,000/- का भुगतान किए जाने की पुष्टि की जाती है ।

**आगे संकल्प लिया गया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने और इस तरह के अन्य कार्यों को करने और इस संबंध में आवश्यक, उचित और समीचीन कदम उठाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया और एतदद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है ।"

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एसीएस 10992

दिनांक : 11 अगस्त 2023
स्थान: कोलकाता

**टिप्पणियाँ:**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार, नोटिस के साथ मद संख्या 5 एवं 6 के अंतर्गत कारोबार के संबंध में विभिन्न भौतिक तथ्यों के समाधान के लिए व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है ।

2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 को परिपत्र संख्या के साथ पढ़ा। 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 क्र. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 क्र. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 क्र. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 क्र. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 क्र. 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 क्र. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर , 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र संख्या के माध्यम से। सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी , 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। दृश्य साधन (OAVM)। उक्त परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 107वीं एजीएम होगी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया गया। 107 वीं एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय, जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 होगा ।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है । चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एजीएम में सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी एवं अत: इस सूचना के साथ एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं हैं । हालाँकि संस्थागत / कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग के माध्यम से कंपनी को investor.grievance@grse.co.in पर मतदान करने के लिए वे अपने बोर्ड या गवेर्निंग बॉडी के संकल्प/ प्राधिकरण की स्कैन कॉपी को प्रेषित करें ।

4. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सहभागिता और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा । वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता करने की प्रक्रिया को इस नोटिस में विस्तार से समझाया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.co.in पर भी उपलब्ध है ।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित)के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में,इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया("आईसीएसआई") द्वारा जारी सामान्य बैठकें(एसएस -2)पर सचिवीय मानक और एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्र और सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर,2020,के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के नियम 44 के अनुसार,कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविध प्रदान कर रही है और एजीएम के दौरान इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के सुविधा उपलब्ध करा रही है ।

6. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए के लेभ एण्ड कं, कंपनी के सेक्रेटरी श्री ए के लेभ को स्क्रूटिनीज़र के रूप में कार्य करने और पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ़सीएस: 4848 / सीपी सं .: 3238) के रूप में नियुक्त किया है ।

7. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 16 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

8. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 ("रिकॉर्ड तिथि")** की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।एजीएम के दौरान केवल वे सदस्य जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी (एनएसडीएल /सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होगा वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे । कट-ऑफ तारीख के अनुसार जो व्यक्ति एजीएम के सदस्य नहीं है,वे तदनुसार कृपया इस नोटिस को सूचना प्रयोजनों के रूप में देखें ।

9. सदस्य किसी भी स्थान (रिमोट ई-वोटिंग)से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट डाल सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **रविवार, 17 सितंबर, 2023** को **सुबह 9** बजे से शुरू होगी और **वृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2023** को **शाम 5.00** बजे समाप्त होगी । इसके बाद,एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा । किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद,सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी । एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य,जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है,वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे,हालांकि,वे बैठक में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से https://www.evoting.nsdl.com/ पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करें।

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को **"ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश"** पर क्लिक करके पढ़ें ।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के पास अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी भी पैसे का दावा करें क्योंकि कंपनी खाते में पड़े ऐसे पैसे जिनका दावा अथवा भुगतान हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक नहीं किया गया है, ऐसे पैसे को कंपनी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष खाते में जमा करने के लिए बाध्य है । अदत्त/दावारहित लाभांश का विवरण

कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है ।

12. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ 107वीं एजीएम का यह नोटिस सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनका नाम **25 अगस्त, 2023** को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभ अर्जित करने वाले मालिकों के रजिस्टर में है ।

13. इस 107वीं एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किया जा रहा है । नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को क्रमशः दोनो स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है ।

14. अपेक्षित संख्या में वोटों की प्राप्ति के अधीन, एजीएम के समापन से दो दिन के भीतर ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को एजीएम की तारीख को पारित किया जाएगा । संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर 'इनवेस्टर्स कॉर्नर' के अंतर्गत रखा जाएगा । मतदान के परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध और जमा किए गई हैं, और इसकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी ।

15. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति (कोरम) की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा ।

16. उपर्युक्त नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, इस संबंध में कृपया अपना अनुरोध investor.grievance@grse.co.in पर भेजें।

17. एजीएम के दौरान, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पोर्टल पर जाकर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करके अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता देख सकते हैं, इसके साथ ही वे अधिनियम की धारा 189 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के अनुसार निदेशकों की रुचि के अनुरूप उनके करार रजिस्टरों और इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं को भी देख सकते हैं ।

18. एजीएम में नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और सेबी सूचीकरण विनियमों के नियम 36(3) में अपेक्षित विवरण इस नोटिस के साथ अनुबंध के रूप में दिए गए हैं । नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं ।

19. लाभांश सहित किसी भी प्रकार के प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी तरह के पत्राचार कंपनी / आरटीए को investor.grievance@grse.co.in/rta@alankit.com पर भेजें ।

## लाभांश संबंधी सूचना

1. यदि एजीएम में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर केवल उन्हीं सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड की गई तिथि के अनुसार लाभकारी मालिकों/ सदस्यों की सूची में शामिल हैं ।

2. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है । डिवेडेंट वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएँगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है ।

3. डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि सदस्यों के डीमैट खाते रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसीपेंट्स के साथ पंजीकृत उनके बैंक विवरण में कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा । कंपनी अथवा उसके रजिस्ट्रार डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । इस तरह के बदलाव केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किए जाने हैं, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को तुरंत अपने पते और/ या बैंक अध्यादेश में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दें ।

4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में परिवर्तन और/ अथवा बैंक अध्यादेश में हुए परिवर्तन की सूचना मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@alankit.com पर ईमेल से दें अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को investor.grievance@grse.co.in पर संपर्क करें ।

5. वित्त अधिनियम, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, लाभांश आय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटने की आवश्यकता है। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को पूरा करें और/ या अपडेट करें। कंपनी के साथ पंजीकृत दस्तावेजों और शेयरधारक की आवासीय स्थिति के आधार पर कर की दर अलग-अलग होगी।

## ए रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स

(क) रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स के लिए स्त्रोत पर कर की कटौती

| क्र.सं | विवरण | विधारित कर दर | अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|
| 1 | वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट किया गया | 10% | कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)<br>यदि लाभांश ₹ 5,000/- से अधिक नहीं है, तो कोई टीडीएस/ विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, कृपया नीचे नोट (9) देखें। |
| 2 | कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कोई पैन/वैध पैन अपडेट नहीं किया गया है/ व्यक्तिगत मामले में पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है। | 20% | कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)<br>यदि शेयरधारक का पैन अपडेट/कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/ विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा।<br>कृपया नीचे पैरा (9) भी देखें। |

| क्र.सं | विवरण | विधारित कर दर | अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|
| 3 | एक शेयरधारक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB में परिभाषित "निर्दिष्ट व्यक्ति" की श्रेणी में आता है। | 20% | कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत शेयरधारक का पैन आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल पर "धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए अनुपालन जांच कार्यक्षमता" पर मान्य किया जाएगा और तदनुसार आयकर की धारा 206एबी के संदर्भ में 20% टीडीएस काटा जाएगा। अधिनियम, 1961, यदि व्यक्ति "निर्दिष्ट व्यक्ति" है।<br>कृपया नीचे पैरा (12) भी देखें। |
| 4 | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी कम/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता | प्रमाणपत्र में दर विनिर्दिष्ट | आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कर कटौती प्रमाणपत्र |
| 5 | आयकर नियम 37बीए के तहत लाभ | लाभार्थी स्वामी पर आयकर अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता पर आधारित दरें | यदि पंजीकृत शेयरधारक जैसे क्लियरिंग सदस्य / मध्यस्थ / स्टॉक ब्रोकर शेयरों के लाभकारी शेयरधारक नहीं हैं और यदि लाभकारी मालिक के संबंध में आयकर नियम फॉर्म 37बीए(2) के तहत घोषणा प्रदान की जाती है, तो टीडीएस / विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। लाभकारी शेयरधारकों के लिए लागू दरें। |

(ख) रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि शेयरहोल्डर्स कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं ।

| क्र.सं | विवरण | विधारित कर दर | अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|
| 1 | फॉर्म 15जी/ 15एच प्रस्तुत करना | शून्य | कुछ शर्तों को पूरा करते हुए फॉर्म नंबर 15 जी में घोषणा (किसी कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15 एच (60 वर्ष और उससे अधिक के किसी व्यक्ति के लिए लागू) |
| 2 | वैसे शेयरधारक, जिनपर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि । | शून्य | आयकर, 1961 की धारा 194 के तहत छूट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य । |
| 3 | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1926 के तहत शामिल शेयरधारक जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड । | शून्य | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य |
| 4 | वैकल्पिक निवेश निधि - श्रेणी-I और II | शून्य | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए (1 एफ) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र |
| 5 | • मान्यता प्राप्त भविष्य निधि<br>• अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि<br>• अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि | शून्य | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य |
| 6 | राष्ट्रीय पेंशन योजना | शून्य | आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1ई) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।<br>वैध दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए। |
| 7 | किसी भी निवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट मिली है | शून्य | टीडीएस की कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य |

## बी नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स :

नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं

| क्र.सं. | विवरण | विधारित कर दर | आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|
| 1 | विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) | 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) | एफपीआई पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र। |
| 2 | अन्य नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों | 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) या कर संधि दर जो भी लाभदायक हो | कर दस्तावेजों के बाद कर संधि के लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगा:<br>i) लाभांश प्राप्त करने वाले वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कर निवास प्रमाण पत्र<br>ii) एक निर्दिष्ट प्रारूप में आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीसी के अनुसार पैन घोषणा।<br>iii) पैन रखने वाले शेयरधारकों के मामले में फॉर्म 10एफ ई-फाइल किया गया और शेयरधारकों के पास पैन न होने की स्थिति में मैन्युअल फॉर्म 10F, भरा हुआ और विधिवत हस्ताक्षरित।<br>iv) भारत में स्थायी स्थापना/स्थिर आधार के न होने की स्व-घोषणा<br>(नोट: लाभकारी कर संधि दर का आवेदन नॉन रेसिडेंट शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करेगा और कंपनी की संतुष्टि की समीक्षा करेगा) |
| 3 | एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा | शून्य | आयकर प्राधिकरण से न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र धारा 195 (3) के अंतर्गत स्व-घोषणा की पुष्टि करता है कि आय अपने खाते पर प्राप्त की जाती है, विदेशी बैंक की ओर से नहीं और इसे भारत में शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा। यदि उपरोक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो विदहोल्डिंग टैक्स 40% (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) होगा। |
| 4 | आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के अंतर्गत जारी किए गए न्यून/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता | प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर | आयकर प्राधिकरण से प्राप्त न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र |
| 5 | किसी भी अनिवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947, आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है। | शून्य | टीडीएस कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य |
| 6 | एक शेयरधारक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB में परिभाषित "निर्दिष्ट व्यक्ति" की श्रेणी में आता है। | लागू कर की दर को दोगुना करें | कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत शेयरधारक का पैन आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल पर "धारा 206AB और 206CCA के लिए अनुपालन जांच कार्यक्षमता" पर मान्य किया जाएगा और तदनुसार लागू टीडीएस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के संदर्भ में काटा जाएगा। , यदि व्यक्ति "निर्दिष्ट व्यक्ति" है।<br>कृपया नीचे पैरा (12) भी देखें। |
| 7 | आयकर नियम 37बीए के तहत लाभ | लाभार्थी स्वामी पर आयकर अधिनियम, 1961/डीटीएए (जो भी लाभकारी हो) की प्रयोज्यता पर आधारित दरें | यदि पंजीकृत शेयरधारक जैसे क्लियरिंग सदस्य / मध्यस्थ / स्टॉक ब्रोकर शेयरों के लाभकारी शेयरधारक नहीं हैं और यदि लाभकारी मालिक के संबंध में आयकर नियम फॉर्म 37बीए (2) के तहत घोषणा प्रदान की जाती है, तो लागू दरों पर विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। लाभकारी शेयरधारकों के लिए. उपरोक्त घोषणा के अतिरिक्त क्रम संख्या 1 से 5 तक उल्लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। |

6. लागू उचित टीडीएस/ कर योग्य दर निर्धारित करने हेतु हमें सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज **शुक्रवार, 15 सितंबर 2023** तक या उससे पहले उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते है । **शुक्रवार, 15 सितंबर 2023** के बाद प्राप्त पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टीडीएस दर कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज में उपलब्ध शेयरहोल्डर विवरण के आवश्यक सत्यापन के अधीन है ।

7. एनएसडीएल ने लाभांश से शून्य/कम कर कटौती का दावा करने के लिए कर दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत निवासी गैर-व्यक्तिगत सदस्य यानी बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) और भारत में स्थापित अन्य घरेलू वित्तीय संस्थान और गैर- निवासी गैर-व्यक्तिगत सदस्य यानी, विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक **15 सितंबर, 2023** को या उससे पहले एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अपने संबंधित संरक्षक के माध्यम से प्रासंगिक फॉर्म/ घोषणा/दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

8. यदि ऊपर उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों, के अभाव में आपसे, उच्च दर पर टीडीएस काट लिया जाता है तो शेयरधारक के लिए एक विकल्प यह भी उपलब्ध है की आय का रिटर्न फाइल करें और यदि पात्र है तो रिटर्न का उचित दावा करें ।

9. निवासी व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जिनका लाभांश ₹ 5000 से अधिक नहीं है। हालाँकि, जहां कंपनी/आरटीए रिकॉर्ड में पैन अपडेट नहीं है या अमान्य पैन के मामले में और व्यक्तिगत शेयरधारक को संचयी लाभांश भुगतान ₹ 5000 से अधिक है, तो कंपनी धारा 206एए के संदर्भ में धारा 194 के तहत टीडीएस/विदहोल्डिंग टैक्स काट लेगी। आयकर अधिनियम, 1961 के.

   इसके अलावा, 1 जुलाई, 2023 से, जो शेयरधारक आवश्यकतानुसार पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 206एए के संदर्भ में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

   सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे **15 सितंबर, 2023** को या उससे पहले अपने सभी फोलियो होल्डिंग्स के खिलाफ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं) और कंपनी/आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) के साथ अपना पैन अपडेट करें ।

10. कंपनी उक्त लाभांश के टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था अपने शेयरधारकों को कंपनी/ आरटीए पोस्ट भुगतान के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से करेगी । शेयरधारक आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in से फॉर्म 26एएस डाउनलोड कर सकेंगे ।

11. सदस्य के द्वारा दी गई किसी भी गलत विवरण, जानकारी की अयोग्यता, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मॉग (ब्याज, जुर्माने आदि) की स्थिति में, ऐसे सदस्य / सदस्यों कंपनी की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी सूचनाओं / दस्तावेजों और किसी भी अपीलीय कार्यवाही में कंपनी का सहयोग करेंगे ।

12. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के तहत परिभाषित "निर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ निवासी है:

    (क) जिसने निर्धारण वर्ष 22-23/वर्ष 23-24 के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जैसा लागू हो और;

    (ख) उक्त पिछले वर्ष में टीडीएस और टीसीएस का कुल योग ₹50,000 या अधिक है।

    इसके अलावा, भारत में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाले एक अनिवासी व्यक्ति को भी उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर "विशिष्ट व्यक्ति" माना जाएगा।

13. यह संचार संपूर्ण नहीं है और इसका तात्पर्य लाभांश भुगतान के मामले में सभी संभावित कर परिणामों का संपूर्ण विश्लेषण या सूची बनाना नहीं है। शेयरधारकों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

## अन्य सूचना

1. जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **("सेबी")** द्वारा आदेश दिया गया है, कंपनी की प्रतिभूतियों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित / कारोबार किया जा सकता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को डिमटेरियलाइजेशन की सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

2. सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर , 2021 को SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के साथ पढ़ा है । और SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 ("सेबी परिपत्र") में स्थायी खाता संख्या ('पैन'), केवाईसी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा संपर्क विवरण (डाक पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल), बैंक विवरण, नामांकन आदि। कंपनी ने आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा था।

3. किसी भी सेवा अनुरोध पर हमारे आरटीए द्वारा केवल पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के पंजीकरण पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त जानकारी के अभाव में, उपरोक्त सेबी परिपत्रों के अनुपालन में हमारे आरटीए द्वारा फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि फोलियो 31 दिसंबर, 2025 तक जमे रहते हैं, तो जमे हुए फोलियो को आरटीए/कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा। 2002.

4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक पते, ई-मेल पते, मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक और शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड इत्यादि में यदि कोई बदलाव हो तो सूचित/अद्यतन करें।

   (क) आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए। एनएसडीएल ने लिंक के माध्यम से ई-मेल पते के पंजीकरण/ अद्यतन के लिए एक सुविधा प्रदान की है : https://eservices.nsdl.com/kyc-attributes/#/login और लिंक के माध्यम से नामांकन में ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट: https://eservices.nsdl.com/instademat-kyc-nomination/#/login।

   (ख) भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए फॉर्म हमारे आरटीए को जमा करें:

| क्रमांक | विवरण | रूप |
|---|---|---|
| 1. | पैन का पंजीकरण, डाक पता, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण या उसमें परिवर्तन/ अद्यतन | आईएसआर-1 |
| 2. | बैंकर द्वारा शेयरधारक के हस्ताक्षर की पुष्टि | आईएसआर-2 |
| 3. | नामांकन का पंजीकरण | एसएच-13 |
| 4. | नामांकन रद्द करना या बदलाव करना | एसएच-14 |
| 5. | नामांकन से बाहर निकलने की घोषणा | आईएसआर-3 |

5. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्थायी निपटान के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी/आरटीए (यदि शेयरधारिता भौतिक मोड में है)/संबंधित डीपी (यदि शेयरधारिता डीमैट मोड में है) को सूचित करें।

6. भौतिक रूप में रखी गई सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का स्थानांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण केवल डीमैट मोड में ही किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD /MIRSD_RTAMB /P/CIR/2022/8 दिनांक 25 जनवरी , 2022 ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध कंपनियां, तत्काल प्रभाव से, डुप्लिकेट शेयर जारी करने से संबंधित निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट मोड में प्रतिभूतियां जारी करेंगी। , शेयरों का आदान-प्रदान, समर्थन, शेयर प्रमाणपत्रों का उप-विभाजन / समेकन, आदि। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को परिवर्तित करने पर विचार करें। अभौतिकीकृत रूप में होल्डिंग्स।

**वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच हेतु और वार्षिक रिपोर्ट के प्रति की प्राप्ति के लिए ईमेल आईडी की पंजीकरण की प्रक्रिया एवं यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोक्यूरिंग**

1. एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार,वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ 107 वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।

2. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को कंपनी में investor.grievance@grse.co.in पर लिखकर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम और पता का उल्लेख करते हुए शेयर सर्टिफिकेट (सामने और पीछे) की स्कैन प्रति,पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में अन्य किसी दस्तावेज़ (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति अद्यतित करें । डीमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (उदाहरण के लिए: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) investor.grievance@grse.co.in को प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है । यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप नीचे **चरण 1 (I)** में बताई गई अर्थात ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि का संदर्भ लें।

3. **उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं ।**

4. ई-मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य investor.grievance@grse.co.in को लिख सकते हैं।

**एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश**

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच'** के लिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित चरणों तक पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने **"ज्वाइन मीटिंग"** मेनू के तहत "वीसी/ओवीएएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन जनरल मीटिंग के तहत दिए गए वीसी/ओवीएएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं ।

2. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, संवीक्षक, आदि शामिल नहीं होंगे । इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है ।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इंटरनेट की अच्छी गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

5. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, अतः एजीएम की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए, वैसे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं, अपने नाम डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर 19 सितंबर, 2023, मंगलवार को शाम 5 बजे के दौरान अनुरोध भेज सकते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है वे अग्रिम में अपने विचार/प्रश्न अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर भेज सकते हैं 19 सितंबर, 2023, मंगलवार को शाम 5.00 बजे तक कंपनी द्वारा प्राप्त प्रश्नों/प्रश्नों पर केवल एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा ।

6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।जब एक पूर्व-पंजीकृत स्पीकर को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले स्पीकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे एक वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ कनेक्ट हो जाएं। आगे, कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त प्रश्नों और बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखती है। समय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वह अपने आवंटित समय के 2-3 मिनट में अपने/अपनी विचार व्यक्त करें।

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

## ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग विनियम और धारा 108 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के विनियमन 44 के अनुपालन में , समय-समय पर संशोधित संबंधित नियमों के साथ, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रसन्न है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाया जा सके । कंपनी ने अपने सभी शेयरहोल्डर्स को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं ।

**ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:**

**चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच:**

**I. डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

"सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा" पर सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ मेंटेन किए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

**डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:**

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक। | 1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के तहत **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें, जो **'आईडीएएस'** सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत **"एक्सेस टू ई-वोटिंग"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br>2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।<br>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।<br>4. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"एनएसडीएल स्पीड"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br>**NSDL Mobile App is available on**<br>App Store Google Play |

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी /इजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi /Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें।<br>2. सफल लॉगिन के बाद Easi /Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ईवोटिंग प्रगति पर है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर , उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाईट पर जा सकें।<br>3. यदि उपयोगकर्ता Easi /Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।<br>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ईवोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा। |
| व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं | आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। |

**महत्वपूर्ण नोट:** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जिन्हें डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं। |
| प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में | लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। |

**II. ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।**

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विस विचारों के लिए पंजीकृत हैं,तो आप अपने मौजूदा विचारो को https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

| शेयरों को धारण करने का तरीका डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक | आपकी यूजर आईडी है: |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए | 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी<br>उदाहरण के लिए: यदि आपकी डीपी आईडी 300 **** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी 300 ****12 ***** में है। |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए | 16 अंकों की लाभार्थी आईडी<br>उदाहरण के लिए:<br>अगर आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है<br>तो आपकी यूजर आईडी 12********** है |
| भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए | कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद ईवन नंबर<br>उदाहरण के लिए: अगर फोलियो नंबर 001*** है और ईवन नंबर 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है |

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ई-मेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके भेजे गए ई-मेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सीएसडीएल खाते या फ़ोलियो नंबर के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में ऊपर वर्णित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   (क) "उपयोगकर्ता का विवरण / पासवर्ड भूल गए" (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) पर क्लिक करें,विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   (ख) "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   (ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं ।

   (घ) आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमति दें ।

8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।

9. “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें**

**I. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर एजीएम में शामिल कैसे हों?**

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीएन" देख पाएंगे । जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी का “ईवीएन” चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको “ जॉइन जनरल मीटिंग” के तहत दिए गए “वीसी/ओएवीएम” लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल चुका है।

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (कर्ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर हैं जो investor.grievance@grse.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटाइजर को वोट करने के लिए प्राधिकृत हैं । संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने बोर्ड के संकल्प / मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि को "ई-वोटिंग" टैब के लॉग इन तहत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं।
2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वोट देने का हकदार होगा।
3. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक ऐसे व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 25 अगस्त 2023 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए को उनके ईमेल आईडी rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं । हालाँकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध " भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड " या " भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड " विकल्प का उपयोग करके अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं । डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 25 अगस्त 2023 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे ऊपर "चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" के अंतर्गत बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं ।
4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। इस तरह की घटना में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता जानकारी भूलगए/ पासवर्ड?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड करें?" से विकल्प का उपयोग करना होगा ।
5. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे वरिष्ठ प्रबंधक, evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें । सदस्य कंपनी के सचिव को कंपनी के ईमेल पते investor.grievance@grse.co.in पर भी लिख सकते हैं ।

## एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई- वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले हैं
3. और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. जिन सदस्यों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एजीएम से पहले या के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, वे " नीचे ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश और/या शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश" अनुभाग के तहत उपरोक्त व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं ।

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

### आइटम नं. (5)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 1/1(1) 2022/ डी( एनएस) दिनांक 16 जून 2023 ने 22 महीने की प्रभावी अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में डीआइजी सुब्रतो घोष, आईसीजी ( सेवानिवृत्त ) (डीआईएन: 10205285) को नियुक्त किया। 20 जून 2023 से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर, और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 195 और 196 के अनुसार, कंपनी ने आईजीजी (सेवानिवृत्त) को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है । अधिनियम की धारा 160 के अनुसार पद पर बने रहें, और इसके अलावा कंपनी को आईसीजी ( सेवानिवृत्त ) के डीआइजी सुब्रतो घोष से एक नोटिस मिला है, जिन्होंने खुद को निदेशक पद के लिए प्रस्तावित किया था। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति की सिफारिश कंपनी की एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने अधिनियम की धारा 160 के तहत की थी।

सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1सी) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी आगामी आम बैठक में या तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए। नियुक्ति, जो भी पहले हो.

सुब्रतो घोष, आईसीजी ( सेवानिवृत्त ) का संक्षिप्त बायोडाटा , अन्य बातों के साथ-साथ , विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति और अनुभव, कौशल और क्षमताओं, सूचीबद्ध संस्थाओं और अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता, कंपनी में शेयरधारिता और अन्य विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।

सुब्रतो घोष, आईसीजी ( सेवानिवृत्त ) को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस नोटिस के आइटम नंबर 5 में निर्धारित प्रस्तावों में किसी भी तरह से चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के आइटम नंबर 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

**आइटम नं. (6)**

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षक समिति के सिफ़ारिश पर उपरोक्त लेखा परीक्षा हेतु लागत लेखा परीक्षक के रूप में 58,000/- रु कर सहित और ऑफ पॉकेट खर्चों के लेखापरीक्षा शुल्क पर कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए मैसर्स चटर्जी एण्ड कंपनी, लागत लेखाकार की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है ।

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए मंद सं.6 पर एक साधारण संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई हैं ।

सूचना की मंद सं. 6 में निर्धारित संकल्प में आर्थिक या अन्य रूप से, कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक नहीं है ।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के आइटम नंबर 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता / -
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एसीएस 10992

दिनांक : 11 अगस्त, 2023
स्थान: कोलकाता

## अनुलंग्नक

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 के विनियम 36 (3) के तहत आवश्यकतानुसार 107वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत होने वाले निदेशकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इस प्रकार है:**

| **कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817)** | |
|---|---|
| जन्म तिथि | 10 अप्रैल 1968 |
| नियुक्ति की तिथि | 08 जून 2022 |
| योग्यता | • नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक<br>• डिप्लोमा<br>• प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता | कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त) को कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में नियुक्त किया गया था । 08 जून 2022 ।<br>कमांडर. शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त), 23 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के बाद, 2013 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला है । 08 जून 2022 को कमांडर। शांतनु बोस, आईएन (सेवानिवृत्त) एक उच्च योग्य और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से कंपनी द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी रहे हैं। निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू और पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे।). उन्होंने कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी से नेवल आर्किटेक्चर एण्ड शिपबिल्डिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है । इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता है।<br>कमांडर. शांतनु बोस, आईएन (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि है और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का अनुभव है, लोगों को प्रबंधित करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है। जीआरएसई में, वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिजाइन के लिए वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) और उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और स्वदेशीकरण पर अधिक जोर शामिल है। जीआरएसई की आरबीडी इकाई के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना, निष्पादन और शोषण उनकी देखरेख में किया गया है। अब चल रही परियोजनाओं के निर्माण के लिए इसका लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। |
| सूचीबद्ध संस्थाएं जिनमें व्यक्ति निदेशक और बोर्ड की समितियों की सदस्यता भी रखता है । | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड |
| पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा | शून्य |
| सभी सूचीबद्ध कंपनियों में समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड<br>• लेखा परीक्षा समिति - सदस्य<br>• सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कमेटी - सदस्य<br>• जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य<br>• प्रोक्यूमेंट समिति - सदस्य |
| अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद | शून्य |
| अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता | शून्य |
| नियम और शर्ते | कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें, भारत सरकार के पास निहित हैं । |
| नियुक्ति की तारिख से बोर्ड की बैठकों की संख्या | 07 |
| अन्य निदेशको / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध | शून्य |
| कंपनी में धारित शेयरो की संख्या (स्वयं और एक लाभाकारी मालिक के रूप) में | शून्य |

| **डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 10205285)** | |
|---|---|
| जन्म तिथि | 03 अप्रैल 1965 |
| नियुक्ति की तिथि | 20 जून 2023 |
| योग्यता | • दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से बैचलर डिग्री के साथ मैकेनिकल इंजीनियर<br>• पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल मरीन) में स्नातकोत्तर<br>• जामिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली<br>• इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एडवांस मरीन इंजीनियरिंग कोर्स |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता | डीआईजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया । 20 जून 2023 ।<br>आईसीजी (सेवानिवृत्त) डीआइजी सुब्रतो घोष वर्ष 2016 में जीआरएसई में जनरल मैनेजर (राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट) के रूप में शामिल हुए। उन्होंने निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला है। 20 जून 2023 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह मुख्य महाप्रबंधक (बीबी और डीईपी) के रूप में कार्यरत थे।<br>भारतीय तटरक्षक बल में उनका शानदार करियर रहा है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित नियुक्तियाँ कीं जिनमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), प्रधान निदेशक (टीएस और आईटी) और परियोजना अधिकारी (पीसीवी) शामिल थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में अपने करियर के दौरान छह जलपोत नियुक्तियों पर भी काम किया है।<br>जीआरएसई में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को तीन-तीन पोतों की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान जीआरएसई का 100वां युद्धपोत राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट से वितरित किया गया था। उन्होंने बेली ब्रिज यूनिट टर्नओवर को दोगुना करने का नेतृत्व किया और उसके बाद साल-दर-साल लगभग 20% राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की।<br>डीआईजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त) के पास परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और कठोर समय सीमा के तहत कई हितधारकों के साथ काम करने और बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम देने का सिद्ध अनुभव और क्षमता है। उनके पास पोत निर्माण के साथ-साथ पोत की मरम्मत का भी व्यापक अनुभव है। |
| सूचीबद्ध संस्थाएं जिनमें व्यक्ति निदेशक और बोर्ड की समितियों की सदस्यता भी रखता है । | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड |
| पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा | शून्य |
| सभी सूचीबद्ध कंपनियों में समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता | गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड<br>• सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कमेटी - सदस्य<br>• हितधारक संबंध समिति - सदस्य<br>• जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य<br>• विधि समिति - सदस्य |
| अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद | शून्य |
| अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता | शून्य |
| नियम और शर्तें | कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें, भारत सरकार के पास निहित हैं । |
| नियुक्ति की तारिख से बोर्ड की बैठकों की संख्या | 01 |
| अन्य निदेशको / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध | शून्य |
| कंपनी में धारित शेयरो की संख्या (स्वयं और एक लाभाकारी मालिक के रूप) में | 200 इक्विटी शेयर |

भारतीय नौसेना के लिए तृतीय पी-17ए एडवांस फ्रिगेट भा.नौ. पो. विन्ध्यागिरी का जलावतरण

भारतीय नौसेना के लिए द्वितीय पी-17ए एडवांस फ्रिगेट भा.नौ.पो. दूनागिरी का जलावतरण

# गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
# GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED


CIN L35111WB1934GOI007891

पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024

पंजीकृत कार्यालय: "जीआरएसई भवन", 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024

दूरभाष: 033-2469 8105-08 फैक्स: 033-2469 8150 ई-मेल: co.sec@grse.co.in • वेबसाइट: www.grse.in